ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा 2022-23

संधारणीयता पोषण संग
ऊर्जा सुरक्षा अभियान

राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण

वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा

2022-23

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

www.easterncoal.nic.in

CIN-U10101WB1975GOI030295

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।

लक्ष्य

कोल इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

विषय सूची

क्र.सं.	सामग्री	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन	4
2.	निदेशक मंडल	5
3.	वार्षिक आम सभा की सूचना	7
4.	अध्यक्ष का वक्तव्य	11
5.	परिचालन सांख्यिकी/वित्तीय स्थिति	13
6.	निदेशकों का परिचय	21
7.	बोर्ड की रिपोर्ट 2022-23	26
8.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	121
9.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन के उत्तर	136
10.	31 मार्च, 2023 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)	143
11.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	145
12.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरणी	147
13.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	149
14.	कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	151
15.	तुलन-पत्र के भाग के रूप में टिप्पणियां	171
16.	लाभ और हानि विवरणी भाग के रूप में टिप्पणियां	199
17.	खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियां	209

निगमित संसूचना

पंजीकृत कार्यालय

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्द्धवान,
पिन- 713333, पश्चिम बंगाल।

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री ए. पी. पंडा, सीएमडी एवं सीईओ (01.02.2022 से)
श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), योजना व परियोजना (30.11.2022 तक)
मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ (15.09.2022 से)
श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (वित्त) (18.11.2022 से)
श्री उदय अनंतराव काउले, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना (01.12.2022 से 09.12.2022 तक)
श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.12.2022 से 01.02.2023 तक)
श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना (09.12.2022 से)
श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.02.2023 से)

सरकार नामिति निदेशकगण:

श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.07.2022 तक)
श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल (30.04.2022 तक)
श्री एच. के. हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोलया मंत्रालय (05.07.2022 से)
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (12.05.2022 से)

स्वतंत्र निदेशकगण:

श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (09.07.2022 तक)
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्वी रेलवे (31.12.2022 से)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी, कोलकाता

शाखा लेखापरीक्षक :

मेसर्स एस. गुहा एवं एसोसिएटस, सॉल्ट लेक
मेसर्स केशरी एवं एसोसिएटस, हाउड़ा
मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएटस, बर्द्धमान
मेसर्स बी. छाउछरिया एवं कंपनी, कोलकाता
मेसर्स एस. के. नरेदी एवं कंपनी, कोलकाता

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स के. जी. गोयल एवं एसोसिएटस, जयपुर
मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएटस, आसनसोल
मेसर्स पंत एस. एवं एसोसिएटस, गाजियाबाद
मेसर्स बी. राय एवं एसोसिएटस, कोलकाता

सचिवालयिक लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहता एवं मेहता
मुम्बई - 400018

आंतरिक लेखापरीक्षक :

मेसर्स कपूर भूषण एवं कंपनी
मेसर्स अमित राय एवं कंपनी,
मेसर्स अग्रवाल एवं धनधारिया,
मेसर्स एस.आर.आई. एसोसिएट,
मेसर्स अंकुर कुमार गुप्ता एवं कंपनी,
मेसर्स आर.एन. सिंह एवं कंपनी,
मेसर्स मित्रा कुंडु एवं बसु
मेसर्स पी.पी. बंसल एवं कंपनी,
मेसर्स बी. मुखर्जी एवं कंपनी,
मेसर्स सुजीत चक्रवर्ती एवं एसोसिएट
मेसर्स डी दास एवं कमालुद्दीन,
मेसर्स ए रॉय एवं एसोसिएट,
मेसर्स एन.सी. मित्तल एवं कंपनी,
मेसर्स सलारपुरिया एवं पार्टनर्स,
मेसर्स नीना महेश्वरी एवं कंपनी.

खानों का अवस्थान

राज्य : पश्चिम बंगाल
जिला : पश्चिम बर्द्धमान
बांकुड़ा
पुरूलिया

राज्य : झारखण्ड
जिला : धनबाद
गोड्डा
दुमका
पाकुड़
देवघर

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लि.
यूको बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
आईसीआईसीआई बैंक लि.
केनरा बैंक
एक्सिस बैंक लि.
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निक्षेपागार

मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता

मेसर्स एनडीएमएल

आईएसआईएन: INE06V901011

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल (2022-23 के दौरान)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री ए. पी. पंडा, (01.02.2022 से)

पूर्णकालिक निदेशकगण:

श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) यो. व परि.
(30.11.2022 तक)
मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
(15.09.2022 से)
श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (वित्त)
(18.11.2022 से)
श्री उदय अनंतराव काउले, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना
(01.12.2022 से 09.12.2022 तक)
श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) संचालन
(01.12.2022 से 01.02.2023 तक)
श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना
(09.12.2022 से)
श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन
(01.02.2023 से)

सरकार नामिति निदेशकगण:

श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय
(05.07.2022 तक)
श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल
(30.04.2022 तक)
श्री एच. के. हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोलया मंत्रालय
(05.07.2022 से)
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल
(12.05.2022 से)

स्वतंत्र निदेशकगण:

श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (09.07.2022 तक)
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,
पूर्वी रेलवे (31.12.2022 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री एस. के. सोमानी, महाप्रबंधक (प्रभारी) (15.09.2022 तक)
मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ (15.09.2022 से)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

निदेशक मण्डल (यथा 08.06.2023 को)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री ए. पी. पंडा

पूर्णकालिक निदेशकगण :

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ)

मो. आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक)

श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) यो. व परि.

श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन

सरकार नामिति निदेशकगण :

श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल

स्वतंत्र निदेशकगण :

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता
श्री शिव नारायण पाण्डेय
श्री शिव तपस्या पासवान

मुख्य वित्तीय अधिकारी

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक

निदेशक मंडल

अंबिका प्रसाद पंडा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री. बी वीरा रेड्डी
निदेशक (तकनीकी), सीआईएल
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल

मो अंजार आलम
निदेशक (वित्त), ईसीएल

सुश्री आहुति स्वैन
निदेशक (कार्मिक), ईसीएल

श्री. नीलेन्दु कुमार सिंह
निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी, ईसीएल

श्री. नीलाद्रि रॉय
निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल

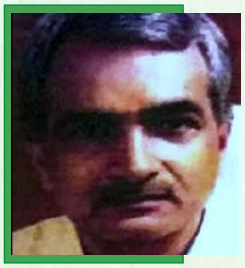

श्री शिव नारायण पांडे
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल

श्री शिव तपस्या पासवान
निदेशक (तकनीकी), ईसीएल

श्री रामबाबू पाठक
कंपनी सचिव, ईसीएल

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Burdwan, West Bengal-713333
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in
Telefax: 0341-2520546
E-Mail: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ सं. ईसीएल:सीएस:15(2023)/9510

10 जुलाई, 2023

48 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को सूचना दिया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की अड़तालीसवीं 48वीं ("एजीएम") वार्षिक महाबैठक मंगलवार, 11 जुलाई, 2023 को सुबह 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया, डाकघर – डिसेरगढ़, पश्चिम बर्धमान, पिन-713333, पश्चिम बंगाल में विडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य उपाय (ओएवीएम) के जरिए निम्नलिखित कारबारों के संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कारबार :

1. यथा 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि विवरणी, समस्त टिप्पणियों के साथ नगदी प्रवाह विवरणी, वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर अतिरिक्त टिप्पणियों, सांविधिक लेखापरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को ग्रहण, प्रतिफलित और अंगीकृत करने संबंधित

2. श्री अंबिका प्रसाद पंडा (डीआईएन-06664375) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने संबंधित, निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधनों के अनुसार चक्रानुक्रम से निवृत्त होते हैं और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होने पर स्वयं को प्रस्तावित करते हैं।

3. मो. अंज़ार आलम (डीआईएन-09743117) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने संबंधित, निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधनों के अनुसार चक्रानुक्रम से निवृत्त होते हैं और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होने पर स्वयं को प्रस्तावित करते हैं।

विशेष कारबार :

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करने एवं प्रतिफलित करने और यदि उचित समझा जाए तो उपांतर सहित या रहित जारी करने संबंधित, निम्नलिखित संकल्प यथा सामान्य संकल्प :

   "संकल्पित किया जाता है कि कंपनी के लागत परीक्षक कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसरण में निम्नलिखित पारश्रमिक प्रदत्त किए जाते हैं :

क्रम सं.	लागत परीक्षक का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षण हेतु पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स के. जी. गोयल एवं एसोसिएट्स	6,60,000.00
2	मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएट्स	6,30,000.00
3	मेसर्स पंत एस एवं एसोसिएट्स	5,41,500.00
4	मेसर्स बी राय एवं एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल : (इक्कीस लाख तीन हजार रूपए मात्र)	**21,03,000.00**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत परीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्म की नियुक्ति अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) में यथा उल्लिखित निबंधनों एवं दशाओं द्वारा मार्गदर्शित होगी।"

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
निदेशक मण्डल के आदेश से

(रामबाबू पाठक)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक : 10 जुलाई, 2023
पंजीकृत कार्यालय :
सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्द्धमान
पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

टिप्पणियाँ :

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 के अनुसार, कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की सशरीर उपस्थिति के बिना वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
2. चूंकि यह वार्षिक महाबैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए परोक्षी प्रपत्र व उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। यद्यपि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि को वीसी या ओएवीएम के जरिए सहभागिता एवं मतदान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के जरिए बैठक में सम्मिलित होने के लिए, लिंक कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी के माध्यम से अग्रिम रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी&एजी) द्वारा एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को नियुक्त या पुनःनियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के निबंधनों में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में उनका पारिश्रमिक नियत किया जाना है या इस तरह से यथा कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है।
4. विशेष कारबार से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ उपाबद्ध है।.
5. शेयरधारकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसरण में अल्पतर समय की सूचना पर वार्षिक आम बैठक आहुत करने के लिए उनके सहमति देने का अनुरोध किया जाता है।

प्रतिलिपि :

1. मेसर्स एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक, 'कॉमर्स हाउस', पहली मंजिल, कमरा नंबर -9, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता - 700013
2. मेसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक, 201-206, शिव स्मृति चैंबर्स, दूसरी मंजिल, 49 ए, डॉ. एनी बेसेंट रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के ऊपर, वर्ली, मुंबई - 400018
3. मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट ऑडिटर्स, 289, महावीर नगर 2, महारानी फार्म, गायत्री नगर बी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान 302018
4. ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के समस्त निदेशकगण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(i) के अनुसरण में विवरणी

11 जुलाई, 2023, मंगलवार को आयोजित अड़तालीसवीं (48वीं) वार्षिक महाबैठक आहुत करने की सूचना के साथ उपाबद्ध।

विशेष कारबार : मद सं. 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लेखापरीक्षक समिति द्वारा यथा सिफारिश और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक की बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन की जानी है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखापरीक्षक समिति 21 सितंबर, 2022 को आयोजित अपने 121 वीं बैठक में सिफारिश की और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल 22 सितंबर, 2022 को आयोजित अपने 354वीं बैठक में सिफारिश की कि निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों को यथा लागत लेखापरीक्षक नियुक्ति अनुमोदित किया जाए जिसे आगामी एजीएम में अनुसमर्थन किया जाना है :

क्रम सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखापरीक्षण हेतु पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स के.जी. गोयल एवं एसोसिएट्स	6,60,000.00
2	मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएट्स	6,30,000.00
3	मेसर्स पंत एवं एसोसिएट्स	5,41,500.00
4	मेसर्स बी. राय एवं एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल : (इक्कीस लाख तीन हजार रूपए मात्र)	**21,03,000.00**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्मों की नियुक्ति अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) में यथा उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के निबंधनों के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों की इस संकल्प में कोई अभिरूचि नहीं है। निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
निदेशक मण्डल के आदेश से

(रामबाबू पाठक)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक : 10 जुलाई, 2023

पंजीकृत कार्यालय:
सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सैंक्टोरिया, पी.ओ. दिशेरगढ़
जिला-पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

आम बैठक पर सचिवालयीक मानक ("एसएस -2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुन: नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है-

नाम और निदेशक का पदनाम	श्री अंबिका प्रसाद पांडा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल
डीआईएन	06664375
जन्मतिथि	14.08.1967
राष्ट्रीयता	भारतीय
निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि	01/02/2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें तथा मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम बार लिए गए पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार
अर्हता एवं अनुभव	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अद्येता सदस्य और वित्त में व्यवसाय प्रशासन निष्णात
कंपनी में शेयरधारिता	एक (1)
अन्य निदेशक, प्रबंधक और केएमपी के साथ संबंध	कुछ नहीं
वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	11
अन्य कंपनियों में रखे गए निदेशक पदों की सूची	कुछ नहीं
ईसीएल में अन्य समिति की अध्यक्षता / सदस्यता	कुछ नहीं

नाम और निदेशक का पदनाम	मो. अंज़ार आलम निदेशक (वित्त), ईसीएल
डीआईएन	09743117
जन्मतिथि	09.07.1969
राष्ट्रीयता	भारतीय
निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि	15/09/2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें तथा मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम बार लिए गए पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार
अर्हता एवं अनुभव	वर्ष 1991 में बीआईटी, सिंदरी से प्रौद्योगिकी स्नातक (यांत्रिक) ; (वर्ष 2005 में पण्डिचेरी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) तथा (बहुप्रतीक्षित पीजीपीईएक्स पूर्णकालीन एमबीए कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007 में आईआईएम कोलकाता से वित्त में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा)
कंपनी में शेयरधारिता	कुछ नहीं
अन्य निदेशक, प्रबंधक और केएमपी के साथ संबंध	कुछ नहीं
वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	7
अन्य कंपनियों में रखे गए निदेशक पदों की सूची	कुछ नहीं
ईसीएल में अन्य समिति की अध्यक्षता / सदस्यता	के सदस्य: क. सीएसआर पर ईसीएल निदेशक मण्डल की उप-समिति ख. परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए ईसीएल निदेशक-मंडल की उप-समिति ग. जोखिम प्रबंधन पर ईसीएल निदेशक मंडल की उप-समिति

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की एकीकृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है।.

अर्थव्यवस्था और ऊर्जा

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर के निशान को छू लिया है। विद्यमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद ब्रिटेन (3,159 अरब डॉलर), फ्रांस (2,924 अरब डॉलर), कनाडा (2,089 अरब डॉलर), रूस (1,840 अरब डॉलर) और ऑस्ट्रेलिया (1,550 अरब डॉलर) से ऊपर है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 7.2% की वृद्धि देखने के बाद भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में माना जा रहा है। सुधार की राह को यथा बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव आदि कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। इन कारकों ने नीति-निर्माताओं के बीच चिंता पैदा कर दी थी और अर्थव्यव स्था की अनुमानित वृद्धि को प्रभावित किया था। इसके अलावा, सर्वव्यापी रोग के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में कमजोरियों को रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं से बढ़ा दिया गया था और इस प्रकार, राष्ट्रों को बाहरी ऊर्जा संसाधनों की तलाश करने के लिए मजबूर किया गया था।

प्रायः जीवंत ऊर्जा क्षेत्र एक राष्ट्र की समृद्धि से जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास और विकास की दिशा में समर्थन सुनिश्चित करने की क्षमता होती है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, जब देश चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है। लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से बहुत कम है, जो वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक की आवश्यकता को इंगित करता है। यह भी सच है कि 3ए अर्थात ऊर्जा खपत के लिए उपलब्धता, सुलभता और वहनीयता, हमारे विकासशील राष्ट्र के लिए अन्य मुद्दों की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के लिए अधिक चुनौतियाँ लाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक चिंताओं के अनुरूप, नेट-जीरो बनने की भारत की प्रतिबद्धता भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी के आयाम को बढ़ाती है।

वैश्विक स्तर पर, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में अलग नहीं है। हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का लगभग 55% हिस्सा है। भारत के भीतर प्रचुर मात्रा में कोयला भंडार की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण लाभ रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि 1200 मीटर की गहराई तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की सूची 361.41 बिलियन टन है। ये संसाधन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आपकी कंपनी पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में अपने कमांड क्षेत्र में 55.147 बि.टन के कोयला भंडार को निकालने के लिए काम करती है, जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड्स को कवर करते हुए 33.856 बि.टन और झारखंड में राजमहल और शहारझुड़ी कोलफील्ड्स पर 21.291 बि.टन है।

प्रत्यावर्तन की मुख्य विशेताएँ

यह बहुत खुशी की बात है कि एक उत्साही बाजार द्वारा समर्थित मजबूत कार्यबल के सामूहिक प्रयासों ने आपकी कंपनी को अपने आपद से बाहर निकाला।

- लगातार दो वित्तीय वर्षों में भारी नुकसान के बाद, कंपनी ने लाभ अर्जित किया और अपनी चलनिधि को मजबूत किया। ₹19,351 करोड़ रुपये के सकल बिक्री कारोबार के साथ, कंपनी ने 33.88% की वार्षिक वृद्धि हासिल की और पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1060.66 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में ₹616.42 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया।

- लंबे समय तक अनुनय के बाद, राजमहल क्षेत्र में तालझारी मौजा में भूमि पर वास्तविक दखल दियानी लेने के लिए एक सफलता हासिल की जा सकी, ताकि कोयला उत्पादन और पिट-हेड बिजली संयंत्रों को आपूर्ति की जा सके।

- अल्पतम संभावित समय के अंदर हुर्रा सी खान (3 मि. टन प्रति वर्ष) परियोजना से कोयला उत्पादन का सी2सी ।

- परासिया-बेलबाद (2.07 मि.टन प्रति वर्ष) एवं तिलाबोनी (1.86 मि.टन प्रति वर्ष) भूमिगत खानों तथा और इटापाड़ा खुली खदान परियोजना (3.5 मि.टन प्रति वर्ष) के लिए एमडीओ की प्रतिबद्धता।
- राजस्व साझाकरण मॉडल के अंतर्गत अनिरंतरित खानों नामतः गोपीनाथपुर, मोइरा, मधुजोर और चिनाकुड़ी-I से उत्पादन पुनः आरंभ करने के लिए एमडीओ की प्रतिबद्धता।
- सोनपुर बाजारी परियोजना सीएचपी और साइलो के चालू होने के उपरांत प्रथमतः 12 मि.टन प्रति वर्ष की अपनी चरम क्षमता प्राप्त कर सकी।
- कोयले की गुणवत्ता में सुधार और आयात के विकल्प के लिए उच्च श्रेणी के कोयले की उपलब्धता पर जोर।

निगमित सुशासन

आपकी कंपनी को 1 मार्च, 2023 को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए निगमित सुशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) में "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है। निगमित सुशासन पर एक पृथक प्रतिवेदन निदेशक मंडलीय प्रतिवेदन का हिस्सा है।

अभिस्वीकृति

मैं कोयला मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय - सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश व सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), संबद्ध सांविधिक प्राधिकरणों के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए निदेशक मंडल की ओर से अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं कोयला योद्धाओं के ठोस प्रयासों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करता हूँ और श्रमिक संगठनों, विनिमयकारी निकायों और अन्य हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उत्कर्ष को अपनाकर अपने संचालन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपने राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करना जारी रखते हैं।

शुभकामना सहित,

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06664375

दिनांक : 11 जुलाई, 2023
स्थान : सांकतोड़िया

परिचालनात्मक सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023	2022	2021	2020	2019
1. कोयला उत्पादन (मि.टन)					
भूमिगत	8.968	8.996	9.309	9.206	9.06
खुली खदान	26.050	23.432	35.695	41.195	41.10
कुल	**35.018**	**32.428**	**45.004**	**50.401**	**50.16**
2. उपरिभार हटाव (मि. घनमीटर)	132.985	118.989	139.585	140.455	126.06
3. कुल व्यापार (कच्चा कोयला) : (मि.टन)					
विद्युत शक्ति	28.150	29.970	36.170	45.334	46.79
सिमेंट	0.430	0.120	0.093	0.076	0.04
कोलियरी खपत	0.170	0.180	0.177	0.181	0.19
अन्य	6.760	5.830	5.60	3.725	3.39
कुल :	**35.510**	**36.100**	**42.040**	**49.316**	**50.41**
4. जनशक्ति	51074	52935	54866	57153	59698
5. उत्पादकता (ओ.एम.एस.) (मि.टन)					
भूमिगत	0.888	0.863	0.852	0.824	0.78
खुली खदान	11.420	10.310	15.374	17.358	17.02
समग्र :	**2.829**	**2.555**	**3.397**	**3.722**	**3.58**
6. पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	1122.64	1227.99	1025.87	894.68	829.96
7. सकल बिक्री आवर्तन (₹ करोड़ में)	19351.00	14453.63	14821.26	18192.36	18385.03
8. प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	4352.27	3916.05	5459.18	6026.93	5126.04
9. संचित हानि (₹ करोड़ में)	2558.26	3228.42	3017.95	2023.89	2858.26
10. नविल मालयित (₹ करोड़ में)	2543.87	1813.71	888.82	1882.88	1048.51

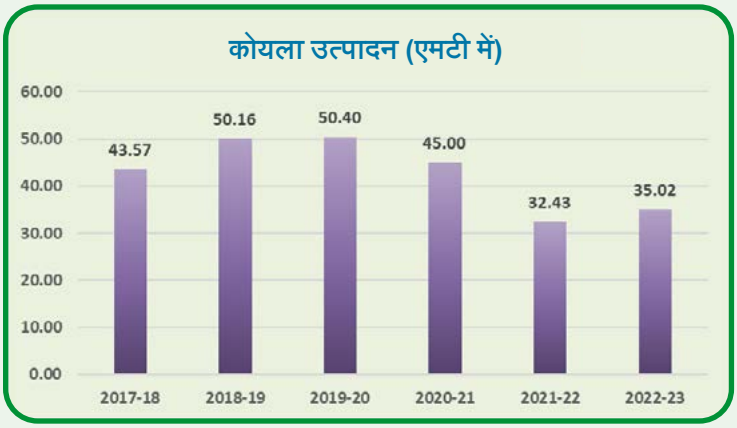
कोयला उत्पादन (एमटी में)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
43.57
50.16
50.40
45.00
32.43
35.02
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

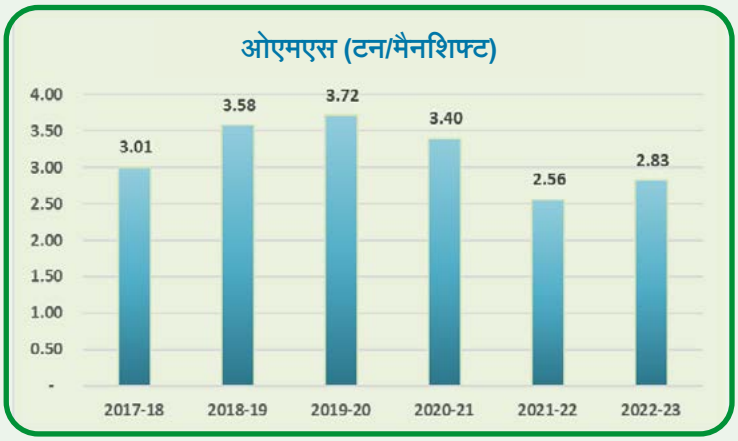
ओएमएस (टन/मैनशिफ्ट)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-
3.01
3.58
3.72
3.40
2.56
2.83
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

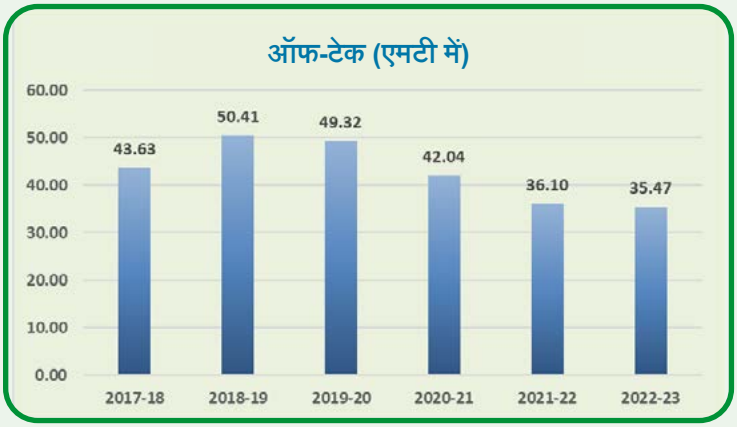
ऑफ-टेक (एमटी में)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
43.63
50.41
49.32
42.04
36.10
35.47
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

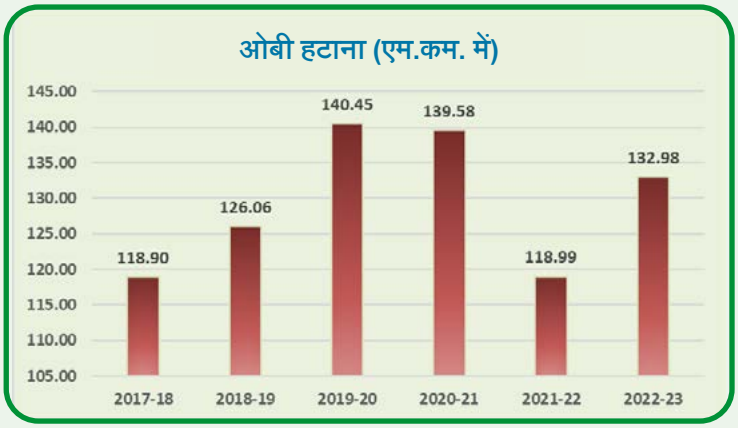
ओबी हटाना (एम.कम. में)
145.00
140.00
135.00
130.00
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
118.90
126.06
140.45
139.58
118.99
132.98
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

आय और व्यय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2023	2022	2021	2020	2019
क	**से अर्जित**					
1	**सकल बिक्री (कोयला)**	**19,351.00**	**14,453.65**	**14,821.26**	**18,192.36**	**18,385.03**
	न्यून : उत्पाद शुल्क एवं अन्य उगाही	4,581.71	4,152.20	4,564.87	5,368.62	5,470.68
2	**निवल बिक्री**	**14,769.29**	**10,301.45**	**10,256.39**	**12,823.74**	**12,914.35**
3. i	कोयला आयात के लिए सुकरीकरण प्रभार	-	-	-	-	-
3. ii	रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्यों के लिए सहायकी	1.53	-	0.12	-	-
3. iii	परिवहन व लदाई लागत की वसूली (उगाही का निवल)	271.69	264.11	306.10	337.10	352.05
3. iv	विस्थापन सुकर प्रभार (उगाही का निवल)	211.97	185.19	155.54	177.59	182.91
3. v	सेवाओं से राजस्व (उगाही का निवल)	-	-	-	-	-
3	**अन्य परिचालनात्मक राजस्व (उगाही का निवल)**	**485.19**	**449.30**	**461.76**	**514.69**	**534.96**
4. i	ब्याज आय	211.55	120.75	99.85	377.27	400.14
4. ii	पारस्परिक निधि पर लाभांश	-	-	-	-	-
4.iii	अन्य अपरिचालनात्मक आय	344.75	97.35	286.03	252.64	58.04
4	**अन्य आय**	**556.30**	**218.10**	**385.88**	**629.91**	**458.18**
	कुल (क)	**15,810.78**	**10,968.85**	**11,104.03**	**13,968.34**	**13,907.49**
ख	**को संदाय / के लिए प्रदत्त**					
1. i	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस इत्यादि	8,077.44	6,234.51	5,924.72	5,832.43	5,651.13
1. ii	भविष्य निधि एवं पेंशन निधि को अंशदान	1,049.64	949.43	923.65	904.55	910.99
1.iii	उपदान	127.95	225.54	188.89	285.26	353.63
1.iv	अवकाश नकदीकरण	263.43	159.81	284.90	213.78	189.29
1. v	अन्य	408.91	414.50	466.14	439.30	343.43
1	**कर्मी प्रसुविधा व्यय**	**9,927.37**	**7,983.79**	**7,788.30**	**7,675.32**	**7,448.47**
2	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1,086.24	781.36	720.07	681.90	721.71
3	तैयार माल/चालू कार्य और विक्रेय माल की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	24.21	291.34	(300.71)	(86.86)	109.50
4	विद्युत शक्ति व्यय	425.44	434.92	431.19	445.78	476.39
5	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	6.92	13.86	11.56	11.48	16.46
6	मरम्मति	176.78	192.87	242.37	134.43	141.12
7	संविदात्मक व्यय	2,042.23	1,686.53	1,941.23	1,974.85	1,930.38
8	**वित्त लागत**					
	बट्टों का अकुंडलन	52.22	163.04	190.92	178.04	163.10
	अन्य वित्त लागत	12.63	0.62	2.88	0.17	-
9	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	609.27	529.70	494.18	434.35	494.98
10	विपट्टन गतिविधि समायोजन	153.64	(153.57)	1.27	286.92	456.24
11	प्रावधान और बट्टे खाता डालना	4.05	12.11	27.56	95.53	8.28
12	अन्य व्यय	495.83	469.65	460.47	635.08	642.47
	कुल (ख)	**15,016.83**	**12,406.22**	**12,011.29**	**12,466.99**	**12,609.10**
13	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (क – ख)**	**793.95**	**(1,437.37)**	**(907.26)**	**1,501.35**	**1,298.39**
14	अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-
15	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**793.95**	**(1,437.37)**	**(907.26)**	**1,501.35**	**1,298.39**
16	न्यून : कर व्यय	177.53	(376.71)	(147.68)	503.70	549.62
17	**सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**616.42**	**(1,060.66)**	**(759.58)**	**997.65**	**748.77**
18	अनिरंतरित परिचलानों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)	-	-	-	-	-
19	संयुक्त उद्यम/संस्थान के लाभ/(हानि) में शेयर	-	-	-	-	-

आय और व्यय विवरणी (जारी.)

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2023	2022	2021	2020	2019
20	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**616.42**	**(1,060.66)**	**(759.58)**	**997.65**	**748.77**
21	**अन्य व्यापक आय**					
	क. (i) मुद्दों जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	152.00	(65.42)	(234.48)	(218.20)	(61.39)
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	38.26	-	-	(54.92)	(19.00)
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-	-	-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
22	**कुल अन्य व्यापक आय**	**113.74**	**(65.42)**	**(234.48)**	**(163.28)**	**(42.39)**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय [वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय को समाविष्ट]	**730.16**	**(1,126.08)**	**(994.06)**	**834.37**	**706.38**
23	**को रोप्य लाभ**					
	कंपनी के मालिक	616.42	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
24	**को रोप्य अन्य व्यापक आय :**					
	कंपनी के मालिक	113.74	(65.42)	(234.48)	(163.28)	(42.39)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
25	**को रोप्य कुल व्यापक आय :**					
	कंपनी के मालिक	730.16	(1,126.08)	(994.06)	834.37	706.38
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-

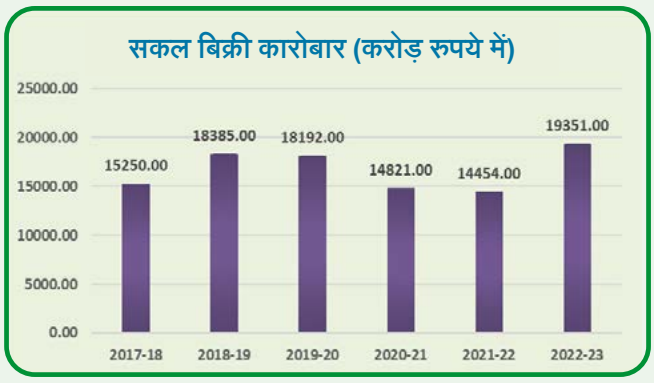

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2023	2022	2021	2020	2019
	आस्तियाँ					
क	**अप्रचलित आस्तियाँ**					
	अ. संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	4,677.30	4,411.30	3,572.54	3,168.82	2,992.37
	आ. पूँजीगत चालू कार्य	556.58	400.51	587.28	473.31	303.54
	इ. अन्वेषित और मूल्याकित आस्तियाँ	713.71	684.40	655.46	615.75	600.00
	ई. अमूर्त आस्तियाँ	15.36	2.08	2.78	-	-
	उ. विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	9.16			
	ऊ. वित्तीय आस्तियाँ					
	i. निवेश	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ii. ऋण	0.05	0.10	0.02	0.05	0.09
	iii. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	945.89	765.33	700.15	633.09	499.94
	ऋ. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	1,003.26	904.97	513.58	359.13	448.48
	ए. अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	1,113.29	878.34	759.41	665.13	187.35
	कुल अप्रचलित आस्तियाँ (क)	**9,025.52**	**8,056.27**	**6,791.30**	**5,915.36**	**5,031.85**
ख	**चालू आस्तियाँ**					
	अ. वस्तुसूचियाँ	562.87	554.17	810.36	502.76	420.56
	आ. वित्तीय आस्तियाँ					
	i. निवेश	-	-	-	-	-
	ii. व्यवसाय प्राप्य	1,564.50	2,504.20	4,423.53	3,316.46	1,621.92
	iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	532.11	882.47	945.16	93.28	478.68
	iv. अन्य बैंक अतिशेष	3,439.35	997.56	566.50	3,873.27	4,186.82
	v. ऋण	-	-	-	-	-
	vi. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	137.70	55.02	36.63	267.07	305.65
	इ. चालू कर आस्तियाँ (निवल)	-	274.39	1,071.22	1,197.05	392.96
	ई. अन्य चालू आस्तियाँ	1,910.85	1,409.17	855.95	803.33	845.06
	कुल चालू आस्तियाँ (ख)	**8,147.38**	**6,676.98**	**8,709.35**	**10,053.22**	**8,251.65**
	कुल आस्तियाँ (क + ख)	**17,172.90**	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**
	साम्या और देयताएँ					
क	**साम्या**					
1	निर्गत, अत्यभिदत्त और प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42	2,218.45	2,218.45	2,218.45
2	**पूँजी मोचन आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंधी पर शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	855.61	855.61	855.61	855.61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजन	-	-855.61	-	-	-
	साम्या शेयर की वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**-**	**-**	**855.61**	**855.61**	**855.61**
4	**सामान्य आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ पर पुनःअभिकथित शेष	832.71	832.71	832.71	832.71	832.71
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**
5	**प्रतिधारित उपार्जन**					
	लेखा आरंभ में शेष	(2,969.55)	(2,764.50)	(2,004.92)	(3,002.57)	(3,751.34)
	समायोजन	-	855.61	-	-	-
	वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	616.42	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77
	विनियोजन					

वित्तीय स्थिति (जारी.)

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2023	2022	2021	2020	2019
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	अन्य आरक्षित निधि से अंतरण	-	-	-	-	-
	अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
	निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**(2,353.13)**	**(2,969.55)**	**(2,764.50)**	**(2,004.92)**	**(3,002.57)**
6	**अन्य व्यापक आय**					
	अथ शेष	(318.87)	(253.45)	(18.97)	144.31	186.70
	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनर्मापन (कर का निवल)	113.74	(65.42)	(234.48)	(163.28)	(42.39)
	लेखाबंदी पर शेष	**(205.13)**	**(318.87)**	**(253.45)**	**(18.97)**	**144.31**
7	**अन्य साम्या**	**(1,725.55)**	**(2,455.71)**	**(1,329.63)**	**(335.57)**	**(1,169.94)**
8	**कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या**	**2,543.87**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**
9	**अनियंत्रित ब्याज**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**कुल साम्या (क)**	**2,543.87**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**
	देयता					
ख	**अप्रचलित देयताएँ**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	155.94	151.04	2,091.68	1,959.81	1,820.96
	ii. व्यवसाय देय	-	-	-	-	-
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	93.34	90.35	98.86	95.84	74.78
	आ. प्रावधान	4,306.30	4,369.68	4,311.62	3,700.76	3,317.73
	इ. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-
	ई. अन्य अप्रचलित देयताएँ	315.39	2.63	41.44	2.78	-
	कुल अप्रचलित देयाताएँ (ख)	**4,870.97**	**4,613.70**	**6,543.60**	**5,759.19**	**5,213.47**
ग	**चालू देयताएँ**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	7.79	7.36	7.07	368.16	-
	ii. व्यवासय देय	993.55	1,096.03	962.64	1,181.90	1,728.81
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	1,609.51	1,657.31	1,706.27	1,657.03	351.82
	आ. अन्य चालू देयताएँ	4,212.81	4,262.20	4,232.07	3,901.17	3,691.91
	इ. प्रावधान	2,909.62	1,282.94	1,160.18	1,218.25	1,248.98
	ई. चालू कर देयताएँ (निवल)	24.78	-	-	-	-
	कुल चालू देयताएँ (ग)	**9,758.06**	**8,305.84**	**8,068.23**	**8,326.51**	**7,021.52**
	कुल साम्या और देयताएँ (क+ख+ग)	**17,172.90**	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**

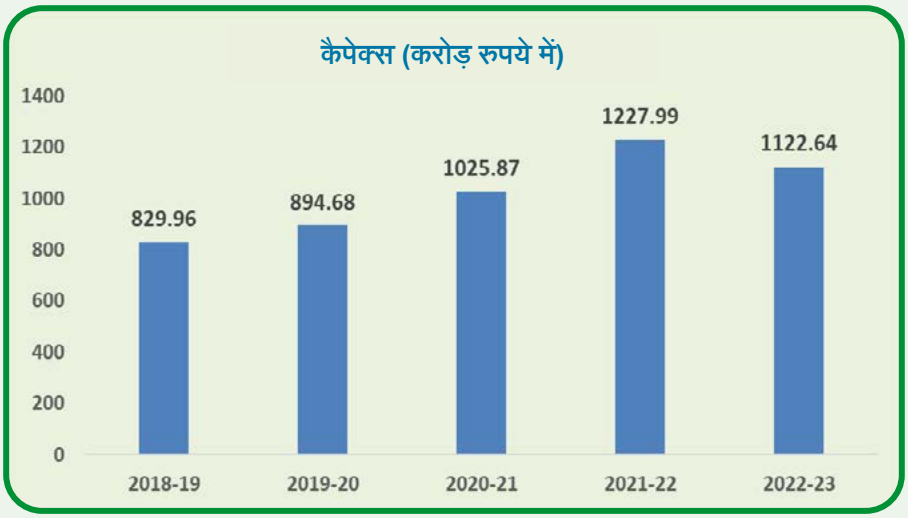

महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2023	2022	2021	2020	2019
क	**आस्तियाँ एवं देयताएँ संबंधी**					
1.i	प्रत्येक ₹1000/- के साम्या शेयरों की संख्या	4,26,94,200	4,26,94,200	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500
1.ii	**साम्या**					
1.ii.अ	साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42	2,218.45	2,218.45	2,218.45
1.ii.आ	अन्य साम्या	(1,725.55)	(2,455.71)	(1,329.63)	(335.57)	(1,169.94)
1.ii.इ	**साम्या (1.ii.अ + 1.ii.आ)**	**2,543.87**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**
1.ii.ई	आरक्षित पूँजी (बोनस शेयर के निर्गम रहित)	-	-	-	-	-
1.ii.उ.	**निवल मालियत (1.ii.इ - 1.ii.ई)**	**2,543.87**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**
2.i	चालू परिपक्वता रहित दीर्घावधि उधार	155.94	151.04	2,091.68	1,959.81	1,820.96
2.ii	दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता	7.79	7.18	6.95	7.16	6.62
2.iii.	चालू परिपक्वता सहित दीर्घावधि उधार (2.i. + 2.ii.)	163.73	158.22	2,098.63	1,966.97	1,827.58
2.iv.	चालू परिपक्वता रहित अल्पावधि उधार	-	0.18	0.12	368.16	-
2.v.	**कुल उधार (चालू परिपक्वता सहित) (2.iii.+2.iv.)**	**163.73**	**158.40**	**2,098.75**	**2,335.13**	**1,827.58**
3.i	सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	8,046.22	7,182.87	5,814.13	4,924.75	4,346.20
3.ii	संचित मूल्यह्रास/क्षति	3,368.92	2,771.57	2,241.59	1,755.93	1,353.83
3.iii	निवल संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर (3.i. - 3.ii.)	4,677.30	4,411.30	3,572.54	3,168.82	2,992.37
3.iv.	निवल अन्य अचल आस्तियाँ	1,285.65	1,096.15	1,245.52	1,089.06	903.54
3.v.	अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	3,062.57	2,548.82	1,973.24	1,657.48	1,135.94
3.vi.	चालू आस्तियाँ	8,147.38	6,676.98	8,709.35	10,053.22	8,251.65
3.vii.	**कुल आस्तियाँ (3.iii. to 3.vi.)**	**17,172.90**	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**
3.viii.	चालू देयताएँ	9,758.06	8,305.84	8,068.23	8,326.51	7,021.52
3.ix.	**प्रयुक्त पूँजी (3.vii - 3.viii.)**	**7,414.84**	**6,427.41**	**7,432.42**	**7,642.07**	**6,261.98**
4.i	व्यवसाय प्राप्य	1,564.50	2,504.20	4,423.53	3,316.46	1,621.92
4.ii	नकदी एवं नकदी समतुल्य	532.11	882.47	945.16	93.28	478.68
4 iii	अन्य बैंक अतिशेष	3,439.35	997.56	566.50	3,873.27	4,186.82
5.i	कोयले का अंतिम स्टॉक (निवल)	313.76	339.63	622.73	321.92	238.42
5.ii	भण्डारों एवं उपकरणों का अंतिम स्टॉक (निवल)	241.18	208.41	173.07	166.37	170.24
5.iii	अन्य अंतिम स्टॉक (निवल)	7.93	6.13	14.56	14.47	11.90
ख	**लाभ/(हानि) संबंधी**					
1.i	कर पूर्व लाभ	793.95	(1,437.37)	(907.26)	1,501.35	1,298.39

महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना (जारी.)

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2023	2022	2021	2020	2019
1.ii	करोपरांत लाभ/वर्ष के दौरान लाभ	616.42	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77
1.iii	अन्य व्यापक आय	113.74	(65.42)	(234.48)	(163.28)	(42.39)
1.iv	कुल व्यापक आय (1.ii.+1.iii.)	730.16	(1,126.08)	(994.06)	834.37	706.38
2.i	कोयले का सकल बिक्री	19,351.00	14,453.65	14,821.26	18,192.36	18,385.03
2.ii	निवल बिक्री	14,769.29	10,301.45	10,256.39	12,823.74	12,914.35
2.iii	अन्य परिचालनात्मक आय	485.19	449.30	461.76	514.69	534.96
2.iv	परिचालन से राजस्व (निवल) (2.ii.+2.iii.)	15,254.48	10,750.75	10,718.15	13,338.43	13,449.31
3.i.	जमाराशियों पर ब्याज व निवेश (ब्याज आय)	211.55	120.75	99.85	377.27	400.14
3.ii.	पारस्परिक निधियों से लाभांश	-	-	-	-	-
3.iii.	अन्य अपरिचालनात्मक आय	344.75	97.35	286.03	252.64	58.04
3.iv.	कुल अन्य आय (3.i.+3.ii.+3.iii.)	556.30	218.10	385.88	629.91	458.18
3	कुल आय (2.iv.+3.iv.)	15,810.78	10,968.85	11,104.03	13,968.34	13,907.49
4	कुल व्यय	15,016.83	12,406.22	12,011.29	12,466.99	12,609.10
4.i	कर्मी प्रसुविधा व्यय	9,927.37	7,983.79	7,788.30	7,675.32	7,448.47
4.ii	उपभुक्त सामग्री लागत	1,086.24	781.36	720.07	681.90	721.71
4.iii	विद्युत शक्ति व्यय	425.44	434.92	431.19	445.78	476.39
4.iv	वित्त लागत	64.85	163.66	193.80	178.21	163.10
4.v	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	609.27	529.70	494.18	434.35	494.98
4.vi.	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	6.92	13.86	11.56	11.48	16.46
4.vii.	विपट्टन गतिविधि समायोजन	153.64	(153.57)	1.27	286.92	456.24
4.viii.	प्रावधानित और बट्टा खाते	4.05	12.11	27.56	95.53	8.28
5	विक्रीत मालों की लागत (4 - 4.iv.-4.vi.-4.vii.-4.viii.)	14,787.37	12,370.16	11,777.10	11,894.85	11,965.02
6	ईबीआईटी (1.ii.+ 4.iv.-3.i.)	647.25	(1,394.46)	(813.31)	1,302.29	1,061.35
7	ईबीआईटीडीए (6+4.v.)	1,256.52	(864.76)	(319.13)	1,736.64	1,556.33
8	मूल्य योजित (1.ii.+4.iv.+4.v.+ 4.i.)	11,395.44	7,239.78	7,569.02	9,789.23	9,404.94

महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधी अनुपात

क्रम	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	कर्ज साम्या अनुपात					
1.i	कुल कर्ज में साम्या	0.06	0.09	2.36	1.24	1.74
1.ii	दीर्घावधि कर्ज में साम्या	0.06	0.09	2.36	1.04	1.74
2	चालू अनुपात	0.83	0.80	1.08	1.21	1.18
3	औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	28.29%	-78.49%	-54.81%	68.07%	107.69%
4	औसत प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ	9.35%	-20.12%	-10.79%	18.73%	17.66%
5	सकल बिक्री (यथा माहों की संख्या) देनदार आवर्त अनुपात	1.26	2.88	3.13	1.63	0.89
6	विक्रीत मालों की लागत का (यथा माहों की संख्या) वस्तुसूचि आवर्त अनुपात	0.27	0.47	0.48	0.28	0.29
7	निवल बिक्री पर मूल्यह्रास, ब्याज व कर-पूर्व अर्जन मार्जिन	8.51%	-8.39%	-3.11%	13.54%	12.05%
8	निवल बिक्री पर निवल लाभ मार्जिन	4.17%	-10.30%	-7.41%	7.78%	5.80%
9	प्रति शेयर अर्जन (₹)	144.38	-415.52	-397.86	394.24	282.05
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	595.84	424.81	400.65	848.74	472.63

Formulas:

1) मूल्य योजित = कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति + कर्मी प्रसुविधा व्यय
2) साम्या = साम्या शेयर पूँजी + अन्य साम्या
3) कुल कर्ज में साम्या = उधार / साम्या
4) दीर्घावधि कर्ज में साम्या = (दीर्घावधि उधार + दीर्घावधि का चालू परिपक्वता) / साम्या
5) चालू अनुपात = चालू आस्तियाँ / चालू देयताएँ
6) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (%) = कर-पश्चात लाभ (वर्ष के दौरान लाभ) / औसत निवल मालियत
7) प्रयुक्त पूँजी = कुल आस्तियाँ – चालू देयताएँ
8) ब्याज व कर पूर्व अर्जन (ईबीआईटी) = कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत – ब्याज आय
9) औसत प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ = ईबीआईटी / औसत प्रयुक्त पूँजी
10) देनदार आवर्त अनुपात = औसत देनदार (प्रावधानित का निवल) / सकल बिक्री * 12
11) विक्रीत मालों की लागत = (कुल व्यय – वित्त लागत – बट्टा खाते – प्रावधानित – सीएसआर – विपट्टन गतिविधि समायोजन)
12) वस्तुसूचि आवर्त अनुपात = कोयले की औसत वस्तुसूची / विक्रीत मालों की लागत * 12
13) ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति पूर्व अर्जन) = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति – ब्याज आय
14) ईबीआईटीडीए मार्जिन = ईबीआईटीडीए / निवल बिक्री
15) प्रति शेयर अर्जन = (कर-पूर्व लाभ (वर्ष के दौरान लाभ) – अधिमान लाभांश) साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या
16) प्रति शेयर बहि मूल्य = साम्या / साम्या शेयरों की संख्या

निदेशक मण्डल की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री अंबिका प्रसाद पंडा (55 वर्ष) (डीआईएन- 06664375) ने धातु और खनन क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ 1 फरवरी, 2022 से ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस समनुदेशनपूर्व / कर्तव्यभारपूर्व, उन्होंने नानाविध पदों यथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) पर क्रमशः 28 दिसम्बर, 2018 तथा 01 अगस्त, 2013 से सेवा दी। उन्हें जुलाई, 2018 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। उपर्युक्त समनुदेशन के अतिरिक्त, अगस्त, 2013 से वे एसईसीएल के दो अनुषंगी कंपनियों नामशः छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लयूआरएल) के अध्यक्ष भी थे। एसईसीएल में पद ग्रहण करने के पूर्व, उन्होंने दो दशकों से अधिक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एक नवरत्न सीपीएसई विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कार्य किया था। वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के अध्येता सदस्य हैं तथा वित्त में व्यवसाय प्रशासन निष्णात हैं।

कार्यकारी निदेशकगण

मो. अंज़ार आलम (54 वर्ष) (डीआईएन-09743117) ने 15.09.2022 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार संभाला।

श्री आलम ने 1991 में बीआईटी, सिंदरी से बीटेक (मैकेनिकल) किया था, इसके बाद 2005 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रतिष्ठित पीजीपीईएक्स एक वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम के तहत 2007 में आईआईएम कोलकाता से वित्त में विशेषज्ञता वाले प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया था।

ईसीएल में शामिल होने से पहले, श्री आलम आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड) में काम कर रहे थे - एक नवरत्न पीएसयू, जहाँ उन्होंने 1991 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, आईटी, परियोजना प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षम में काम करने का 31 वर्षों का लंबा और विविध अनुभव है।

प्रबंधन की डिग्री पूरी करने के बाद, श्री आलम को आरआईएनएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष सलाहकार के रूप में चुना गया था और उन्हें व्यापार विकास, रणनीतिक गठबंधन और दुनिया भर में कोयला, लौह अयस्क और उच्च श्रेणी के चूना पत्थर संसाधनों की खोज का काम सौंपा गया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोयला उपक्रमों (आईसीवीएल) के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वैश्विक कोयला खनन परियोजनाओं / संसाधनों का वित्तीय मूल्यांकन किया। उन्होंने आरआईएनएल के लिए बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के सफल अधिग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाद में, निदेशक (वित्त) के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए श्री आलम ने परियोजना वित्त, बजट प्रबंधन, लागत, कॉर्पोरेट लेखा, निधि प्रबंधन, कराधान और ईआरपी के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक (दक्षिण), चेन्नई की क्षमता में, उन्होंने प्रति वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 4 क्षेत्रीय शाखाओं के वित्तीय कार्यों का प्रबंधन किया और बिक्री और ग्राहक संतुष्टि और अनुभव में सुधार के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की।

मो. आलम ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे देशों का भी दौरा किया है। उन्होंने कोलोराडो, यूएसए में लेवल 3 कम्युनिकेशंस में एक प्रशिक्षु के रूप में भी काम किया, जिसमें उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं के संबंध में पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) के मूल्यांकन के लिए ढ़ांचा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समाज में प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं निगमित सुशासन का गहन पालन, निजी वित्त और धन प्रबंधन पर सलाह, शतरंज खेलना आदि उनकी रुचि के क्षेत्र हैं।

श्रीमती आहुती स्वाईं (59 वर्ष) (डीआईएन-09817248) ने 18.11.2022 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार संभाला।

श्रीमती स्वाईं ने वर्ष 1987 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के साथ अपना करियर शुरू किया और कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता के साथ मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में काम करने का 35 से अधिक वर्षों का विशाल और विविध अनुभव है। ईसीएल में शामिल होने से पहले, श्रीमती अहुती स्वैन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद में महाप्रबंधक (सीएसआर) के रूप में काम कर रही थीं, जहाँ उन्होंने अधिशासी स्थापना, कल्याण, सीएसआर और पीएफ और पेंशन विभाग का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने सीएसआर के तहत टीम का नेतृत्व किया, जिसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न समर्पित गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसके लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को वर्ष 2020 में सीआईएल द्वारा सम्मानित किया गया।

बीसीसीएल में अपने पदस्थापन के पूर्व, श्रीमती आहुती स्वाईं ने सीसीएल में काम किया, जहाँ उन्होंने सीसीएल की विभिन्न इकाइयों और क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। उन्हें सीसीएल में पायलट परियोजनाओं यूपीआईएस (एकीकृत व्यक्तिगत सूचना प्रणाली) और एनईआईएस (गैर-अधिशासी सूचना प्रणाली) को लागू करने में उनके योगदान के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया

श्रीमती स्वाईं, एक्सआईएसएस, राँची से पीएम एण्ड आईआर में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए भी किया है। वह निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा सम्मानित 'प्रमाणित कॉर्पोरेट निदेशक' भी हैं। श्रीमती आहुति स्वाईं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और अभियानों यथा गो ग्रीन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि से भी जुड़ी हुई हैं।

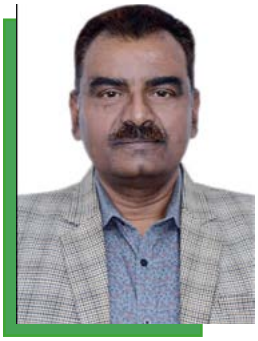

श्री नीलेन्दु कुमार सिंह (54 वर्ष) (डीआईएन-09847503) ने दिनांक 09.12.2022 से निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्यभार संभाल लिया है। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1994 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

वह 1989 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। वर्ष 2011 तक श्री सिंह ने सीसीएल में विभिन्न क्षमताओं यथा पिपरवार, अशोका, उरीमारी और कल्याणी परियोजनाओं में खान प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद जनवरी, 2012 में उनका स्थानांतरण एसईसीएल में कर दिया गया। वहाँ उन्होंने 2012 से 2017 तक गेवरा में खान प्रबंधक; दीपका और छाल परियोजना में उप क्षेत्र प्रबंधक (एजेंट) और एसईसीएल के दीपका क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक जैसी विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उनके पास बड़ी खुली खदानों में काम करने, एफएमसी परियोजनाओं को संभालने, साइडिंग शुरू करने, नई खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उच्चतम क्षमता वाले एचईएमएम यानी 42 घनमीटर शॉवेल, 240 टन की क्षमता समर्थ डंपर के साथ काम करने का विशाल अनुभव है। उन्हें एकीकृत सीएचपी और सीपीपी के साथ "इन-पिट क्रशिंग एंड कन्वेयरिंग सिस्टम" के साथ सीसीएल की पिपरवार ओपनकास्ट खदान में व्हाइट इंडस्ट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएएल) के साथ काम करने का अनुभव है। उन्होंने उन्नत खनन तकनीकों में अनुभव प्राप्त करने के लिए 1997 में ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया है। उन्हें खेल और चित्रकला में गहरी रुचि है। उन्होंने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर वॉलीबॉल का प्रतिनिधित्व किया है।

श्री नीलाद्रि रॉय (56 वर्ष) (डीआईएन-10055093) ने दिनांक 01.02.2023 से निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण किया है। श्री रॉय ने वर्ष 1987 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

वह 1987 में बीसीसीएल में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। श्री रॉय ने 2004 तक बीसीसीएल की विभिन्न इकाइयों में सुरक्षा अधिकारी, कोलियरी प्रबंधक जैसे विभिन्न पदों पर बीसीसीएल में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। बीसीसीएल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाफ्ट माइन, सुदामडीह नामक एक परियोजना में 15 से अधिक वर्षों तक काम किया था, जिसे इसकी प्रतिकूल भू-खनन स्थिति के कारण दुनिया की सबसे कठिन खानों में से एक माना जाता था। इसके बाद जनवरी, 2004 में उनका स्थानांतरण ईसीएल में कर दिया गया। वहां उन्होंने मुगमा क्षेत्र के तहत लखीमाता कोलियरी में परियोजना अधिकारी जैसी विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं प्रदान कीं और उसके बाद वह ईसीएल मुख्यालय में कॉर्पोरेट कार्यालय में शामिल हो गए। उन्होंने 2008 से 2022 तक ईसीएल के महाप्रबंधक (तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं) / अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव के रूप में कार्य किया। इतने लंबे समय तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी के कार्यालय से जुड़े होने के कारण, अपने बहुमुखी अनुभव के साथ, वह जनसंपर्क सहित कंपनी के सर्वांगीण प्रदर्शन में सुधार में महत्वपूर्ण थे। निदेशक

(तकनीकी) संचालन, ईसीएल के रूप में शामिल होने से पहले उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने डीएमटी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के संबंध में जुलाई, 2009 में जर्मनी का दौरा किया। उन्हें सितंबर, 2011 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित विश्व खनन कांग्रेस में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया था। उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल के एक भाग के रूप में जून, 2015 में पोलैंड में सीआईएल का प्रतिनिधित्व किया। वह जुलाई, 2016 में कोल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्होंने जून, 2019 के दौरान क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक विदेशी घटक के साथ आईआईसीएम द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया।

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री बी वीरा रेड्डी (57) (डीआईएन- 08679590) 12 मई, 2022 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सीआईएल नामित निदेशक हैं। उन्होंने 01 फरवरी, 2022 से कोल इंडिया लि. के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे 01.01.2020 से 31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन रहें। उन्होंने कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स (एएसएम), उस्मानिया विश्वविद्यलय से वर्ष 1986 में खनन में प्रौद्योगिकी स्नातक किया और उन्होंने वर्ष 1990 में खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन योजना में प्रौद्योगिकी निष्णात भी पूर्ण किया। श्री रेड्डी ने वर्ष 1987 में एससीसीएल में पदग्रहण किया और उन्हें कोयला खनन, योजना, अधिप्राप्ति एवं संचालन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने एससीसीएल के यांत्रिक भूमिगत खानों एवं खुली खदानों में तथा निगमित परियोजना योजना विभाग में नानाविध क्षमता में कार्य किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में यथा निदेशक (तकनीकी) संचालन पदग्रहण करने के पूर्व उन्होंने सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. के अद्रियला लॉङ्गवाल परियोजना क्षेत्र में यथा महाप्रबंधक कार्य किया।

स्वतंत्र निदेशकगण

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (54 वर्ष) (डीआईएन- 09415976) का जन्म वर्ष 1969 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। अपने विज्ञान स्नातक उपाधि की प्राप्ति के उपरांत, उन्होंने दरभंगा के नगेन्द्र झा महिला महाविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में निष्णात किया। उन्होंने दरभंगा जिले के बिहार महिला कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में पद ग्रहण किया और वर्तमान में समाज के उत्थान के लिए विविध सामाजिक सेवाओं में संलग्न हैं। लक्ष्मी बुक पब्लिकेशन में "सब्जी के फसलों में अनुकल्पतः रोगों एवं इसके प्रबंधकीय नियंत्रण पर अध्ययन" विषय पर उनका "अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अनुसंधान जर्नल" प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में, 1 नवम्बर, 2021 से वे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं।

श्री शिव नारायण पाण्डेय (62 वर्ष) (डीआईएल-09413672) का जन्म वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में हुआ था। विज्ञान में स्नातक की अपनी उपाधि की प्राप्ति के उपरांत, उन्होंने एलएलबी किया और एक व्यावसायिक अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ दीं तथा सरकारी कॉलेज (विधि संकाय) में अवैतनिक प्राध्यापक भी हैं। उन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुशासन समिति में नामित किया गया था। वे विधि, वित्त, प्रबंधन, विक्रय, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, निगमित सुशासन, तकनीकी संचालन एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक अनुभव पर अधिकार रखते हैं। वर्तमान में, वे 1 नवम्बर, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

श्री शिव तपस्या पासवान (55 वर्ष) (डीआईएन- 09414240) का जन्म वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली में हुआ था। विद्यापीठ से राजनीतिक विज्ञान में अपने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने समाज के दुर्बल एवं अधिकारहीन वर्गो के उत्थान के लिए नानाविध सामाजिक सेवाओं में स्वयं को संलिप्त कर लिया। वर्तमान में वे 1 नवम्बर, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पूर्व बोर्ड सदस्य

श्री अनिमेष भारती (56 वर्ष) (डीआईएन-07260983), कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में दिनांक 17.03.2020 से भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिनांक 15.07.2015 से 17.03.2020 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामित निदेशक भी थे। वर्ष 1993 में श्री भारती भारतीय ने आर्थिक सेवा में पद ग्रहण किया। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्योग, आवासन और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भवन संगठन में वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया।.

श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (65) (डीआईएन-06372875) का जन्म वर्ष 1957 में हरियाणा के सिरसा में हुआ था। विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत, उन्होंने वनस्पति विज्ञान और वानिकी में निष्णात किया और उसके बाद उन्होंने लोक प्रशासन में दर्शन निष्णात भी किया। वह वर्ष 1986 में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में पद ग्रहण किया और 31 वर्षों की सुभेद सेवा के उपरांत वर्ष 2017 में सिक्किम सरकार के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अधिवर्षिता प्राप्त किया। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और आयुष के अधीन उप सलाहकार, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें प्रशासन और सतर्कता मामलों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2006 से 2008 तक नई दिल्ली में सिक्किम सरकार के स्थानिक आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2008 से 2012 तक सिक्किम सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने सड़कों, आवासन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे नानाविध वृहद स्तरीय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया। उन्हें वर्ष 2012 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 तक मंत्रालय में अपनी सेवाएँ दीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और विदेशों में भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान, उन्होंने इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के बोर्ड में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। वर्तमान में वे 10 जुलाई, 2019 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

श्री जयप्रकाश गुप्ता (60 वर्ष) (डीआईएन- 08174002) ने दिनांक 18.06.2018 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना का कार्यभार ग्रहण किया। श्री गुप्ता, एक 1983 स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू/ आईआईटी) से खनन इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक एक जूनियर कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एसईसीएल में विभिन्न पदों पर लगभग 23 वर्षों तक अपनी सेवा दीं और फिर वर्ष 2006 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में मुख्य प्रबंधक (खनन) के रूप में स्थानांतरित हुए। उन्होंने बीसीसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी और महाप्रबंधक के रूप में 12 वर्षों तक अपनी सेवा दीं। वर्ष 1998 में उन्हें मोटे संस्तर खदान में केबिल बोल्ट आलंब पद्धति को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस विकास के लिए उन्हें एसईसीएल में भी सम्मानित किया गया था। परियोजना अधिकारी के रूप में उन्होंने एसईसीएल के चिरीमिरी क्षेत्र के एनसीपीएच कोलियरी के आर-वी अक्षत संस्तर

वाले भूमिगत खदान से 01 मि.टन से अधिक तक खान उत्पादन क्षमता में संवृद्धि करते हुए अनुसूचित समय में सभी मुख्य विकासशील गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के निहितार्थ सतत खनित्र का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया था। बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्र के परियोजना के तेतुलमारी में पारिस्थिकी पुनरूद्धार के निमित्त वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी दिशानिर्देशों के अधीन लिए गए प्रथम प्रवर्तक परियोजना का नेतृत्व श्री गुप्ता द्वारा किया गया था। वर्ष 2014 में इस परियोजना ने कोल इण्डिया स्थापना दिवस के अवसर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। श्री गुप्ता को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में उत्कट अभिरूचि रही है। उनके नेतृत्व और झारखंड सरकार के तकनीकी सहयोग से गरड़िया, माहुलीडीह ग्राम की 50 से अधिक महिलाओं ने हथकरघा बुनाई और कपड़ा विनिर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसे झारखंड सरकार की एक फर्म झारक्राप्ट द्वारा विशिष्ट पारिश्रमिक प्रदान कर परिगृहीत किया गया है।

श्री हर कुमार हाजोंग (59 वर्ष) (डीआईएन-09694697) 1995 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वह कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार हैं।

उन्होंने 1983 में तुरा गवर्नमेंट कॉलेज, तुरा से अर्थशास्त्र में स्नातक और वर्ष 1985 में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पूरा किया। उन्होंने 2009 में आईआईएमबी और सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से पेश सार्वजनिक नीति और प्रबंधन पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी किया। उन्हें योजना आयोग और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना सहित विभिन्न सरकारी संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है। वह 05.07.2022 से अंशकालिक पदीय निदेशक के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल में शामिल हुए हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री मुकेश कुमार मिश्रा, आईआरएसएसई (2000 परीक्षा वर्ष) ने 16 अगस्त, 2019 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी पदभार ग्रहण किया है।

वे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी में स्नातक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा जिआवतॉङ्ग यूनिवर्सिटी, चेंगदु, चीन में द्रुत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण करने लिए प्रायोजित किया गया था।

सिगनल इंजीनियर के भारतीय रेलवे सेवा का पदभार ग्रहण के पश्चात, श्री मिश्रा रेलवे आस्तियों के अनुरक्षण एवं वृहद परियोजनाओं के निर्माण में नानाविध क्षमताओं पर सेवा प्रदान किया। रेलवे में पदभार ग्रहण के पूर्व, श्री मिश्रा दो वर्ष से अधिक भेल में कार्य किया।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, वे उप मुख्य सिगनल एवं टेलिकॉम अभियंता / मुख्यालय की क्षमता में कार्य कर रहे थे।

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (एसीएस-55637), 02.07.20218 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कंपनी सचिव है।

उन्होंने वर्ष 2008 में संत जेवियर कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय से अपना वाणिज्य स्नातक (प्रवीण) पूरा किया। वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के सह-सदस्य एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के भी सह-सदस्य हैं। श्री पाठक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी), गाजियाबाद से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएचआरएम) प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ से जेनेरल मैनेजमेंट प्रोग्राम (जीएमपी) भी पूर्ण किया है। श्री पाठक अप्रैल, 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ डॉयरेक्टर्स द्वारा आयोजित दुबई ग्लोबल कॉन्वेंशन 2016 – कारबार उत्कृष्टता एवं नवाचार के लिए नेतृत्व में सीआईएल के प्रतिनिधि मंडल में थे। उन्होंने सितंबर, 2022 में आईआईएम, नागपुर में ईएसजी पर एक सर्टिफिकेट कोर्स में भी भाग लिया है। सीआईएल स्थापना दिवस - 1 नवंबर, 2021 के अवसर पर उन्हें श्री प्रमोद अग्रवाल, आईएएस, सीआईएल द्वारा ईसीएल के सर्वश्रेष्ठ एचओडी से सम्मानित किया गया।

उन्होंने वर्ष 2010 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में यथा प्रबंधन प्रशिक्षु (वित्त) पदभार ग्रहण किया। तबसे उन्होंने कंपनी सचिवालय में पदास्थापित है और वर्तमान में यथा प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव कार्य कर रहे हैं।

श्री पाठक आईसीएआई एवं आईसीएसआई जैसे पेशेवर निकायों से निकटता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान, आसनसोल चैप्टर के मानद सचिव हैं। वे ईसीएल के एचआरडी, आईसीएआई एवं आईसीएसआई के नियमित संकाय-सदस्य भी हैं।

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मण्डल की ओर से, यह मुझे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों के टीका-टिप्पणियों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ कंपनी के कारबार परिचालनों पर 48 वीं वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्ततु करने में हर्ष प्रदान करता है।

1.0 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालनों के मुख्य-मुख्य बातें

i) गत वर्षों में लगातार नुकसान के बाद संचालन से लाभ अर्जित किया।

ii) कम-से-कम संभव समय के भीतर कोयला उत्पादन शुरू करने के लिए हुर्रा-सी ओसीपी (3 मि.टन प्रति वर्ष) में एमडीओ मोड ऑपरेशन की अवधारणा।

iii) राजमहल क्षेत्र के तालझारी मौजा में भूमि पर दखल दियानी संबंधित मामलों का समाधान और कोयला उत्पादन शुरू करना।

iv) भूमिगत खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए परासिया-बेलबाद (2.07 मि.टन प्रति वर्ष) और तिलाबोनी (1.86 मि.टन प्रति वर्ष) के लिए एमडीओ की अवधारणा और संलग्न करना।

v) राजस्व साझाकरण मोड के तहत कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिरंतरित चार खानों नामतः गोपीनाथपुर, मोइरा, मधुजोर और चिनाकुड़ी-I का मुद्रीकरण।

vi) सोनपुर बाजारी परियोजना में 12 एमटीवाई की अधिकतम दर्ज क्षमता हासिल की गई।

vii) सोनपुर बाजारी परियोजना में 12 एमटीवाई क्षमता के आरएलएस/साइलो को चालू किया गया।

viii) बांकोला क्षेत्र की कुमारडीह-बी भूमिगत खदान में दो सतत खनित्रों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि।

ix) झांझरा खान में पूँजोत्पाद संवर्धन के लिए 2 कम ऊंचाई वाले सतत खनित्र (एलएचसीएम) पैकेज और 2 मानक ऊंचाई वाले सतत खनित्र (एसएचसीएम) पैकेज से अधिनिर्णित किया गया।

x) 1 मार्च, 2023 को डीपीई, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए निगमित सुशासन में "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया गया।

2.0 संगठन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) की पूर्वी प्रभाग के साथ निहित 414 खानों के अधिग्रहण द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 1975 को निगमित किया गया था और इस तिथि से कंपनी अपनी वाणिज्यिकीय परिचालन आरंभ किया था। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य में परिचालित होती है। यहाँ 80 खननशील खदानें जिसमें 48 भूमिगत खदानें, 23 खुली खदानें और 9 मिश्रित खदानों के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं। 01.04.2022 को यथा, ईसीएल के कमान क्षेत्र में 55.147 बि.टन (पश्चिम बंगाल राज्य में 33.856 बि.टन एवं झारखण्ड राज्य में 21.291 बि.टन) कोयला निचय है।.

माननीय कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में सीएचपी का उद्घाटन

नई दिल्ली में ईसीएल पवेलियन का निरीक्षण केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, भारत सरकार श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा किया जा रहा है।

3.0 पूँजीगत संरचना

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22
क. शेयर पूँजी :		
i) प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 4,60,00,000 साम्या शेयर)	4600.00	4600.00
ii) चुकता साम्या शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 4,26,94,200 शेयर)	4269.42	4269.42
ख. ऋण निधियाँ :		
i. एक्पोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा	163.73	158.22

4.0 उत्पादन निष्पादन :

विशिष्टियाँ	ईकाई	2022-23			2021-22	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि	वास्तविक	आत्यंतिक	%
उत्पादन :							
(i) कच्चा कोयला- भूमिगत		9.350	8.968	95.916	8.996	-0.028	-0.309
- खुली खदान		40.650	26.050	64.084	23.432	2.618	11.173
- भूमिगत खदान	मि.टन	50.000	35.018	70.037	32.428	2.590	7.988
कुल		0.020	0.007	34.420	0.014	-0.007	-50
ii) कोककर कोयला		49.980	35.011	70.051	32.414	2.597	8.013
iii) अकोककर							
उपरि संस्तर हटाव	मि. घनमीटर	150.00	132.985	88.657	118.989	13.996	11.763
उत्पादकता (ओ.एम.एस.)							
- भूमिगत		0.900	0.888	98.689	0.863	0.025	2.920
- खुली खदान	टन	16.670	11.420	68.504	10.310	1.110	10.762
- समग्र		3.920	2.829	72.170	2.555	0.274	10.726

4.1 प्रणाली सामर्थ्य उपयोगिता सिद्धि :

(प्रतिशत में आँकड़े)

विशिष्टियाँ	2022-23			2021-22
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक
भूमिगत	112.96	96.70	85.61	93.63
खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	74.15	62.33	84.06	77.34
खुली खदान (अवक्रय) उत्खनन	125.10	80.64	64.46	65.20
खुली खदान (विभागीय + अवक्रय) उत्खनन	112.65	76.17	67.62	68.43
कुल [भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)]	78.43	66.07	84.25	79.39
समग्र (भूमिगत + खुली खदान) (अवक्रय + विभागीय)	112.66	76.76	68.14	69.20

4.2 कोयला भण्डार

31.03.2023 को यथा 2.147 मि.टन कच्चा कोयले का लेखाबंदी स्टॉक था (31.03.2022 को यथा 2.635 मि.टन)।

5.0 वित्तीय निष्पादन

5.1 वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार पिछले वर्ष के 14453.65 करोड़ रुपये की तुलना में 19351.00 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 33.88% की सकारात्मक वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के घाटे यानी (-) ₹1502.79 करोड़ की कर-पूर्व कुल व्यापक आय और (-) ₹1126.08 करोड़ की कर-पश्चात कुल व्यापक आय की तुलना में ₹945.95 करोड़ की कर-पूर्व कुल व्यापक आय और ₹730.16 करोड़ की कर-पश्चात कुल व्यापक आय अर्जित की। विवरण निम्नानुसार थे:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22
सभी व्ययों की प्रभारित करने के पश्चात लेकिन पीआरपी/अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा, बीमांकिक, वित्त लागत, मूल्यह्रास, क्षति और विपट्टन गतिविधि समायोजन के पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	1885.75	-675.14
न्यून : पीआरपी / अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा का प्रभाव	201.65	108.01
न्यून : बीमांकिक प्रावधान	-89.61	179.85
न्यून : वित्त लागत	64.85	163.66
न्यून : मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	609.27	529.70
न्यून : विपट्टन गतिविधि समायोजन	153.64	-153.57
कर-पूर्व वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	945.95	-1502.79
नकदी लाभ	3530.24	-498.75
करोपरांत कुल व्यापक आय	**730.16**	**-1126.08**

ईसीएल को कोयला मंत्री के सर्वश्रेष्ठ ईआरपी कार्यान्वयन पुरस्कार से सम्मानित किया गया

5.2. लाभ (हानि) में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**(1,437.37)**
अ. आय में कुल वृद्धि		
विक्रय (निवल)	4,467.84	
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल)	35.89	
अन्य आय	338.20	4,841.93
आ. व्यय में कुल कमी		
स्टॉक में अभिवृद्धि / अनभिवृद्धि	267.13	
विद्युत शक्ति व्यय	9.48	
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	6.94	
मरम्मति	16.09	
वित्त लागत	98.81	
प्रावधान	8.06	406.51
इ. लाभ में कुल वृद्धि		**5,248.44**
ई. न्यून : व्यय में वृद्धि		
उपभुक्त सामग्री लागत	304.88	
कर्मी प्रसुविधा व्यय	1,943.58	
संविदात्मक व्यय	355.70	
मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	79.57	
अन्य व्यय	26.18	
विपट्टन गतिविधि समायोजन	307.21	3,017.12
उ. लाभ में निवल परिवर्तन		**2,231.32**
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**793.95**

5.3. पूँजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹1122.64 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ₹1227.99 करोड़) था।

श्री प्रल्हाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा समीक्षा बैठक

5.4 विविध देनदार

31 मार्च, 2022 की तुलना में 31 मार्च, 2023 को यथा विविध देनदारों (सकल), देनदार कारोबार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की स्थिति निम्नानुसार है:

विशिष्टियाँ	इकाई	31.03.2023	31.03.2022
विविध देनदार (सकल)	₹ करोड़ में	1,930.34	2,867.59
देनदार आवर्त	माह की संख्या	1.26	2.88
संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	₹ करोड़ में	365.84	363.39
विविध देनदार (निवल)	₹ करोड़ में	1,564.50	2,504.20

5.5 विदेशी ऋण की चुकौती

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23	2021–22
सीआईएल के जरिए विदेशी ऋण की चुकौती	7.61	7.06

5.8 सरकारी राजकोष में अंशदान

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23				2021-22			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल
i) पश्चिम बंगाल से संबंधित जीएसटी								
अ. आईजीएसटी	-	-	180.41	180.41	-	-	137.44	137.44
आ. सीजीएसटी	-	-	28.13	28.13	-	-	13.82	13.82
इ. एसजीएसटी	28.13	-	-	28.13	13.82	-	-	13.82
ई. मुआवजा उपकर	-	-	1,082.01	1,082.01	-	-	956.17	956.17
ii) झारखण्ड राज्य संबंधी								
अ. आईजीएसटी	-	-	0.35	0.35	-	-	0.31	0.31
आ. सीजीएसटी	-	-	36.04	36.04	-	-	48.58	48.58
इ. एसजीएसटी	-	36.04	-	36.04	-	48.58	-	48.58
ई. मुआवजा उपकर	-	-	325.06	325.06	-	-	499.05	499.05
iii) कोयले की रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ	21.51	395.67	-	417.18	19.83	271.54	-	291.37
iv) आ.ई एवं पी.ई उपकर	1,709.64	-	-	1,709.64	1,902.37	-	-	1,902.37
v) एएमबीएच उपकर	3.03	-	-	3.03	2.74	-	-	2.74
vi) पीडब्ल्यू एवं सड़क उपकर	2.61	-	-	2.61	2.77	-	-	2.77
vii) बिक्री कर (वैट/सीएसटी)	-	0.10	-	0.10	-	0.19	-	0.19
viii) भूगर्त भरण उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	-	-	-	-	3.82	3.82
x) कोयले पर उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) प्रविष्टि कर	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) प्रबंधन फीस	-	0.83	-	0.83	-	1.31	-	1.31

विशिष्टियाँ	2022-23				2021-22			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल
xiii) बाजार फीस	-	5.41	-	5.41	-	4.89	-	4.89
xiv) कोविड उपकर	-	8.25	-	8.25	-	13.55	-	13.55
xv) मार्गस्थ अनुमति फीस	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,764.92**	**446.30**	**1,652.00**	**3,863.22**	**1,941.53**	**340.06**	**1,659.19**	**3,940.78**

6.0 कोयला विपणन :

6.1 कुल उठाव की तुलना में माँग :

वर्ष 2022-23 में कोयले का वास्तविक उठान 50.00 मि.टन की माँग के विरूद्ध 35.51 मि.टन अर्थात् 71% माँग तुष्टि था। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान सेक्टर-वार माँग एवं उठान यथा अनुसरित है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

सेक्टर	वर्ष 2022-23 में उठाव			वर्ष 2021-22 में उठाव		
	माँग / लक्ष्य	वास्तविक	% तुष्टि	माँग / लक्ष्य	वास्तविक	% तुष्टि
विद्युत शक्ति	30.000	28.150	94	41.020	29.970	73
सिमेंट	0.470	0.430	92	0.110	0.120	109
सीपीपी (ओआरएस)	0.250	0.210	84	0.500	0.190	38
सीपीपी (इस्पात)	0.490	0.380	78	0.490	0.360	74
इस्पात (मिश्रण योग्य)	-	-	-	-	-	-
स्पॉन्ज आयरन	0.220	0.210	96	0.460	0.340	74
निर्यात	-	0.020	-	-	-	-
लोको	-	0.002	-	-	0.001	-
प्रतिरक्षा	-	-	-	-	-	-
कोलियरी सन्निर्माण	0.180	0.170	95	0.180	0.180	100
अन्य	18.400	5.930	32	13.740	4.940	36
कुल	**50.000**	**35.510**	**71**	**56.500**	**36.100**	**64**

श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) पीएंडपी और श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) ओपी द्वारा खदान का दौरा। ईसीएल के सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र के निमचा कोलियरी में

6.2 माल-डिब्बों का प्रतिदिन औसतन भारण :

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए कार्यक्षेत्रवार माल-डिब्बों में औसतन भारण यथा अनुसरित है :

(बाक्स प्रति दिन में आँकड़े)

कार्यक्षेत्र	माल-डिब्बों का भारण			
	2022-23		2021-22	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1018	931	1079	834
मुगमा/सलानपुर	289	199	335	205
आद्रा	10	09	17	14
पीरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (वार्फ वाल)	132	40	256	57
कुल	**1449**	**1179**	**1687**	**1110**

6.3 रीतिवार प्रेषण :

(मिलियन टन में आकड़े)

प्रेषण की रीति	2022-23	2021-22
रेल	26.88	25.73
सड़क	3.73	3.31
मेरी-गो-राउंड (एमजीआर)	4.73	6.88
कुल	**35.34**	**35.92**

6.4 यथा 31.03.2023 को कोयले का लेखाबंदी स्टॉक यथा अनुसरित है :

(लाख टन में आंकड़े)

कार्यक्षेत्र	यथा 31.03.2023 को
रानीगंज	8.21
मुगमा/सलानपुर	6.26
संथाल परगना माइन्स	1.56
राजमहल	5.44
कुल	**21.47**

ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में सीएचपी और साइलो

6.5 हाजिर व अनन्य ई-निलामी तथा विशेष वायदा ई-निलामी :

रीति	2022-23			2021-22		
	प्रेषण क्षमता (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि	प्रेषण क्षमता (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि
हाजिर एवं अनन्य ई-निलामी						
रेल	28.29	2452.35	267.64	25.910	494.06	60.50
सड़क	33.17	2303.08	220.02	20.560	793.09	122.80
कुल	**61.46**	**4755.43**	**242.25**	**46.470**	**1287.15**	**88.00**
विशेष वायदा ई-निलामी (विद्युत शक्ति)						
रेल	-	-	-	0.080	0.38	25.00
सड़क	1.86	1.90	6.93	5.970	16.78	18.40
कुल	**1.86**	**1.90**	**6.93**	**6.050**	**17.16**	**18.51**
समग्र कुल	**63.32**	**4757.33**	**239.00**	**52.520**	**1304.31**	**83.86**

7.0 योजना :

7.1 परिचालनों का कमान क्षेत्र:

यहाँ 80 खननीय खदानों जिसमें 48 भूमिगत खदान, 23 खुली खदान और 9 मिश्रित खदान के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं।.

7.2 आधुनिकीकरण और विशाखीकरण :

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण के स्तर में संवर्धन के क्रम में, 2022-23 तक 53 खदानों में तत्काल तकनीकी एलएचडी/एसडीएल प्रवर्तन किया गया था। 31.03.2023 तक, भिन्न-भिन्न भूमिगत खदानों में 209 एसडीएल, 36 एलएचडी एवं 137 यूडीएम रजिस्टर (आरंभिक सर्वे-ऑफ उपस्कर सहित) में दर्ज थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, एसडीएलों से 3.285 मि.टन, एलएचडीयों से 0.796 मि.टन एवं 2 कटाई लदाई मशीन (दीर्घ भित्ति पैकेज का अंश) से 0.053 मि.टन उत्पादन प्राप्ति हुई।

ईसीएल के सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र के निमचा कोलियरी में लंबी दीवार का खनन

"शटल कार (9 सेट) के साथ सतत खनित्र अभिनियोजन द्वारा "पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी" अभिनियोजित की गई है और सफलतापूर्वक परिचालित हो रही है। 5 मानक ऊँचाई वाले सतत खनित्र एवं 4 निम्न ऊँचाई वाले सतत खनित्र से वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन प्राप्ति 4.144 मि. टन था। झांझरा में, अगस्त, 2016 से दीर्घ भित्ति तकनीक सफलतापूर्वक परिचालित हो रही है और वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन 0.691 मि.टन (कटाई लदाई मशीन रहित) था। वर्ष 2022-23 के दौरान समग्र भूमिगत कोयला उत्पादन 8.968 मि.टन है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों के गवेषिति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :

अ. **कोयला संस्तरीय मिथेन (सीबीएम) :** सतग्राम, कुनुस्तोड़िया एवं श्रीपुर क्षेत्र के पट्टे वाले क्षेत्र के लिए दिनांक 22.09.2018 को खान विकास व परिचालन (एमडीओ) संकल्पना के अधीन परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) विनिर्मित किया गया है और प्रशासनिक रूप से ईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएमपीडीआईएल ने दिनांक 08.05.2020 को कोयला संस्तर मिथेन (सीबीएम) के लिए कार्य यथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पीआईए) अधिनिर्णित किया गया था। कोल बेड मीथेन डेवलपर (सीबीएमडी) के चयन के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा 15.05.2020 को एनआईटी को ई-प्रकाशित किया गया था, लेकिन बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया की कमी के कारण यह असफल रहा। इसके बाद, एनआईटी को सीएमपीडीआईएल द्वारा 30.10.2020 को दूसरी बार ई-प्रकाशित किया गया था, लेकिन बोलीदाताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर से, एनआईटी को 09.06.2021 को तीसरी बार ई-प्रकाशित किया गया था और बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया के बिना समाप्त हो गया।

आ. **सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) :** कोयला से मेथनॉल परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) को बोर्ड द्वारा 03.08.2021 को अनुमोदित किया गया था और पीडीआईएल को 14.09.2021 को जारी एलओए के माध्यम से तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एनआईटी को 31 जनवरी, 2022 को जारी किया गया था, लेकिन बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया के बिना समाप्त हो गया। अब इस मामले को कोल इंडिया द्वारा आईओसी और गेल के साथ सहयोग करने के लिए निपटाया जा रहा है।

इ. **हाइवॉल खनन :** निमटा एवं नारायणकुड़ी खानों में हाइवॉल खनन तकनीक शुरू की गई थी।

ई. **मैन राइडिंग प्रणाली :** विभिन्न खानों जैसे झांझरा (3 डीजल संचालित फ्री स्टीयर्ड व्हीकल); परासिया (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम), निमचा (2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम), बांसड़ा (2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम), श्यामसुंदरपुर (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); चिनाकुरी माइन III (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); खोड़ाडीह कोलियरी (2 बैटरी संचालित फ्री स्टीयर्ड व्हीकल) और चिनाकुरी माइन-1 (2 नंबर बैटरी लोकोमोटिव) में सात मैन राइडिंग प्रणाली कार्यरत हैं। अमृतनगर और धेमोमेन खदानों में अतिरिक्त मैन राइडिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है।

7.3 भूमिगत कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम :

विभिन्न प्रचालनात्मक बाधाओं, ऊपरी संस्तर के परिसमापन, कैविंग के लिए भूमि की उपलब्धता में विलंब आदि को ध्यान में रखते हुए भूमिगत उत्पादन में सुधार करने के लिए मुख्य रूप से झांझरा, तिलाबोनी, सिदुली, परासिया-बेलबाद जैसी अधिक भूमिगत खानों में शटल कार के साथ सतत खनित्रों को अभिनियोजित करके भूमिगत उत्पादन में सुधार करने के लिए कार्रवाई की गई है।

ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में सरफेस माइनर परिचालन में है

7.6 2022-23 के दौरान निरूपित परियोजनाओं का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	प्राक्कलित अतिरिक्त पूँजी (₹ करोड़ में)			
			विभागीय	आंशिक बाह्यस्रोतीकरण	बाह्यस्रोतीकरण	एमडीओ
1.	हुर्रा-सी खुली खदान	3.00	-	-	-	ईसीएल अंश: 570.00
2.	परासिया-बेलबाद भूमिगत	2.07	1464.75	1011.40	-	ईसीएल अंश: 389.10 (विद्यमान 106.52 सहित) एमडीओ अंश: 1182.17
3.	तिलाबोनी भूमिगत	1.86	1825.38	1357.41		ईसीएल अंश: 749.07 (विद्यमान 39.53 सहित) एमडीओ अंश: 1115.84
4.	भनोड़ा पश्चिमी भूमिगत	0.72	679.56	-	431.18	747.01
5.	पारसकोल जामबाद (भूमिगत व खुली खदान)	खुली खदान: 1.80 भूमिगत: 1.98	2672.13	-	1967.71	2779.55
6.	पाण्डवेश्वर-डुलुरबाँध (भूमिगत व खुली खदान)	भूमिगत: 0.87 खुली खदान:1.00	1492.20	-	801.22	1630.36

7.5 वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	पूँजीगत निवेश का अनुमोदन	अनुमोदन की तिथि
1.	हुर्रा-सी खुली खदान	3.00	ईसीएल अंश : ₹859.41 करोड़ (विद्यामन ₹289.42 करोड़ सहित)	10.08.2022
2.	पारासिया-बेलबाद भूमिगत	2.07	ईसीएल अंश : ₹389.10 करोड़ (विद्यामन ₹106.52 करोड़ सहित), एमडीओ अंश : ₹1,182.17 करोड़	23.01.2023
3.	तिलाबोनी भूमिगत	1.86	ईसीएल अंश : ₹749.07 करोड़ (विद्यमान ₹39.53 करोड़ सहित), एमडीओ अंश : ₹1,115.84 करोड़	23.01.2023

7.6अ वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजनाओं के मूल्य-निरूपण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए सीआईएल निदेशक मण्डल की सशक्त उपसमिति द्वारा परियोजना पूरण प्रतिवेदन का अंतिम अनुमोदन :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	पूरन लागत (₹ करोड़ में)	अनुमोदन तिथि
1.	खोट्टाडीह विस्तारित खुली खदान परियोजना	1.60	302.57	22.06.2022

ईसीएल की खनन मशीनरी

7.6आ वर्ष 2022-23 के दौरान ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना पूरण प्रतिवेदन का अंतिम अनुमोदन :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	पूरन लागत (₹ करोड़ में)	अनुमोदन तिथि
1.	कुमारडीह-बी सीएम	1.02	117.09	26.11.2022

7.7 2022-23 में ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित खुली खदान खण्ड :

क्रम सं.	क्षेत्र	खुली खदान खण्ड के नाम	खननीय निचय		औसत विपट्टन अनुपात	व्यस्ततम समय (लाख टन प्रति वर्ष)	खान की क्रियाशीलता	अनुमोदन की तिथि
			(वर्ष)	अनुमोदन की तिथि				
1.	मुगमा	बहिःस्रोतन विकल्प में चापापुर का स्कीम	98.8	883.2	8.94	15.00	13	27.10.2022 को 355 वें ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा

7.8 राजस्व साझाकरण मॉडल में अनिरंतरित खान के पुनःक्रियाशीलन की प्रास्थिति :

क्रम सं.	शृंखला	खानों के नाम	खान रूपरेखा एवं एमडीओ दस्तावेजों का अनुमोदन	वर्तमान प्रास्थिति
1.	शृंखला-I	चिनाकुड़ी-I	05.05.2022	एलओए 23.12.2022 को जारी किया गया। एच-1 बोलीदाता मेसर्स बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. द्वारा प्रस्तावित राजस्व साझाकरण 8% है।
2.		गोपीनाथपुर/ श्यामपुर ए	05.05.2022	एलओए 23.12.2022 को जारी किया गया। एच -1 बोलीदाता मेसर्स वेसर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित राजस्व साझाकरण 4.59% है।
3.		मधुजोर	05.05.2022	एलओए 30.11.2022 को जारी किया गया। एच -1 बोलीदाता मेसर्स कोल माइंस एसोसिएटेड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित राजस्व साझाकरण 31.99% है।
4.		मोइरा	05.05.2022	एलओए 30.03.2023 को जारी किया गया। एच -1 बोलीदाता मेसर्स मिनसोल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित राजस्व साझाकरण 7% है।
5.	शृंखला-II	गिरमिट-केडी इंक्लाइन	17.10.2022	एनआईटी 18.10.2022 को शुरू हुआ। भाग-I का उद्घाटन 02.02.2023 को खोला गया। किसी भी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया। 16.02.2023 को पुन: निविदा की गई।
6.	शृंखला-III	रतिबाटी	14.03.2023	खान रूपरेखा और एमडीओ दस्तावेज को 14.03.2023 को कार्यकारी निदेशकों की सशक्त समिति (ईसीएफडी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
7.		कुअरडीह-तिरत	14.03.2023	
8.		मीठापुर	14.03.2023	

7.9 पूँजी परियोजनाएँ :

वर्ष 2022-23 के दौरान, ईसीएल ने 13 पूँजीगत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 1 नई ग्रीनफील्ड परियोजना (हुरा-सी ओसी) और 12 परियोजनाओं के विस्तार/संशोधन/पूर्वसमापन (झांझरा विस्तारित भूमिगत, खोट्टाडीह सीएम, मोहनपुर विस्तारित ओसीपी, न्यू केंदा ओसी, सोनपुर-बाजारी विस्तारित ओसीपी, चित्रा पूर्व ओसीपी, सिदुली मिक्स, नकराकोंडा-कुमारडीह बी ओसीपी, परासी-बेलबाद भूमिगत, सरपी भूमिगत सहित श्यामसुंदरपुर, बोंजेमेहरी विस्तारित ओसीपी) की संख्या 12 है।

7.10 नई पहल :

अ. **विद्यामन भूमिगत खानों का तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण :** कोयला मंत्रालय/सीआईएल के निर्देशानुसार मेसर्स आईएसएम, मैसर्स एससीसीएल और मैसर्स पीडब्ल्यूसी के एक संघ द्वारा अध्ययन के लिए 23 भूमिगत खानों की पहचान की गई थी। रिपोर्ट जनवरी, 2018 में प्रस्तुत की गई थी और इसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तदनुसार, तीन परियोजना रिपोर्टों (सिदुली मिश्रित, तिलाबोनी भूमिगत और परासिया-बेलबाद भूमिगत) और एक योजना (श्यामपुर-बी) को मंजूरी दी गई थी।

आ. **पूँजोत्पाद प्रौद्योगिकी / सतत खनित्र (सीएम) का प्रवेशन :** वर्तमान में, 9 निरंतर खनिक हैं (झांजरा: 2 खान) एसएचसीएम और 3 संख्या। एलएचसीएम; श्यामसुंदरपुर: 1 नंबर एसएचसीएम; कुमारडीह बी: 1 नंबर अलएचसीएम और 1 नंबर एसएचसीएम और खोट्टाडीह: 1 नंबर एसएचसीएम) चार खानों में कैविंग के साथ परिचालन परिचालित है। इसके अलावा, पांच (05) खानों में चालू करने के लिए 16 अतिरिक्त सतत खनित्रों की योजना बनाई गई है जिनके लिए परियोजना रिपोर्टें पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं।

क्रम सं.	परियोजना	प्रकार	संख्या	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
1.	झांझरा	एलएचसीएम	1	1	-	-	-
		एसएचसीएम	2	2	-	-	-
2.	तलिाबोनी	एलएचसीएम	2	-	1	1	-
		एसएचसीएम	2	-	-	1	1
3.	श्यामसुंदरपुर	एलएचसीएम	2	-	2	-	-
4.	पारासयिा बेलबाद	एलएचसीएम	1	-	-	1	-
		एसएचसीएम	1	-	1	-	-
		ईएचसीएम	2	-	-	1	1
5.	सदिुली	एलएचसीएम	1	-	-	1	-
		एसएचसीएम	1	-	-	-	1
		ईएचसीएम	1	-	-	-	1
कुल एलएचसीएम			7	1	3	3	-
कुल एसएचसीएम			6	2	1	1	2
कुल ईएचसीएम			3	-	-	1	2
कुल			**16**	**3**	**4**	**5**	**4**

इ. विदेशी सहयोग / प्रौद्योगिकी अवशोषण-अनुकूलन और नवाचार :

i) झांझरा भूमिगत खान में सतत खनित्र का प्रवेशन : मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. द्वारा 2022-23 के दौरान एलएचसीएम का 1 सेट चालू किया गया है।

ii) झांझरा में अतिरिक्त 1 नंबर एलएचसीएम और 2 नंबर एसएचसीएम का प्रवेशन: एक और सेट एलएचसीएम 2023-24 में चालू होने वाला है, जिसके लिए 06.04.2021 को मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को एलओए जारी किया गया है। समझौते पर 28.07.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 एसएचसीएम की आपूर्ति के लिए एलओए 08.08.2022 को मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्रा. लि. को जारी किया गया और 2023-24 में चालू होने की उम्मीद है।

iii) श्यामसुंदरपुर भूमिगत खान में अतिरिक्त 2 एलएचसीएम का प्रवेशन : 2 एलएचसीएम की आपूर्ति के लिए, मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्रा. लि. को 08.08.2022 को एलओए जारी किया गया।

iv) परासिया-बेलबाद भूमिगत में सतत खनित्र का प्रवेशन, 30.03.2023 को एलओए मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्रा. लि. को जारी की गई।

v) तिलाबोनी भूमिगत सीएचपी में सतत खनित्र का प्रवेशन, 30.03.2023 को एलओए मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को निर्गत किया गया।

7.11 वर्ष 2022-23 के लिए चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख मील के पत्थर समान उपलब्धि की प्रास्थिति :

क्रम	परियोजना का नाम	गतिविधियाँ / मील का पत्थर	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	सोनपुर बाजारी विस्तारित खुली खदान परियोजना	1352.56 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए (ए & डी) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के तहत आवेदन	दिसम्बर, 2022	30.12.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2.	झांझरा विस्तारित भूमिगत	दो एसएचसीएम के लिए निविदा को अंतिम रूप देना	सितम्बर, 2022	मेसर्स गैनवेल कॉम्मोसेल्स प्रा. लि. को 08.08.2022 को एलओए निर्गत किया गया।
3.		एक एलएचसीएम का प्रवेशन	मार्च, 2023	एलएचसीएम 18.02.2023 का प्रवेशन हुआ
4.	कुमारडीह-बी सीएम भूमिगत	पूरन प्रतिवेदन का अनुमोदन	मार्च, 2023	पूरन प्रतिवेदन 26.11.2022 को अनुमोदित की गई थी।
5.	हुर्रा सी खुली खदान	एमडीओ विकल्प में निविदा को अंतिम रूप देना	अक्तूबर,2022	एमडीओ मोड के लिए 28.10.2022 को एलओए निर्गत किया गया।
6.		कोयला उत्पादन आरंभ करना	मार्च, 2023	28.02.2023 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ।
7.	चितरा पूर्वी खुली खदान	146.17 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए (ए&डी) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के अधीन आवेदन की प्रस्तुति।	दिसम्बर, 2022	26.12.2022 को आवेदन किया गया।
8.	खोट्टाडीह विस्तारित खुली खदान	पूरन प्रतिवेदन का अनुमोदन	सितम्बर, 2022	22.06.2022 को सीआईएल निदेशक मंडल की सशक्त उपसमिति द्वारा पूरन प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।
9.	तिलाबोनी भूमिगत	एमडीओ विकल्प में निविदा को अंतिम रूप देना	मार्च, 2023	मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को 30.03.2023 को एलओए निर्गत किया गया।
10.		419.0496 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अधिसूचना	मार्च, 2023	02.03.2023 को सीबीए अधिनियम की धारा 9(i) के अधीन अधिसूचित
11.	परासिया-बेलबाद भूमिगत	एमडीओ विकल्प में निविदा को अंतिम रूप देना	मार्च, 2023	मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को 30.03.2023 को एलओए जारी किया गया।
12.	मोहनपुर विस्तारित खुली खदान	38.20 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम की धारा 7(i) के अधीन अधिसूचना	दिसम्बर, 2022	14.12.2022 को सीबीए अधिनियम की धारा 7(i) के अधीन अधिसूचित

8.0 उपस्करों की संख्या (एचईएमएम) :

8.1 यथा 31 मार्च, 2022 की तुलना में 31 मार्च, 2023 को उपस्करों की संख्या :

उपस्कर	को यथा उपस्करों की संख्या	
	31.03.2023	31.03.2022
ड्रैगलाइन	1	1
डम्पर	190	221
डोजर	78	79
शॉवेल	53	56
ड्रील	49	48

8.2 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रादर्शों के अनुसार उपस्करों के प्रत्येक प्रकारों की प्रतिशत उपलब्धता एवं उपयोगिता सिद्धि यथा अनुसरित है :

उपस्कर	प्रतिशत उपलब्धता				प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि			
	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2022-23	2021-22	% में विगत वर्ष से अंतर	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2022-23	2021-22	% में विगत वर्ष से अंतर
ड्रैगलाइन	85	87.08	85.79	1.29	73	75.24	79.20	-3.96
डम्पर	67	79.02	76.86	2.16	50	31.95	38.48	-6.53
डोजर	70	72.03	70.84	1.19	45	21.03	22.93	-1.90

उपस्कर	प्रतिशत उपलब्धता				प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि			
	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2022-23	2021-22	% में विगत वर्ष से अंतर	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2022-23	2021-22	% में विगत वर्ष से अंतर
शॉवेल	80	75.30	77.34	-2.04	58	48.10	46.65	1.45
ड्रील	78	78.86	83.27	-4.41	40	16.98	15.92	1.06

8.3 वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदत्त नूतन उपस्कर एवं प्रतिस्थापित उपस्कर :

उपस्कर	क्षमता	2022-23 में यथा प्रतिस्थापन योजित	2023-24 में यथा प्रतिस्थापन रूपक प्राप्ति एवं आरंभ किया जा रहा है	2021-22 में आदिष्ट, 2023-24 में यथा प्रतिस्थापन योजित के लिए अभी तक अप्राप्त
शॉवेल	5.6 घनमीटर	5	0	0
डम्पर	60 टन	4	0	0
	100 टन	0	9	0
डोजर	410 HP	3	0	0
	320 HP	4	1	0
ड्रिल	160 MM	2	0	0

9.0 उर्जा संरक्षण :

9.1 विद्युत शक्ति एवं ईंधन खपत :

क्रम	विशिष्टियाँ	इकाई	2022-23	2021-22
I.	**क्रय की गई विद्युत**			
	क. क्रय की गई इकाइयाँ	M.KWH	831.12	852.47
	ख. आपूर्ति अभिकरणों को प्रदत्त कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	627.41	608.98
	ग. दर प्रति ईकाई (औसतन)	₹/KWH	7.54	7.14
	घ. विद्युत की विशेष खपत (लगभग)	KWH/Cum	5.24	16.10
II.	**विद्युत शक्ति की माँग**			
	क. औसतन विद्युत शक्ति की माँग	MVA	180.16	172.76
	ख. संविदात्मक माँग	MVA	199.89	197.50
	ग. प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि	%	90.00	87.50

9.2 सौर परियोजनाओं का क्रियान्वयन :

ईसीएल में अब तक विभिन्न अवस्थानों पर कुल 1046 किलोवाट रूफ टॉप सोलर स्थापित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, संयंत्र से निवल उत्पादन 7.12 लाख किलोवाट घंटा था, जिसके परिणामस्वरूप ₹34.75 लाख रुपये की बचत हुई।

ईसीएल की रूफ-टॉप सौर परियोजना

9.3 ऊर्जा संरक्षण :

विभिन्न इकाइयों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए, 1387 पारंपरिक पंखों को बीएलडीसी पंखे (सुपर फैन), 52 पुराने एसी को ऊर्जा-कुशल एसी, 2794 पारंपरिक रोशनी को एलईडी लाइट्स और 13 पुराने मोटरों को ऊर्जा-कुशल मोटर्स के साथ बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, पावर फैक्टर में सुधार के लिए 1120 केवीएआर कैपेसिटर बैंक और स्ट्रीट लाइट के लिए 68 ऑटो-टाइमर स्थापित किए। इन ऊर्जा दक्षता उपायों से कुल प्रत्याशित बचत लगभग 9.58 लाख यूनिट है, जिसका मूल्य प्रति वर्ष 46.75 लाख रुपये है।

9.4 भूमिगत मशीनरी कार्य-निष्पादन :

उपस्कर	2022-23		2021-22	
	रजिस्टर में दर्ज	उत्पादकता (TPD)	रजिस्टर में दर्ज	उत्पादकता (TPD)
एसडीएल	204	66	204	66
एलएचडी	38	98	36	106
सतत खनित्र	9	1440	8	1535
कटाई लदाई मशीन	1	162	1	175
दीर्घ भित्ति मशीन	1	2797	1	4227
उच्च भित्ति मशीन	1	1031	0	0

9.5 कोयला निपटान संयंत्रों (सीएचपी) के कार्य-निष्पादन :

वर्ष 2021-22 के दौरान 8.29 मि.टन कोयले की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 31 मार्च, 2023 को यथा, सोनपुर बजारी एवं राजमहल में दो प्रमुख कोयला निपटान संयंत्रों (सीएचपी) ने 13.62 मि.टन कोयले का निपटान किया।

सीएचपी-एसआईएलओ लोडिंग प्रणाली के माध्यम से कोयला परिवहन

10.0 कल्याणकारी सुविधाएँ :

क्रम	मद	31.03.2022 को यथा संचयी स्थिति	2022-23 के दौरान प्राप्ति	31.03.2023 को यथा संचयी स्थिति
1.	**शैक्षणिक प्रसुविधाएँ**			
	अ) डीएवी विद्यालय	06	-	06
	आ) i) आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	118	-	118
	आ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	6,798.45	249.29	7,047.74
	इ) i) अनावर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	388	-	388
	इ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	312.04	-	312.04
	ई) i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	79	-	79
	ई) ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान की राशि (₹ लाख में)	69.60	-	69.60
	उ) विद्यालयों को संलग्न बसों की संख्या	156	-	156
	ऊ) i) सीआईएल छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति एवं अधिनिर्णित नकद की संख्या	20265	319	20584
	ऋ) ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	304.11	9.53	313.64
	ए) i) चयनित इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पठन करने वाले वेज बोर्ड कर्मी के आश्रितों के शिक्षण शुल्क एवं होस्टल प्रभार देने के निहितार्थ वित्तीय सहायता के लिए सीआईएल योजना			
	ए) ii) स्वीकृत डब्ल्यूबीई वार्डो की संख्या	934	73	1007
	ए) iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	349.27	48.07	397.34
2	खेलकूद और क्रीड़ा में संव्यय राशि (₹ लाख में)	644.42	32.21	676.63
3	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में संव्यय राशि (₹ लाख में)	94.18	2.70	96.88
4	कैंटीन	82	-	82
5	**बैंकिंग प्रसुविधाएँ – बैंकों की क्रियाशील शाखाओं की संख्या**	27	-	27
6	**सहकारी सोसाइटी**			
	अ) सहकारी साख सोसाइटी	62	-	62
	आ) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	30	-	30
	इ) केंद्रीय सहकारी	04	-	04
	ई) सहकारी सोसाइटी को ऋण एवं में निवेश (₹ लाख में)	63.80	-	63.80

सताक्षी महिला मंडल द्वारा कल्याणकारी गतिविधियाँ

ईसीएल के सीएसआर के तहत स्थानीय छात्रों के बीच स्कूल बैग का वितरण

11.0 चिकित्सीय सुविधाएँ :

कर्मियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए 2 केंद्रीय अस्पताल, 600 बिस्तरों की आवासी क्षमता वाले 07 क्षेत्रीय अस्पताल और 109 औषधालय हैं। इसमें दोनों केंद्रीय अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा टेली-परामर्श प्रदान करने के लिए 7 कार्यात्मक डिजिटल औषधालय सम्मिलित हैं। कंपनी में 7 एएलएस एम्बुलेंस सहित 121 एम्बुलेंस हैं। इन चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन विभिन्न चिकित्सा विषयों में 167 डॉक्टरों (27 विशेषज्ञों) द्वारा किया जा रहा है।

11.1 चिकित्सीय निर्देशपरक और चल औषधालय :

Particulars	2022-23	2021-22
बाह्य निर्देशित रोगियों की संख्या	2,792	2,605
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम		
- शिविरों की संख्या	85	84
- हितलाभुकों की संख्या	3,852	3,997
चल औषधालयों द्वारा आच्छादित ग्राम		
- शिविरों की संख्या	800	1,233
- हितलाभुकों की संख्या	16,600	25,314
कंपनी कर्मकारों का पीएमई	11,881	9,484
संविदात्मक कर्मकारों का पीएमई	1,176	726
कंपनी कर्मकारों का आईएमई	1,179	1,201
संविदात्मक कर्मकारों का आईएमई	874	863

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान उपगत ₹61.27 करोड़ की तुलना में कंपनी अस्पताल से बाह्य चिकित्सीय निर्देशिति के मद्धे ₹71.93 करोड़ की राशि उपगत हुई।

11.2 विशेष उपलब्धियाँ :

a) **जनऔषधि केन्द्र :** प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेके) के तहत 27.05.2022 को सांकतोड़िया केंद्रीय अस्पताल में सामान्य (जेनेरिक) दवाओं की दुकान खोली गई है।

b) **एएलएस ऐम्बुलेंस :** राजमहल क्षेत्र को कवर करने के लिए अप्रैल, 2022 के महीने में एडवांसलाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस की एक संख्या को राजमहल क्षेत्र में शामिल किया गया है ताकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों को गोल्डन आवर में पूरा किया जा सके। यह अतिरिक्त वर्तमान में ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में एएलएस एम्बुलेंस की छह संख्या की सेवा कर रहा है। इस प्रकार, एएलएस एम्बुलेंस की कुल संख्या सात (07) (झांझरा क्षेत्रीय अस्पताल, कुनुस्तोड़िया क्षेत्रीय अस्पताल, एमआरएस, सीएच कल्ला, सांक्तोड़िया अस्पताल, एसपी माइंस और राजमहल) है।

c) **अंकीय औषधालय :** अंकीय औषधालय केन्द्र की पायलट परियोजना का उद्घाटन 06.06.2022 को किया गया था और यह श्यामसुंदरपुर कोलियरी, बांकोला क्षेत्र ईसीएल में सफलतापूर्वक संचालित है। राजमहल, एसपी माइंस, मुगमा, पाण्डवेश्वर, झांझरा और सोनपुर बाजारी में 01.12.2022 से अंकीय औषधालय की अन्य छह संख्या कार्य कर रही है।

d) **ईसीएल के कोर खनन श्रमिकों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण :** भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के निर्देश के अनुपालन में और ईसीएल के पर्यावरण विभाग के समन्वय में, ईसीएल के लगभग 10% सक्रिय भूमिगत खनिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य रोगों अर्थात् कोयला खनिक न्यूमोकोनियोसिस और शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) के लिए जांच की जाएगी। ईसीएल में परियोजना के पहले चरण में 9 जनवरी, 2023 से झांझरा क्षेत्र, पांडवेश्वर क्षेत्र और बांकोला क्षेत्र से 791 कर्मचारियों की जांच की गई।

e) **एचएमएस :** केंद्रीय अस्पताल कल्ला और सांक्तोड़िया अस्पताल दोनों ने 26 अक्टूबर, 2022 को एचएमएस (अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली) का 'गो लाइव' शुरू किया है और तब से यह जारी है। यह रोगी पंजीकरण, डॉक्टर परामर्श, जाँच, दवा वितरण, बीमार / फिट प्रमाणन, प्रवेश और छुट्टी के साथ-साथ रोगियों की बिलिंग से शुरू होने वाले सभी रोगी से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल बना रहा है।

12 सेवानिवृत्ति पश्च कल्याणकारी उपाय :

a) लंबित पीएफ/पेंशन दावों के निपटान के लिए सीएमपीएफओ, क्षेत्र I, II और III, आसनसोल और देवघर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए कुल दस (10) पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया है।

b) सभी क्षेत्रों/अधिस्थापनों में प्रत्येक माह की 09वीं तिथि को पीएफ/पेंशन हेल्प डेस्क का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सदस्यों/नामित(तों) को पीएफ और पेंशन से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहायता की जाती है।

ईसीएल द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया

ईसीएल द्वारा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

13.0 खान सुरक्षा एवं खान बचाव :

हमारे सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए उपयुक्त तकनीकी, प्रशासनिक और मानवीय पहलों को अभिनियोजित करके वर्ष के दौरान श्रमिकों और खानों की सुरक्षा के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

13.1 दुर्घटना सांख्यिकी :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22
1.	घातक दुर्घटना (संख्या)	02	06
2.	मृत्यु-संख्या	02	07
3.	गंभीर दुर्घटना (संख्या)	06	08
4.	गंभीर चोट (संख्या)	06	09
5.	मृत्यु-संख्या/मिलियन टन उत्पादन	0.057	0.216
6.	मृत्यु-संख्या / 3 लाख श्रमिक पारी	0.049	0.166
7.	गंभीर चोट /मिलियन टन उत्पादन	0.171	0.278
8.	गंभीर चोट / 3 लाख श्रमिक पारी	0.146	0.214

13.2 खान सुरक्षा जागरूकता :

अ. दुर्घटनाओं को रोकने/सुरक्षित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए 2-3 मिनट के चार छोटे वीडियो क्लिप तैयार किए गए हैं और श्रमिकों को सुरक्षा संस्कृति के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से कर्मचारियों को वितरित किए गए हैं।

आ. सभी खानों में पाली पूर्व खान सुरक्षा वार्ता की सुपुर्दगी का अभ्यास किया जा रहा है ताकि कामगारों को उनके कार्य वातावरण में मौजूद विभिन्न खतरों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में अपने कार्य को सुरक्षित रूप से कैसे किया जा सके। पर्यवेक्षकों के साथ-साथ, श्रमिकों को भी इन पाली पूर्व खान सुरक्षा वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इ. कर्मियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान भूमिगत और खुली खानों दोनों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 खान सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए थे।

ई. पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में खान सुरक्षा बोर्ड द्विपक्षीय निरीक्षण नियमित रूप से आयोजित किया गया है।

उ. 23.11.2022 से 07.12.2022 तक सभी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

ऊ. 61वीं कॉर्पोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक 03.02.2023 को मुख्यालय में आयोजित की गई।

ऋ. डीडीजीएमएस (पूर्वी क्षेत्र) और प्रबंधन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक 09.09.2022 को मुख्यालय में आयोजित की गई थी।

ऌ. डीजीएमएस के मार्गदर्शन में 19.12.2022 से 24.12.2022 तक क्षेत्र की छह कैप्टिव खदानों के साथ सभी खानों, पीएमई केंद्रों, वीटी केंद्रों में 2022-23 सत्र के लिए वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

ॅ. सभी क्षेत्रों के अभिकर्ताओं और एएसओ के साथ मासिक समन्वय बैठकें कॉर्पोरेट स्तर पर आयोजित की गई थीं।

ऐ. 28 अप्रैल, 2022 को काम पर खान सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस मनाया गया।

ए. कार्यबल को संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यशालाएं और संगोष्ठियां जैसे पीआईपीओ विश्लेषण पर सुरक्षा कार्यशाला, अग्नि सुरक्षा पर कार्यशाला, स्वतःस्फूर्त हीटिंग और आग से निपटने की शीघ्र पहचान पर कार्यशाला, सुरक्षा प्रबंधन योजना के निर्माण और कार्यान्वयन पर कार्यशाला आयोजित की गई है।

ऐ. कारण विश्लेषण तकनीकों के आधार पर खानों में दुर्घटनाओं/घटनाओं की जाँच करने के लिए आईआईटी (आईएसएम), धनबाद के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

13.3 खान सुरक्षा उन्नयन :

अ. 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान घातक दुर्घटनाओं में 67% और मृत्यु दर में 71% की कमी आई है।

आ. वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं में 25% और गंभीर चोटों में 33% की कमी आई है।

इ. वर्ष 2022-23 के दौरान 80 चालू खानों में से 56 खदानें घातक/गंभीर/रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाओं से मुक्त हैं।

ई. सुरक्षा कार्य कैलेंडर मार्च 2022 में तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें 2022-23 के दौरान सफलतापूर्वक किया गया है।

उ. सभी खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा 31.08.2022 तक पूरी कर ली गई है।

ऊ. आईएसओ कार्यकारी, मुख्यालय ने खानों की सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण करने और उस पर चर्चा करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न खानों में 733 निरीक्षण किए हैं।

13.4 खान सुरक्षा में श्रमिकों की सहभागिता :

अ) 2022-23 के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं श्रमिक संगठनों के साथ सभी क्षेत्रीय स्तरीय तथा निगमित स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

आ) वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक खान सुरक्षा संगठन प्रतिनिधियों के साथ कंपनी स्तरीय खान सुरक्षा मंडल सदस्यगण एवं क्रियाशील श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने एकदा सभी खदानों का निरीक्षण किया है।

इ) संविदात्मक कर्मकारों के प्रतिनिधियों को खदानों के खान सुरक्षा समिति में सम्मिलित किए गए हैं।

ईसीएल की खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

ई) खानों की सुरक्षा समिति को सुदृढ़ और सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी (जैसे: क्षेत्र महाप्रबंधक, अभिकर्ता और आईएसओ प्रतिनिधि) मंच के महत्व को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा समिति की बैठकों में भाग ले रहे हैं।

13.5 मानसून तैयारियाँ :

अ) खान सुरक्षा विभाग, मुख्यालय से खनन, ई एंड एम, उत्खनन और भू-तकनीकी विषयों के अधिकारियों वाली एक बहु-विषयक टीम ने अप्रैल, 2022 में सभी खानों की मानसून कार्य योजनाओं की समीक्षा सत्र आयोजित किया था।

आ) 15 जून, 2022 से 15 अक्टूबर, 2022 तक मुख्यालय, क्षेत्र और इकाई स्तर पर मानसून नियंत्रण कक्षों को 24x7 आधार पर चालू किया गया था, जिन्हें अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के साथ निकट संपर्क रखते हुए उनके आवागमन के लिए टेलीफोन और वाहन प्रदान किए गए थे।

इ) 'बाढ़ चेतावनी सूचनाओं' की प्राप्ति के लिए 'मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी), मैथन के मुख्य अभियंता (पनबिजली) के साथ निकट संपर्क स्थापित रखे हुए थे, जब कभी नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण पंचेत एवं मैथन डैम जल निकासी करती थी तब खदानों को खतरे में हो के लिए सतर्क किया गया।

ई) भारी वर्षा एवं आंधी तूफान से प्रभावित खनन क्षेत्रों को सतर्क करने के निहितार्थ मौसम पूर्वानुमान रिपोर्टों की प्राप्ति के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक एवं क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक के साथ भी मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी ने निकट संपर्क स्थापित रखा था।

कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ईसीएल द्वारा सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया

13.6 खान बचाव सेवाएँ :

खान बचाव केन्द्र, केन्दा के रेस्क्यू रूम विद रिफ्रेशर ट्रेनिंग (आरआरआरटी) और झांझरा व मुगमा में संचालित रेस्क्यू रूमों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरियों, बीसीसीएल के चाँच विक्टोरिया क्षेत्र, इस्को के रामनगर कोलियरी के साथ-साथ सिविल प्रशासन एवं लोक प्राधिकरणों (जब कभी अपेक्षित) को जरूरत आधारित खान बचाव सेवाएँ प्रदान किए गए थें।

13.7 आकस्मिक सेवाएँ :

क्रम सं.	कोलियरी	क्षेत्र	तिथि	घटना/कार्य की प्रकृति
1.	नार्थ सिआरसोल ओसीपी	कुनुस्तोड़िया	09.06.2022	भूस्खलन एवं डुबाव (एनडीआरएफ के साथ छद्म अभ्यास)
2.	सीएल जामबाद	केन्दा	05.07.2022 से 30.07.2022 तक	एक सील बंद पैनल में स्वतःतापन और बाद में उपस्करों को नष्ट करना।
3.	नूतनडांगा गैस एजेंसी	पाण्डवेश्वर	24.07.2022	भण्डार के अंदर एलपीजी सिलेंडर का विस्फोट
4.	बहुला एन के पैनल नॉर्थ जामबाद ईकाई	केन्दा	27.07.2022 से 10.08.2022 तक	आग से निपटना
5.	खोट्टाडीह कोलियरी	पाण्डवेश्वर	19.08.2022 से 21.08.2022 तक	आग से निपटना

13.8 खान बचाव प्रशिक्षण :

खान बचाव केन्द्र में पुनश्चर्या तथा आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थें और निम्नलिखित कर्मी को प्रशिक्षित किए गए थे :

विवरण	2022-23	2021-22
खान बचाव प्रशिक्षित कर्मी की सक्रिय संख्या	469	431
नव प्रशिक्षित कर्मी की संख्या	44	14
पुनश्चर्या व्यवहार प्रशिक्षित की संख्या	2946	3353
आपात कर्तव्य निर्वहन की संख्या	04	09

13.9 प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण :

सीतारामपुर खान बचाव स्टेशन को डीजीएमएस द्वारा प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्रदान करने और प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान दो सौ तिरसठ (263) कर्मियों को प्रशिक्षित कर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा, एनडीआरएफ के साथ छद्म अभ्यास 09.06.2022 को कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के नॉर्थ सियारसोल कोलियरी में किया गया है और आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता 13 और 14 अक्टूबर, 2022 को खान बचाव स्टेशन, सीतारामपुर में आयोजित की गई थी।

ईसीएल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ :

कंपनी का सतर्कता स्कन्ध प्रबंधन कृत्य की पारदर्शिता, अभेद, जबाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। पूरे वर्ष कई सतर्कता गतिविधियों को संगठन के कामकाज की "पारदर्शी और तर्कसंगत" छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रमुख भूमिका मिली है। अनेक हितधारकों के मध्य विश्वास जागृति के लिए नाना प्रकार के साहसिक एवं प्रगत कदमों को परिगृहीत किए गए थे। कई प्रकार के व्यपगतों/अनियमितताएँ परिचिह्नित करने के लिए नानाविध परिवाद आधारित अन्वेषण संचालित किए गए थे और अपचारी पदधारियों के विरूद्ध पैनल अध्युपायों को आरंभ किए गए थे तथा प्रचलित प्रणालियों के सुधारों की एक महत्वपूर्ण संख्या को लागू किया गया है। इसके अलावा, कंपनी की कार्यक्षमता की जवाबदेही, पारदर्शिता और तर्कसंगतता में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, जानबूझकर इरादे से की गई अनियमितताओं / चूक के कई उदाहरणों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और कई मामलों में यह दोषी अधिकारियों को दंड देने में समाप्त हुआ। खामियों को रोकने के लिए विभिन्न मुद्दों पर गहन परीक्षाएं आयोजित की गई थीं और कुछ मामलों में, यह प्रणाली में सुधार के रूप में समाप्त हुआ है। और भी, सतर्कता विभाग में नियमित पर्यवेक्षण और अनुश्रवण द्वारा ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों एवं ई-सुशासन को क्रियान्वित किया गया है।

14.1 निवारणात्मक सतर्कता :

सतर्कता विभाग द्वारा 2022-23 के दौरान ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में बड़ी संख्या में औचक निरीक्षण किए गए ताकि कंपनी के कामकाज की पूरी विविधता को कवर किया जा सके। इसके अलावा, लाभार्थियों के विभिन्न वर्गों को कवर करते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच वर्ष भर बड़ी संख्या में सतर्कता जागरूकता-सह-अभिप्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अधिकांश मामलों में, प्रचलित प्रणालियों का गहन अध्ययन किया गया है और जब कभी आवश्यक हुआ है, विद्यमान प्रणाली में सुधार करने के लिए और साथ ही निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में विद्यमान प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न "प्रणाली सुधार" उपाय लागू किए गए हैं। इस तरह के ईमानदार प्रयास संगठन की कार्य संस्कृति पर उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम. सं.	विषय	2022-23	2021-22
i.	सामयिक जांच-पड़ताल के साथ-साथ संचालित औचक जांच/ निरीक्षण की संख्या	72	69
ii.	**सतर्कता जागरूकता सह अभिप्रेरक कार्यक्रम :**		
	अ) आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	32	18
	आ) ग्राम सभा के माध्यम से जागरूकता	03	02
iii.	गहन परीक्षा	09	07

14.2 सर्वांगी उन्नयन के लिए अंगीकृत अध्युपाय :

वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित सुव्यस्थित उन्नयनात्मक अध्युपायों को लिए गए हैं : :

अ) ईसीएल में अवैध खनन के रोकने के लिए लीज होल्ड क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग और क्रियान्वयन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

आ) कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के निर्गमन के निमित्त प्रणाली उन्नयन के लिए अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

14.3 दांडिक सतर्कता :

संगठनों के कृत्यों का उचित एवं पारदर्शी छवि स्थापित करने के साथ-साथ उसे बनाए रखने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से किए गए अनियमितताओं के दृष्टांतों को सतर्कता दृष्टिकोण रखकर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और सुसंगत आचरण नियम के अधीन लिए गए कठोर एवं अनुकरणीय दांडिक अध्युपायों के साथ बरता गया। वर्ष के दौरान, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 41 पदधारियों को चेतावनी सहित (प्रशासनिक और अभिलिखित योग्य) कई वृहद और लघु शास्तियाँ अधिनिर्णित किए गए।

14.4 प्रौद्योगिकी उद्यमान :

संगठन की पारदर्शिता एवं क्षमता में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी उद्यामन करने की दिशा में प्रबंधन द्वारा लिए गए निम्नलिखित पहलों का सतर्कता विभाग द्वारा अनुश्रवण किया गया :

क्रम सं.	गतिविधि	पुनरीक्षितापेक्षा सहित कुल परिमाण	वर्तमान प्रास्थिति		अतिशेष
			अधिष्ठापित/ नवप्रवर्तित	क्रियाशील / संचालित	
1.	भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस/जीपीआरएस) युक्त वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली	1080	940	940	140
2.	सीसीटीवी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	2435	1291	1156	1144
3.	बूम रोधनाका / रीडर	401	191	191	210
	आरएफ आईडी टैग्स	12127	12127	12127	-
4.	मार्ग तोलन वेदी	153	126	104	27
	उपर्युक्त तोलन वेदी में से वैन के साथ मार्ग तोलन वेदी संयोजकता	115	114	114	01
	रेलवे तोलन वेदी	19	14	12	05
	उपर्युक्त रेलवे तोलन वेदियों में से वैन के साथ रेलवे तोलन वेदी संयोजकता	13	12	12	01
5.	बृहत् क्षेत्र जालक्रम (आसंधियों/ अवस्थितियों की संख्या)	244	241	241	03

14.5 सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन :

सत्यनिष्ठा संधि पहले से ही प्रचलन में है।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" था। 31.10.2022 को, हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अखंडता और पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक रूप से काम करने के लिए सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। 31.10.2022 को सतर्कता विभाग में सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धापूर्वक याद करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्पांजलि अर्पित की गई, सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई और एकता दिवस की शपथ ली गई। इस अवसर पर सतर्कता समाचार पत्र 2022, "सचेताना", पीआईडीपीआई और क्या करें और क्या न करें पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। दिनांक 31.10.2022 और 02.11.2022 को विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 04.11.2022 को दिशेरगढ़ क्लब, मुख्यालय में वेंडर्स मीट का आयोजन किया गया। 19.10.2022 को, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), ईसीएल के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र सोनपुर बाजारी क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य प्रतिभागियों के साथ सतर्कता और सोनपुर बाजारी क्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी थी।

दिनांक 14.11.2022 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समापन समारोह में सप्ताह के कृत्यों को पूर्णता प्राप्त हुई। इस दिन सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा जारी परिपत्रों सहित सार-संग्रह जारी किया गया।

14.7 2021-23 के दौरान की प्रमुख उपलब्धियाँ :

अ) सामान्य प्रबंधकीय कृत्यों के साथ सतर्कता गतिविधियों को एकीकृत कर, कंपनी जागरूकता सह अभिप्रेरण कार्यक्रमों में नियमित अन्योन्यक्रिया द्वारा कर्मियों एवं अन्य हितधारकों के मनोबल में संवर्धन के रूप में लाभांवित हुई है। यह उत्पादन और उत्पादकता में आश्चर्यजनक ढंग से प्रतिबिम्बित हो चुका है।

आ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा कृत कई आकस्मिक निरीक्षणों और सीटीई निरीक्षण के परिणामतः ₹3,60,12,080.00 की राशि का प्रत्युद्धरण किया गया।

इ) सतर्कता पहल के बाद एचआरए के गलत भुगतान को रोककर ₹4,59,57,007.91 की राशि की बचत की जा सकती है।

ई) पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता की वृद्धि में सारगर्भित ढंग से कई सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों के उद्यामन को साधा गया है। इसके अलावे, अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से लागत कटौती और एक समग्र उचित कार्य संस्कृति में परिणत हुआ है।

उ) अन्वेषण और प्रतिवेदन हेतु मामलातों को निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के अनुपालन अभिप्रायपूर्ण ढंग से किये गए हैं।

15.0 राजभाषा कार्यान्वयन :

अ. वित्तीय वर्ष 2022-23 के सितंबर माह में राजभाषा (हिंदी) माह, 2022 के रूप में संपूर्ण ईसीएल में मनाया गया जिस क्रम में हिंदी भाषा के विकास के लिए ईसीएल मुख्यालय, इसके 13 खनन क्षेत्रों एवं समीपवर्ती अवस्थित बांग्ला एवं हिंदी माध्यम के स्कूलों में 75 से अधिक नानाविध कार्यक्रम व गतिविधियाँ संपन्न हुए। साथ ही, हिंदी दिवस समारोह एवं राजभाषा (हिंदी) माह, 2022 समापन सह पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।

आ. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सूरत शहर में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (14.09.2022 से 15.09.2022 तक) में ईसीएल से दो महिला अधिकारियों, भुवनेश्वर में आयोजित "पूर्व व पूर्वोत्तर - संयुक्त राजभाषा सम्मेलन" में ईसीएल से राजभाषा संवर्ग के सात कर्मचारियों तथा धनबाद नराकस द्वारा आयोजित एक दिवसीय राजभाषा सम्मेलन (13.01.2023) में ईसीएल से दो अधिकारियों की सक्रिया सहभागिता रहीं।

इ. कोयला क्षेत्र में सामासिक संस्कृति संस्थापन एवं सौहार्द संबंध अधिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 22.12.2022 को डिसेरगढ़ क्लब, झालबगान में ईसीएल का राजभाषा विभाग एवं WIPS, ईसीएल द्वारा उल्लास व उमंग के साथ "संथाली भाषा दिवस समारोह, 2022" का आयोजन किया गया जिसमें 450 से अधिक लोगों की सहभागिता रहीं।

ई. भारतीय युवाओं के आदर्श एवं पथप्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन करने के लिए पूरा ईसीएल परिवार द्वारा दिनांक 12.01.2023 को अंतरराष्ट्रीय-सह-राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। यह दिवस मुख्यालय सहित समस्त खनन क्षेत्रों में मनाया गया। मुख्यालय में ईसीएल का राजभाषा विभाग द्वारा यह आयोजन संपन्न किया गया था जिसमें 200 से अधिक कर्मियों ने अपने मुख्यालय के तकनीकी भवन में अधिस्थापित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सम्मुख एक-साथ उपस्थित होकर यह दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया।

उ. ईसीएल के कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में दिनांक 23 सितम्बर 2022 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर क्षेत्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया जिसमें ओज व वीर रस, जीवन दर्शन, हास्य रस और शृंगार रस के कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं का मन जीता।

ऊ. हिंदी भाषा के संवर्धन के उद्देश्य से ईसीएल का राजभाषा विभाग एवं पश्चिम बर्द्धमान जिले में अवस्थित काजी नजरूल विश्वविद्यालय (केएनयू) का हिंदी विभाग के संयुक्त प्रयासों द्वारा विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन या बोलपुर में दिनांक 04.01.2023 को "हिंदी का परिदर्शन" संपन्न किया गया। परिदर्शन में काजी नजरूल विश्वविद्यालय में हिंदी पठन-पाठन करने वाले विद्यार्थियों एवं प्रोफेसरों के साथ ईसीएल के राजभाषा कर्मियों की सक्रिय सहभागिता रहीं।

ऋ. ईसीएल के मुख्यालय सहित खनन क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में संवृद्धि के लिए 11 राजभाषा (हिंदी) कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के संकाय सदस्य द्वारा "हिंदी ई-टूल्स और उनका अनुप्रयोग" विषय पर सुग्राह्य व्याख्यान दिया गया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से 400 से अधिक ईसीएल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

ऌ. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के तत्त्वावधान में ईसीएल कर्मियों को नित्य सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चार पाठ्यक्रम यथा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में आयु के आधार पर सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट प्राप्त नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इन पाठ्यक्रमों में 67 ईसीएल कर्मियों ने नामांकन करवाया था। उत्तीर्ण कर्मियों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।

ऍ. राजभाषा विभाग की बांग्ला पत्रिका "मृदंगार" के द्वितीय एवं तृतीय अंक का प्रकाशन किया गया है। पत्रिका की एक हजार प्रतियों को कंपनी कर्मियों एवं उनके निवास स्थान में वितरण किया गया तथा ई-प्रति को दस हजार से अधिक लोगों को ईमेल किया गया है। 01 द्विभाषिक (बांग्ला व हिंदी) एवं 02 हिंदी में न्यूज बुलेटिन नामतः ईसीएल मुख्यालय से 'ईसीएल दर्पण', काजोड़ा क्षेत्र से 'प्रयास' एवं कुनुस्तोड़िया से 'समृद्धि' का प्रकाशन किया गया है। 01 द्विमासिक वॉल पोस्टर 'ईसीएल समाचार' नियमित प्रकाशित हो रही है।

ऐ. भारत सरकार की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक में गृह सचिव ने कोयला उद्योग शब्दावली के ई-संस्करण की सराहना की। कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 18 मई, 2022 को हुई बैठक में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और राजभाषा अधिकारी ने भाग लिया। आसनसोल-बर्नपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित बैठकों और सेमिनारों में कंपनी का नियमित रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है।

ए. वित्तीय वर्ष 2022-23 के हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित तिमाही रिपोर्ट (यथा संकलित) गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पूर्वी क्षेत्र) एवं बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तिमाही की समाप्ति पर निश्चित रूप से प्रेषित तथा समरूपता के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया गया है।.

कंपनी सचिवालय को राजभाषा कार् यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

16.0 कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएँ :

16.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

अ. वर्ष 2022-23 के दौरान, 3823 निविदाएँ सीआईएल ई-निविदा पोर्टल अर्थात् https://coalindiatenders.nic.in पर प्रकाशित की गई जिसमें से 2282 निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 227 निविदाएँ रद्द कर दी गई तथा शेष अंतिम रूप प्रदान करने के विविध चरणों (GeM पोर्टल पर प्लवमान निविदाओं से रहित) में हैं।

आ. ई-निविदा में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं से संबंधित विविध आधुनिक सॉट्वेयर टूल्स का उपयोग क्षेत्रो/कर्मशालाओं में आंतरिक व दूरस्थ प्रशिक्षण/ सहायता की शिक्षा दी गई है।

इ. संविदा प्रबंधन/ई-अधिप्राप्ति पर वेबिनार के माध्यम से मानव संसाधन विकास विभाग में 27.12.2022 को 32 प्रतिभागियों के साथ और 17.03.2022 को 37 प्रतिभागियों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

ई. वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित भिन्न-भिन्न क्षेत्रों एवं कर्मशालों के 109 अधिकारियों के लिए अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था किया गया है।

उ. वर्ष 2022-23 में 132 दिनों का औसतन पर ई-निविदा पोर्टल के जरिए निविदा की समाप्ति अवधि का औसतन चक्र अनुरक्षित किया गया है। ई-निविदा पोर्टल के जरिए निविदा की समाप्ति की न्यूनतम चक्र अवधि 15 दिन है।

16.2 उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) क्रियान्वयन :

मुख्यालय के केन्द्रीय परिसेवक में ईआरपी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया गया है। ईआरपी सॉफ्टवेयर की नानाविध माड्यूल एवं उसके क्रियान्वयन प्रास्थिति यथा निम्नवत है :

कोलनेट मॉड्यूल	क्रियान्वयन प्रास्थिति
वित्त व नियंत्रण (फिको)	जीवंत कार्य प्रणाली पूर्व में ही आरंभ कर दिया गया है और समस्त संव्यवहार केवल सैप में अभिलेखित किए जा रहे हैं। विद्यमान कोलनेट प्रणाली को दिनांक 01.08.2021 से बंद कर दिया गया है।
सामाग्री प्रबंधन (एमएम)	जीवंत कार्य प्रणाली पूर्व में ही आरंभ कर दिया गया है और समस्त संव्यवहार केवल सैप में अभिलेखित किए जा रहे हैं। विद्यमान कोलनेट प्रणाली को दिनांक 01.08.2021 से बंद कर दिया गया है।
उत्पादन योजना (पीपी)	अ) सभी क्रियाशील संयंत्रें अपने-अपने प्रक्रिया अनुक्रम बनाया है। आ) सभी क्रियाशील संयंत्रें प्रक्रिया अनुक्रम (पी.आई.) सिट के जरिए अपने उत्पादन की पुष्ठि की है। इ) कोलियरी कोयला खपत के प्रग्रहण करने का कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है।
संयंत्र अनुरक्षम (पीएम)	**उत्खनन :** कार्यक्रमावली के साथ आस्तियों के प्रधान आँकड़े का मानचित्रण किया गया है और आस्ति संख्या से युक्त उपकरण पूर्व में ही किए जा चुके हैं। अनुरक्षण आदेश, अधिसूचना, कार्य-घंटे एवं डीजल खपत से सबंधित मापन दस्तावेज की प्रविष्टि नियमित आधार पर किए जा रहे हैं। पीआर/पीओ इत्यादि तैयार किए जा रहे हैं। सभी प्रमुख उपकरणों के लिए कार्य सूची प्रणाली में अपलोड कर दी गई है और कर्मशाला में नवीनीकरण प्रक्रिया प्रणाली के माध्यम से आरंभ कर दी गई है। मुक्त प्रवाह पीआर रणनीति उत्पादन में मानचित्रित की गई है।एचईएमएम के लिए सर्वेक्षण-बंदी मानदंड पूरे कर लिए गए हैं। **ई & एम :** ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में निग्रह को सृजित करने, स्टॉक मदों में अधिसूचनाओं के विरूद्ध अनुरक्षण आदेश के सृजन, संयंत्र अनुरक्षण भंजित अधिसूचना के सृजन, मापक दस्तावेजों का अद्यतन जैसे जीवंत कार्य प्रणाली युक्त किया गया है। अर्धतः तैयार उत्पादों के विनिर्माण के लिए केन्द्रीय कर्मशालाओं से संबंधित पीपी माड्यूल क्रियान्वित है।
परियोजना प्रणाली (पीएस)	गो-लाइव पूर्ण किया गया है तथा परियोजना डब्ल्यूबीएस संजाल, गतिविधि का सृजन किया गया है। लागत योजना, बजट व्यवस्था एवं सभी संबंधित आँकड़े 15 चालू परियोजनाओं के प्रणाली में प्रविष्ट किए गए है।
मानव पूँजी प्रबंधन (एचसीएम)	अक्तूबर, 2021 से नवंबर, 2021 में संदाय जीवंत वेतन पत्रक सैप में आरंभ की गई है।
विक्रय व वितरण (एसडी)	संपूर्ण ईसीएल के लिए विद्युतमय रेल, सड़क एवं एमजीआर प्रणाली की बिलिंग सैप में आरंभ कर दी गई है तथा रेल, सड़क एवं एमजीआर प्रेषण प्रणाली के लिए कोलनेट के जरिए बिलिंग बंद कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए पेमेंट इंटरफेस शुरू हो गया है। 31.03.2023 को रसीद इंटरफेस की प्रास्थिति निम्नानुसार है: अ. भारतीय स्टेट बैंक के लिए यह मामला कोल इंडिया लि द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ उठाया गया है। आ. बैंक के लिए, एकीकरण पूरा हो गया है। इ. आईसीआईसीआई बैंक के एकीकरण का काम पूरा हो चुका है।

17.0 इलैक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार :

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अभिवर्धन के साथ तालमेल बिठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. 3 सितंबर, 2022 से शुरू होने वाले 39 महीनों की अवधि के लिए 1 जीबीपीएस अनकंप्रेस्ड (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन को 160 सार्वजनिक आईपी (आईपीवी 4/आईपीवी 6) के साथ लागू किया गया। उसी की मुख्य विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

   अ. यह सभी अधिस्थापनों यथा मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय, अभिकर्ता और प्रबंधक कार्यालयों, केंद्रीय भण्डारों, केंद्रीय कार्यशालाओं, केंद्रीय अस्पतालों और तोलन सेतु पर इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करता है जो निम्नलिखित प्रसुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है:

      i) जीईएम पोर्टल और एनआईसी पोर्टल के माध्यम से निविदा।

      ii) सरकारी वेबसाइटों और ई-मेल तक पहुँच।

      iii) इंटरनेट के माध्यम से आभासी बैठकों तक पहुँच।

   आ. यह मुख्यालय से शुरू होने वाले ईसीएल के सभी अधिस्थापनाओं, सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों, अभिकर्ता और प्रबंधक कार्यालयों, केंद्रीय भण्डारों, केंद्रीय कर्मशालाओं, केंद्रीय अस्पताल एवं तोलन सेतु पर ई-कार्यालय सेवाओं तक पहुँच को भी सक्षम बनाता है।

2. आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए तोलन सेतु स्वचालन प्रमाणी को सभी 114 तोलन सेतु में लागू किया गया है।

3. सभी आईटी पहलों के सुचारू कामकाज को सक्षम करने के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से सभी क्षेत्र मुख्यालयों में दो (02) वर्षों के लिए लैन सीएएमसी का समय पर निष्पादित संविदाएँ।

4. भूमिगत खानों की सुरक्षा और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए भूमिगत संचार प्रणाली के सुचारू कामकाज को सक्षम करने के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से कुल 43 विभिन्न भूमिगत खानों में दो (02) वर्षों के लिए भूमिगत ऑटो सह मैनुअल प्रणाली के सीएएमसी को समय पर निष्पादित किया गया।

18.0 भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सूचना स्थिति :

18.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2022-23 के लिए नानाविध प्रकारों के अधीन भूमि अधिग्रहण / दखल दियानी की स्थिति यथा निम्नवत है :

अधिग्रहण का प्रकार	अधिगृहीत (हेक्टेयर में)	दखल दियानी (हेक्टेयर में)
काश्तकारी भूमि का प्रत्यक्ष क्रय	147.97	147.97
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम / भूमि अधिग्रहण अधिनियम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम	कुछ नहीं	54.333
सरकारी भूमि का अंतरण	16.75	18.181
वन भूमि का अंतरण	कुछ नहीं	334.844
कुल	**164.72**	**555.328**

18.2 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिगृहीत भूमि में प्रगति :

परियोजना का नाम	जिला / राज्य	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आवेदन की तिथि	प्रास्थिति
झांझरा संयुक्त परियोजना	पश्चिम बर्द्धमान, प.ब.	4.21	11 नवंबर, 2021	धारा 4(1) के अधीन दिनांक 28.03.2023 के का.आ.सं. 1438(ई) के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएँ
झांझरा संयुक्त परियोजना	पश्चिम बर्द्धमान, प.ब.	0.17	27 अगस्त, 2022	धारा 4(1) के अधीन दिनांक 20.03.2023 के का.आ.सं. 1316(ई) के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएँ
मोहनपुर विस्तारित ओसीपी	पश्चिम बर्द्धमान, प.ब.	38.20	26 मार्च, 2020	धारा 4(1) के अधीन दिनांक 27.06.2022 के का.आ.सं. 2911(ई) के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएँ। धारा 7(1) के अधीन दिनांक 14.12.2022 के का.आ.सं. 1309 के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएँ।
तिलाबोनी भूमिगत परियोजना	पश्चिम बर्द्धमान, प.ब.	419.363	20 अगस्त, 2020	धारा 9(1) के अधीन दिनांक 02.03.2023 के का.आ.सं. 1013(ई) के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएँ।

18.3 पश्चिम बंगाल में सरकारी भूमि का अंतरण :

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही अनुमोदित सरकारी भूमि के अंतरण के मामले :

क्षेत्रफल	मौजा	भूमि की प्रमात्रा (एकड़)
सतग्राम	डामालिया	11.71
काजोड़ा	परासकोल	15.62
केन्दा	चोड़ा एवं बहुला	1.50
कुल :		**28.83**

18.4 पुनर्वासन की प्रास्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान विस्थापित परिवारों की संख्या जिन्होंने पुनर्व्यवस्थापन हितलाभ प्राप्त किया हो ::

क्षेत्र के नाम	विस्थापित परिवार जिन्होंने भू-खण्ड प्राप्त किया है।	विस्थापित परिवार जिन्होंने भू-खण्ड के एवज में एकमुश्त राशि प्राप्त की है।	स्थानांतरित वास्तविक विस्थापित परिवार
एस.पी. माइन्स	29	8	36
पाण्डवेश्वर	0	0	361
राजमहल	0	9	0
कुनुस्तोड़िया	0	0	0
सलानपुर	0	0	325
कुल	**29**	**17**	**722**

18.5 विशेष उपलब्धियाँ :

a) भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए "ईसीएल के लेखादायी भूमि, पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वासन का समेकन (सीओएएलआरआर)" नामक परियोजना के संबंध में मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और मेसर्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड के मध्य 24 जून, 2022 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

b) बांकोला क्षेत्र के अंतर्गत तिलाबोनी भूमिगत परियोजना के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के अधीन 419.0496 हेक्टयर भूमि (34.2170 हेक्टेयर के लिए केवल खनन अधिकार तथा 384.8326 हेक्टेयर के लिए समस्त अधिकार) के अधिग्रहण के निमित्त अधिसूचना दिनांक 02 मार्च, 2023 के का.आ.सं. 1013(ई) के जरिए भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।

c) राजमहल विस्तारित ओसीपी के अंतर्गत तालझारी मौजा में कुल 131.40 एकड़ भूमि में से 72.60 एकड़ भूमि पर वास्तविक दखल दियानी प्राप्त कर लिया गया है जिसके एवज में मुआवजे का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

19.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का ध्येय कंपनी के लोगों और सामग्री को संरक्षित करना है। कंपनी के पास सुरक्षा गठन के चार प्रकार है :

i) ईसीएल सुरक्षा - 2418 कर्मी

ii) कें.औ.सु.ब. - 945 कर्मी

iii) संविदात्मक सुरक्षा - 1140 कर्मी

iv) होमगार्ड - 176 कर्मी

विभागीय सुरक्षा का प्राथमिक कर्तव्य कंपनी की संपत्ति अर्थात भंडार, कार्यालय, विस्फोटक मैगजीन/बारूद घर, कोयला डिपो/पार्श्वस्थल, कॉलोनियों की सुरक्षा करना और प्रबंधन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वीआईपी की सुरक्षा करना है। तौल पूर्ण होने तक कोयला डिपो/ पार्श्वस्थल से रेलवे तौल घरों तक भरे हुए रेलवे रेक, टिपिंग ट्रकों/डम्परों का मार्गरक्षण करना है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ द्वारा संसूचना और आसूचना आगमों के अनुसार छापे मारे जाते हैं, अंतर्ग्रस्त ट्रकों/ वाहनों के साथ कोयला जब्त किया जाता है और शरारती तत्वों को पकड़ा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है और तदनुसार एफआईआर दर्ज किया जाता है। उन्हें हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल के समय और कमान क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून और व्यवस्था की समस्या के दौरान भी तैनात किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के संवर्धन के लिए विभागीय सुरक्षा के साथ संविदात्मक सुरक्षा कर्मियों को अभिनियोजित किया जाता था। राजमहल, सोनपुर बजारी, एस.पी. माइंस में स्थायी दायित्व के लिए के.औ.सु.ब. अभिनियोजित किया गया है। इसके अलावे मुगमा, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोड़िया, पांडवेश्वर, कालीदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में उनके शिविर हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के विरूद्ध छापेमारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर रहते हैं तथा कोलियरी/ क्षेत्र में हड़ताल/ घेराव के दौरान भी अभिनियोजित किए जाते हैं। विभागीय सुरक्षा के साथ-साथ होम गार्डों को अभिनियोजित किए जाते थें।

19.1 सुरक्षा के पुनर्निर्माण हेतु परिगृहीत कदम :

अ. सीआईएसएफ की भावी अभिनियोजन के लिए पुनःसर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है।

आ. रेलवे पार्श्वस्थल पर सीसीटीवी और अन्य मशीनें जैसे आरएफआईडी और बूम रोधनाका के संस्थापन के लिए अभिकरणों से संपर्क किया गया है।

इ. ईसीएल में बायो-मैट्रिक उपस्थिति प्रणाली संस्थापित किया गया है।

ई. स्थानीय पुलिस थानों से अभिगृहीत कोयले के संग्रहण के लिए एक क्रियाविधि सुनियोजित की गई है। कंपनी ने विभिन्न पुलिस थानों से अभिगृहीत कोयले प्राप्ति की है।

उ. ड्रोनों के प्रवेशन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित कर दी गई है।

ऊ. के.औ.सु.ब. के सहयोग से 203 नवचयनित सुरक्षा कर्मियों के प्रवेशन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

ऋ. विभागीय सुरक्षा कर्मियों के लिए चरणबद्ध रीति से प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) सत्र आयोजित किए गए हैं।

ऌ. सुरक्षा गार्ड (प्रशिक्षु) की संख्या 653 का नियमितीकरण किया गया है, जिन्हें सुरक्षा गार्ड के रूप में ग्रेड-जी में रखा गया है और कुछ सेवा संबद्ध पदोन्नति (एसएलपी) भी प्रक्रिया में हैं।

19.2 अवैध खनन/ कोयले का परिवहन / कोयले की चोरी के जाँच पड़ताल / रोकथाम के लिए परिगृहीत कदम :

अ. आसूचना संग्रहण।

आ. प्रमाणिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विक्रय विभाग को होलोग्राम निर्गत करना।

इ. कोयला परिवहन का जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली प्रयोग में है।

ई. कोयला खान शीर्ष, कोयले की ढेर, कोयला स्थलों के तोलन वेदी, परिवहन के प्रवेश और निकास केंद्र पर सीसीटीवी का संस्थापन।

उ. वीटीएस से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक तोलन वेदी और चलायमान तोलन वेदी का संस्थापन।

ऊ. कोयला परिवहन मार्ग पर कुछ सशंकित स्थलों की पहचान की गई है जहाँ नियमित गश्ती की जाती है।

ऋ. खनन प्रहरी अनुप्रयोग व्यवहृत की जा रही है।

ऌ. पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं विभागीय सुरक्षा कर्मी द्वारा औचक जांच/छापा किया गया है और अवैध कोयले का अभिग्रहण / अंतर्ग्रस्त वाहनों के साथ-साथ कोयले की अवैध तस्करी एवं बदमाशों की गिरफ्तारी और तत्पश्चात उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपना।

ऍ. अवैध खनन और कोयला चोरी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य के राज्य प्राधिकारियों के साथ बैठकें और जिला स्तरीय बैठकें (पश्चिम बंगाल का बर्दवान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम जिला और झारखंड का संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) जिला प्राधिकारियों के साथ आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं।

ऐ. कोयला चोरी के मुद्दों में धर-पकड़ करने के लिए एक समर्पित कृतिक बल का गठन किया गया है।

ए. के.औ.सु.ब. अधिकारियों के साथ अभिकर्ता, प्रबंधक, सर्वेक्षण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी से बने क्षेत्रीय दल द्वारा प्रभावित स्थलों का बारम्बार निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार नियमित रूप से के.औ.सु.ब. के समादेष्टा कार्यालय में बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ऐ. न्यायालय में लंबित उन मामलातों के तार्किक निष्कर्ष के लिए, ईसीएल ने उन मामलातों के अनुसरण करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया है।

ऑ. आसनसोल की निचली अदालत और सत्र न्यायालय में लंबित मामलातों की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी लोक अभियोजक के साथ परिचर्चा की गई है।

19.3 कोयले की चोरी के रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी मध्यक्षेप :

अ. शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के निहितार्थ आमजनों की सुगम्यता के लिए खनन प्रहरी अनुप्रयोग का लोकार्पण किया गया है।

आ. समस्त क्षेत्रों में प्रवर्तित जीपीएस आधारित वाहन अनुश्रवण प्रणाली कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक कदम है।

इ. निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक रेलवे पर्श्वस्थल एवं अन्य संवेदनशील अवस्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का स्थापन किए गए हैं।

ई. वाहन का जीवंत लक्ष्यानुसरण के लिए कोयला परिवहन वाहन में वीटीएमएस प्रणाली समर्थ जीपीएस लगाया गया है।

19.4 वर्ष के दौरान विभागीय सुरक्षा कर्मियों, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले के अभिग्रहण का विवरण :

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	अभिगृहीत कोयला (टन)	अभिगृहीत वाहन	गिरफ्तार व्यक्ति	प्राथमिकी दर्ज
अवैध तस्करी से कोयले का अभिग्रहण						
2022-23	पश्चिम बंगाल	2742	13617.02	116	117	1190
	झारखण्ड	1027	6725.37	86	62	265
	कुल	3769	20342.39	202	179	1455
2021-22	कुल	2975	15086.04	85	72	744
	अंतर	794	5256.35	117	107	711
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले का अभिग्रहण						
2022-23	पश्चिम बंगाल	136	117.09	05	14	64
	झारखण्ड	173	1344.70	06	01	39
	कुल	309	1461.79	11	15	103
2021-22	कुल	198	136.61	01	03	67
	अंतर	111	1325.18	10	12	36

उपरि वर्णित आँकड़े, कोलियरी परिसर के बाहर, पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मी द्वारा अभिगृहीत है। ट्रकें या तो अवैध खनन स्थलों से या अवैध तस्करी/अवैध कोयला स्टॉक से उक्त कोयला ले जा रहे थे। अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस के साथ विभागीय सुरक्षा कर्मी को पट्टाधृति क्षेत्र के अंदर और बाहर बंद करने के स्थान पर भी अभिनियोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान,

अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए 1908 स्थानों को बंद/सीलबंद किया गया है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विभागीय सुरक्षा कर्मियों को पट्टाधृति क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर बंद करने वाले स्थान पर भी अभिनियोजित किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 1029 स्थलों और झारखंड में 879 स्थलों को बंद/सीलबंद किया गया है और अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने की सूचना पश्चिम बंगाल और झारखंड के स्थानीय पुलिस स्टेशनों को क्रमश 66 स्थलों और 70 स्थलों के लिए भेज दी गई है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

19.5 अवैध कोयला तस्करी का अभिग्रहण :

वर्ष	2022-23	2021-22	Variation
छापों की संख्या	3769	2975	794
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	1455	744	711
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	20342.39	15086.04	5256.35
अभिगृहीत वाहन की संख्या	202	85	117
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	179	72	107

19.6 अवैध खनन स्थलों से अभिग्रहण :

वर्ष	2022-23	2021-22	Variation
छापों की संख्या	309	198	111
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	103	67	36
अभिगृहीत कोयले का परिमाण (मैट्रिक टन में)	1461.79	136.61	1325.18
अभिगृहीत वाहन की संख्या	11	01	10
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	15	03	12

19.7 अन्य सामग्रियों की चोरी / प्रत्युद्धरण :

वर्ष	2022-23	2021-22	Variation
घटनाओं की संख्या	99	120	-21
प्राथमिकी दर्ज / सूचनाओं की संख्या	74	82	-08
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	28,12,494.38	35,59,123.00	-7,46,628.62
प्रत्युद्धरित संपत्ति (₹ में)	22,045.90	2,10,000.00	-1,87,954.10
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	12	06	06

ईसीएल में विभागीय सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण

20.1 अवसंरचना विकास :

वर्ष 2022-23 में बुनियादी ढांचे के विकास यानी औद्योगिक संरचना, सड़कों और रेलवे साइडिंग, आवासीय भवन, जल आपूर्ति और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों आदि के लिए बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया गया है। मरम्मत और उन्नयन के माध्यम से सभ्य आवास कार्यक्रम के तहत 1840 आवासीय क्वार्टरों की संख्या पूरी की गई। सेवा भवन के निर्माण के लिए 273.06 लाख रुपये के मूल्य के कार्य वर्ष के दौरान पूरे किए गए।

20.2 जलापूर्ति :

कंपनी ने हमेशा कंपनी के आवासीय घरों के निवासियों के साथ-साथ आस-पास के समुदायों के लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है। वर्ष के दौरान 20000 लीटर प्रति घंटा की कुल निस्पंदन क्षमता के साथ विभिन्न स्थानों पर 3 रिवर्स ऑस्मोसिस और आयन एक्सचेंज-ओजोनाइजेशन संयंत्र चालू किए गए।

20.3 रेलवे पार्श्वस्थल एवं सड़क संसक्त कार्य :

कोयले का प्रेषण प्रमुख गतिविधियों में से एक है और इसे कोयला परिवहन सड़कों और रेलवे साइडिंग के नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जा रहा है। वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सड़क विकास के लिए 6157.24 लाख रुपये के मूल्य के कार्य पूरे किए गए।s.

20.4 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्थल पर विकास कार्य :

राजमहल, सोनपुर बाजारी और खोट्टाडीह परियोजना में पुनर्वास स्थलों के विकास के लिए सड़क, नाली, चारदीवारी, स्कूल भवन, क्लब, सामुदायिक भवन, जल उपचार संयंत्र आदि के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। पुनर्वास स्थल के प्रमुख विकास के लिए 1357.98 लाख रुपये के मूल्य के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान पूरे किए गए।

20.5 खान विकास :

खान विकास के लिए पादाग्र दीवार, आरसीसी नाली, रेगिड फुटपाथ आदि के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख खान विकास के लिए 592.94 लाख रुपये के मूल्य के कार्य पूरे किए गए।

ईसीएल में विभागीय सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण

21.0 संविदा प्रबंधक :

21.1 एमओडी एवं राजस्व साझाकरण संविदाएँ :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीआईएल के भीतर सबसे अधिक एमडीओ और राजस्व साझाकरण कार्यों को सौंपकर प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यों में से एक हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल मिलाकर 3 एमडीओ संविदाएँ और 04 राजस्व साझाकरण कार्य प्रदान किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	खान के नाम	क्षेत्र	अधिकतम क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	न्यूतम निष्कर्षण योग्य निचय (मि.टन)	संविदा की अवधि	संविदा का मूल्य (₹ करोड़ में)	राजस्व साझाकरण %
1.	मधुजोर भूमिगत (राजस्व साझाकरण)	काजोड़ा	2.0	40.98	25	39967.80	31.99
2.	गोपीनाथपुर भूमिगत (राजस्व साझाकरण)	मुगमा	0.76	13.64	25	5520.74	4.59
3.	चिनाकुड़ी भूमिगत (राजस्व साझाकरण)	सोदपुर	1.0	16.70	25	12047.38	8.0
4.	मोइरा भूमिगत (राजस्व साझाकरण)	बांकोला	0.75	13.92	25	10255.62	7.0

क्रम सं.	खान के नाम	क्षेत्र	अधिकतम क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	न्यूतम निष्कर्षण योग्य निचय (मि.टन)	संविदा की अवधि	संविदा का मूल्य (₹ करोड़ में)	राजस्व साझाकरण %
5.	हुर्रा सी (एमडीओ)	राजमहल	3.0	90.04	25	5664.43	
6.	परासिया-बेलबाद (एमडीओ)	कुनुस्तोड़िया	2.07	74.38	25	9230.14	
7.	तिलाबोनी भूमिगत (एमडीओ)	बांकोला	1.86	75.35	25	9184.65	
	कुल		**11.44**	**325.01**		**91,870.76**	

21.2 भूमिगत खानों में पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी के पुरःस्थापित के लिए वैश्विक निविदा :

मानक उच्च सतत खनित्र, कम ऊंचाई वाले सतत खनित्र, भूमिगत में लॉन्गवाल खनन की शुरूआत से निरंतर कर्तन की तकनीक भूमिगत खनन उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि लाती है। संविदाएँ जोखिम और अभिलाभ और भर्ती के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 18.21 मि. टन की प्रदान की गई मात्रा के साथ तीन (3) संविदाएँ (झांझरा में 1 और बांकोला में 2) प्रदान किए गए।

21.3 उपरि संस्तर हटाव एवं कोयला निष्कर्षण के लिए उपस्करों को किराए पर लेना :

कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आउटसोर्स की गई खुली खानों/खदानों से आता है। विद्यमान संविदाओं के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 35.61 एमटी कोयला और 246.233 मि. घनमीटर ओबी की मात्रा के साथ 9 नए कार्य सौंपे गए। प्रदत्त संविदाओं का अर्थ है कम से कम अगले दो वर्षों के लिए प्रति दिन 18085 टन कोयला उत्पादन।.

21.4 कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग और मोबाइल क्रशर संविदाएँ :

परिवहन संविदाएँ 1 वर्ष की अवधि के लिए एसओआर के अनुसार गणना किए गए अनुमानों पर छूट बोली प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज की जा रही हैं। इन संविदाओं में नदी घाटों से भूमिगत खानों के रेत बंकरों तक रेत ले जाना, फेस/स्टॉकयार्ड से पार्श्वस्थल तक कोयला ले जाना, रेल द्वारा भेजने के लिए वैगनों में कोयला लोड करना और रेल द्वारा भेजने से पहले -100 मिमी आकार तक कोयले की संदलन के लिए मोबाइल क्रशर स्थापना सम्मिलित है। वर्ष के दौरान तीन (3) संदलन संविदाएं, पांच (5) परिवहन/वैगन लदान संविदा और दो (2) रेत संविदा प्रदान किए गए।

ईसीएल में एमडीओ अनुबंधों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

22.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

22.1 तृतीय पक्ष नमूनाकरण :

कंपनी ने सभी स्त्रोतों से कोयले की खरीद के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए स्वीकार्य ग्रेड के कोयले के निर्धारण के लिए तृतीय पक्ष नमूनाकरण की सुविधा का विस्तार किया है। तृतीय पक्ष नमूनाकरण के लिए सभी अपेक्षित सक्षम शर्तों को पूरा किया गया है।

22.2 ग्रेड पुष्टिकरण स्थिति :

स्वीकार्य परिणामों के आधार पर 2020-21 की अवधि के लिए समग्र ग्रेड पुष्टि 89% है जो 2021-22 की अवधि के लिए बढ़कर 90% और 2022-23 में 97% हो गई है।

22.3 प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम:

(अ) 15.04.2022 से 29.04.2022 तक गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया गया। अभियान का मूल विषय कोयला खदान से लेकर क्षेत्र और मुख्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर भागीदारी के लिए कर्मियों को सम्मिलित करके खदान से बाजार तक कोयले की गुणवत्ता के बारे में चेतना जागृत करने पर केंद्रित था। यह एक अभ्यास था जिसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि के बेहतर स्तर के माध्यम से निगमित छवि को बढ़ाना था।

(आ) 07 नवबर 2022 दूसरी तिमाही में एक गुणवत्ता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कम तृतीय-पक्ष ग्रेड पुष्टि और कोयले की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता शिकायतों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रेषित कोयले की गुणवत्ता का पता लगाने और कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की एक टीम द्वारा गुणवत्ता निरीक्षण किया गया था।

(इ) नवंबर 2022 से 19 नवंबर 2022 तक सभी क्षेत्रों में दूसरा गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें पार्श्वस्थल के हरितीकरण के साथ-साथ आकार के गुणवत्ता वाले कोयले को भेजने पर ध्यान केंद्रित किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की टीमों ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले का प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों और पार्श्वस्थलों का निरीक्षण किया।

(ई) कोयले की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उपभोक्ताओं से किसी भी शिकायत के मामले में, संबंधित क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है और कोयले की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया की जाती है और इसे उचित स्तर पर सूचित किया जा रहा है।

23.0 शिकायत निवारण तंत्र – निदान :

निदान सेल के तहत शिकायतों, पीजी पोर्टल के तहत सीपीजीआरएएमएस और एमएसएमई मामलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। निदान के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर कर्मी की सेवानिवृत्ति के माह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/ग्रेड/क्षमता में कार्य कर रहे कर्मियों से कंपनी के समुचित विकास एवं वृद्धि के संबंध में सुझाव प्राप्त/स्वीकार किए जाते हैं और कल्याण विभाग को भेजे जाते हैं। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के दौरान उनके मूल्यवान सुझाव दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान सीपीजीआरएएमएस और निदान के संबंध में 647 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 609 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 38 मामले प्रक्रियाधीन हैं। सीपीजीआरएएमएस, निदान और एमएसएमई के लिए मासिक रिपोर्ट नियमित आधार पर और जब कभी आवश्यक हो, विभिन्न प्राधिकरणों/सीआईएल/एमओसी से भेजी जा रही है।

डीएआरपीजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत सभी शिकायतों का निपटान 45 दिनों के भीतर किया जाना है। शिकायत निवारण तंत्र "ऑनलाइन निदान" और दुर्लभ ऑफ़लाइन प्रणाली के तहत ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित है। शिकायतों के निवारण की समय सीमा 90 दिन है लेकिन इसका निवारण 60 दिनों के भीतर किया जाता है। आज की तारीख में ऑनलाइन निदान योजना/सीपीजीआरएएमएस और ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है और संबंधित विभाग को अग्रेषित किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में, नोडल अधिकारी है, जो लंबित शिकायतों की सीधे निगरानी करता है और शिकायतों के तेजी से निवारण को बढ़ावा देने के लिए मेल / व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करता है। पीजी पोर्टल और निदान के तहत शिकायतों को समय-सीमा के भीतर निपटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, इकाइयों और मुख्यालय स्तर से नियमित फॉलो-अप किया जा रहा है। लोक शिकायत प्रकोष्ठ-निदान द्वारा अनसुलझी शिकायतों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए मुख्यालय स्तर और क्षेत्रों में एक शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

एमएसएमई समाधान पोर्टल को लोक शिकायत प्रकोष्ठ-निदान, मुख्यालय द्वारा भी संभाला और मॉनीटर किया जाता है और मासिक आधार पर दृष्टि डैशबोर्ड पोर्टल (सीपीएसई कॉन्क्लेव) में अपलोड करने के लिए एमएसएमई समाधान पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

ईसीएल को गुणवत्ता जागरूकता और स्थिरता पर कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया

24.0 कर्मियों का विवरण :

किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII के तहत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

25.0 निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

25.1 कार्यकारी निदेशकगण :

01.02.2022 से सीएमडी के रूप में नियुक्त श्री ए पी पांडा पूरे वर्ष निदेशक मण्डल में रहे। मो. अंजार आलम को 15.09.2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। सुश्री आहुती स्वाईं को 18.11.2022 से निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने 30.11.2022 तक कंपनी की सेवा की। श्री उदय अनंतराव कावले को 01.12.2022 से 09.12.2022 तक निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) संचालन 01.12.2022 से 01.02.2023 तक। इसके बाद, श्री नीलेंदु कुमार सिंह को 09.12.2022 से निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना के रूप में नियुक्त किया गया। श्री नीलाद्रि रॉय को 01/02/2023 से निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में नियुक्त किया गया

25.2 सरकार नामिति निदेशकगण :

श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल 30.04.2022 तक कंपनी के नामित निदेशक थे। श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल को दिनांक 12.05.2022 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, एमओसी 05.07.2022 तक कंपनी के नामित निदेशक थे। श्री एच.के.हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, एमओसी को 05.07.2022 से 30.06.2023 तक जारी किया नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

25.3 स्वतंत्र निदेशकगण :

श्री अनिल कुमार गनेरीवाला 09.07.2022 तक स्वतंत्र निदेशक थे। दिनांक 01.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पांडे और श्री शिव तपस्या पासवान पूरे वर्ष निदेशक मण्डल में थे।

25.4 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त श्री मोहम्मद अंजार आलम ने 15.09.2022 से श्री एस.के. सोमानी, महाप्रबंधक (वित्त) प्रभारी के स्थान पर सीएफओ का कार्यभार संभाला। श्री रामबाबू पाठक वर्ष के दौरान कंपनी सचिव थे।

26.0 निगमित सुशासन :

निगमित सुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शेयरधारकों की आकांक्षाओं और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। यह एक प्रतिबद्धता है जो शेयरधारकों के मूल्य, कामकाज में पारदर्शिता, मूल्यों और संगठन के सभी घटकों के बीच आपसी विश्वास को अधिकतम करने के मौलिक विश्वास द्वारा समर्थित है। निगमित सुशासन एक ऐसी संस्कृति है जो शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित की दिशा में कार्य करने के लिए निदेशक मण्डल, प्रबंधन और कर्मियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें अनिवार्य रूप से विभिन्न हितधारकों के लिए एक रचनात्मक, उत्पादक और सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित है।

आपकी कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने, सभी हितधारकों को सभी वास्तविक जानकारी के समय पर और संतुलित प्रकटीकरण और उनके हितों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करके संचालन के सभी क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता, खुलेपन, जवाबदेही और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोखिमों को कम करने और दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों में भूमि के कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है।

26.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना :

31 मार्च, 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति में तीन (03) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात् श्री शिव नारायण पांडे, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता और श्री शिव तपस्या पासवान; दो (02) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक अर्थात श्री एचके हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, एमओसी और श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल और तीन (03) कार्यात्मक निदेशक अर्थात सुश्री आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना और श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) प्रचालन सम्मिलित थे। श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 09.07.2022 तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद श्री शिव नारायण पांडे, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक वित्तीय वर्ष

टीम ईसीएल भुवनेश्वर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति को संबोधित कर रही है

के अंत तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। निदेशक (वित्त) और विभागाध्यक्ष (आंतरिक लेखा परीक्षा) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

26.2 सीएसआर समिति की संरचना :

बोर्ड की 261वीं बैठक में सीएसआर उप-समिति का गठन किया गया। 31 मार्च, 2023 तक समिति में तीन (03) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात् श्री शिव तपस्या पासवान, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता और श्री शिव नारायण पांडे और चार (04) कार्यात्मक निदेशक अर्थात् मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना और श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) प्रचालन सम्मिलित थे। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान वर्ष के अंत तक सीएसआर उप-समिति के अध्यक्ष थे। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (सीएसआर और कल्याण) इस समिति के लिए नोडल अधिकारी हैं।

26.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा :

निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने 2022-23 के दौरान अपनी घोषणा दी थी कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं:

अ) श्रीमती धर्मशीला गुप्ता

आ) श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं

इ) श्री शिव तपस्या पासवान

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत आवश्यकतानुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा प्रस्तुत की थी कि वे एलओडीआर 2015 के विनियमन 16 (आई) के खंड (बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में पता नहीं है, जो विद्यमान है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो एक उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है।

26.4 निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश :

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मणडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

26.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों को निर्धारित करने के मानदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति:

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के लिए उपर्युक्त को छूट दी थी।

26.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के अधीन – निदेशकगणों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति :

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के निदेशकों के लिए उपर्युक्त को छूट दी थी।

गोड्डा में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए झारखंड सरकार और ईसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

26.7 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था :

नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी की अन्य सहायक कंपनियों के साथ किए गए लेनदेन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 23 (5) (ए) और (बी) के तहत छूट दी गई थी, जो दो सरकारी कंपनियों के बीच लेनदेन और नियंत्रक और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन थे, जिनके खाते नियंत्रक कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं। इसलिए फॉर्म एओसी 2 तैयार नहीं किया जाता है।

26.8 निदेशक मण्डलीय सदस्यों का परिचय कार्यक्रम :

निदेशक मंडल को व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों, कंपनी द्वारा किए गए संबंधित जोखिम और शमन उपायों, कंपनी की नई पहलों आदि के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013, भेदिया व्यापार प्रतिषेध विनियम, 2015 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने जून, 2022 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित 'स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लिया।

26.9 कार्यस्थल पर महालिओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम :

कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति है। आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी और कार्यालय में काम कर रही है। सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) उक्त नीति के तहत कवर की जाती हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्य निम्नानुसार हैं:

1. श्रीमती कुमारी कुमकुम – अध्यक्ष
2. डॉ. सोमदत्ता मण्डल – सदस्य
3. सुश्री पृश्या कनोजिया – सदस्य
4. श्री स्नेह तिवारी – सदस्य
5. श्री शुभम कुशवा – सदस्य
6. श्रीमती पल्लवी हल्दर – एनजीओ सदस्य

वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

27.0 लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की लागत लेखापरीक्षा की और लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निदेशक मंडल द्वारा 22 सितंबर, 2022 को आयोजित उनकी 354 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त प्रतिवेदन 19 अक्टूबर, 2022 को एमसीए के साथ एक्सबीआरएल मोड में दायर की गई थी। मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट, जयपुर को वर्ष 2022-23 के लिए ईसीएल के लिए अग्रणी लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ई-फॉर्म सीआरए-2 को एसआरएन एफ 26560896 दिनांक 27 सितंबर, 2022 के माध्यम से एमसीए पोर्टल के साथ दायर किया गया है।

सुश्री यतिंदर प्रसाद, जेएस एंड एफए, कोयला मंत्रालय द्वारा सोनपुर बाजारी क्षेत्र की समीक्षा

28.0 सचिवालयिक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए एक सहकर्मी समीक्षात्मक कंपनी सचिव फर्म मेसर्स मेहता एंड मेहता, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा सचिवालयिक लेखापरीक्षा आयोजित की थी। 24 मार्च, 2022 को आयोजित 360 वीं बोर्ड बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रपत्र एमआर-3 में 'सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन' प्राप्त की है और उनकी टिप्पणी का उत्तर उपाबंध-VIII में संलग्न है।

29.0 भण्डार लेखापरीक्षा :

वित्तीय वर्ष 2018-19 से कंपनी में भण्डार लेखापरीक्षा की अवधारणा को लाया गया है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में लागू कार्य के संशोधित दायरे और संशोधित लेखा परीक्षा शुल्क के साथ भण्डारों के भौतिक सत्यापन के लिए भण्डार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर सीआईएल के बोर्ड अनुमोदन के अनुपालन में, वर्ष 2019-20 और उसके बाद के लिए भण्डार लेखापरीक्षा आयोजित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की लेखापरीक्षा समाप्त हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और उसके बाद तीन वर्षों की अवधि के लिए भंडार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भंडार बहीखाते में आवश्यक सुधार शामिल किया गया है और वार्षिक खातों में लेखांकन उपचार किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, अपने सभी लेनदेन/गतिविधियों को डिजिटल रूप से संसाधित और अभिलिखित करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एसएपी (ईआरपी) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। कंपनी ने आक्रामक रूप से ई-ऑफिस पोर्टल को भी लागू किया और कंपनी के सभी प्रमुख स्तरों द्वारा इसका उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। कंपनी के बही-खातों के रखरखाव के लिए लेखा सॉफ्टवेयर से संबंधित सांविधिक आवश्यकता का सामना करने के लिए, एसएपी (ईआरपी) के लेखा परीक्षा मॉड्यूल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं ताकि कंपनी के सभी संबंधित व्यक्तियों को अपेक्षित ज्ञान प्रदान किया जा सके।

30.0 जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी ने कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन चार्टर और जोखिम रजिस्टर को मंजूरी दे दी है। इकाई स्तर के जोखिम मूल्यांकन में रणनीतिक जोखिम, परिचालन जोखिम, वित्तीय जोखिम और अनुपालन जोखिम सम्मिलित हैं। रजिस्टर के अनुसार, विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई है। पहचान किए गए प्रत्येक जोखिम के लिए जोखिम स्वामी और जोखिम न्यूनीकरण योजना के मालिक को भी नामित किया गया है ताकि इसकी निरंतर निगरानी और शमन सुनिश्चित किया जा सके। विभागाध्यक्षों के परामर्श से और जोखिम प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन टीम ने जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित शासन प्रक्रिया को लागू किया था और जोखिम शमन योजनाओं को तैयार किया था।

31.0 निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल एतदद्वारा अभिव्यक्त और पुष्टि करते हैं कि :

अ. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा के निर्मिति में, तात्विक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ समस्त प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है;

आ. निदेशकगणों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन और उसे सतत लागू किया था तथा निर्णय एवं प्राक्कलनों किए थे जो युक्तियुक्त एवं प्रज्ञायुक्त है ताकि वित्तीय वर्ष के अंतिम में कंपनी के मामलों की दशाओं एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ/हानि का सत्य एवं पारदर्शी रूप प्रदान किया जा सके;

इ. निदेशकगणों ने कंपनी की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के निमित्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की थी।

ई. निदेशकगणों ने चालू समुत्थान आधारित वार्षिक लेखा निर्मिति की थी;

उ. निदेशकगणों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अभिकथित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहे थे और

ऊ. निदेशकगणों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की योजना बनाई थी और यह कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रही थीं।

32.0 अनुसंधान व विकास परियोजनाएँ :

कार्यरत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत प्रास्थिति **उपाबंध-I** में दी गई है।

33.0 विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय के विज्ञान व प्रौद्योगिकी अनुदान के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत प्रास्थिति **उपाबंध-I** में दी गई है।

ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में खनन मशीनें चल रही हैं

34.0 परियोजना अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन की प्रास्थिति :

परियोजना अनुश्रवण के ब्यौरे एवं क्रियान्वयन की प्रास्थिति **उपाबंध-III** में उल्लिखित है।

35.0 प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन :

प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन को निदेशकगणों के प्रतिवेदन **(उपाबंध-IV)** का भागरूप एक पृथक खण्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

36.0 निगमित समाजिक दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 135 (2) के अनुसरण में निगमित सामाजिक दायित्व का प्रतिवेदन निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के भागरूप में बने पृथक अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। **(उपाबंध-V)**

37.0 अभिस्वीकृति :

अधिमूल्यन की भावना के साथ आपके निदेशकगण समय-समय पर भारत सरकार मुख्यतः कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विनिमयकारी व कानूनी निकायों से प्राप्त सहयोग की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण ग्राहकों के समर्थन, विश्वास एवं प्रतिश्रय की प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के परियोजनाओं एवं खनन परिचालनों के निष्पादन में परामर्शियों, विक्रेताओं, संविदाकर्ताओं इत्यादि के योगदान की भी प्रशंसा करते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, बैंकरों, कंपनियों के रजिस्ट्रार (पश्चिम बंगाल) और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के कार्य-निष्पादन प्रदर्शन में कर्मियों के सम्मिलित प्रयासों एवं श्रमिक संगठनों के उदार समर्थन के लिए आपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

38.0 अनुशेष

प्रतिवेदन में निम्निलिखित कागजात उपाबंधित किए जाते हैं :

i) निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन **(उपाबंध – VI)**

ii) 31 मार्च, 2023 के समाप्त वर्ष के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई अनुदेश के उपखण्ड 8.2.1 के अनुसरण में निगमित सुशासन के शर्तों के अनुपालन संबंधित व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र **(उपाबंध-VII)**

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणी और प्रबंधन प्रत्युत्तर।

iv) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) का अनुसरण कर व्यवसायतः कंपनी सचिव द्वारा प्रदत्त फॉर्म सं. एमआर-3 में सचिवालीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **(उपाबंध-VIII)**।

vi) विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं व्यय **(उपाबंध- IX)**।

vii) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के बाबत ब्यौरे **(उपाबंध-X)**।

viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन कंपनी के अंशकालिक पदीय निदेशकों द्वारा स्वावलंबन की घोषणा यथा उपाबंध-XI परिवेष्ठित किया गया है।

ix) वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन की प्राप्ति की स्थिति **(उपाबंध-XII)**

x) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की **वार्षिक विवरणी** हमारे वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

स्थान : सांकतोड़िया
दिनांक: 10.07.2023

उपाबंध-I

31 मार्च, 2023 तक की ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वयन किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रास्थिति :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	भूमिगत विपाशित खनित्र अवस्थान प्रणाली परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/1/35/10 कार्यान्वयन अभिकरणे : टीसीएस, सीएमसी & सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची	507.45 सीएमपीडीआईएल 36.98 टीसीएस/सीएमसी – 470.47	15 जनवरी, 2010	जून, 2021	447.86 सीएमपीडीआईएल 28.86 टीसीएस/सीएमसी 419.00	यह परियोजना 2010 में शुरू की गई थी। संशोधित कार्यक्रम जून, 2021 था। चूंकि परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ, इसलिए शीर्षस्थ समिति ने सीआईएल के अनुसंधान व विकास (आर & डी) बोर्ड को इसे समाप्त करने की सिफारिश की। आर एंड डी बोर्ड ने 28.07.2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परियोजना की समाप्ति को मंजूरी दे दी।
2.	खान आकस्मिक निष्क्रमण एवं पुनःप्रवेश क्रमाचार आधारित जोखिम समावेशित भारतीय कोयले का विस्फोटनता के जोखिम मूल्यांकन एवं निर्धारण द्वारा विस्फोटक जोखिम की रोकथाम एवं अल्पीकरण हेतु दिशानिर्देश का विकास। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/1/60/2016 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; सीआईएमएफआर, धनबाद; एस&आर प्रभाग; सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता; एसआईएमटीओआरएस, ऑस्ट्रेलिया एवं एनआईईआर, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, ऑस्ट्रेलिया	2413.21 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद 1617.07 सीआईएमएफआर, धनबाद 796.14	15 अप्रैल, 2016	14 अप्रैल, 2023	2267.76 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद 1510.00 सीआईएमएफआर, धनबाद 757.76	सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया इस परियोजना के साथ सहयुक्त था। सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस परियोजना में सहयुक्त होने से इंकार करने के बाद, न्यूकैसल विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के न्यूकैसल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च (एनआईईआर) को इस परियोजना में विस्तार अध्ययन करने के लिए सहयुक्त किया गया है, जो इस परियोजना का एक हिस्सा है। भूमिगत कोयला खानों में आग और विस्फोट के खतरों की रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए दिशा-निर्देशों के विकास को छोड़कर कतिपय परिकल्पित उद्देश्यों को आज तक पूरा कर लिया गया है क्योंकि आईआईटी-आईएसएम, धनबाद द्वारा आज तक विस्फोट ट्यूब की अधिप्राप्ति नहीं की गई है।
3.	पुँजोत्पादन तकनीक के लिए खान में वायु की आवश्यकता परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/1/63/2016 कार्यान्वयन अभिकरणे : यूएमडी, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), राँची	491.27	1 नवंबर, 2016	30 सितंबर, 2021	232.38	पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
4.	कोयला खानों में सुरक्षा एवं उत्पादकता के संवर्धन के लिए आभासी यथार्थ खान अनुकारी (वीआरएमएस) का विकास। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/1/67/2017 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; एस&आर विभाग, सीआईएल; ईसीएल; सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची; एनसीएल एवं एसएमआई-जेकेटेक पार्टी लि., यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया	1410.40 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद 1320.40 सीएमपीडीआईएल, राँची 90.00	1 सितंबर, 2017	31 जुलाई, 2023	1325.49 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद 1250.00 सीएमपीडीआईएल, राँची 75.49	इस परियोजना में पहले सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया सहयुक्त हुआ था। सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंकार करने के उपरांत, एसएमआई-जेके टेक, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के को परियोजना में सहयुक्त किया गया था। बाद में, एसएमआई-जेके टेक, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया ने परियोजना से हाथ खींच लिया है। ऐसे में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने स्वीकृत लागत के भीतर परियोजना को आंतरिक रूप से पूरा करने का निर्णय किया। तदनुसार, परियोजना की अवधि 31 जुलाई, 2023 तक विस्तार की गई थी। एनआईटी को 07.12.2022 को जारी किया गया है। बोली-पूर्व बैठक पूरी हो गई जहाँ उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया। बोली लगाने वालों को वीआरएमएस दरसूची प्राप्त हुआ है, जो आईआईटी-आईएसएम, धनबाद के समक्ष जांच की प्रक्रिया में हैं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
5.	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के दो संकर्षण खानों पर पूरे वर्ष भर, अधोभौमजल सतह के परिसीमन के साथ, संकर्षण डम्प के भीतर, संकर्षण डम्प के ऊपर शोवेल-डम्पर डम्प के समस्त स्तरों के अभिकल्प के लिए दिशानिर्देशों का विकास एवं विधिमान्यकरण अध्ययन। **परियोजना कोड :** सीआईएल/ आर&डी/1/68/2018 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** बीआईटी मेसरा एवं एस&आर प्रभाग, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता	75.30 बीआईटी, मेसरा	1 मई, 2018	31 जनवरी, 2022	64.00	पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
6.	चल मशीनरी का लागत दक्ष सुरक्षित संक्रिया के लिए सद्यकाल पुर्वानुमान प्रणाली (आरटीपीएस) के विकास व अंगीकरण : डम्पर काफिला का शोकेस प्रदर्शन। **परियोजना कोड :** सीआईएल/ आर&डी/1/71/2019 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी, खड़गपुर; सीआईएमएफआर, धनबाद; लुलेया टेकनोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, स्वीडन एवं ईसीएल सांकतोड़िया	440.30 आईआईटी, खड़गपुर – 180.36; सीआईएमएफआर, धनबाद – 180.00 एलटीयू, स्वीडन – 79.94	16 दिसंबर, 2019	15 मार्च, 2023	300.00 आईआईटी, खड़गपुर – 130.00 सीआईएमएफआर, धनबाद – 130.00 एलटीयू, स्वीडन – 40.00	सोनपुर बाजारी खदान में डंपर संचालन के प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की पहचान और लक्षण वर्णन दो डम्परों के लिए किया गया है। परियोजना के परिणामों को प्राप्त करने के लिए एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।
7.	भूमिगत कोयला खानों में संवातन पंखा वायु विद्युत पुनःप्राप्ति प्रणाली यथा विद्युत उर्जा के वैकल्पिक स्रोत का अभिकल्प एवं नियोजन। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/4/12/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	66.70 आरईआईटी-आईएसएम – 66.70 ; ईसीएल – कुछ नहीं	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2024	54.00 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद – 54.00 ; ईसीएल – कुछ नहीं	प्रमुख उपकरणों की अधिप्राप्ति पूर्ण हो चुकी है। परियोजना स्थल उदाहरणस्वरूप ईसीएल के मुगमा क्षेत्र के कुमारडुबी बीएल इंक्लाइन खान में संवातन पंखे के सम्मुख वायु टरबाइन के अधिस्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विद्यमान अनुकरण सॉफ्टवेयर के साथ अभिकलनात्मक द्रव्य गतिक (सीएफडी) विश्लेषण पूर्ण हो गया। संवातन पंखा निकास से बिजली उत्पादन की अवधारणा शुरू में परीक्षण के दौरान विद्यमान संवातन मोटर द्वारा खपत बिजली की बचत के साथ साबित होती है। परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है।
8.	भूमिगत कोयला खानों में प्रयुक्त चानक तल बफर के लिए पाती जाँच प्रसुविधा का अभिकल्प व विकास। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/1/74/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : सीएमईआरआई, दुर्गापुर एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	248.61 सीएमईआरआई, दुर्गापुर – 248.61 ईसीएल – कुछ नहीं	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2023	230.00 सीएमईआरई, दुर्गापुर – 230.00 ईसीएल – कुछ नहीं	साहित्य सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। परियोजना सहायकों की भर्ती पूर्ण हुई। कार्यशील कुंडलक के अवधारणा विकास के लिए बांसड़ा कोलियरी का दौरा किया गया है और उसके आधार पर एक संप्रत्यय प्रतिरूप विकसित किया गया है। उपस्करों की अधिप्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। एक सॉफ्टवेयर सहित कुछ उपकरणों की अधिप्राप्ति की गई हैं। शेड आर्किटेक्चर डिजाइन पूर्ण हो गया है। शेड का निर्माण जारी रहा। परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा मानदंड तैयार करने का काम पूरा हो गया। परीक्षण रिग का विकास प्रगति पर है।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
9.	खनि प्रवणता प्रास्थिति अनुश्रवण के लिए सद्यकाल ऊर्जा दक्षता साइबर-भौतिक आसूचना प्रणाली। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर&डी/1/77/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; सीएमपीडीआईएल एवं ईसीएल	263.75 आईआईटी-आईएसएम – 238.97 सीएमपीडीआईएल – 24.78	1 फरवरी, 2022	31 जनवरी, 2024	199.42 आईआईटी-आईएसएम : 195.00 सीएमपीडीआई: 4.42	फील्ड डाटा एकत्र करने के लिए सोनपुर बाजारी, ईसीएल का क्षेत्र भ्रमण किया गया। स्केल किए गए मॉडल में सेंसर एकीकरण प्रयोगशाला में शुरू किया गया है। प्रारंभिक चरण में परिसर में छोटे पैमाने पर फील्ड स्थापना की तैयारी। माइक्रो-इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का लैब स्केल परीक्षण किया जाता है। जिग बी नेटवर्क और एमएसएमई एक्सेलेरोमीटर एकीकरण किया गया। संख्यात्मक मॉडलिंग चल रही है; विभिन्न भू-खनन मापदंडों में भिन्न 1000 से अधिक मॉडल विकसित किए और खदान डंप के व्यवहार में परिवर्तन का विश्लेषण किया। मंत्रालय की निविदा से ग्लोबल टेंडरिंग के लिए अनुमति मांगी गई है, जिसका अभी इंतजार है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है।
10.	भूमगित कोयला खानों में वृहत् जल शीर्ष के प्रतिकूल संरक्षी रोध स्तंभ का अभिकल्प। परियोजना कोड : सीआईएल/आर&डी/1/75/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	87.47 आईआईटी-बीएचयू: 87.47	1 मई, 2021	31 अक्तूबर, 2023	65.00 आईआईटी-बीएचयू: 65.00	इस काम में अपनाई गई साहित्य समीक्षा निष्कर्षों, अनुसंधान परिकल्पना और पद्धति के आधार पर, अलग-अलग भू-खनन स्थितियों के तहत बाधा स्तंभों की हाइड्रो-मैकेनिकल प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए एक गहन संख्यात्मक मॉडलिंग अध्ययन किया गया है। कार्य का एक अंश को एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। स्तंभ प्रणाली के माध्यम से प्रवाह के लिए पूर्वानुमानित संबंध भी विकसित किया गया है। विभिन्न प्रवाह व्यवस्थाओं के लिए इष्टतम आकार सुरक्षात्मक बाधा स्तंभों के लिए डिजाइन मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया है। आवश्यक आंकड़ों के संग्रह के लिए 17.08.2022 से 19.08.2022 के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र के सतग्राम इनक्लाइन खदान; केंदा क्षेत्र के लोअर केंदा माइन; बंकोला क्षेत्र एवं श्रीपुर क्षेत्र का दौरा किया। आँकड़े प्राप्त करने और मॉडल परिणामों को मान्य करने के लिए उनकी आपूर्ति के तुरंत बाद, उपकरणों को सीमांकित प्रयोगात्मक खानों में स्थापित किया जाएगा।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
11.	उच्च राख कोयला गैसीकरम एवं सहयुक्त ऊर्ध्वप्रवाह एवं अनुप्रवाह (कोयला से रसायन, सीटीसी)। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/03/03/2017 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; आईआईटी रूड़की; सीएमपीडीआईएल, राँची; एमसीएल, संबलपुर; ईसीएल, सांकतोड़िया एवं सीसीएल, राँची	2160.721 आईआईटी-आईएसएम – 1872.007 आईआईटी, रूड़की – 131.804 सीएमपीडीआईएल, राँची – 156.910	20 जुलाई, 2017	19 जुलाई, 2017	1700.65 आईआईटी-आईएसएम – 1580.00 आईआईटी, रूड़की – 105.00 सीएमपीडीआईएल, राँची – 15.65	परियोजना के सार्थक समापन के लिए, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने आवश्यक विनिर्देश के गैससिफायर के निर्माण के लिए भेल से संपर्क किया था। इस परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; सीएमपीडीआई; सीआईएल और भेल के बीच क्रमशः 3 फरवरी, 2021 और 4 फरवरी, 2021 को सीआईएल, कोलकाता और आईआईटी-धनबाद में एक बैठक हुई है। भेल ने दिनांक 24.02.2021 के ईमेल के माध्यम से परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीआईएल और आईआईटी के साथ संयुक्त रूप से काम करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की। तथापि, सीएमपीडीआई को कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 5 जुलाई, 2021 के मेल के माध्यम से, आईआईटी-आईएसएम धनबाद ने सूचित किया है कि आईआईटी-आईएसएम और भेल एक उपयुक्त समझौते के माध्यम से एसोसिएशन के तौर-तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को 03.09.2021 को आयोजित सीआईएल आर एंड डी बोर्ड की 31 वीं बैठक में रखा गया था। सीआईएल आर एंड डी बोर्ड ने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को भेल के साथ एक समझौता । ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका और दायित्वों, अब तक किए गए अंतिम व्यय, प्रत्येक एजेंसी को धन की आवश्यकता और आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और आईआईटी-रुड़की द्वारा परियोजना के तहत अब तक खरीदे गए प्रत्येक उपकरण के उपयोग को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे पुनर्विचार के लिए शीर्षस्थ समिति में रखा जाएगा। इस परियोजना को फिर से शुरू करने से संबंधित मुद्दे पर 25.11.2021 को आयोजित शीर्षस्थ समिति की 35 वीं बैठक में फिर से विचार किया गया, समिति ने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को मामले में तेजी लाने और 31 दिसंबर 2021 तक संशोधित और ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 21.11.2022 को आयोजित शीर्ष समिति की 37 वीं बैठक में परियोजना को आगे जारी रखने से संबंधित मामले पर फिर से चर्चा की गई। इस बैठक में, भेल के महाप्रबंधक/प्रभारी/कॉरपोरेट अनुसंधान एवं विकास – शीर्षस्थ समिति के सदस्य श्री के रवि शंकर ने कहा कि भेल ने प्रेसराइजड प्लूडाइजड बेड गैसीकरण प्रौद्योगिकी (पीएफबीजी) आधारित पायलट संयंत्र स्थापित किया है जो उनकी घरेलू प्रौद्योगिकी पर आधारित है और अब इसके वाणिज्यिक उन्नयन पर काम कर रहा है और भेल के लिए परियोजना में शामिल तीसरे पक्ष के साथ जुड़ना अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार, भेल भविष्य में उपर्युक्त परियोजना में शामिल होने में रुचि नहीं रखता

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
						है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष समिति ने परियोजना को समाप्त करने की सिफारिश सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को विचारार्थ की थी। इस मामले पर सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की आगामी बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा
12.	हाईवॉल खनन व्यवहार्यता मूल्यांकन और लेआउट डिजाइन। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/01/78/2022 कार्यान्वयन अभिकरणे : भूमिगत खनन प्रभाग (यूएमडी); सीएमपीडीआई (मुख्यालय), राँची; कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (सीआईएसआरओ), ऑस्ट्रिलया एवं सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता	493.53 सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया: 323.63 (एयू $ 588131)] ; सीएमपीडीआई, रांची: 76.06; सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लागू कर: 93.84]	11 जुलाई, 2022	10 जुलाई, 2024	सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया- एयू $: 200000; सीएमपीडीआई – कुछ नहीं	सीएसआईआरओ, सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के परियोजना प्रस्तावकों ने स्थल की स्थिति की जांच करने के लिए सीआईएल की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों की 20 खानों का दौरा किया। उपर्युक्त दौरे के दौरान फील्ड/दृश्य अवलोकनों और खान कार्मियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर हाईवॉल खनन के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 20 खानों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया और दिसंबर 2022 में हाईवॉल खनन व्यवहार्यता के प्रारंभिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अवलोकनों और चर्चा के आधार पर, यह पाया गया कि 7 खानों को हाई वॉल खनन के लिए अच्छी स्थिति माना जाता है, 9 खानों में उचित परिस्थितियां हैं और 4 खानों को हाई वॉल प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त (कठिन भू-तकनीक और आरक्षित स्थितियां) नहीं पाया गया। 7 चिन्हित खानों में से, दो खानों नामतः सीसीएल की डकरा बुकबुका ओसी और बीसीसीएल की एक अन्य खदान को सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विस्तृत डिजाइन के लिए चुना गया है। सीसीएल के डकरा बुकबुका ओसी पर हाईवॉल खनन लेआउट के लिए विस्तृत डिजाइन के लिए कुछ इनपुट डेटा भूमिगत प्रभाग, सीएमपीडीआई, रांची से माँगा गया है।
13.	ओपनकास्ट माइन डंप पर ब्लास्टिंग का प्रभाव और ब्लास्ट प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंधों का विकास। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/01/73/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : सीएमपीडीआई (मुख्यालय), राँची; आईआईटी-आईएसएम, धनबाद एवं बीआईटी, मेसरा	344.22 सीएमपीडीआई: 202.96 आईआईटी-आईएसएम: 108.26 बीआईटी मेसरा: 33.00	10 फ़रवरी, 2021	9 अगस्त,, 2023	251.59 सीएमपीडीआई: 121.59 आईआईटी-आईएसएम: 100.00 बीआईटी मेसरा: 30.00	अशोका ओसीपी और सोनपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल में परीक्षण पूर्ण हो चुका है। अशोका ओसीपी और सोनपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल के मौजूदा डंपों से एकत्र किए गए ओबी नमूनों की प्रयोगशाला जांच पूरी कर ली गई है। बेंडर तत्व परीक्षण सुविधा और सार्वभौमिक परीक्षण मशीन की अधिप्राप्ति और अधिस्थापना की गई है। संख्यात्मक मॉडलिंग की विवेकपूर्ण तत्व विधि प्रगति पर है। हेट्रोजेनस डंप सामग्री गुणों के संबंध में एफओएस का संबंध प्राप्त किया गया है। यूडीईसी के माध्यम से ओबी डंप ढलान के तल से विभिन्न दूरी पर विस्फोट के लिए ओबी डंप ढलान का विश्लेषण किया गया है। 3 डीईसी सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग शुरू की गई है।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
14.	मुगमा क्षेत्र, ईसीएल के श्यामपुर बी कोलियरी के लिए सतत खनित्र (सीएम) तैनाती द्वारा पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी और निष्कर्षण पद्धति के लिए अग्रानुक्रम दृष्टिकोण का विकास परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/04/18/2022 कार्यान्वयन अभिकरणे : ईसीएल, सांकतोड़िया एवं सीआईएमएफआर, धनबाद	4997.45 ईसीएल: 4822.66 सीआईएमएफआर: 174.79	15 सितंबर, 2022	14 सितंबर, 2024	4920.00 ईसीएल: 4790.00 सीआईएमएफआर: 130.00	ईसीएल ने प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा जारी की है, जिसमें केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया। निविदा समिति ने संभावित बोलीदाताओं से सुझाव/फीडबैक प्राप्त होने के बाद संशोधित एनआईटी/निविदा दस्तावेज के लिए सिफारिश की। टीसी की सिफारिश समीक्षा के लिए आरआई-आई, सीएमपीडीआई को भेज दी गई है। पेस्ट की क्षमता में सुधार के लिए सीआईएमएफआर, धनबाद में प्रयोग किए जा रहे हैं। सीआईएमएफआर द्वारा दो उपस्करों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
15.	नरम कवर के तहत खंभों के निष्कर्षण के लिए सुरक्षित पार्टिंग मोटाई और इष्टतम गोफ एज समर्थ आवश्यकता का आकलन। परियोजना कोड : सीआईएल/ आर&डी/01/79/2022 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी; ईसीएल, सांकतोड़िया; सीसीएल, राँची एवं एसईसीएल, बिलासपुर	182.29 आईआईटी-बीएचयू: 182.29	2 जनवरी, 2023	1 जनवरी, 2025	100.00 आईआईटी-बीएचयू: 100.00	उपर्युक्त परियोजना 02.01.2023 से आरंभ की गई है। साहित्य समीक्षा की जा रही है। परियोजना सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपकरणों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है।

श्री संजय कुमार साहू, जीएम (बंकोला), ईसीएल को 1 नवंबर, 2022 को 'ईसीएल के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र जीएम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

श्री अभय कुमार, महाप्रबंधक (सिविल), ईसीएल को 1 नवंबर, 2022 को 'ईसीएल के सर्वश्रेष्ठ एचओडी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

उपाबंध-II

31 मार्च, 2023 तक की ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वयन किए गए कोयला मंत्रालय द्वारा निधिक वैज्ञानिक और तकनीकी परियोजनाओं के कोयले की प्रास्थिति :

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	खान सुरक्षा एवं उत्पादकता वर्धन के लिए दीर्घभित्ति परिरक्षक दाबों के अनुश्रवण, विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ स्वदेशी विकास। परियोजना कोड : एमटी-172 कार्यान्वयन अभिकरणे : सीएमपीडीआईएल, राँची; आईआईटी, खड़गपुर एवं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया	471.00 आईआईटी खड़गपुर – 367.16 सीएमपीडीआईएल – 103.84 ईसीएल- कुछ नहीं	1 दिसंबर, 2020	30 नवम्बर, 2023	339.98 आईआईटी खड़गपुर – 320.00 सीएमपीडीआईएल – 19.98 ईसीएल- कुछ नहीं	शियरर स्थिति निगरानी और विश्लेषण प्रणाली की अधिप्राप्ति की गई है और वर्तमान में लांगवॉल फेस में चालू शीयर में स्थापित किया गया है। अन्य सभी उपकरणों की अधिप्राप्ति कर ली गई है। हाइड्रोलिक चॉक-शील्ड पावर सपोर्ट में डिजिटल दबाव सेंसर स्थापित करने के लिए उपकरण निर्माता सीओडीसीओ से प्राप्त अनुमति कर ली गई है। फील्ड परीक्षण के लिए शक्ति समर्थन की पहचान और चयन के लिए फील्ड दौरा किया गया। डेटा के हस्तांतरण के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल (लंबाई में 5 किमी) को लांगवॉल पैनल में सतह से भूमिगत तक बिछाया गया है। मास्टर कंट्रोलर स्थापित करने के लिए मेन गेट रोड ट्रॉली को बनाया गया है और लॉन्गवॉल फेस पर ले जाया गया है। चेहरे की प्रगति के रूप में ढाल दबाव भिन्नताओं के पैटर्न को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एल्गोरिदम विकसित किया गया है। डेटा अधिग्रहण प्रणाली का स्वदेशी विकास प्रगति पर है। झांझरा लॉन्गवॉल पैनल में विकसित प्रणाली के फील्ड ट्रायल की अनुमति के लिए 09.02.2022 को डीजीएमएस में आवेदन किया। डीजीएमएस की अनुमति 19.05.2022 को प्राप्त हुई। झांझरा भूमिगत खान, ईसीएल में हाल ही में पूरा हुए लॉन्गवॉल पैनल में फील्ड ट्रायल किया गया। फील्ड ट्रायल अगले लॉन्गवॉल पैनल में जारी रखा जाएगा। डेटा प्रस्तुति मॉड्यूल तैयार है और वर्तमान में सतह पर यूजी डेटा प्राप्त किया जा रहा है। कंप्यूटर सर्वर में यूजी फील्ड डेटा की मात्रा के आधार पर इसे और अपग्रेड किया जाएगा। इन मॉड्यूल को सूचना प्रौद्योगिक सक्षम बनाया जाएगा और एक ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा।
2.	भू-भौतिकीय तकनीक प्रयुक्त भूमिगत कोयला खानों में पूराने कार्य-स्थल अनधिगम्य में खनन प्रभावित उप-सतही कोटरों एवं जलभराव क्षेत्रों के कारण जोखिमों का अध्ययन। परियोजना कोड : एमटी-173 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	199.96 आईआईटी-आईएसएम-199.96 ईसीएल – कुछ नहीं	15 मार्च, 2021	14 मार्च, 2023	199.00 आईआईटी-आईएसएम -199.00 ईसीएल – कुछ नहीं	साहित्य सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। उपकरणों की अधिप्राप्ति पूर्ण हो गई है। प्रस्तावित कार्य के लिए सिमुलेशन आयोजित किया गया। ईसीएल में श्यामपुर और रतिबाटी कोलियरी और बीसीसीएल में जोगीडीह कोलियरी के कुछ हिस्सों में विस्तृत ईआरटी डेटा एकत्र किया गया है। श्यामपुर कोलियरी, ईसीएल के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए चुंबकीय डेटा एकत्र किया गया है। 24 एटम सिस्मोग्राफ सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं और अनुकूलित डेटा अधिग्रहण के लिए परीक्षण किया जा रहा है। डीबी रोड, कालीपहाड़ी, रतिबाटी कोलियरी, ईसीएल के साथ अस्थिर जोन मैपिंग आयोजित की गई। डीबी रोड, कालीपहाड़ी, रातिबती कोलियरी, ईसीएल की कार्य योजना इन क्षेत्रों के आसपास कार्य के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों को इंगित करती है जिन्हें ईआरटी परीक्षण द्वारा मान्य किया गया था।
3.	सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से भूमिगत खानों के खतरे की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में सूक्ष्म भूकंपीयता का उपयोग। प्रोजेक्ट कोड: MT-178 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी, खड़गपुर; सीएमपीडीआईएल, राँची एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	199.78 आईआईटी, खड़गपुर: 145.5 0सीएमपीडीआई: 54.28 ईसीएल- कुछ नहीं	29 दिसंबर, 2022	28 दिसंबर, 2024	100.00 आईआईटी, खड़गपुर: 100.00 सीएमपीडीआई: कुछ नहीं ईसीएल: कुछ नहीं	साहित्य सर्वेक्षण आरंभ हुआ। उपकरणों की अधिप्राप्ति आरंभ हुआ। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ईसीएल अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया गया और चर्चा की गई।

उपाबंध -III

चालू परियोजनाओं के परियोजना अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन प्रास्थिति :

क्रम	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	सोनपुर बजारी विस्तारित खुली खदान (12.00 मि.टन प्रति वर्ष)	5365.88	जुलाई, 2021	मार्च, 2029	मार्च, 2029	निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन 2020-21: 9.48 मि.टन 2021-22: 9.62 मि.टन 2022-23: 11.999 मि.टन
2.	हुर्रा सी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 859.41 (वर्तमान 289.42 सहित)	अगस्त, 2022	मार्च, 2029	मार्च, 2029	चरण-II वानिकी सहमति प्राप्त किया गया और भूमि दखल दियानी प्रक्रियाधीन है। यथा परियोजना ने 260.95 करोड़ का पूँजीगत व्यय उपगत किया है, पुनर्विलोकित लागत प्रत्याशा (आरसीई) को आगामी ईसीएल निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 2022-23 में 0.239 मि.टन उत्पादन की प्राप्ति हुई है।
3.	झांझरा विस्तारित भूमिगत (5.00 मि.टन प्रति वर्ष)	1210.12	अप्रैल, 2020	मार्च, 2029	मार्च, 2029	निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन 2020-21: 3.57 मि.टन 2021-22: 3.63 मि.टन 2022-23: 2.917 मि.टन
4.	न्यू केन्दा खुली खदान परियोजना (1.20 मि.टन प्रति वर्ष)	127.72	नवम्बर, 2014	मार्च, 2019	मार्च, 2023	28.12.2018 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ। निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन - 2020-21: 0.300 मि.टन 2021-22: 0.241 मि.टन 2022-23: 0.014 मि.टन
5.	चितरा पूर्वी खुली खदान (आरसीई) (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	513.99	अगस्त, 2018	मार्च, 2024	मार्च, 2024	निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन - 2020-21: 0.873 मि.टन 2021-22: 0.990 मि.टन 2022-23: 1.031 मि.टन वानिक सहमति चरण-II प्राप्त किया, भूमि दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया में हैं।
6.	मोहनपुर विस्तारित खुली खदान (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	888.99	नवंबर, 2020	मार्च, 2025	मार्च, 2025	निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन 2020-21: 0.820 मि.टन 2021-22: 0.769 मि.टन 2022-23: 1.082 मि.टन भूमि दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया में हैं।
7.	खोट्टाडीह सीएम भूमिगत (0.60 मि.टन प्रति वर्ष)	127.17	मई, 2015	मार्च, 2016	मार्च, 2023	मार्च, 2021 में सतत खनित्र का प्रवर्तन किया गया है। 2021-22 के दौरान प्राप्त कोयला उत्पादन सतत खनित्र से 0.194 मि.टन सहित 0.401 मि.टन है। 2022-23 के दौरान प्राप्त कोयला उत्पादन सतत खनित्र से 0.332 मि.टन सहित 0.539 मि.टन है।
8.	सिदुली (खुली खदान : 1.20 एवं भूमिगत : 1.63 मि.टन प्रति वर्ष)	535.18	मई, 2018	मार्च, 2026	मार्च, 2026	खुली खदान पैच (चरण-1) के लिए 16.08.2021 को एओए निर्गत किया गया था। जनवरी, 2022 में उपरि संस्तर हटाव आरंभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.41 लाख घनमीटर एवं 2022-23 में 0.66 लाख घनमीटर उपरि संस्तर हटाव हुआ।
9.	नकराकोंडा कुमारडीह बी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	502.68	अगस्त, 2018	मार्च, 2029	मार्च, 2029	18.04.2022 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 0.444 मि.टन उत्पादन की प्राप्ति हुई।
10.	तिलाबोनी भूमिगत (1.86 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश: 749.07 (वर्तमान 39.53 सहित)	जनवरी, 2023	मार्च, 2027	मार्च, 2027	मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को 30.03.2023 को एलओए निर्गत किया गया।

क्रम	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
11.	परासिया-बेलबाद भूमिगत (2.07 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश: 389.10 (वर्तमान 106.52 सहित)	जनवरी, 2023	मार्च, 2027	मार्च, 2027	मेसर्स गेनवेल कमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को 30.03.23 को एलओए जारी किया गया।
12.	श्यामसुंदरपुर भूमिगत (सर्पी इकाई सहित) (1.59 मि.टन प्रति वर्ष)	483.65	अप्रैल, 2020	मार्च, 2025	मार्च, 2025	निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन - 2020-21: 0.754 मि.टन 2021-22: 0.645 मि.टन 2022-23: 0.661 मि.टन
13.	बोनजेमेहारी विस्तारित खुली खदान परियोजना (1.00 मि.टन प्रति वर्ष)	570.12	अगस्त, 2021	मार्च, 2025	मार्च, 2025	बाह्य स्रोतो द्वारा 44.41 लाख घनमीटर उपरि संस्तर (ओ.बी.) के साथ 11.54 लाख टन कोयला निष्कर्षण के लिए एक्ससेंट्रिक विब्रो रिप्पर के विकास के निहार्थ दिनांक 17.10.2022 को एओए निर्गत किया गया। दिनांक 30.11.2022 को एम/सी अपनी सेवा देना आरंभ किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपरि संस्तर (ओ.बी.) हटाव 5.37 लाख घनमीटर एवं कोयला निष्कर्षण 44173 टन रहा।
14.	खोट्टाडीह विस्तारित खुली खदान परियोजना (1.60 मि.टन प्रति वर्ष)	140.25	मई, 2017	मार्च, 2020	दिसम्बर, 2021	निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन - 2020-21: 0.689 मि.टन 2021-22: 0.622 मि.टन 2022-23: 0.532 मि.टन परियोजनाओं के मूल्यनिरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए सीआईएल बोर्ड की अधिकार प्राप्त उप-समिति द्वारा 22.06.2022 को पूरण प्रतिवेदन अनुमोदित की गई है।
15.	कुमारडीह-बी सीएम भूमिगत (1.02 मि.टन प्रति वर्ष)	117.91	मई, 2014	मार्च, 2023	जून, 2022	एलएचसीएम का प्रवर्तन 11.12.2019 को किया गया है और एसएचसीएम का 08.01.2022 को प्रवर्तन किया गया है। निम्न वित्तीय वर्ष में प्राप्त उत्पादन - 2020-21: 0.519 मि.टन 2021-22: 0.748 मि.टन 2022-23: 1.329 मि.टन

COALRR के कार्यान्वयन के लिए एनआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

प्रबंधकीय विवेचना व विश्लेषण प्रतिवेदन

एक आघात-सह अर्थव्यवस्था :

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद चीन (33 ट्रिलियन डॉलर) और संयुक्त राज्य अमेरिका (26 ट्रिलियन डॉलर) के पीछे 13 ट्रिलियन डॉलर है। बाजार विनिमय दर पर, भारत का सकल घरेलू उत्पाद $3.73 ट्रिलियन इसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पांचवें स्थान पर ले जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023 में 7 प्रतिशत रही जो इससे पूर्व वित्तीय वर्ष में 8.7 प्रतिशत थी। भारतीय आर्थिक सुधार में उछाल बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव आदि से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जो अनुमानित विकास दर को नीचे खींच रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) यानी कोर मुद्रास्फीति और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति दर उच्च बनी हुई है। पूरे वित्तीय वर्ष 2023 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर भी दोहरे अंकों में थी, इसलिए जीडीपी अनुमानों को उच्च अपस्फीतिकारकों द्वारा शामिल किया गया है। अत, अर्थव्यवस्था में निरंतर उच्च मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, और अब भी बहुत नाजुक स्थिति में है। कई देशों के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध से बिगड़ती स्थिति बढ़ गई है, विशेष रूप से जो बाहर से ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

Sharp rise in commodity prices due to the Russia-Ukraine conflict; prices yet to reach pre-conflict levels

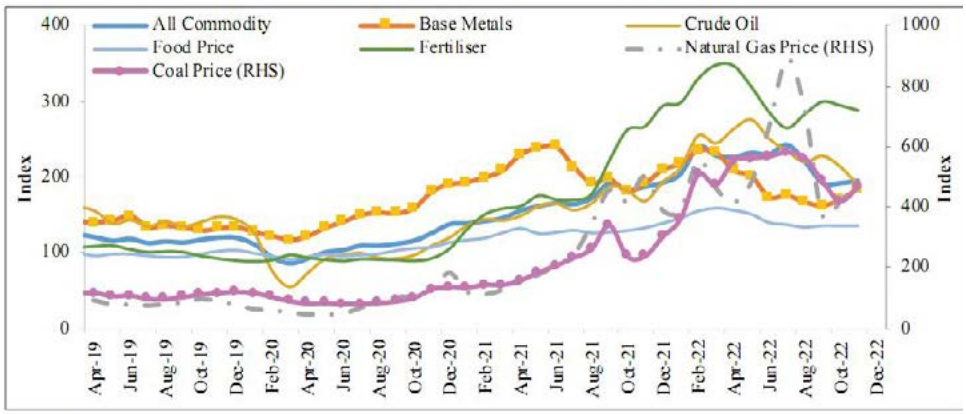

Source: IMF

यदि हम ऊर्जा की माँग को हाल की गर्मी की लहर द्वारा समर्थित आर्थिक विस्तार का बैरोमीटर मानते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीक पावर की मांग पिछले साल के पहले के उच्च स्तर को पार करते हुए 220 गीगावॉट को पार कर गई है, जो अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिखाने के लिए पूर्व-कोविड स्तर से बहुत अधिक है, जहाँ बिजली की माँग कुल ऊर्जा माँग का एक बड़ा हिस्सा है। इस पृष्ठभूमि पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला भारत में बहुतायत में उपलब्ध है और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 55% पूरा करता है। इसलिए जीविका के लिए कोयले की प्रासंगिकता को भारत में दूर नहीं किया जा सकता है।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के अनुमान के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

India growth projections by various agencies for FY 23

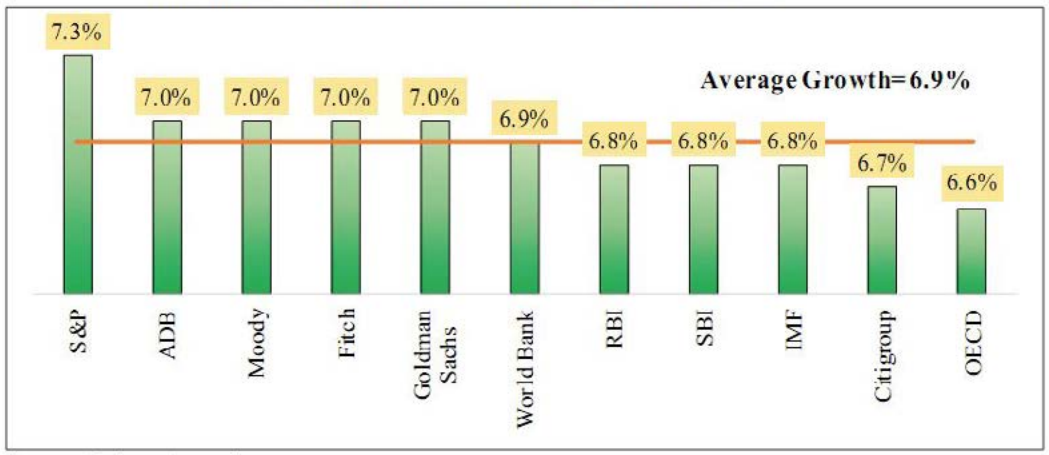

Source: Various Agencies
Note: ADB stands for Asian Development Bank, IMF is International Monetary Fund

भारत में कोयला निचय

सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल और अन्य द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विनिर्मित 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार और 1200 मीटर की गहराई तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की वस्तुसूची 361.41 बि.टन है। संसाधन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए गए हैं।

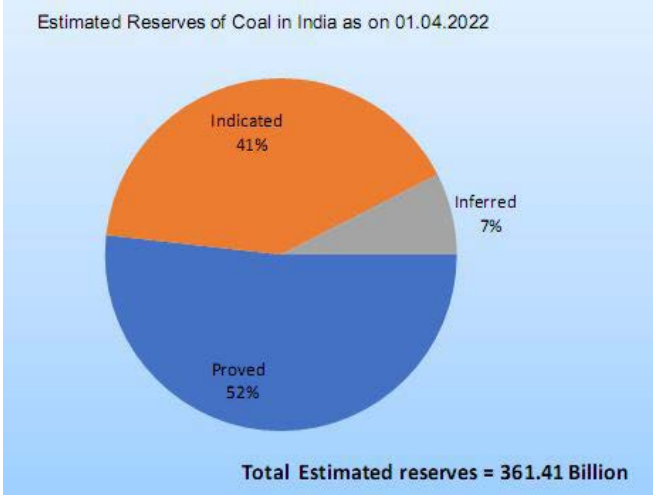

01.04.2022 को यथा प्रकार-वार और श्रेणी-वार संसाधन :

(संसाधन मिलियन टन में)

गहराई सीमा (मी.)	माप (331)	इंगित (332)	अनुमानित (333)		कुल
			गवेषण	मानचित्रण	
गोंडवाना कोयला					
कोककर					
0-300	8.24	4.15	0.04	0.00	12.43
0-600	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
300-600	1.52	5.01	0.74	0.00	7.27
600-1200	2.41	3.12	1.17	0.00	6.70
0-1200	20.87	12.28	1.95	0.00	35.10
अकोककर					
0-300	120.85	57.37	6.72	0.00	184.94
0-600	5.66	0.44	0.00	0.00	6.10
300-600	34.74	61.00	12.06	0.00	107.80
600-1200	4.39	16.03	5.39	0.00	25.81
0-1200	165.64	134.84	24.17	0.00	324.65
तृतीयक कोयला					
उच्च सल्फर					
0-300	0.41	0.11	0.19	0.75	1.46
300-600	0.18	0.02	0.00	0.00	0.20
0-600	0.59	0.13	0.19	0.75	1.66

01.04.2022 को यथा गहराई-वार और श्रेणीवार संसाधन

(संसाधन मलियिन टन में)

गहराई सीमा (मी.)	कोककर			अकोककर			उच्च सल्फर	कुल जोड़
	प्राइम	मीडियम	अर्ध कोकर	श्रेष्ठ (ग्रेड1-ग्रेड6)	अवर (ग्रेड7-ग्रेड17)	उन्नत		
0-300	0.00	11.96	0.47	21.69	156.53	6.72	1.46	198.82
0-600	4.05	4.65	0.00	0.20	5.90	0.00	0.00	14.81
300-600	0.00	6.51	0.76	13.79	81.95	12.06	0.20	115.27

गहराई सीमा (मी.)	कोककर			अकोककर			उच्च सल्फर	कुल जोड़
	प्राइम	मीडियम	अर्ध कोकर	श्रेष्ठ (ग्रेड1-ग्रेड6)	अवर (ग्रेड7-ग्रेड17)	उन्नत		
600-1200	1.26	4.96	0.48	3.43	16.99	5.39	0.00	32.51
0-1200	5.31	28.08	1.71	39.11	261.37	24.17	1.66	361.41

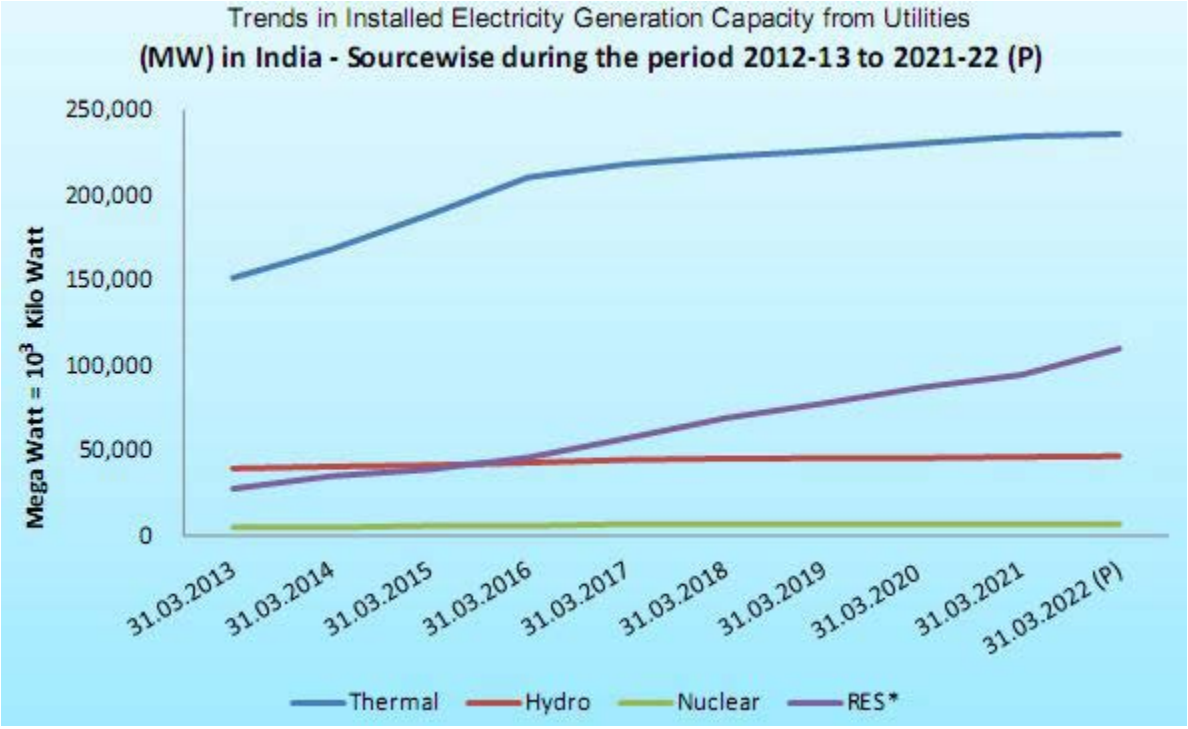

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का विहंगावलोकन :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) की पूर्वी प्रभाग के साथ निहित 414 खानों के अधिग्रहण द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 1975 को निगमित किया गया था और इस तिथि से कंपनी अपनी वाणिज्यिकीय परिचालन आरंभ किया था। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य में परिचालित होती है। यहाँ 80 खननशील खदानें जिसमें 48 भूमिगत खदानें, 23 खुली खदानें और 9 मिश्रित खदानों के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं। ईसीएल भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, ईसीएल के पास 55.147 बि.टन का निचय था, जिसमें पश्चिम बंगाल के कमान क्षेत्रों में 33.856 बि.टन और झारखंड राज्य में 21.291 बि.टन समाविष्ट थे।

SWOT विश्लेषण :

शक्तियाँ :

अ. पश्चिम बंगाल में 33.856 बिलियन टन कोयले का कुल भूवैज्ञानिक निचय, जिसमें से 17.234 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में है। रानीगंज कोलफील्ड्स में 20% से कम की औसत राख सामग्री वाले उच्च ग्रेड कोयले को ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए मिश्रित किया जा सकता है।

आ. खदानें राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे कॉरिडोर के साथ स्थित हैं जो आसानी से सुगम्य निष्क्रमण प्रदान करती हैं।

इ. ब्राह्मणी और अमरकोंडा-मुर्गदंगल कोयला ब्लॉकों में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले का विशाल निचय है।

ई. खुली खदान, भूमिगत परिचालनों के लिए भिन्न-भिन्न खनन प्रौद्योगिकियों को लागू करने की भूवैज्ञानिक संभावना।

उ. तकनीकी हस्तक्षेप के जरिए उत्पादन में गति लाने की व्याप्ति।

ऊ. प्रभरण स्कंध और/या ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उच्च ग्रेड वाले अकोककर कोयले।

ऋ. सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध।

अशक्तियाँ :

अ. यद्यपि रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला खनन लगभग ढाई सदी पहले शुरू हुआ था, इसलिए विरासत के मुद्दों के कारण विस्तार बाधित हुआ है।

आ. अति पम्पन एवं रेत भूगर्त भरण लागत।

इ. ऊपरी जल-जमाव वाली संस्तर निचले संस्तरों में पूँजोत्पादन प्रौद्योगिकी के आरंभन में बाधा डालती हैं।

ई. कठिन भू-खननीय दशाएँ एवं बहु शीर्ण संस्तर परिचालन।

उ. आबादी वाले क्षेत्र खदान के विस्तारिकरण और खुली खदान परिचालनों में बाधा डालना।

ऊ. पुरानी भूमिगत खदानों में परिचालन संबंधी चुनौतियों में वृद्धि करना।

ऋ. नियत लागत तत्वों का बड़ा हिस्सा परिचालन सुनम्यता को कम करना।

अवसर :

अ) ई-विपणन के माध्यम से कोयले के लिए बेहतर मूल्य की प्राप्ति।

आ) विशेष रूप से खुली खदानों में हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी शुरू करने की संभावना, जिसे प्रमुख सतही व्यवधानों के कारण आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

इ) अनिरंतरित/परित्यक्त खानों को राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से और खानों के संचालन के लिए एमडीओ मार्ग के माध्यम से परिचालित करने की पेशकश में सकारात्मक प्रतिक्रिया।

ई) पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर कोयला संस्तर मिथेन (सीबीएम) के गवेषण एवं संदोहन।

उ) अकोककर कोयले के बढ़ती उपयोगिता से गहरा और विस्तारी बाजार का निर्माण।

संकट :

अ. भूमि अधिग्रहण का विरोध।

आ. असुरक्षित/पुरानी भूमिगत खानों को भी बंद करने का विरोध।

इ. पर्यावरणीय कानूनों को कठोर करना।

ई. खनन क्षेत्रों में अवैध खनन और उप-सामान्य कानून एवं व्यवस्था से जुड़े सामाजिक-आर्थिक मुद्दे।

उत्पादन

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22
खुली खदान परियोजना – कोयला (मि.टन)	26.050	23.432
भूमिगत कोयला (मि.टन)	8.968	8.996
कुल (मि.टन)	35.018	32.428
वृद्धि %	7.988	-27.944
उपरिभार हटाव – (मि. घनमीटर)	132.985	118.989
वृद्धि %	11.763	-14.755

बिक्री प्रापण :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22
बिक्री प्रापण	19,351.00	14,453.70

खण्डवार या उत्पादन-वार कार्यनिष्पादन : E:

(मि.टन में)

विशिष्टियाँ	2022-23	%	2021-22	%	वृद्धि (%)
एफएसए/एमओयू के अधीन परदेशिक को प्रेषण	29.006	81.69	30.664	84.95	-5.47
ई-नीलामी (बिजली घरों को वायदा नीलामी सहित)	6.332	17.83	5.252	14.55	20.57

विशिष्टियाँ	2022-23	%	2021-22	%	वृद्धि (%)
अन्य	0.002	0.01	0.004	0.01	366.75
स्वः खपत	0.167	0.47	0.176	0.49	-4.94
कुल कारबार	**35.506**	**100.00**	**36.096**	**100.00**	**-1.63**

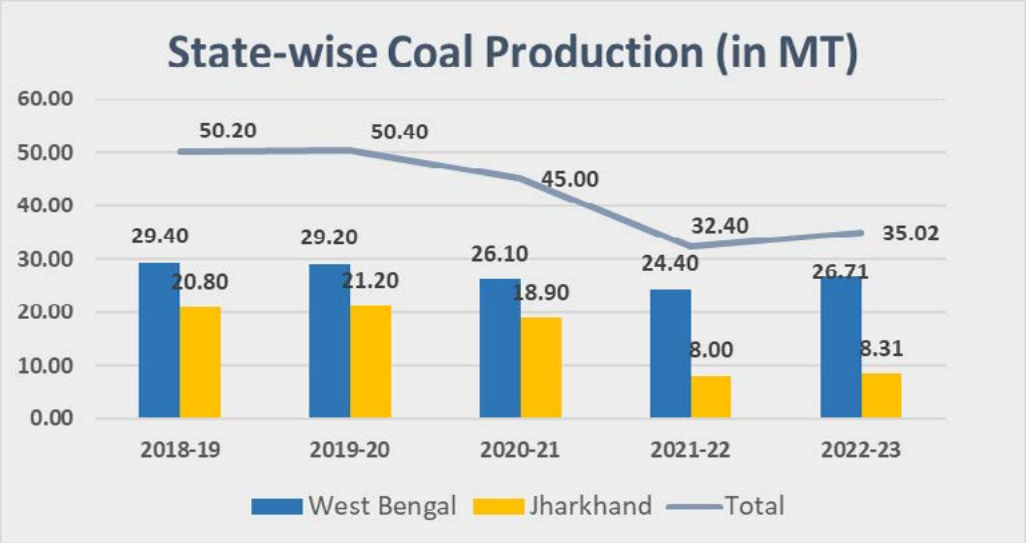

ग्राहक और संभारतंत्र :

कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा विनियमित क्षेत्र अर्थात् ताप विद्युत संयंत्रों/जेनको को दिया जा रहा है। अन्य सेक्टरों जैसे इस्पात, सीमेंट, ऐलुमिनियम, लघु उद्योगों इत्यादि के उपभोक्ताएँ भी रानीगंज कोलफील्ड्स से उच्च ग्रेड के कोयले की माँग करते हैं।

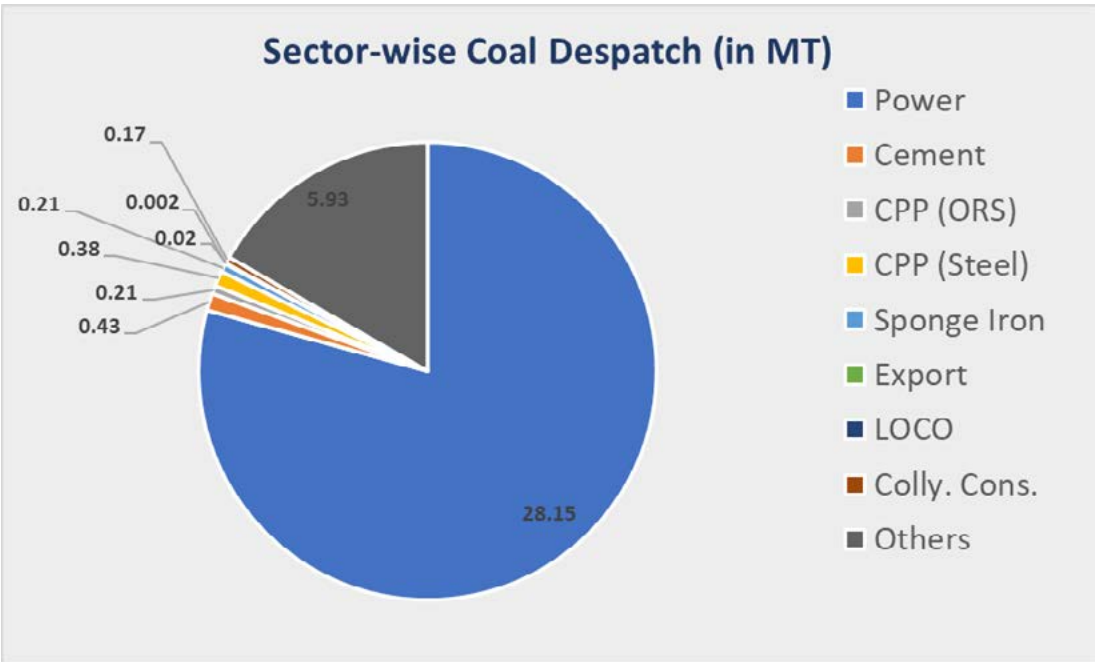

खान से कोयला निष्कर्षित होने के पश्चात, इसे वाहित्र प्रणाली के जरिए भूमिगत खदान के मामले में सतह में संग्रह बिंदु तक या खुली खदान के मामले में डंप ट्रक द्वारा ले जाया जाता है। तत्पश्चात्, कोयले को प्रत्यक्षतः सीएचपी/रेलवे पार्श्वस्थल जैसे प्रेषण स्थल तक ले जाया जाता है या भविष्य में प्रेषण की सुविधा के लिए निर्दिष्ट

स्कंध स्थल पर रखा जाता है। सड़क बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर के लिए सभी परेषणों को खदान परिसर के भीतर कंपनी मार्ग तुलनवेदी और बिक्री के लिए रेलवे पार्श्वस्थल पर इन-मोशन तोलनवेदी पर तोलन किया जाता है। चूंकि बिक्री लोडिंग पॉइंट्स पर की जा रही है, अतः इसे एफओआर आधारित अर्थात् "रेल/सड़क से निर्बाध आधार पर पूर्व-पार्श्वस्थल/स्कंध स्थल, यथास्थिति, की पेशकश की जाती है। खदान से अभिहित प्रेषण स्थलों तक कोयले के परिवहन की लागत को ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। हमारे खदानों से कच्चे कोयला के प्रेषण के लिए अनुप्रयुक्त नानाविध परिवहन साधनों से संबंधित सूचना निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

प्रेषण का साधन	2022-23	2021-22
रेल	26.878	25.735
सड़क	3.734	3.305
हिंडोला (एमजीआर)	4.727	6.880
कुल	**35.340**	**35.920**

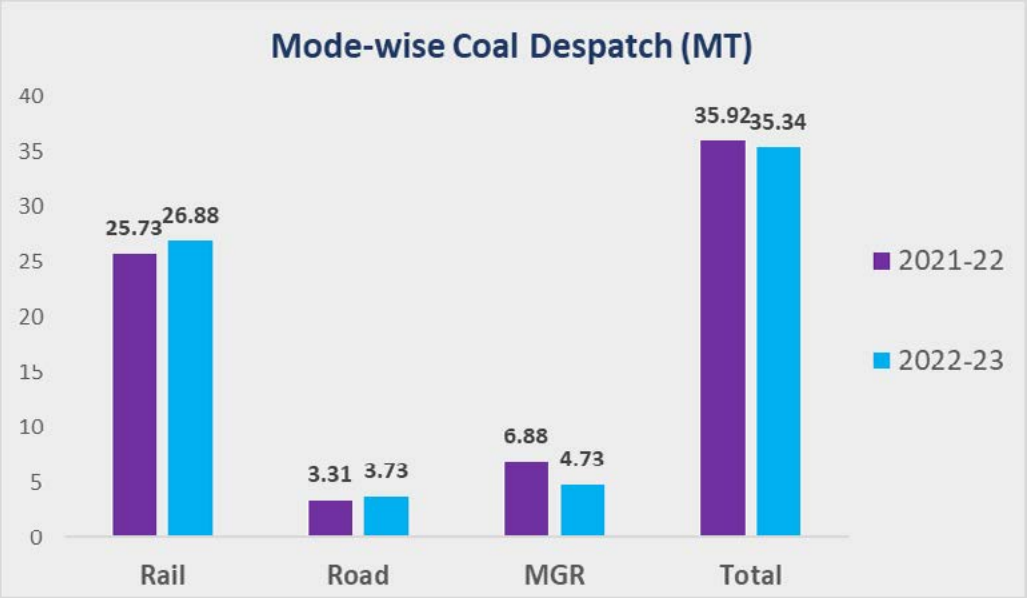

कोयले का कीमत निर्धारण :

अकोककर कोयले का मूल्य निर्धारण वर्तमान में 01.01.2012 से इसके सकल ऊष्मा मान पर आधारित है और कोककर कोल और वाशरी ग्रेड कोयले का मूल्य राख स्तर की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्ध-कोककर कोयले के लिए कोयले का मूल्य निर्धारण राख और नमी की मात्रा के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आयातित कोयले की आदान लागत में वृद्धि, मुद्रास्फीति और लैंडेड लागत को ध्यान में रखते हुए कोयले के मूल्य में संशोधन किया जाता है। प्रभार्य कीमत में आधार मूल्य, परिवहन प्रभार, साइलो प्रभार, आरएलएस प्रभार आदि एवं अन्य सांविधिक उपकर/कर जैसे कि रॉयल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, सेस, जीएसटी, आदि को समाविष्ट करता है। लगभग 82% कोयला उत्पादन संबद्ध ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के तहत बेचा गया था। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी योजना के तहत कोयले की बिक्री भी की गई।

नई नीतिगत पहल

(i) गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कोयला लिंकेज की नीलामी नीति के तहत नया उप-क्षेत्र:- कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत 2022 में एक नया उप-क्षेत्र 'कोयला गैसीकरण के लिए संश्लिष्ट-गैस का उत्पादन' बनाया गया है ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। यह पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करेगा।

(ii) कोयले की ई-नीलामी के लिए एकल खिड़की :- सरकार ने हाल ही में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई-नीलामी के लिए एक नए तंत्र को मंजूरी दी है। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ई-नीलामी विंडो कोल इंडिया लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है और अब से, कोयला कंपनियों के सभी गैर-लिंकेज कोयले की बिक्री कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक ई-नीलामी विंडो के माध्यम से की जाएगी। यह एकल ई-नीलामी खिड़की व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों

अर्थात बिजली और गैर-विनियमित क्षेत्र को पूरा करेगी। इसलिए, किसी भी विशेष ग्रेड का कोयला बाजार में सभी उपभोक्ताओं को एक दर (एक राष्ट्र – एक कोयला ग्रेड, एक रेट) पर बेचा जाएगा। एकल ई-नीलामी खिड़की कोयला कंपनियों को बाजार द्वारा खोजे गए मूल्य तंत्र के माध्यम से कोयला बिक्री में सक्षम बनाएगी और इस प्रकार, इस नीति को लागू करने से बाजार की विकृतियों को दूर किया जा सकेगा। यह परिचालन क्षमता में भी वृद्धि करेगा और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता द्वारा घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि करेगा।

(iii) एनसीडीपी में संशोधन : राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 में संशोधन के माध्यम से सक्षम प्रावधान किए गए हैं, ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त/अनिरंतरित खानों से उत्पादित कोयले को कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिक्री किया जा सके।

(iv) कोयला कंपनियों के गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज: सीआईएल/एससीसीएल को कोयला कंपनी द्वारा तय किए गए मूल्यों पर अपने स्वयं के गैसीकरण संयंत्रों को कोयले का दीर्घकालिक आवंटन प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यह कदम देश में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगा और कोयले के इस नए उपयोग की शीघ्र स्थापना में मदद करेगा।

विपणन नीति :

एनसीडीपी मार्गदर्शिका 18 अक्तूबर, 2007 को जारी की गई जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से कोयले की मांग को अल्पावधि और दीर्घकालिक दोनों आधार पर अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुशासन के साथ सुनिश्चित, अविरत, पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा करना है।

अ) ईंधन आपूर्ति करार : राष्ट्रीय कोयला संवितरण नीति (एनसीडीपी) के निबंधनों के अनुसार, कोयला कंपनी ने प्रत्यक्षतः ग्राहकों के साथ या राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूप से प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) में प्रवेश किया है जो कि परिणामस्वरूप अंतिम ग्राहकों के साथ उचित संवितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए विस्तृत रूप से संवर्गीकृत किया जा सकता है :

1. राज्य विद्युत उपयोगिता, निजी विद्युत उपयोगिता ("पीपीयू") एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विनियमित क्षेत्र में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
2. गैर-विनियमित क्षेत्र (कैप्टिव पावर प्लांटों सहित (सीपीपी)) में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
3. राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और
4. संबद्ध निलामी मार्ग के जरिए उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)।

आ) ई-नीलामी योजना : कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी जो एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ई-नीलामी के अंतर्गत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला अधिप्राप्ति के लिए एक अवसर प्रदान करती है।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएँ :

सीआईएल की प्रमुख 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं' के तहत, दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए 44 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को अपग्रेड करेंगी। एफएमसी परियोजनाएँ कोल इंडिया लिमिटेड में मशीनीकृत निकासी को वर्तमान में 151 एमटीपीए से बढ़ाकर 622.5 एमटीपीए करने में मदद करेंगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 3 एफएमसी परियोजनाएँ नामतः सोनपुर बजारी सीएचपी, राजमहल सीएचपी एवं झांझरा सीएचपी है। एफएमसी परियोजनाओं की विस्तृत प्रास्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम चरण-1	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1	सोनपुर-बाजारी सीएचपी: 12.00 मि. टन प्रति वर्ष	195.43	31.12.2021 को कमीशन किया गया
2	राजमहल सीएचपी-साइलो: 10.00 मि.टन प्रति वर्ष	230.67	मेसर्स मेकॉन लिमिटेड रांची को दिनांक 28.12.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया और 17.02.2021 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साइट 03.06.2021 को सौंप दी गई है। सीएचपी निर्माण की समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमश 40% और 21.67% है। पूरा होने की संभावित तिथि 31.10.2023 है
3	झांझरा सीएचपी : 5.00 मि.टन प्रति वर्ष	219.07	मेसर्स शापूरजी एंड पालोनजी एंड कंपनी प्रा. लि. को 28.12.2020 को 24 महीने के पूर्ण होने के समय के साथ कार्य आदेश जारी किया गया। संविदा करार पर 17.02.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 01.01.2021 को कार्यस्थल सुपुर्द किया गया है। समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 42% और 35% है। पूरा होने की संभावित तिथि 31-10-2023 है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) का महत्व नियंत्रण और अनुपालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यवसाय/कार्यों की आवधिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि उद्देश्य, उपयोगकर्ता मैनुअल (एसओपी) और कठोर नियंत्रण इसकी प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समितियों को आश्वासन प्रदान करने के लिए परिचालित हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उचित निगमित सुशासन और लेखापरीक्षा जोखिम नियंत्रण प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाए रखा जाता है।

एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य निदेशक मण्डल को अपने सुशासन और नियंत्रण दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। निर्गत निगमित सुशासन के विभिन्न संहिता ने भी इस तथ्य को दोहराया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किसी भी संगठन की निगमित सुशासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कानून के संगत प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी का संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकार/लागत लेखाकारों की स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों और क्षेत्र/इकाइयों के वित्त विभाग को सौंपा गया है। मुख्यालय सहित कंपनी के चौदह क्षेत्रों/इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी 15 बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों को संबद्ध किया गया था। उपर्युक्त फर्मों में से एक, जिसने चयन प्रक्रिया में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, को 'केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षक' या 'अग्रणी लेखापरीक्षक' का काम सौंपा गया है।

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों का चयन विधिवत गठित समिति की सिफारिश पर किया जाता है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संरचित चयन प्रक्रिया के अनुपालन/सख्त अनुपालन में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के माध्यम से सक्षम अनुमोदन होता है। कोल इंडिया ने ऑडिट फर्मों की शॉर्ट-लिस्टिंग और चयन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित किए हैं और उनकी नियुक्ति के लिए सामान्य नियमों और शर्तों के साथ काम का दायरा भी निर्धारित किया है।

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चयन के लिए सूचीबद्ध और प्रस्तावित आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति मूल्यांकन और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के लिए अग्रेषित की जाती है जिसे अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षक मासिक और तिमाही आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपनी संबंधित इकाई / क्षेत्र प्रमुख के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (मुख्यालय), निदेशक (वित्त) और कोल इंडिया लिमिटेड को प्रस्तुत करते हैं।

वे कंपनी में आंतरिक वित्त नियंत्रण (आईएफसी) के आवेदन और प्रभावशीलता पर संप्रेक्षणों और टीका-टिप्पणियों के साथ कंपनी के संचालन पर आंतरिक वित्त नियंत्रण के नियमित मूल्यांकन के साथ एक विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारत सरकार के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक (जिसे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या सीएजी के रूप में जाना जाता था) के कार्यालय द्वारा की गई लेखा परीक्षा के अधीन भी है। सरकारी लेखा परीक्षक किसी विशेष पीएसयू के लिए डीजीसीए द्वारा निर्धारित विशिष्ट लेखा परीक्षा कार्यक्रमों और दायरे के अनुसार कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों में नियमित अंतराल पर नियमित 'निरीक्षण/ परिवहन लेखा परीक्षा' करते हैं। लेखा परीक्षा टिप्पणियों वाली निरीक्षण रिपोर्टें सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय और संबंधित निदेशकों तथा विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं।

लेन-देन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, सरकारी लेखापरीक्षक कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन और खातों की सत्यता और निष्पक्षता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से वार्षिक लेखापरीक्षा भी आयोजित करते हैं।

केन्द्रीय आंतरिक लेखापरीक्षक (अग्रणी लेखापरीक्षक) को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष उनके मूल्यांकन और निर्देशों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने से पहले विभागाध्यक्ष, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के परामर्श से तिमाही रिपोर्टों को अंतिम रूप देना अपेक्षित है। अग्रणी लेखापरीक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित क्षेत्र/इकाई प्रमुखों के साथ समन्वय और संचार में लेखापरीक्षा समिति की सभी लेखापरीक्षा टीका-टिप्पणियों और निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करे।

कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और अस्तित्व में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुप्रयोगों पर कड़ी निगरानी रखती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को आवधिक समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। ऐसी संप्रेक्षणों पर विचार करने पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों (यदि कोई हों) को आवश्यक अनुपालन के लिए विधिवत नोट किया जाता है और उनके कार्यान्वयन पर एटीआर को उनके मूल्यांकन के लिए अगली लेखा परीक्षा समिति की बैठक के समक्ष रखा जाता है।

लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में कार्यरत विभिन्न लेखापरीक्षा फर्मों ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में परिचालन में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों पर संतोष व्यक्त किया है।

परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विवेचना :

परिचालन के परिणाम :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22	वृद्धि (%)
सकल बिक्री	19,351.00	14,453.65	33.88%
न्यून : लेवी	4,581.71	4,152.20	10.34%
निवल बिक्री	14,769.29	10,301.45	43.37%
अन्य परिचालनात्मक राजस्व	485.19	449.30	7.99%
अन्य आय	556.30	218.10	155.07%
कुल आय	15,810.78	10,968.88	44.14%

कोयले की बिक्री से आय :

बिक्री को रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, माल और सेवा कर आदि सहित विभिन्न सांविधिक शुल्कों के सकल बिक्री निवल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले के मूल्य निर्धारण और उत्पादन तथा उसके वितरण पर निर्भर करती है।

व्यय :

प्रमुख शीर्षों के विश्लेषित आँकड़े :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2022-23	2021-22	वृद्धि	
			आत्यंतिक	प्रतिशत
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/(अनभिवृद्धि)	24.21	291.34	-267.13	-91.69%
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1086.24	781.38	304.88	39.02
कर्मी प्रसुविधा व्यय	9927.37	7983.65	1943.58	24.34
विद्युत शक्ति व्यय	425.44	434.92	-9.48	-2.18
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	6.92	13.86	-6.94	-50.07
संविदात्मक व्यय	2042.23	1729.76	355.70	21.09
वित्तीय लागत	64.85	163.66	-98.81	-60.38
मरम्मति	176.78	192.87	-16.09	-8.34
अन्य व्यय	495.83	469.65	26.18	5.57
विपट्टन गतिविधि समयोजना	153.64	-153.57	307.21	200.05
मूल्यह्रास/क्षति	609.27	529.70	79.57	15.02
प्रावधान	4.05	12.11	-8.06	-66.56
कर पूर्व कुल व्यापक आय	**945.95**	**-1502.79**	**2448.74**	
करोपरांत कुल व्यापक आय	**730.16**	**-1126.08**	**1856.24**	

नकदी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31.03.2023	31.03.2022
आरंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.29	945.04
परिचालनात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	3306.88	1634.82
निवेशन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-3649.32	-1689.89
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-7.74	-7.68
नकदी एवं नकदी समतुल्य में परिवर्तन	-350.18	-62.75
लेखाबंदी नकदी एवं नकदी समतुल्य	532.11	882.29

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

प्रवर्ग	को यथा जनशक्ति		वृद्धि (+) / कमी (-)
	31.03.2023	31.03.2022	
अधिशासी	2247	2040	207
पर्यवेक्षक	3539	3512	27
अनुसचिवीय/लिपिकीय	1694	1861	-167
अत्यधिक कुशल/कुशल	15759	16941	-1182
अर्ध कुशल/अकुशल	27025	27348	-323
प्रशिक्षु (गैर-अधिशासी)	810	1233	-423
कुल	**51074**	**52935**	**-1861**

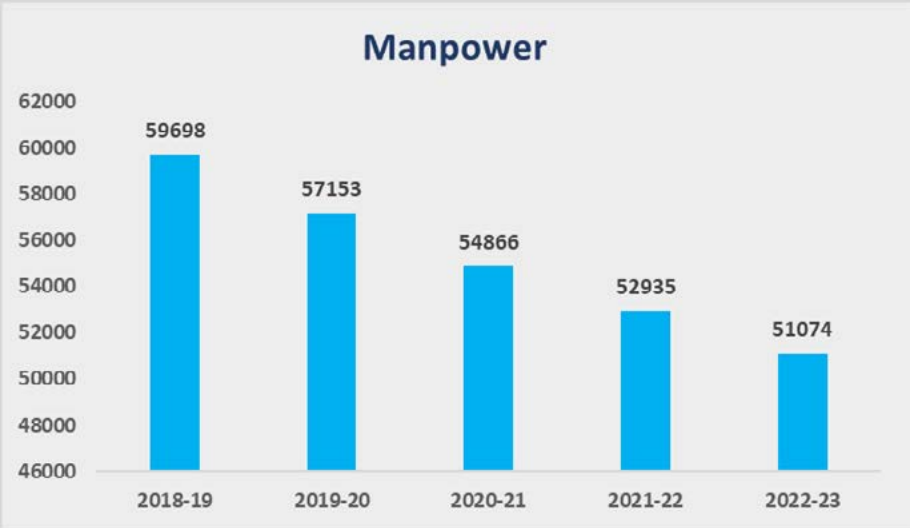

वर्ष के दौरान अंतर के लिए कारण :

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नई नियुक्ति	329	279	608
चिकित्सीय अनुपयुक्त मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	-	-	-
मृत्यु मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	-	271	271
पुनःस्थापन / पुनःकार्य पर आना	-	01	01
अन्य कंपनियों से स्थानांतरित होकर आए	77	24	101
भू-वंचितों के प्रतिकूल नियुक्ति	-	195	195
विशेष महिला वीआरएस के प्रतिकूल नियुक्ति	-	09	09
कुल वृद्धि (क)	**406**	**779**	**1185**
कमी			
सेवानिवृत्ति	96	2273	2369
चिकित्सीय अनुपयुक्त	-	-	-
मृत्यु	06	479	485
त्याग-पत्र	17	20	37
अन्य कंपनियों में स्थानांतरित होकर गए	80	37	117

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
पदच्युति / पर्यवसान	03	14	17
जीएचएस/ईवीआरएस के अधीन वीआरएस	02	19	21
विशेष महिला वीआरएस	-	-	-
कुल कमी (ख)	**204**	**2842**	**3046**
अंतर (क – ख)	**202**	**2063**	**1861**

औद्योगिक संबंध :

कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण है। कामगार अब बाह्य मामलों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध एवं विधि-व्यवस्था संबंधित सांख्यिकीय निम्न उद्धृत है:

क्रम	विषय	2022-23	2021-22
1.	हड़ताल की संख्या	कुछ नहीं	01 (2 दिन)
2.	श्रमिक दिन में क्षति (लाख में)	कुछ नहीं	1.92
3.	उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	कुछ नहीं	2.25

विधि-व्यवस्था :

विषय	2022-23	2021-22
विधि-व्यवस्था (विघ्न)	06	03
उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता :

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता कंपनी के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पूर्णतः संचालित है। निगमित, क्षेत्रीय एवं परियोजना/इकाई स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति कार्य कर रही हैं। जेसीसी बैठक में पुराने महत्वपूर्ण मामलों यथा उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि पर विवेचना किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कंपनी में समिति/ बोर्ड यथा द्विपक्षीय खान सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय खान सुरक्षा समिति, कोलियरी खान सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड इत्यादि भी क्रियाशील हैं। श्रम संगठनें ऐसी समितियों में अत्यंत सक्रियता से सहभागिता करती हैं तथा प्रबंधन और कर्मचारी के मध्य विश्वास एवं सदिच्छा को सुदृढ़ करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

बैठकें	2022-23	2021-22
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठक की संख्या	01	02
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की संख्या	07	05

एनसीडब्ल्यूए, एलएलएस एवं प्रत्यक्ष भर्ती के अधीन प्रदत्त नियोजन :

के अधीन प्रदत्त नियोजन	2022-23	2021-22
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए)	294	695
भू-वंचित योजना (एलएलएस)	193	235
प्रत्यक्ष भर्ती	281	43

भर्ती एवं पदोन्नति में अनूसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण :

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपतिक निदेशों को ईसीएल में क्रियान्वयन किया गया है। कुल जनशक्ति में एससी एवं एसटी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व यथा निम्नवत है :

को यथा	कुल जनशक्ति	अ.जा. अभ्यर्थी		अ.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2023	51074	14259	27.92	6925	13.56
31.03.2022	52935	15377	29.05	7442	14.06

2022-23 के दौरान कुल 1701 पदोन्नति में से एससी समुदाय के 123 अभ्यर्थियों और एसटी समुदाय के 30 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया, जबकि 2021-22 के दौरान क्रमशः 257 और 136 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया था। 31.03.2023 तक रोल ओबीसी समुदाय के कर्मचारी 14310 थे, जबकि 31.03.2022 को 16165 कर्मचारी थे।

श्रम संगठन :

कर्मचारी अत्यधिक संघबद्ध हैं और सभी यूनियनों का समर्थन चाहते हैं। कार्य कर रहे प्रमुख संघों में इंटक, एटक, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीटू, आईएनटीटीयूसी आदि शामिल हैं। गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन और सेवा की अन्य शर्तें जेबीसीसीआई द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए), कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों और सरकारी निर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

प्रशिक्षण और विकास :

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा 1994 में गठित भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) कार्यपालकों को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत रखरखाव प्रथाएं, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास और संचार कौशल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है और कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों सहित) को भेजती है। कार्यपालकों सहित कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोल इंडिया ट्रेनिंग मैनेजमेंट कॉलेज (सीआईटीएमसी), डिशेरगढ़ और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), रतिबती नामक दो संस्थान हैं। नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण कार्यक्रम भी होते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न खानों/कार्यशालाओं में विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए थे। आपकी कंपनी प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न विषयों / ट्रेडों के प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रही है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदत्त नानाविध प्रशिक्षण के ब्यौरे :

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2022-23				2021-22			
		अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
1	**सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :**								
1.i	3 दिवस या अधिक	81	101	168	350	कुछ नहीं	50	12	62
1.ii	3 दिवस से कम	1076	390	511	1977	494	294	403	1191
	कुल (क)	**1157**	**491**	**679**	**2327**	**494**	**344**	**415**	**1253**
2	**बाह्य प्रशिक्षण (भारत में) :**								
2.i	**आईआईसीएम में :**								
2.i.a	3 दिवस या अधिक	507	कुछ नहीं	कुछ नहीं	507	413	कुछ नहीं	कुछ नहीं	413
2.i.b	अल्पावधि पाठ्यक्रम	33	कुछ नहीं	कुछ नहीं	33	25	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25
	कुल (ख)	**540**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**540**	**438**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**438**
2.ii	**कंपनी से बाहर प्रशिक्षण (आईआईसीएम से भिन्न) :**								
2.ii.a	अल्पावधि	202	कुछ नहीं	कुछ नहीं	202	53	कुछ नहीं	कुछ नहीं	53
2.ii.b	दीर्घावधि	78	कुछ नहीं	कुछ नहीं	78	42	कुछ नहीं	कुछ नहीं	42
2.ii.c	3 दिवस या अधिक	189	कुछ नहीं	कुछ नहीं	189	21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	21
	कुल (ग)	**469**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**469**	**116**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**116**
3	**बाह्य (विदेश)**	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	**अन्य प्रशिक्षण एवं सेमिनार :**								
a.	**प्रशिक्षु :**								

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2022-23				2021-22			
		अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
4.a.i	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	897	897	कुछ नहीं	कुछ नहीं	910	910
4.a.ii	पीडीपीटी	कुछ नहीं	1262	कुछ नहीं	1262	कुछ नहीं	1159	कुछ नहीं	1159
4.a.iii	पीजीपीटी	200	कुछ नहीं	कुछ नहीं	200	207	कुछ नहीं	कुछ नहीं	207
4.a.iv	शिक्षु (कौशल विकास)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	138	138	कुछ नहीं	कुछ नहीं	94	94
4.b.	सेमिनार/कार्यशाला	608	136	कुछ नहीं	744	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.c.	अनुकारी प्रशिक्षण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (घ)	**808**	**1398**	**1035**	**3241**	**207**	**1159**	**1004**	**2370**
	कुल	**2974**	**1889**	**1714**	**6577**	**1255**	**1503**	**1419**	**4177**

पर्यावरणीय रक्षण एवं संरक्षण :

पर्यावरण विभाग कंपनी के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों को देखता है। विभाग पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों की सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। विभाग कोयला मंत्रालय के सतत विकास प्रकोष्ठ के उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी में पर्यावरण अनुकूल खनन शुरू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण प्रबंधन एकीकृत परियोजना योजना और डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभावों की नियमित निगरानी, प्रदूषण की रोकथाम / शमन, पारिस्थितिकी-प्रणाली और जैव विविधता की बहाली, कचरे के उचित निपटान, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि के माध्यम से किया जाता है।

निगमित पर्यावरणीय नीति का अंगीकरण

आपकी कंपनी ने अपना निगमित पर्यावरण नीति का निरूपण और क्रियान्वयन किया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के समरूप है। पर्यावरण नीति अभिकथित करती है कि कंपनी विस्तृत कंपनी में क्रियान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में एकीकृत परियोजना की योजना एवं अभिविन्यास, 10 आर (संक्षेपण, पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग, पुनर्रचना, पुनःप्रयोजन, नवीकरण, जीर्णोद्धार, पुनःप्राप्ति, विपरिनियोजन एवं अस्वीकार) परिकल्पना को परिनियोजित करने, प्रदूषण निवारण/अल्पीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव-विविधता एवं पारिस्थिकी का पुनरूद्धार, अपशिष्टों का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन परिचयन और समावेशी संवृद्धि के जरिए पर्यावरण के रक्षण द्वारा संधारणीय विकास को प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुनः प्राप्त भूमि को जल निकाय में परिवर्तित किया गया

2022-23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ :

क. पर्यावरणीय सहमित :

अ. मोहनपुर ओसीपी का ईसी विस्तार 10.05.2022 को उत्पादन क्षमता को 1.00 मि.टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.50 मि.टन प्रति वर्ष करने और क्षेत्रफल को 164.91 हेक्टेयर से बढ़ाकर 415.71 हेक्टेयर करने के साथ प्रदान किया गया था।

आ. क्लस्टर संख्या 08 के लिए ईसी संशोधन 01.09.2022 को निम्नलिखित खदान में उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रदान किया गया था:

i. भनोड़ा भूमिगत को भनोड़ा भूमिगत और खुली खदान में परिवर्तित करने के साथ उत्पादन क्षमता में 0.30 मि.टन प्रति वर्ष से 0.60 मि.टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई।

ii. श्रीपुर सीम इंकलाइन यूजी को श्रीपुर सीम इंकलाइन यूजी और श्रीपुर सीम इंकलाइन (निंगहा) ओसी में परिवर्तित करने के साथ उत्पादन क्षमता में 0.136 मि.टन प्रति वर्ष से 1.04 मि.टन प्रति वर्ष तक की वृद्धि हुई है।

इ. क्लस्टर संख्या 09 के लिए ईसी संशोधन 24.02.2023 को खदान में निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ प्रदान किया गया था:

(i) नगर भूमिगत एवं खुली खदान का नाम बदलकर जे के नगर यूजी एंड ओसी और प्योर सियरसोल यूजी कर दिया गया है, जिससे क्षमता और खदान पट्टा क्षेत्र अपरिवर्तित है।

(ii) महाबीर भूमिगत और एगारा खुली खदान (0.38 मि.टन प्रति वर्ष) और नारायणकुड़ी खुली खदान परियोजना (2.50 मि.टन प्रति वर्ष) का महाबीर-नारायणकुड़ी भूमिगत एवं खुली खदान (2.88 मि.टन प्रति वर्ष) में समामेलन।

ख. वानिकी सहमति :

अ. हुर्रा-सी खुली खदान परियोजना : हुर्रा-सी ओसीपी में 255.744 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण राज्य वन विभाग और राजस्व विभाग से प्राप्त किया गया है, जिससे हुर्रा-सी ओसीपी (3.0 मि.टन प्रति वर्ष) के परिचालन में मदद मिली।

आ. चितरा पूर्वी खुली खदान : राज्य वन विभाग और राजस्व विभाग से 79.10 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण प्राप्त किया गया है।

इ. शिमलोंग खुली खदान परियोजना : दामिन-ए-कोह भूमि सहित 122.40 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण का प्रस्ताव 31.08.2022 को परिवेश पोर्टल में किया गया है। इसके अलावा, दामिन-ए-कोह भूमि के लिए ग्राम सभा पांच मौजा में से दो मौजा में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है।

ई. चितरा पूर्व (विस्तारित) खुली खदान परियोजना : नोडल अधिकारी, झारखंड सरकार द्वारा चितरा पूर्व ओसीपी में 113.94 हेक्टेयर वन भूमि की चरण-I वानिकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही 24.02.2023 को 113.94 हेक्टेयर वन भूमि में शामिल 48.79 हेक्टेयर सरकारी जंगल झरी भूमि के लिए 55.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

ग. पौधारोपण एवं पुनरूद्धार :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने पश्चिम बंगाल राज्य और झारखंड राज्य के भीतर आने वाले क्षेत्रों में 119.01 हेक्टेयर में हरित आवरण बनाने के लिए 2.79 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। इस वनीकरण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने के लिए 3.25 हेक्टेयर बाग रोपण शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वृक्षारोपण का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम	क्षेत्र का नाम	खदानों का नाम	पौधारोपण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पौधारोपण का प्रकार	भूमि का प्रकार
1.	सोदपुर	परबेलिया भूमिगत	1.00	प्रकीर्ण	अवतलित
		मीठानी कोलियरी	2.00	प्रकीर्ण	अवतलित
		सोदपुर आर कोलियरी	2.00	प्रकीर्ण	अवतलित
2.	श्रीपुर	भनोड़ा खुली खदान	0.81	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
		भनोड़ा भूमिगत	1.90	प्रकीर्ण	अवतलित
		पाथरडाँगा ओसीपी	9.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		श्रीपुर भूमिगत ए बी पिट	3.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		गिरमिंट कोलियरी	2.50	प्रकीर्ण	अवतलित
			3.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि
3.	कुनुस्तोड़िया	परासिया कोलियरी	6.00	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
		परासिया कोलियरी	2.00	उपवन	आंतरिक ओबीडी
		अमृतनगर भूमिगत	17.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि

क्रम	क्षेत्र का नाम	खदानों का नाम	पौधारोपण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पौधारोपण का प्रकार	भूमि का प्रकार
4.	सलानपुर	मोहनपुर ओसीपी	1.20	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
		गौरांडीह-बेगुनिया खुली खदान	5.40	प्रकीर्ण	बाह्य ओबीडी
5.	काजोड़ा	मधुसुदनपुर	0.50	उपवन	समतल भूमि
		जे के रोपवेज 1/7 डम्प	5.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि
6.	केन्दा	शंकरपुर ओसीपी	3.00	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
		चोरा ब्लॉक इंक्लाइन भूमिगत	0.75	उपवन	समतल भूमि
		लोअर केन्दा कोलियरी	0.45	प्रकीर्ण	अवतलित
7.	झांझरा	झांझरा भूमिगत परियोजना	5.00	प्रकीर्ण	अवतलित
			5.00	प्रकीर्ण	अवतलित
8.	सोनपुर बजारी	सोनपुर बजारी ओसीपी	7.00	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
			8.00	प्रकीर्ण	बाह्य ओबीडी
			5.00	प्रकीर्ण	खनन पट्टा के बाहर
			0.50	वीथिका	समतल भूमि
9.	बांकोला	खांद्रा भूमिगत	4.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि
10.	पाण्डवेश्वर	मधाईपुर	1.50	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
		खोट्टाडीह ओसीपी	3.00	वीथिका	समतल भूमि
		खोट्टाडीह ओसीपी	3.50	प्रकीर्ण	समतल भूमि
11.	सतग्राम	कालीदासपुर भूमिगत	5.00	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		निमचा-अमकोला ओसीपी	5.00	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
		कुछ	**119.01**		

घ. सीएएक्यूएमएस का अधिस्थापन :

वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए, कंपनी ने अपने कमांड क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) की 04 (चार) संख्या स्थापित की है, जिसमें वाइड स्क्रीन डिस्प्ले है जिसकी कुल लागत 3.40 करोड़ रुपये है।

ङ. कंपनी-वार आईएसओ प्रमाणन :

आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 मानकों के लिए आईएसओ द्वितीय व तृतीय बाह्य निगरानी प्रमाणन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। प्रमाणन निकाय ने उपर्युक्त मानकों के लिए प्रमाणन जारी रखने की सिफारिश की।

केन्दा क्षेत्र के शंकरपुर ओसीपी के ओबी डंप पर वृक्षारोपण

संधारणीय विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी)

"संधारणीय विकास प्रकोष्ठ" का गठन कंपनी द्वारा समग्र रूप से कृत भिन्न-भिन्न पर्यावरणीय शमन अध्युपायों की योजना बनाने, दिशानिर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने की दिशा में काम करने के लिए किया गया है। एसडीसी प्रकोष्ठ की अध्यक्षता निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना द्वारा की जाती है। पर्यावरणीय शमन अध्युपायों को उचित और संधारणीय रीति से करने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले और वास करने वाले लोगों को श्रेष्ठतर वातावरण मिलेगा और राष्ट्र में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि में भी सुधार होगा। एसडीसी के अधीन गतिविधियाँ यथा निम्नवत थे :

अ. ईको-पार्क / उद्यानों का विकास :

(i) जेके नगर कोलियरी के अंतर्गत मधुवन वाटिका का विकास वित्तीय वर्ष 2022-23 में 87.03 लाख रुपये की वित्तीय भागीदारी के साथ 4.0 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। पार्क में विकसित सुविधाओं में जॉगिंग ट्रैक, फाउंटेन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पिकनिक क्षेत्र, गजेबो, पानी और शौचालय की व्यवस्था के साथ सुरक्षा सह टिकट कक्ष शामिल हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, स्थानीय लोगों और कर्मियों के लिए मनोरंजक क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से बांकोला में दो और केंदा क्षेत्र में एक उद्यान विकसित किया गया है।

(iii) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 10.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 13.02 हेक्टेयर भूमि पर झांझरा क्षेत्र में एक इको-टूरिज्म पार्क विकसित कर रहा है। कार्य प्रगति पर है।

आ. धूल दमन अध्युपाय : ईसीएल की खानें एवं रेलवे पार्श्वस्थल जल-छिड़काव व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बांकोला एवं मुगमा क्षेत्र में नौ फॉग कैनन अधिस्थापित किए गए है।

इ. वर्षा जल संचयन संरचनाएँ : वित्तीय वर्ष 2022-23 में बांकोला क्षेत्र में 5 वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित की गई हैं ताकि भूजल को रिचार्ज करके जल संरक्षण की पर्यावरण अनुकूल विधि सुनिश्चित की जा सके। स्थापित संरचनाएं भूजल, सतह के पानी या नगरपालिका के पानी जैसे पानी के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में मदद करती हैं।

ई. उपरिभार का वैकल्पिक उपयोग : कोयला खनन में पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने उपरिभार के लाभकारी उपयोग के लिए पहल की है। इस संबंध में 16.09.2022 को 3 लाख घनमीटर प्रति वर्ष के प्रसंस्कृत ओबी उत्पादन की क्षमता वाला कजोड़ा क्षेत्र में एक प्रसंस्कृत ओबी संयंत्र चालू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कजोड़ा क्षेत्र की भूमिगत खदानों में भूगर्त भरण के लिए 20000 घनमीटर उपरिभार का प्रसंस्करण और उपयोग किया गया है।

उ. वैज्ञानिक अध्ययन :

1. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा "क्षेत्र आधारित अध्ययन का उपयोग करके विद्यमान जैव विविधता और पारिस्थितिक लाभ के साथ सोनपुर बजारी खुली खदान परियोजना में लगभग 245.20 हेक्टेयर के पुनःउद्धारित उपरिभार स्थल की पारिस्थितिक प्रास्थिति का निर्धारण" किया गया है। प्रारूप अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. ईसीएल के छः खदानों (राजमहल खुली खदान परियोजना, सोनपुर बजारी खुली खदान परियोजना, कापासारा खुली खदान परियोजना, मधाईपुर खुली खदान परियोजना, शंकरपुर खुली खदान परियोजना एवं चितरा पूर्वी खुली खदान परियोजना) को आईआईटी, खड़गपुर द्वारा "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उपरिभार से प्रसंस्कृत उपरिभार/रेत निष्कर्षण के लिए साध्यता अध्ययन" करने के लिए चिह्नित किया गया है।

उपाबंध-V

2022-23 में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

आपकी कंपनी ने सीआईएल सीएसआर नीति जो कंपनी अधिनियम 2013 एवं सीएसआर संशोधन नियमावली, 2022 के संशोधन के अनुरूप है को अंगीकृत और क्रियान्वित किया है। दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों यथा फाइल सं. 15(13)/2013-डीपीई (जीएम) दिनांकित 21 अक्तूबर 2014 का भी अनुपालन किया जाता है। सीएसआर पहलों को ईसील के परिचालनात्मक क्षेत्रों के समीपवर्ती अधिवासित अल्पसुविधा प्राप्त, सीमांत और परियोजना प्रभावित जनों पर प्रधानतः केंद्रित करते हुए हमारे सामाजिक दायित्व को विस्तारण करके सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ हमारे कारबार को एकीकृत किया गया है। सीआईएल की सीएसआर नीति के अधीन उपबंधों के अनुसार, निधि का ईसील मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 कि.मी. की त्रिज्या के अंदर 80% उपयोजित किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/परिचालन के राज्य में संव्यय किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास और संधारणीयता समर्थ करने लिए अधिकतम प्रसुविधाओं को प्राप्त करें।

2. वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना :

क्रम	सदस्यों के नाम	पदनाम	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में सहभागिता की संख्य
1.	श्री शिव तपस्या पासवान	अध्यक्ष	05	05
2.	श्री अनिमेष भारती	सदस्य	01	01
3.	श्री ए. के. गणेरिवाला	सदस्य	01	01
4.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	सदस्य	05	05
5.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	सदस्य	05	05
6.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	सदस्य	04	04
7.	मो. अंज़ार आलम	सदस्य	02	02
8.	श्रीमती आहुती स्वाईं	सदस्य	01	01
9.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	सदस्य	01	01
10.	श्री नीलाद्री रॉय	सदस्य	01	01

3. कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक जहाँ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएँ है प्रकटित किए जाते हैं :

कंपनी का सीएसआर पोर्टल (वेब-लिंक - http://secureloginecl.co.in/csr/index.php) सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित संसूचनाएँ उपबंधित करता है।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के समाघात मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश, यदि लागू हो: :

धारा 135 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों में से कोई भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में समाघात मूल्यांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

5. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : कुछ नहीं

(आ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का 2% : कुछ नहीं

(इ) पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष : कुछ नहीं

(ई) वित्तीय वर्ष के के लिए समंजन की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कुछ हो: कुछ नहीं

(उ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (5आ + 5इ – 5ई) : कुछ नहीं

6. (अ) सीएसआर परियोजनाओं पर संव्ययित राशि (अविरत परियोजनाएँ एवं अविरत परियोजनाओं से भिन्न) : ₹6,92,13,472.00 (यथा अनुलग्नक क एवं ख के रूप में प्रतिलिपि संलग्न)

(आ) प्रशासनिक अधिव्यय में संव्ययित राशि : कुछ नहीं

(इ) समाघात मूल्यांकन में संव्ययित राशि, यदि प्रयोज्य हो : लागू नहीं

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित कुल राशि (6अ+6आ+6इ) : ₹6,92,13,472.00

(उ) वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाता को अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के तहत अधिसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि.	अंतरण की तिथि	निधि के नाम	राशि	निधि राशि। अंतरण की तिथि
₹6,92,13,472.00	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं

(ऊ) समंजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कुछ हो :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	राशि (₹ करोड़)
1.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	कुछ नहीं
2.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	6,92,13,472.00
3.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [2 - 1]	6,92,13,472.00
4.	पूर्व वित्तीय वर्षों, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष	कुछ नहीं
5.	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [3 - 4]	कुछ नहीं

7. (अ) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में शेष राशि (₹ में)	प्रतिवेदिति वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि		
1.	2019-20	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं
2.	2020-21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं
3.	2021-22	कुछ नहीं	कुछ नही	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं

8. पूँजीगत आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर के जरिए इस प्रकार निर्मित या अधिगृहीत आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्तिवार विवरण) : लागू नहीं।

9. कारण(ओं को) विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत संव्यय करने में विफल होती है : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत शून्य है।

(आहुति स्वाई)
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन-09817248

(शिव तपस्या पासवान)
अध्यक्ष, सीएसआर उप-समिति
डीआईएन-09414240

दिनांक : 07.06.2023
स्थान : सांकतोड़िया
उपाबंध : क एवं ख

उपाबंध-A

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	सतग्राम इनक्लाइन से बेनाली गांव को जोड़ने वाली पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 माह	21,81,714	21,46,464	शून्य	हाँ	ना	ना
2	जेमेरी जीपी, सतग्राम क्षेत्र में आजीविका सृजन परियोजना 'स्कूल यूनिफॉर्म टेलरिंग यूनिट के माध्यम से एसएचजी के लिए आनंदी'।	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 वर्ष	4,10,912	5,44,705	शून्य	नहीं	एसएसआरडीपीटी	सीएसआर00001258
3	सालानपुर क्षेत्र, ईसीएल की सीएसआर योजना के तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम सभागार का बुनियादी ढांचा विकास	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 माह	2,28,052	2,27,474	शून्य	नहीं	आरके मिशन के साथ एमओयू	सीएसआर00006101
4	ईसीएल मुख्यालय और सोदपुर के आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वच्छता के लिए परियोजना "वंदना"।	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	5,85,502	5,85,499	शून्य	नहीं	राइट ट्रैक एजेंसी	सीएसआर00012309
5	पाण्डवेश्वर में ऑटो हब एवं नाली का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	54,64,800	54,43,200	शून्य	नहीं	बीडीओ, पांडवेश्वर	-
6	01 नंबर के माध्यम से वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। 1 वर्ष के लिए एमएमवी का	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	झारखंड	दुमका	1 वर्ष	22,23,000	17,29,000	शून्य	हाँ	ना	ना
7	01नंबर के माध्यम से वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। 2 वर्ष के लिए एमसीवी का.	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	झारखंड	गोड्डा	2 वर्ष	7,41,000	7,03,322	शून्य	हाँ	ना	ना
8	3 वर्षों के लिए 01 एमसीवी के माध्यम से वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 वर्ष	29,64,000	29,64,000	शून्य	हाँ	ना	ना
9	दो नंबर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सोनपुर बाजारी के ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवहन के लिए ट्रेकर या इसी प्रकार के वाहन की, सीएसआर के तहत मधुडांगा और भटमुरा गांव, सोनपुर बाजारी क्षेत्र।	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	74,137	74,137	शून्य	हाँ	ना	ना
10	दुमका जिले (आकांक्षी जिला) में शिकारीपाड़ा और काठीकुंड ब्लॉक के लिए स्वास्थ्य सेतु एम्बुलेंस सेवा	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	झारखंड	दुमका	3 वर्ष	7,48,446	8,90,000	शून्य	नहीं	आर.के एचआईवी ट्रस्ट, अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र	सीएसआर00002183
11	हरिपुर ग्राम पंचायत के पांच गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	13,50,896	13,50,896	शून्य	हाँ	ना	ना
12	07 नग की स्थापना। 16 मीटर का. सालानपुर क्षेत्र में हाई मास्ट लाइटिंग टॉवर।	पर्यावरण एवं स्थिरता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	13,96,500	13,96,500	शून्य	हाँ	ना	ना
13	सालानपुर क्षेत्र, ईसीएल के सीएसआर के तहत सालानपुर ब्लॉक के 11 ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2 माह	4,65,000	4,65,000	शून्य	नहीं	बीडीओ सालानपुर के साथ एमओयू	-
14	एटीडीसी, कुनुस्तोरिया द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण हस्तक्षेप	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2.2 वर्ष	4,33,980	4,33,980	शून्य	नहीं	एटीडीसी, राँची	सीएसआर00000938

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
15	केंडा, सोदपुर, सतग्राम, सालानपुर और पांडवेश्वर क्षेत्र में ईसीएल के परिचालन क्षेत्र के नजदीकी स्कूलों में मिनी साइंस लैब।	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2 वर्ष	4,38,960	4,38,960	शून्य	नहीं	समभावना फाउंडेशन	सीएसआर00000687
16	आईटीआई, सिकटिया, गोड्डा, झारखंड का संचालन, रखरखाव, प्रबंधन और उन्नयन।	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	गोड्डा	2 वर्ष	1,43,16,511	1,30,05,468	शून्य	नहीं	गोबिंदपुर सेफली समाज सेवा समिति	सीएसआर00031499
17	आकांक्षी जिला, गोड्डा में COVID-19 से लड़ने के लिए आवश्यक चिकित्सा और उपकरणों की खरीद।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हाँ	झारखंड	गोड्डा	1 वर्ष	1,73,31,218	1,72,78,237	शून्य	नहीं	डी.सी कार्यालय, गोड्डा	-
18	न्यू एगारा गांव, कुनुस्तोरिया में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए गहरे बोर-वेल, सौर पंप और पाइपलाइन की स्थापना।	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 माह	9,41,460	9,41,460	शून्य	हाँ	ना	ना
19	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग में सीआईएल- मुख्यालय/सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा समर्थित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 वर्ष	33,15,000	33,14,500	शून्य	नहीं	सीआईपीईटी, चेन्नई	सीएसआर00008481
20	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग में सीआईएल- मुख्यालय/सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा समर्थित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	गोड्डा	3वर्ष	36,75,000	36,75,000	शून्य	नहीं	सीआईपीईटी, चेन्नई	सीएसआर00008481
21	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग में सीआईएल- मुख्यालय/सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा समर्थित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	दुमका	3 वर्ष	7,00,000	7,00,000	शून्य	नहीं	सीआईपीईटी, चेन्नई	सीएसआर00008481
22	ईसीएल सीएसआर के केंदा क्षेत्र के अंतर्गत केंदा गांव में एक चिनाई वाले कुएं का निर्माण।	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 माह	3,38,866	2,71,955	शून्य	हाँ	ना	ना
23	दुमका जिले (आकांक्षी जिला) के सरैयाहाट ब्लॉक के हंसडीहा में नवनिर्मित अस्पताल भवन में 200 बिस्तरों वाले समर्पित सीओवीआईडी अस्पताल (डीसीएच) की स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हाँ	झारखंड	दुमका	1 वर्ष	17,92,000	17,92,000	शून्य	नहीं	डी.सी कार्यालय, दुमका	-
						कुल	6,21,16,954	6,03,71,757				

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

उपाबंध- बी

1	2	3	4	5		6	7	8	
Sl. no	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	कुल 70 नग की स्थापना। 5 साल की एएमसी के साथ ईसीएल के काजोरा क्षेत्र के आसपास के विभिन्न गांवों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट।	पर्यावरण एवं स्थिरता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	5,68,750	हाँ	ना	ना
2	60 नग की स्थापना। सालानपुर क्षेत्र के अंतर्गत झाड़ग्राम गांव में सौर एलईडी लाइटें।	पर्यावरण एवं स्थिरता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6,59,355	हाँ	ना	ना
3	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	83,789	हाँ	ना	ना
4	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,47,767	हाँ	ना	ना
5	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	54,729	हाँ	ना	ना
6	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,09,457	हाँ	ना	ना
7	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,10,898	हाँ	ना	ना
8	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,19,308	हाँ	ना	ना
9	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	झारखंड	धनबाद	1,03,984	हाँ	ना	ना
10	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,00,336	हाँ	ना	ना
11	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	92,900	हाँ	ना	ना
12	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	47,431	हाँ	ना	ना
13	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	75,161	हाँ	ना	ना
14	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	68,000	हाँ	ना	ना
15	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	50,550	हाँ	ना	ना
16	हर घर तिरंगा अभियान के लिए झंडों की खरीदारी	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	नहीं	झारखंड	रांची	50,00,000	नहीं	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले मंत्रालय, सरकार। झारखण्ड के	

1	2	3	4	5		6	7	8	
Sl. no	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
17	इच्छापुर पंचायत में सिलाई एवं आभूषण बनाने का प्रशिक्षण	महिला सशक्तिकरण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2,27,000	नहीं	इच्छापुर ग्राम पंचायत और डोलन्स बुटीक और हस्तशिल्प ट्रस्ट	सीएसआर00000482
18	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम।	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3,49,650	नहीं	सैंक्टोरिया ग्राम समिति	सीएसआर00026873
19	सामान्य स्वास्थ्य शिविर- 21.09.2022 को निमजोरा आदिवासी गांव में सैंक्टोरिया अस्पताल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा।	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	47,510	हाँ	ना	ना
20	2 नग की स्थापना. सीएसआर, सालानपुर क्षेत्र के तहत बाराबनी ब्लॉक में जल एटीएम	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	5,75,840	नहीं	बीडीओ, बाराबनी ब्लॉक	
21	सैंक्टोरिया में ऑयस्टर मशरूम खेती के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम।	महिला सशक्तिकरण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2,49,300	हाँ	सैंक्टोरिया ग्राम समिति	सीएसआर00026873
					कुल	**88,41,715**			

उपाबंध-VI

निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन

1. दर्शन:

निगमित सुशासन नैतिक रूप से संचालित कारबार प्रथाओं के माध्यम से नियामकों, कर्मियों, विक्रेताओं, निवेशकों और व्यापक रूप से समाज को समाविष्ट करते हुए हमारे हितधारकों के लिए दीर्घाकालिक संधारणीय मूल्य का सृजन और संवृद्धि है। प्रभावी निगमित सुशासन प्रथाएँ उस मजबूत नींव को स्थापित करती हैं जिसपर सफल वाणिज्यिक उद्यम अवलंबित होते हैं। सशक्त नेतृत्व और प्रभावी निगमित सुशासन प्रथाएँ कंपनी की विशिष्टता है जो उसे अपनी संस्कृति और लोकाचार से विरासत में मिली हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, यह समादेशी है कि हमारी कंपनी के मामलातों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से प्रबंधित किया गया है।

हमारी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी न केवल अभिकथित निगमित सुशासन दिशानिर्देशों को, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी विकसित और उनका अनुसरण करे। हम अपने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करना और अपने वित्तीय एवं कार्य-निष्पादन के साथ-साथ कंपनी के नेतृत्व और शासन के बारे में समय पर, पर्याप्त और सटीक सूचना का प्रकटन करना अपनी अंतर्निहित दायित्व मानते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा एक अच्छे निगमित सुशाशन का मुख्य घटक हैं। आपकी कंपनी यथा एक सुनिगमित नागरिक निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करने में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन भारतीय नागरिकों को सूचना तक उचित पहुँच उपबंधित करती है।

2. निदेशक मंडल :

(क) निदेशक मण्डल की संरचना :

हमलोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसका समस्त चुकता शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड धारित करता है। संगत अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संगत अनुच्छेदों के निबंधन में हमारे निदेशक मंडल में जनशक्ति 02 निदेशकों से और 15 निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशकगण चाहे पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण या अशंकालिक निदेशकगण हो सकते हैं। निदेशकों को कोई अर्हता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2023 तक, निदेशक मण्डल में 10 निदेशकगण सम्मिलित हुए, जिसमें से 5 पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण, 2 अंशकालिक पदीय निदेशकगण और 3 अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण थें।

निदेशकगण निदेशक मण्डल में व्यापक अनुभव और कौशल लाते हैं।

निदेशकगण

वर्ष 2022-23 के दौरान, ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री अंबिका प्रसाद पंडा थे। वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में अन्य निदेशकगण श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक (09.7.2022 तक); श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक; श्री शिव नारायण पाण्डेय, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक; श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक; श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक पदीय निदेशक (05.07.2022 तक); श्री एस. एन. तिवारी, अंशकालिक पदीय निदेशक (30.04.2022 तक); श्री एच. के. हाजोंग, अंशकालिक पदयी निदेशक (05.07.2022 से); श्री बी. वीरा रेड्डी, कार्यकारी निदेशक (12.05.2022 से); श्री जयप्रकाश गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (30.11.2022 तक); श्री उदय अनंतराव काउले, कार्यकारी निदेशक (01.12.2022 से 09.12.2022 तक); श्री संजय कुमार सिंह, कार्यकारी निदेशक (01.12.2022 से 01.02.2023 तक); मो. अंज़ार आलम, कार्यकारी निदेशक (15.09.2022 से); श्रीमती आहुती स्वाई कार्यकारी निदेशक (18.11.2022 से); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, कार्यकारी निदेशक (09.12.2022 से) एवं श्री नीलाद्री रॉय, कार्यकारी निदेशक (01.02.2023 से) थे।

सेवा संविदा :

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के निबंधन में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशगणों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित किया जाता है। गैर-पदीय अंशकालिक निदेशकों के निबंधन एवं शर्ते को कोयला मंत्रालय द्वारा अधिकथित किया जाता है।

निदेशकगणों की आयु-सीमाएँ एवं पदावधि :

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगणों की आयु-सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि या पदधारी की अधिवर्षिता की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक जो भी घटना पहले होती है के लिए नियुक्त किए जाते हैं। निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशकगण दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद को धारित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों का सदस्य या सभी सार्वजनिक कंपनियों में पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह एक निदेशक है। निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2023 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति के पदों संबंधी आवश्यक प्रकटन किया गया है। कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशकगण, कोयला मंत्रालय के पदधारी नहीं रहने पर निदेशक मण्डल से सेवानिवृत्त होते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकगणों की नियुक्ति की जाती है। गैर-अधिशासी स्वतंत्र निदेशकगण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं।

(ख) निदेशक मण्डलीय बैठकें :

निदेशकों की सुविधा के लिए और वीडियो दूर सम्मेलन रीति के जरिए भी निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः सांक्तोड़िया/कोलकाता में आयोजित की जाती हैं। कंपनी के पास निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए सुपरिभाषित प्रक्रियाएँ हैं ताकि सुविज्ञ और दक्ष रीति से निर्णय विनिश्चय में सुकर हो सके।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, यथा एक वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रतिकूल 11 (ग्यारह) निदेशक मण्डलीय बैठकें 09.05.2022, 08.06.2022, 06.07.2022, 27.07.2022, 22.09.2022, 27.10.2022, 26.11.2022 एवं 27.11.2022 को जारी रहा, 20.12.2022, 23.01.2023, 16.02.2023 और 24.03.2023 को आयोजित किए गए थें।

प्रत्येक निदेशकगणों की उपस्थिति सापेक्ष निदेशक मण्डलीय बैठकों की संख्या निम्नवत है :

क्रम	निदेशकगण	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
	कार्यकारी निदेशकगण :			
01	श्री अंबिका प्रसाद पंडा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल	11	11	Nil
02	श्री जयप्रकाश गुप्ता निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल (18.06.2018 से)	7	7	Nil
03	श्री उदय अनंतराव काउले निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल (01.12.2022 से 09.12.2022 तक)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	01
04	श्री संजय कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (01.12.2022 से 01.02.2023 तक)	2	2	01
05	मो. अंज़ार आलम निदेशक (वित्त), ईसीएल (15.09.2022 से)	7	7	कुछ नहीं
06	श्रीमती आहुती स्वाईं निदेशक (कार्मिक), ईसीएल (18.11.2022 से)	5	5	कुछ नहीं
07	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल (09.12.2022 से)	4	4	कुछ नहीं
08	श्री नीलाद्री रॉय निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (01.02.2023 से)	2	2	कुछ नहीं
	अंशकालिक पदीय निदेशक :			
09	श्री अनिमेष भारती आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.07.2022 तक)	2	2	कुछ नहीं

क्रम	निदेशकगण	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
10	श्री एस. एन. तिवारी निदेशक (विपणन), सीआईएल (30.04.2022 तक)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	05
11	श्री एच. के. हाजोंग आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.07.2022 से)	9	9	कुछ नहीं
12	श्री बी. वीरा रेड्डी निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (12.05.2022 से)	10	10	09
	अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक :			
13	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (09.07.2022 तक)	3	3	कुछ नहीं
14	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	11	11	कुछ नहीं
15	श्री शिव नारायण पाण्डेय	11	11	कुछ नहीं
16	श्री शिव तपस्या पासवान	11	11	कुछ नहीं

(ग) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सूचना :

निदेशक मण्डल का कंपनी के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पूर्ण अभिगमन है। निदेशक मण्डल को आपूर्ति की जाने वाली नियमित सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलखित को समाविष्ट करता है :

i. वार्षिक परिचालनात्मक योजनाएँ एवं बजटों और कोई अध्यतन।

ii. पूँजी बजटों और कोई अद्यतन।

iii. कंपनी और उसके परिचालनात्मक प्रभागों या कारबार अनुभागों के लिए तिमाही परिणाम।

iv. निदेशक मण्डल के लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।

v. निदेशक मण्डल के ठीक नीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव की नियुक्ति या अपसारण सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की सूचना।

vi. कारण बताओ, माँग, अभियोजन सूचनाएँ तथा शास्ति सूचनाएँ जो तात्त्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

vii. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, संकटपूर्ण घटनाएँ, किसी पदार्थ बहिःस्राव या प्रदूषण समस्याएँ।

viii. कंपनी को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी तात्त्विक व्यतिक्रम, या कंपनी द्वारा बिक्री मालों के लिए सारभूत असंदाय।

ix. कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित सारभूत प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे अंतर्वलित होते हैं, जिससे कंपनी के कार्याकलाप पर अवक्षेपें पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम विषयक प्रतिकूल दृष्टिकोण परिगृहीत कर सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक विवक्षा हो सकता है।

x. किसी भी संयुक्त उद्यमों या सहयोग करार का ब्यौरा।

xi. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधान। मजदूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन इत्यादि जैसे अग्रणी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में कोई महत्वपूर्ण विकास।

xii. किसी भी विनियमकारी एवं कानूनी मामलों का अननुपालन।

(घ) निदेशक का पारिश्रमिक :

ए.) कार्यकारी निदेशकगण :

(राशि ₹ में)

क्रम	निदेशक का नाम	वेतन	प्रसुविधाएँ	कुल
1.	श्री अंबिका प्रसाद पंडा	68,69,294.83	6,64,488.00	75,33,782.83
2.	मो. अज़ार आलम (15.09.2022 से)	15,56,452.93	-	15,56,452.93
3.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह (09.12.2023 से)	10,85,373.36	1,03,855.00	11,89,228.36
4.	श्री नीलाद्री रॉय (01.02.2023 से)	19,81,885.10	-	19,81,885.10
5.	श्री जयप्रकाश गुप्ता (30.11.2022 तक)	81,22,023.00	5,95,374.00	87,17,397.00

बी.) अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

कंपनी द्वारा अंशकालिक पदीय निदेशकगणों को कोई भी पारिश्रमिक संदाय नहीं किया गया है।

सी.) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण :

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकों को बैठक शुल्क के सिवाय कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निदेशक मण्डल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क का ब्यौरे निम्नवत है :

(राशि ₹ में)

क्रम	निदेशक का नाम	निदेशक मण्डलीय बैठक के लिए बैठक शुल्क	समिति बैठकों के लिए बैठक शुल्क	कुल
1.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	45,000	75,000	1,20,000
2.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	1,65,000	2,85,000	4,50,000
3.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	1,65,000	2,85,000	4,50,000
4.	श्री शिव तपस्या पासवान	1,65,000	2,85,000	4,50,000

3. मण्डलीय समिति :

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित मण्डलीय समितियों का गठन किया है :

क. लेखापरीक्षा समिति;

ख. "परियोजनाओँ का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन" के लिए उप-समिति;

ग. "सीएसआर" पर समिति;

घ. जोखिम प्रबंधन समिति;

[क] लेखापरीक्षा समिति :

आपकी कंपनी के पास स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और भूमिकाएँ / प्रकार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना है।

लेखापरीक्षा समिति का विस्तार :

लेखापरीक्षा समिति के विस्तार यथा निम्नवत हैं :

i. कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और उसके वित्तीय सूचना के प्रकटन को सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

ii. निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा शुल्कों के नियतन की सिफारिश करना।

iii. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क नियतन के लिए निदेशक मण्डल को सिफारिश।

iv. वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अनुप्रयुक्त विधियों के साथ अनुपालन में हैं के प्रति निर्देश से प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना और यह सुनिश्चित करना कि :

अ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदनों में समाविष्ट किए गए आवश्यक मामले हैं;

आ) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में, यदि कोई हो, परिवर्तन हैं;

इ) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास पर आधारित प्राक्कलनों के अंतर्गत लेखांकन प्रविष्टियाँ किए गए हैं;

ई) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उद्भूत वित्तीय विवरणियों में कृत महत्त्वपूर्ण समायोजन किए गए हैं;

उ) वित्तीय विवरणी संबंधित विधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में हैं;

ऊ) किसी भी संबंध पक्षकार लेनदेनों का प्रकटन किया गया है;

ए) लेखापरीक्षक प्रतिवेदन प्रारूप में अर्हताओं में हैं और

ऐ) वित्तीय दशाओं एवं परिचालनात्मक परिणामों की प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण किया गया हैं।

v. अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों, प्रबंधन क साथ, पुनर्विलोकन।

vi. आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना।

vii. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रधान की कार्मिक व्यवस्था और वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति और आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और / या हटाने के बारे में जानकारी सम्मिलित है।

viii. आंतरिक लेखापरीक्षक और / या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों या उसके अनुवर्ती कार्रवाई पर परिचर्चा।

ix. मामलें जहाँ तात्विक प्रकृति के संदिग्ध कपट या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और निदेशक मण्डल को मामलात की रिपोर्टिंग प्रतिवेदित किया जा रहा है को आंतरिक लेखापरीक्षकों / लेखापरीक्षकों / अभिकरणों द्वारा किसी भी आंतरिक अन्वेषणों के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करना।

x. लेखापरीक्षा आरंभ करने के पूर्व, लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के साथ-साथ किसी भी समुत्थान क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा परिचर्चा के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ परिचर्चा।

xi. जमाकर्ता, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) एवं ऋणदाताओं के संदाय में सारभूत व्यतिक्रम के लिए कारकों की जाँच-पड़ताल करना।

xii. सूचना प्रदाता तंत्र के कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन करना।

xiii. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन करना।

xiv. गतिविधियों के विस्तार या आवश्यक सूचना तक पहुँच में किसी भी निर्बंधनों सहित लेखापरीक्षा के दौरान समागमित कोई भी कठिनाइयाँ।

xv. संसद के सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के संस्तुतियों को परिगृहीत अनुवर्ती कार्रवाई को पुनर्विलोकन करना।

संरचना

31 मार्च, 2023 तक लेखापरीक्षा समिति में तीन (03) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव नारायण पाण्डेय, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता एवं श्री शिव तपस्या पासवान; दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री एच. के. हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय और श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल तथा तीन (03) कार्यकारी निदेशक नामतः श्रीमती आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री अनिल कुमार गणेरिवाल 09.07.2022 तक लेखापरीक्षा समिति के सभापति थे और तत्पश्चात वर्ष की समाप्ति तक अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री शिव नारायण पाण्डेय लेखापरीक्षा समिति के सभापति थे।

लेखापरीक्षा समिति में निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) स्थायी आमंत्रित हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 09.05.2022, 27.07.2022, 21.09.2022, 27.10.2022, 11.11.2022, 23.01.2023, 16.02.2023 and 24.03.2023 को लेखापरीक्षा समिति के आठ (08) बैठकें आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षा समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या यथा निम्नवत है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	1	1
2.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	8	8
3.	श्री अनिमेष भारती	1	1
4.	श्री एच. के. हाजोंग	7	6
5.	श्री बी. वीरा रेड्डी	7	5
6.	श्री धर्मशीला गुप्ता	8	8
7.	श्री शिव तपस्या पासवान	8	8
8.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	5	5
9.	श्री संजय कुमार सिंह	1	1
10.	श्रीमती आहुती स्वाई	3	3
11.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	3	3
12.	श्री नीलाद्री रॉय	2	2

[ख] परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति :

निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में, परियोजनाओँ के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2023 तक, परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति में दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री एच. के. हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय और श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल ; तीन (03) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान; तथा चार (04) कार्यकारी निदेशक नामतः मो. अज़ार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

वर्ष के दौरान 05.07.2022 तक समिति का सभापति कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एवं ईसीएल के अंशकालिक पदीय निदेशक श्री अनिमेष भारती थे और तत्पश्चात सभापति कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एवं ईसीएल के अंशकालिक पदीय निदेशक श्री एच. के. हाजोंग थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

[ग] सीएसआर पर समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 261वीं बैठक में, सीएसआर उपसमिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2023 तक समिति में तीन (03) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव तपस्या पासवान, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता एवं श्री शिव नारायण पाण्डेय तथा चार (04) कार्यकारी निदेशक नामतः मो. अज़ार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

वर्ष की समाप्ति तक अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान सीएसआर उपसमिति के सभापति थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (सीएसआर एवं कल्याण) है।

वर्ष 2021-23 के दौरान, सीएसआर समिति की पाँच (05) बैठकें अर्थात् 08.06.2022, 27.07.2022, 21.09.2022, 11.11.2022 एवं 16.02.2023 को आयोजित हुई। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री शिव तपस्या पासवान	5	5
2.	श्री अनिमेष भारती	1	1
3.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	1	1
4.	श्री धर्मशीला गुप्ता	5	5
5.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	5	5
6.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	4	4
7.	मो. अंज़ार आलम	2	2
8.	श्रीमती आहुती स्वाई	1	1
9.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	1	1
10.	श्री नीलाद्री रॉय	1	1

[घ] जोखिम प्रबंधन समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 291वीं बैठक में, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2023 तक समिति में तीन (03) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान तथा चार (04) कार्यकारी निदेशक नामतः मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक समिति की सभापति अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्रीमती धर्मशीला गुप्ता थी।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की चार (04) बैठकें अर्थात् 09.05.2022, 06.07.2022, 11.11.2022 एवं 16.02.2023 को आयोजित की गई थी। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री धर्मशीला गुप्ता	4	4
2.	श्री अनिमेष भारती	1	1
3.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	2	2
4.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	4	4
5.	श्री शिव तपस्या पासवान	4	4
6.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	3	3
7.	मो. अंज़ार आलम	2	2
8.	श्रीमती आहुती स्वाई	1	1
9.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	1	1
10.	श्री नीलाद्री रॉय	1	1

[ङ] लागत नियंत्रण समिति :

[च] सांविधिक लेखापरीक्षक :

वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का वित्तीय खातों का लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों नियुक्त किया गया था :

सांविधिक लेखापरीक्षक :

1. मेसर्स एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी, कॉमर्श हाउस प्रथम तल, कक्ष सं. 9, गणेश चंद्र वीथिका, कोलकाता – 700013, पश्चिम बंगाल

शाखा लेखापरीक्षक :

2. मेसर्स केशरी एवं एसोसिएटस, 54 पिलखाना, तृतीय गली, हावड़ा- 711101, पश्चिम बंगाल
3. मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएटस, 39, कलना मार्ग, बदामतला, बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल, पिन- 713101

4. मेसर्स बी. छाउछारिया एवं कंपनी, 8ए एवं एबी, सत्यम टावर 3, अलीपुर मार्ग, कोलकाता -ल 700027, पश्चिम बंगाल
5. मेसर्स एस. के. नरेडी एवं कंपनी, पार्क मेंशन बॉल्क 1, कक्ष सं. 5, तृतीय तल, 57ए पार्क स्ट्रीट, कोलकाता – 700016, पश्चिम बंगाल
6. मेसर्स एस. गुहा एवं एसोसिएट, सीजे 19, सेक्टर -II, कोलकाता – 700091, पश्चिम बंगाल

[छ] वार्षिक आम बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी क शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकों की विशिष्टियाँ यथा निम्नवत थे :

वर्ष	तिथि, समय व स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2019-20 (**) (टिप्पणी-1)	19.08.2020 12.30 P.M. सांकतोड़िया	श्री प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री एम. विश्वनाथन, कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल का प्रतिनिधित्व, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल ईसीएल के परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री प्रवीण कांत, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक और ईसीएल के लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) श्री ए. के. गणेरिवाला, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक एवं ईसीएल के सीएसआर उपसमिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजन व परियोजना, ईसीएल; श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल; श्री गौतम चंद्र दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); मेसर्स एस. जी. एण्ड एसोसिएट, लागत लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए)।	-
2020-21 (**) (टिप्पणी-1)	11.08.2021 10.00 A.M. सांकतोड़िया	श्री प्रेम सादर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री एम. विश्वनाथन, कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल का प्रतिनिधित्व, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल ईसीएल के परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री प्रवीण कांत, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक और ईसीएल के लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) श्री ए. के. गणेरिवाला, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक एवं ईसीएल के सीएसआर उपसमिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजन व परियोजना, ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल; श्री गौतम चंद्र दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); मेसर्स आर. जे. गोयल एण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); मेसर्स जे. के. दास एण्ड एसोसिएट, सचिवीय लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए)।	-
2021-2022 (*) (टिप्पणी-1)	29.07.2022 09.45 A.M सांकतोड़िया	श्री ए.पी. पांडा- अध्यक्ष-सह-एमजी। निदेशक, ईसीएल; श्री बी वीरा रेड्डी- निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री एम. विश्वनाथन - कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (के माध्यम से) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग); श्री शिव नारायण पांडेय- अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, लेखा परीक्षा के अध्यक्ष ईसीएल की समिति और जोखिम प्रबंधन समिति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री जयप्रकाश गुप्ता- निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईसीएल; श्री एस.के. सोमानी- सीएफओ और जीएम (वित्त), ईसीएल; श्री डी.के. नायक- टीएस से सीएमडी, ईसीएल; श्री सुदीप दासगुप्ता- मुख्य प्रबंधक (वित्त), ईसीएल; मैसर्स जीपी अग्रवाल एंड कंपनी- सांविधिक लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मैसर्स आरजे गोयल एंड कंपनी- लागत लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स- सचिवीय लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	-

***टिप्पणी-1:** राष्ट्र में विद्यमान कोविड-19 से उत्पन्न सर्वव्यापी रोग के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम-18 तथा भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांकित 08 अप्रैल 2020,

सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 05 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों (किसी भी सांविधिक उपांतर या तत्समय प्रवृत्त पुनःअधिनियमिति सहित) और अन्य अनुप्रयुक्त कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सचिवीय लेखापरीक्षक सहित शेयरधारकों, निदेशकगणों एवं लेखापरीक्षकों को बैठक में सम्मिलित होने और/या मतदान करने के हकदार थे, companysecretary.ecl@coalindia.in को ई-मेल प्रेषण के द्वारा बैठक में विचारित मदों पर केवल उसी स्तर में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए, विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की प्रसुविधा अनुपलब्ध थीं। तदापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए सहभागिता और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में उपस्थित होने के लिए, अग्रिम रूप से कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी से लिंक उपलब्ध कराया गया था और बैठक में सम्मिलित होने की प्रसुविधा बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खुली रखी गई और बैठक के निर्धारित समय के 15 मिनट के पश्चात बंद कर दी गई।.

उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान आयोजित सदस्यों की किसी भी आम बैठक में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

4. प्रकटन :

(अ) संबद्ध पक्षकार अंतरण :

कंपनी के निदेशकगणों द्वारा प्रदत्त प्रकटन के अनुसार कोई भी संबद्ध पक्षकार अंतरण नहीं हुआ था जो कि स्वच्छंद कंपनी के हितों के साथ संभावी संघर्ष हो।

(आ) निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता :

कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपने 214वें बैठक में निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता अनुमोदित किया गया था। इसे निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों को परिचालित किया गया था और उनकी अभिपुष्टि प्राप्त की गई थी। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया था।

(ग) लेखांकन निर्धारण :

वित्तीय विवरणी को अनुप्रयुक्त आज्ञापक लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रस्तुतिमूलक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया जाता है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, कपट निवारण एवं शनाख्त

ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.11.2012 को आयोजित अपने 257वें बैठक में जोखिम निर्धारण और शमन नीति को अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 13.03.2019 को कोलकाता में आयोजित अपने दूसरी बैठक में कंपनी के लिए 'जोखिम जो वजह हैं' का पुनर्विलोकन किया और विभागीय प्रधान (योजना व परियोजना), ईसीएल को यथा मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया। वर्ष 2022-23 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति के चार (04) बैठकें की गई और भिन्न-भिन्न विभागों और खानों से संबद्ध जोखिम को निर्मित की गई एवं विश्लेषण किया गया। कारबार से सहयुक्त जोखिमों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

(ङ) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन :

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त), ईसीएल एवं श्री अंबिका प्रसाद पंडा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रमाण-पत्र को 362वीं निदेशक मण्डलीय बैठक में प्रस्तुत किया गया था जो निगमित सुशासन प्रतिवेदन यथा **उपाबंध – घ** में उपाबंधित किया गया है।

(च) अनुप्रयुक्त विधियों का अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ईसीएल के विभागीय प्रधान (कार्मिक/विधि) द्वारा प्रदत्त घोषणा के अनुसार, कंपनी को अनुप्रयुक्त सभी विधियों का अनुपालन किया गया है।

5. संचार के साधन :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, परिचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन, को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वार्षिक लेखों से अलग, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखों के तिमाही पुनर्विलोकन भी संचालित किया गया है।

6. लेखापरीक्षण अर्हता :

कंपनी का प्रयास सदैव अनर्ह वित्तीय विवरणी को प्रस्तुत करने का होता है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के संप्रेक्षणों का प्रबंधकीय प्रत्युत्तर निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदन में यथा उपाबंध दिया गया हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक-महापरीक्षक की टिप्पणियाँ भी वार्षिक प्रतिवेदन में उद्धृत किया गया है।

7. निदेशक मण्डलीय सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के फलस्वरूप संबंधित कार्यकारी क्षेत्रों के प्रधान होते हैं। वे कंपनी के कारोबार मॉडल के साथ-साथ कंपनी के कारोबार के जोखिम प्रोफाइल से भी अवगत हैं। अंशकालिक निदेशकगण भी कंपनी के कारबार मॉडल से पूर्णतः अवगत हैं।

8. कंपनी की शेयरधारिता प्रतिरूप :

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

9. मुखबिर नीति :

कंपनी अपने समस्त कारबार गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को संप्रवर्तन करती है। निदेशक मण्डल ने अवैध व अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मीगण सक्षम प्राधिकारी को विधियों, नियमों के उल्लंघन, कपट या अनैतिक आचरण की सूचना देने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मी से प्राप्त सूचनाओं को अनुवीक्षण समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। प्रबंध-कार्मिक ऐसे सूचनाओं की गोपनीयता के अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्धित किया गया है और सुनिश्चित करता है कि मुखबिरों को किसी विभेदकारी प्रवृत्तियों के अध्यधीन नहीं रखा गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के क्रियान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा किए गए एमओयू के समान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 27 मार्च, 2008 को आयोजित अपने 218वीं बैठक में मेसर्स ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था और उसे कार्यान्वित किया था।

10. अंतरंगी व्यापार नीति :

कोल इंडिया द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2020 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की संशोधित अंतरंगी व्यापार नीति को संसूचित किया था। इस नीति के अनुसार, कोई भी अंतरंगी कंपनी या अन्य अंतरंगी सहित किसी व्यष्टि को सूचिबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) की संसूचना या कोई अभिगम की अनुमित नहीं देगा सिवाय जहाँ ऐसी संसूचना की विधिसंगत प्रयोजनों, कर्तव्यों का पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन, को अग्रसर करने में है। इसके अलावा, वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाना है। अतएव, वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक प्रत्येक तिमाही के अंतिम सोमवार से ट्रेडिंग विंडो बंद है। यदि सोमवार को अवकाश होता है, तो यह अगले कार्य दिवस से बंद रहता है। यह कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है जिसका सभी पदाभिहित कर्मियों को पालन करना होता है।

सीआईएल ने भी निर्देशित किया कि पदाभिहित व्यक्तियों को वार्षिक आधार पर और जब कभी सूचना परिवर्तित होती है अपने नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य शनाख्त और पदाभिहित व्यष्टि(यों) के साक्षात् संबंधियों एवं किसी अन्य व्यष्टि(यों) जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यष्टि(याँ) कंपनी के वित्तीय संबंधी तत्त्वों को सांझा करता(ते) है(हैं) के ब्यौरों को प्रकटित करना आवश्यक हैं। कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और समय मुहर एवं लेखा सत्यापन की जाँच के साथ सुनियोजित डिजिटल डाटाबेस का अनुरक्षण कर रही है। तदनुसार, ईसीएल के सभी पदाभिहित व्यष्टियों ने सीआईएल द्वारा यथा निर्देशित सुसंगत ब्यौरे के साथ-साथ अंतरंगी व्यापार प्लेटफार्म के सीआईएल निवारण में स्वःघोषणा प्रक्रिया को पूर्ण किया है।

11. वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक प्रत्यक्ष अभिगम से निवारित नहीं किया गया है।

12. पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण आँकड़ा पत्रक डीपीई को प्रस्तुत करने की तिथि 26.09.2022 थी।

उपाबंध -C

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Burdwan, West Bengal-713333
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मण्डल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारणा एवं अंगीकारण के लिए एतदद्वारा प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकगणों एवं क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों द्वारा उनके संपरीक्षित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रमाणन के आधार पर, हमलोग, ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ए. पी. पंडा एवं ईसीएल के निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) मो. अंज़ार आलम, वित्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी प्रमाणित करते हैं कि

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी का पुनर्विलोकन किया है और हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह है कि :

i) इन विवरणी में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण अंतर्विष्ट या किसी तात्त्विक तथ्य का लोप या विवरण जो भ्रामक हो सके अंतर्विष्ट नहीं है;

i) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्याकलापों का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का लेनदेन नहीं की गई जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

हम वित्तीय रिपोर्ट देने के निमित्त आंतरिक नियंत्रणों को सिद्ध करने एवं बनाए रखने के दायित्व का प्रतिग्रहण करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं परिचालन में कमियों, यदि कोई हो, को प्रकटित किया है, जिसके लिए वे सजग हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।

हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति को उपदर्शित किया है कि :

i) वर्ष के दौरान प्रसंगाधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;

iii) हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारीवृंद या प्रबंधन की सहभागिता से सार्थक कपट की किसी अवस्था की सूचना नहीं है।

निदेशक (वित्त) व सीएफओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनांक: 25 अप्रैल, 2023
स्थान: सांकतोड़िया

उपाबंध -VII

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रमाणपत्र

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य

1. हम, मेसर्स मेहता एवं मेहता, पेशेवर कंपनी सचिव 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात कंपनी के रुप में ज्ञापित) के निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का जैसा कि दिनांकित 14.05.2010 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है (इसमें इसके पश्चात "डीपीई दिशानिर्देशों के रुप में संदर्भित), परीक्षण किया है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व डीपीई दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट निगमित सुशासन के शर्तों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण को समाविष्ट करती है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व निगमित सुशासन के शर्तों के अनुरूप सुनिश्चयन के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत, इसकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन के परीक्षण को परिसीमित किया जाता है। यह ना तो कंपनी के वित्तीय विवरणी के ऊपर रायों का लेखापरीक्षा और ना ही अभिव्यक्ति होती है।

4. हमने कंपनी द्वारा निगमित सुशासन जरूरतों की अनुरूपता पर युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा-बहियों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों और कागजातों का परीक्षण किया है।

5. हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा वचनवद्धता पर सीएसएएस-1 लेखापरीक्षण मानक के अनुसार कंपनी के सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया है।

राय

6. सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर और हमें उपबंधित संसूचना एवं स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा उपबंधित व्यपदेशन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित के अध्यधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट निगमित सुशासन के शर्तों के अनुरूप कंपनी ने अनुपालन किया है :

   i. 31 मार्च 2023 को यथा कंपनी के निदेशक मण्डल के कुल सदस्य और कार्यकारी निदेशक क्रमशः पाँच और दस थे। कार्यकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड के वास्तविक संख्या का 50% है और डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 3 के पारा 3.1.2 के अनुसार कार्यकारी निदेशकों की संख्या (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक को समाविष्ट करते हुए) बोर्ड के वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए।

   ii. 31 मार्च 2023 को यथा कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः तीन और दस थी। डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पारा 3.1.4 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों के एक तिहाई से ज्यादा थी जैसा कि कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम बोर्ड सदस्यों के एक तिहाई होने चाहिए अनुप्रयोज्य है।

   iii. 31 मार्च 2023 को यथा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की कुल आठ में से तीन स्वतंत्र निदेशक हैं, यतः डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 4 के पारा 4.1.1 के अनुसार सदस्य के रूप में लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

7. हम अभिव्यक्त करते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी के आगत व्यवहार्यता के रूप में ना तो आश्वासन है और ना ही जिसके साथ प्रबंधन ने कार्यकलापों का संचालन किया है दक्षता या प्रभावकारिता है।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

रवीना दुग्गर अग्रवाल
साथी
एसीएस नंबर: 51836
सीपी नंबर: 26055
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 15.06.2023

उपाबंध -VIII

फार्म सं.- एमआर-3

सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक) नियम, 2014 के नियम 09 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,
सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला - पश्चिम बर्द्धमान
पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

हमने **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) को प्रवृत्त सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप होने और के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रथाओं से अनुषक्ति के लिए सचिवालयिक लेखापरीक्षा किया गया है। सचिवालयिक लेखापरीक्षा इस रीति से आयोजित की गई थी जिसने हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उसपर अपना मत व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार उपबंधित किया।

सचिवालयिक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी के बहियों, कागज पत्रों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी व अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर, हम, एतदद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को प्रावरण लेखापरीक्षा काल के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुवर्तन किया है और यह भी कि कंपनी के पास विस्तार तक, रीति से तथा इसमें इसके पश्चात निर्मित प्रतिवेदिति के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं अनुपालनात्मक कार्यविधि है:

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के बहियों, कागज-पत्रों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की गई है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत निर्मित नियम;

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके तहत निर्मित नियम (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);;

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अध्यधीन निर्मित विनियम तथा उपविधियाँ (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विस्तार के अध्यधीन निर्मित नियम एवं विनियम;

v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विहित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश :-

(अ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(आ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(इ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ई) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचियन) विनियम, 2021 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(उ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसुविधाएँ और श्रमजन्य इक्विटी) विनियम, 2021 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ऊ) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ऋ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीबद्धता) विनियम, 2021 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ऌ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की जाँच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा यथा निर्गत सचिवीय मानक ;

(ii) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (सूचिबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) कंपनी पर विशिष्टया लागू अन्य विधियाँ नामतः:

अ) कोयला खान अधिनियम, 1952

आ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

इ) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004

ई) कोयला खान विनियम, 2017

उ) वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956

ऊ) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

ऋ) कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

ऌ) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966

ऍ) खान क्रेच रूल्स, 1961

ऐ) खान बचाव नियम, 1985

ए) कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946

ऐ) मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963

ऑ) विस्फोटक नियम, 2008

ओ) खनिज रियायत नियम, 1960

ओ) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948

औ) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

अं) असंवितरित मजदूरी (खान) भुगतान नियम, 1989

अः) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956

अअ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986

आआ) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016

इइ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन निर्मित नियम

ईई) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

उउ) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा इसके अधीन निर्मित नियम.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्न उल्लिखित सीमा को छोड़कर उपरि उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

1. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना

पुनर्विलोकन अवधि के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2, अधिनियम की धारा 149(4) में यथा विचार के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं थी। .

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि उपर्युक्त को छोड़कर लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन सीपीएसआई के लिए निगमित सुशासन पर अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के नानाविध प्रावधानों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडलीय / समिति बैठकों के नियत होने का यथायोग्य सूचना दिए जाते हैं, कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से न्यूनातिन्यून सात दिवस पूर्व प्रेषित किए जाते हैं और अतिरिक्त सूचना व बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची मद पर स्पष्टीकरण चाहने वाले एवं की अभिप्राप्ति के लिए तथा बैठक में बोधगम्य सहभागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत का विनिश्चय लिया जाता है, जबकि असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को अभिग्रहण किया जाता है और कार्यवृत्त में यथा अंश दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि प्रवृत्त विधियों, नियमों, विनियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के क्षेत्र एवं संचालन के अनुरूप कंपनी में यथायोग्य प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास उपर्युक्त संदर्भित विधियाँ, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट घटनाएँ / कार्रवाई थे।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

नयन हांडा
साथी
एफसीएस नंबर: 11993
सीपी नंबर: 18686
UDIN: F011993E000662381

स्थान:दिल्ली
दिनांक: 22.06.2023

टिप्पणी : इस प्रतिवेदन को सम तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे 'उपाबंध क' के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

उपाबंध-क

सेवा में,
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,
सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला - पश्चिम बर्द्धमान
पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

समतिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाना चाहिए। कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नवत है :

1) सचिवालयिक अभिलेखों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयिक अभिलेखों पर एक अभिमत व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

2) हमने लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुगमन किया है जो सचिवालयिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के बारे युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए विनियोजित था। जांच आधारित सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सही तथ्य सचिवालयिक अभिलेखों में प्रतिबिंबित होता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ, हमने अनुगमन किया, हमारे अभिमत के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किया।

3) हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4) जहाँ कहीं आवश्यक हुई, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के अनुपालन आदि के सबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5) कारपोरेट विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण जाँच आधारित प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6) जहाँ तक फार्म एमआर-3 में हमारी सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर बहियों, कागज पत्रों, प्रपत्रों, प्रतिवेदनों और विवरणियों का संबंध है, उक्त विनियमों की अपेक्षाओं की अनुषक्ति और अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षा विभिन्न प्रपत्रों, प्रतिवेदन, विवरणियों और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जाँच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे प्रपत्रों, प्रतिवेदनों, विवरणियों और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और आवृत्त की पुष्टि नहीं की है।

7) सचिवालयिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्यगत व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या क्रियाशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलात को संचालित किया है।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

नयन हांडा
साथी
एफसीएस नंबर: 11993
सीपी नंबर: 18686
UDIN: F011993E000662381

स्थान:दिल्ली
दिनांक: 22.06.2023

उपाबंध -IX

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) उत्पादनों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए निर्यात संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात संवृद्धि के लिए परिगृहीत पहलों, नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में लगा हुआ नहीं है।

(ii) **प्रयुक्त व अर्जित कुल विदेशी मुद्रा :**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिवर्णन	2022-23	2021-22
(क)	**प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य :		
	(आ) कच्चा माल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(आ) संघटक, भण्डार एवं उपकरण	0.82	3.83
	(इ) पूँजीगत माल	4.11	160.12
	2. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.08	कुछ नहीं
	3. तकनीकी जानकारी पर व्यय और विदेशी सलाहकारी संस्था	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	4. विदेशियों को पेंशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	5. अन्य	1.28	कुछ नहीं
	कुल	**6.29**	**163.95**
(ख)	**अर्जित विदेशी मुद्रा**	9.41	कुछ नहीं

उपाबंध -X

तकनीक आमेलन के संबंध में विशिष्टियों का प्रकटन के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर &डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा आर&डी की गई	:	कंपनी का स्वयं का अनुसंधान व विकास संघटन नहीं है। सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त अनुषंगियों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
2.	उपर्युक्त आर&डी के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	लागू नहीं
3.	भविष्यत् कार्ययोजना	:	लागू नहीं
4.	आर&डी पर व्यय	:	लागू नहीं
	(अ) पूँजीगत		-
	(आ) आवर्ती		-
	(इ) कुल		-
	कुल आर & डी व्यय यथा कुल कारबार का प्रतिशत	:	लागू नहीं

तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार

1.	तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार की दिशा में कृत, संक्षेप में, प्रयास	:	कुछ नहीं
2.	उपर्युक्त प्रयासों अर्थात् उत्पादन सुधार, लागत घटत, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	कुछ नहीं
3.	आयातित तकनीक (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संगणित अंतिम 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित संसूचना प्रस्तुत किया जा सकता है :	:	कुछ नहीं
	(i) आयातित तकनीक	:	कुछ नहीं
	(ii) आयात का वर्ष	:	कुछ नहीं
	(iii) क्या तकनीक पूर्णतः आमेलित हो चुकी है?	:	कुछ नहीं
	(iv) यदि पूर्णतः आमेलित नहीं हुई है, क्षेत्र जहाँ यह परिगृहीत नहीं हुई है, इसके कारण और भविष्यत् कार्ययोजना	:	कुछ नहीं

उपाबंध-XI

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, धर्मशीला गुप्ता, एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करती हूँ।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करती हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :
   अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;
   आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;
      i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या
      ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;
   इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या
   ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या
7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र की नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देती हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगी। यदि मैं ऐसा करने में असफल होती हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगी। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करती हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेती हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगी। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देती हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

Dharmshila Gupta

नाम : श्रीमती धर्मशीला गुप्ता
डीआईएन : 09415976

तिथि : 17.04.2023
स्थान : दरभंगा

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, शिव नारायण पाण्डेय, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :

   अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;

   आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;

   i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या

   ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;

   इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या

   ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या

7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

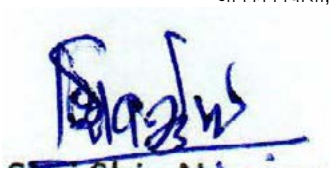

नाम : श्री शिव नारायण पाण्डेय
डीआईएन : 09413672

तिथि : 17.04.2023
स्थान : जगदलपुर

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, शिव तपस्या पासवान, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :
   - अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;
   - आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;
     - i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या
     - ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;
   - इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या
   - ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या
7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

नाम : श्री शिव तपस्या पासवान
डीआईएन : 09414240

तिथि : 17.04.2023
स्थान : बाबुरी

उपाबंध-XII

वर्ष 2022-23 हेतु एमओयू लक्ष्य के उपलब्धि की स्थिति

क्र.सं.	प्रदर्शन कसौटी	मापन में इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	संचालन से राजस्व (नेट)	रु. करोड़	16,500.00	15,254.48
2.	कोयले का उत्पादन	मीट्रिक टन	45	35.02
3.	कैपेक्स	रु. करोड़	1,220.00	1,122.64
4.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	20%	9.29
5.	नेट वर्थ पर लौटें	%	63%	28.29
6.	एसेट टर्नओवर अनुपात	%	101%	92.07
7.	कुल खरीद के % के रूप में जीईएम से खरीद	%	25%	42.70%
8.	संचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य	दिनों की संख्या	44	37.43
9.	सौर ऊर्जा संयंत्र का चालू होना	मेगावाट	1	Nil
10.	टीआरईडीएस के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	100%	100%
11.	प्रति शेयर कमाई	%	459	144.38

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणी पर प्रतिवेदन

राय

हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") (इसके पश्चात "ईसीएल") के एकल वित्तीय विवरणी का लेखपरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक की तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरणी एवं नकदी प्रवाह विवरणी, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक संसूचना (इसके पश्चात् यथा "एकल वित्तीय विवरणी" संदर्भित) का सारांश सहित समाविष्ट हैं जिसमें (1) उखड़ा क्षेत्रीय कर्मशाला; (2) झांझरा क्षेत्र; (3) केन्दा क्षेत्र; (4) बांकोला क्षेत्र; (5) सोनपुर बजारी क्षेत्र; (6) बराकर इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स; (7) मुगमा क्षेत्रीय कर्मशाला; (8) मुगमा क्षेत्र; (9) सोदपुर केन्द्रीय कर्मशाला; (10) रतिबाटी कर्मशाला; (11) सतग्राम क्षेत्र; (12) सोदपुर क्षेत्र; (13) श्रीपुर क्षेत्र; (14) पोनियाटी कर्मशाला; (15) कजोड़ा क्षेत्र; (16) कुनुस्तोड़िया क्षेत्र; (17) एस.पी. माइन्स क्षेत्र; (18) राजमहल क्षेत्र; और (19) पांडवेश्वर क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए कंपनी के 19 (उन्नीस) क्षेत्र / इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई उस तारीख को समाप्त वर्ष के विवरणियाँ सम्मिलित हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तहत, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अभीष्ट संसूचना अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 2023 को यथा कंपनी के कार्यकलाप की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी लाभ, कुल व्यापक आय, साम्या में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह का विवरण प्रदान करता है तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, ("भा.ले.मा.") और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणी अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषय का प्रबलन

हम निम्नलिखित टिप्पणी नं. 38.5.एल पर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

व्यवसाय प्राप्यों के अंतर्गत कतिपय शेष राशियों की पुष्टि/मिलान और ग्राहकों से अग्रिम राशि की लंबित रहने तक, वित्तीय विवरणियों पर, यदि कोई हो, तो उसके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	**विपट्टन गतिविधि व्यय या समायोजन** खुली खदान खनन के मामले में, कोयले तक पहुँच तथा इसके निष्कर्षण के लिए खदान अपशिष्ट सामग्रियाँ ("उपरिभार") जो कोयला सीम के शीर्ष पर मृदा और शैल के रूप में होती है को अपसारित करने की आवश्यकता होती है। इस अपशिष्ट हटाव गतिविधि को यथा 'विपट्टन' माना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खान के सक्रिय प्रयोज्यता / जीवन्तता पर ऐसे व्यय उपगत करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)। अतः, यथा नीति, एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाले खदानों में, खनन के पश्चात विपट्टन गतिविधि आस्ति और अनुपात-अंतर लेखा में राजस्व को लाया जाता है के लिए सम्यक समायोजन के साथ प्रत्येक खदानों में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत विपट्टन अनुपात (उपरिभार:कोयला) पर विपट्टन की लागत को भारित किया जाता है। तुलन-पत्र तिथि पर विपट्टन गतिविधि आस्ति एवं अनुपात अंतर के निवल शेष को यथास्थिति अप्रचलित प्रावधानों / अन्य अप्रचलित आस्तियों के मद्द के अधीन यथा विपट्टन गतिविधि समायोजन दर्शित किया जाता है। आलेखानुसार उपरिभार की प्रतिवेदित परिमाण को उपरिभार हटाव लेखांकन के लिए अनुपात संगणना में विचार किया जाता है, जहाँ प्रतिवेदित परिमाण और मापित परिमाण के बीच का अंतर अनुज्ञेय सीमा के अंदर है। यद्यपि, जहाँ अंतर अनुज्ञेय सीमाओं यथा उपर्युक्त से अधिक है, मापित परिमाण पर प्रतिफलित किया जाता है। (एकल वित्तीय विवरणी के लाभ-हानि विवरणी एवं टिप्पणी 21 में संदर्भित)	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ :** हमने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया: • विपट्टन समायोजन के कार्य आंकड़े प्राप्त किए और जाँच की कि वर्ष के दौरान उपगत कुल संव्यय को कोयला उत्पादन और उपरिभार के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में विचार किए गए संव्यय की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। • जाँच की गई कि वर्ष के दौरान सही रीति से उपरिभार के लिए आबंटित राशि एवं निष्कर्षित उपरिभार परिमाण के आधार पर अनुपात अंतर संगणना की जाती है। • निष्पादित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और संव्यय की उचितता के लिए विवरण का परीक्षण विपट्टन गतिविधि समायोजन संगणना माना जाता है। • जांच की गई कि लागू लेखांगन जीति और स्ट्रिपिंग समायोजन के लिए उपयोग किए गए प्रबंधन के निर्णय उपयुक्त है। निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने विपट्टन गतिविधि संव्यय/ समायोजन के विषय में स्वयं को संतुष्ट किया है।
2	***उपभोक्ताओं संग संविदाओं से राजस्व*** राजस्व लेखांकन मानक के अभ्यावेदन में वर्ष के दौरान विशिष्ट कार्य-निष्पादन दायित्वों का परिलक्षण, परिलक्षित कार्य-निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का अवधारण, निर्धारित राजस्व को मापन के लिए प्रयुक्ति आधार की उपयुक्तता से संबंधित कतिपय प्रमुख निर्णय सम्मिलित है। (एकल वित्तीय विवरणी टिप्पणी 24 में संदर्भित)	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ :** हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सम्मिलित है : • राजस्व लेखांकन मानक से संबंधित अभिकल्प, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन किया; • ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूने का चयन करके राजस्व प्रवाहों पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया और उन राजस्व प्रवाहों के संबंध में वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया; • राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और प्रासंगिक प्रकटीकरण की पूर्णता और गणितीय सटीकता का आकलन किया। हमने पाया कि आय की मान्यता में प्रबंधन के अनुमान और निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित हैं।
3	***प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन*** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पक्षकारों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रावधानीकरण के स्तर का आकलन करने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी का आकलन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार से सलाह द्वारा समर्थित है, जहाँ भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और निवल आस्तियों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित सहयुक्त अनिश्चितता के लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के अभ्यावेदन की आवश्यकता होती है। (एकल वित्तीय विवरणी टिप्पणी 38.4.[क] में संदर्भित)	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ :** हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सम्मिलित है : • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/ अथवा पत्रों की जाँच करना और उन पर प्रबंधकीय अनुवर्ती कार्रवाई करना। • मुकदमेबाजी/कर आकलन की वर्तमान स्थिति को समझना। • उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना।

क्र.सं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
		• इकाइयों/क्षेत्र के लेखापरीक्षकों के संप्रेक्षणों और कंपनी से संबंधित प्रतिविरोधों की चर्चा के माध्यम से पुनर्विलोकन करना, विचाराधीन विषयवस्तु के ब्यौरे एकत्र करना, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के प्रबंधकीय मूल्यांकन का पुनर्विलोकन करना। हमारी प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।
4	**कर्मचारियों के लिए परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का मूल्यांकन** परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं के लिए लेखांकन बीमांकिक प्राक्धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए दायित्व को मापने, नियोजित आस्तियों का मूल्यांकन करने और संबंधित बीमांकिक लाभ या हानि की संगणना की आवश्यकता होती है। दायित्व पर पहुंचने के लिए भविष्य के सभी नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर भुनाई गई। बट्टा दरों, मुद्रास्फीति दरों, वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण अनुमान कंपनी के परिभाषित प्रसुविधा दायित्वों का मूल्यांकन करने में किए जाते हैं। कंपनी उचित प्राक्धारणाओं का चयन करने और दायित्वों की संगणना में उनकी सहायता के लिए बाह्य बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम निर्धारण का एक हिस्सा है और परिभाषित प्रसुविधा दायित्वों के मूल्यांकन में उच्च स्तर का अनुमान है क्योंकि यह प्राक्धारणाओं पर आधारित है। (एकल वित्तीय विवरणी के टिप्पणी 38.3 में संदर्भित)	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ :** हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सम्मिलित है : • उपयोज्य मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार अनुप्रयुक्त प्रमुख प्राक्धारणाओं (बट्टा दर, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया। • कंपनी की बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता और अखंडता का आकलन किया। • बीमांकिक प्राक्धारणाओं का पुनर्विलोकन और अनुमोदन पर नियंत्रण, बाह्य बीमांकक को प्रदत्त आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की संगणना में उपयोग किए जाने वाले आँकडों के समाधान का परीक्षण किया गया था। • परिभाषित प्रसुविधा योजना के कारण प्रोद्भूत देयता के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की और व्यवसाय को समझना तथा आकलन किया कि क्या प्राक्धारणाओं में कोई असंगति थी। • टिप्पणियों में भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सत्यापित है। इसमें सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने संप्रेक्षित किया कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई प्राक्धारणाएँ उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं।

वित्तीय विवरणी से भिन्न संसूचना एवं उसपर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य संसूचनाओं की निर्मिति के लिए उत्तरदायी है। अन्य संसूचनाओं में निदेशकगण का प्रतिवेदन, निगमित सामाजित दायित्व प्रतिवेदन, अनुसंधान व विकास और निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के उपाबंधों सहित निदेशकगणों के प्रतिवदेन में सम्मिलित संसूचनाएँ समाविष्ट होती है।

वित्तीय विवरणी पर हमारी राय में अन्य संसूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संसंग में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर पहचानी गई अन्य संसूचना को पढ़ने की है जब यह उपलब्ध हो जाती है और, ऐसा करने में, इस बात पर विचार करतें हैं कि क्या अन्य संसूचना वित्तीय विवरणी के साथ तत्वतः असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी संसूचना या अन्यथा तत्वतः मिथ्या कथन करती प्रतीत होती है।

जब हमें निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन के साथ उपाबंधों, सीएसआर प्रतिवेदन, अनुसंधान व विकास और निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन सहति निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाती है और हम इसे पढ़ते हैं, यदि हम यह निश्चित करते हैं कि इसमें कोई तत्व अयथार्थ कथन है, तो हमें इस विषय को सुशासन के भारितों तक संसूचित करना आवश्यक है और प्रवृत्त विधियों एवं विनियमों में लागू कार्रवाइयों का वर्णन करना होगा।

वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणियों की निर्मिति से संबंधित कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 134(5) में विवरणित विषयों के लिए उत्तरदायी है जो इसके अधीन निर्गत सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, साम्या में परिवर्तनों और नकदी-प्रवाह का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों की संरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य विसंगतियों की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए

तथा समुचित लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; निर्णयों या अनुमानों जो युक्तियुक्त और प्रज्ञायुक्त हो लेने या लगाने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखांकन अभिलेखों की निश्चितता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित किया जा रहा था, वित्तीय विवरणियों जो सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है और तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त है, चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के निर्मिति एवं प्रस्तुतिकरण को सुसंगत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण भी समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणी निर्मिति में, प्रबंधन यथा चालू समुत्थान रखने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, चालू समुत्थान, यथा लागू हो, संबंधित विषयों को प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधारित उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के लिए लेखपरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरणी तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जिसमें हमारी राय समाविष्ट है निर्गत करना है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह प्रत्याभूत नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा सदैव तात्विक अयथार्थ कथन जब वह विद्यमान हो का पता लगाएगा। अयथार्थ कथन कपट या त्रुटि से उद्भूत हो सकते हैं और उन्हें तात्विक प्रतिफलित किया जाता है यदि, व्यष्टि रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर परिगृहीत उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है।

लेखांकन के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग रूप में, हम वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणी के तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों को भी परिलक्षित और उनका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले एक तात्विक अयथार्थ कथन को परिलक्षित नहीं करने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि कपट में दुरसंधि, कूटरचना, साशय चूक, दुर्व्यपदेशन, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोही समाविष्ट हो सकता है।

- उन परिस्थितियों में संगत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा कृत लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्क संगति का भी मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणी में या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को उपांतरित करने के लिए संबंधित प्रकटन पर ध्यानाकर्षित किया जाना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तदापि, भविष्यत् घटनाएँ या दशाएँ कंपनी को यथा चालू समुत्थान जारी रखने में अवरोध का कारण बन सकती है।

- प्रकटनें सहित वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन भी करते हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

वित्तीय विवरणी में तात्विकता अयथार्थ कथनों का परिमाण है, जो व्यष्टि रूप से या संकलित में, यह अधिसंभाव्य है कि वित्तीय विवरणी के युक्तियुक्त रूप से सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य की परिधि की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणी में किसी भी परिलक्षित अयथार्थ कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तात्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित परिधि और समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान परिलक्षित करते हैं सहित, के बारे में सुशासन के भारितों को संसूचित करते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर सुशासन भारिता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन समस्त संबंधों

और अन्य विषयों जो हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त विचार कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबद्ध संरक्षा पर उनके साथ संवाद करना है।

सुशासन से भारित लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हितलाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 19 क्षेत्र/इकाइयों के एकल वित्तीय विवरणियों/सूचनाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणी/ वित्तीय संसूचना 31 मार्च, 2023 को ₹14,650.25 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹14,833.69 करोड़ की कुल आय को दर्शाती है, जैसा कि वित्तीय विवरणियों में माना गया है। इन क्षेत्रों/यूनिटों के वित्तीय विवरणियों/ संसूचनाओं की लेखापरीक्षा उस क्षेत्र/यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनका प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत कर दी गई हैं और जहाँ तक यह इन क्षेत्रों/इकाइयों के संबंध में सम्मिलित राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे क्षेत्र/इकाई लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर आधारित है।

2. सितंबर 2017 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से 132.30 करोड़ रुपये की राशि 0-3 किलोमीटर की अग्रगमन दूरी के लिए कोयला आपूर्ति के लिए सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) के रूप में प्राप्त हुई है। तथापि, एनटीपीसी के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के संगत खंड में 3 किमी की दूरी से परे स्थित अपने ग्राहक को कोयले की आपूर्ति के विरुद्ध कोयला परिवहन प्रभार वसूलने की अनुमति दी गई है। एनटीपीसी ने एफएसए उपबंध का हवाला देते हुए 0-3 किलोमीटर की अग्रगमन सीमा के हिस्से के लिए परिवहन प्रभार के दावों को खारिज कर दिया है।

   एएमआरसीडी (लोक उद्यम विभाग के तहत तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका है।.

इन मामलातों के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन यथा अपेक्षित, "उपाबंध I" में हमने, इस प्रतिवेदन को, लेखापरीक्षा की इंगित प्रणालीतंत्र के अनुपालन के पश्चात भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निदेशनों एवं अतिरिक्त निदेशनों में विवरणी, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। यह विवरणी कंपनी के क्षेत्र/ईकाई लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए तैयार किया गया है जिनका उल्लेख उनके लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में किया गया है।

2. यथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के निबंधनों में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "उपाबंध II" में, आदेश के पैरा 3 एवं 4 में, विनिर्दिष्टि विषयों पर लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए लागू सीमा तक एक विवरणी प्रदान करते हैं।

3. यथा अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   (अ) हमने सभी संसूचना और स्पष्टीकरण की ईप्सा किए हैं और उसे प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   (आ) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जहाँ तक उन बहियों की हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ उस क्षेत्र / इकाइयों से प्राप्त हुए हैं जो हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए थे।

   (इ) क्षेत्र / इकाई लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी की क्षेत्र / इकाइयों के लेखा पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित की गई है और इस प्रतिवेदन को निर्मिति करने में हमारे द्वारा समुचित बरता गया है।

   (ई) तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि विवरणी, साम्या में परिवर्तन विवरणी और इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए नकदी-प्रवाह विवरणी संबंधित लेखा के सुसंगत बहियों और उस क्षेत्र / इकाइयों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप है जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

   (उ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (ऊ) कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकगणों की निरर्हता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2), सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

(ऋ) कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक III" में हमारे पृथक प्रतिवेदन का संदर्भ लें। हमारा प्रतिवेदन कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अनुपांतरित राय अभिव्यक्त करती है;

(ऌ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – एकल वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी 38.4 (अ) देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्नी संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदाएँ नहीं थीं, जिसके लिए कोई तात्त्विक पूर्वाभासी हानि हुआ हो;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, यह सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के रूप में है, लेखाओं की टिप्पणियों में उद्धृत किए गए के अलावा, कोई भी निधियों को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या किसी अन्य स्रोत या निधियों के किसी प्रकार से) कंपनी को या किसी अन्य व्यष्टि या संस्था(ओं) में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती") समाविष्ट है, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(आ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, यह सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के रूप में है, लेखाओं की टिप्पणियों में उद्धृत किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("निधियन पक्षकारों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था(ओं) से कोई निधि (जो व्यष्टि रूप से या कुल मिलाकर तात्त्विक है) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधियन पक्षकारों ("अंतिम लाभार्थी") या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; और

(ग) ऐसे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने परिस्थितियों में युक्तियुक्त और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, यथा उपर्युक्त (अ) और (आ) के अधीन उपबंधित, इसमें कोई भी तात्त्विक अयथार्थ कथन है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाता है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vi. लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का परंतुक जिसमें लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) प्रसुविधा रिकॉर्ड करने की विशिष्टता है, 01 अप्रैल 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (जी) के तहत प्रतिवेदिति 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623
यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'I'

कंपनी के लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेशनों एवं अतिरिक्त निदेशनों में विवरणी अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन" के अधीन पैरा 1 में संदर्भित किया गया है।

उपाबंध – क : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन निदेशन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	संप्रेक्षण
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हाँ, कंपनी ने 1 अगस्त, 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी विरासत प्रणाली कोल-नेट से एसएपी, एक ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित कर दिया है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह एप्लिकेशन कंपनी की गहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने के लिए ज्यादातर सभी कार्यक्षमताओं को कवर करता है।
2	चाहे किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो या ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हों। ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव कहा जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब रखा जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के ऐसे मामले नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनाया जाता है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/राजसहायता आदि) का इसके निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	वर्ष के दौरान कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से रेत की कटाई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए विशिष्ट योजनाओं के लिए 1.53 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। राशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था।

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623

यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

उपाबंध – ख : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन अतिरिक्त निदेशन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	संप्रेक्षण
1	क्या कोयले के स्टॉक का मापन येलो बुक के आधार पर किया गया था? क्या वास्तविक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित नए ढेर, यदि कोई हों, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के अनुसार: कोयले के स्टॉक का मापन येलो बुक के आधार पर किया गया था और वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। वास्तविक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ होती है। वर्ष के दौरान सृजित किए गए नए ढेरों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनर्गठन के समय आस्तियों और संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन अभ्यास किया था। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	हमें दी गई व्याख्या और संसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ईसीएल के किसी भी क्षेत्र के विलय/ विभाजन / पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है।
3	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते रखे गए हैं। साथ ही खाते की निधि के उपयोग की जांच करें।	हाँ, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खान बंद करने की योजना के लिए अलग-अलग खान-वार निलंब खाता रखा जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निलंब खाते से कोई राशि नहीं निकाली गई है।
4	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए अवैध खनन के कारण कोई मांग नहीं है। हालांकि, झारखंड सरकार द्वारा 2017 में संबंधित सहायक खनन अधिकारी/जिला खनन अधिकारियों द्वारा राजमहल, मुगमा और एसपी खान क्षेत्र को 11 मांग नोटिस जारी किए गए थे, जो कथित या गैरकानूनी खनन खनिज के लिए जुर्माने के रूप में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 2,178.14 करोड़ रुपये थे। इस संबंध में ईसीएल के संबंधित क्षेत्रों ने पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष मांग नोटिसों को चुनौती देते हुए 11 पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश के तहत मांग नोटिसों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके अलावा, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया है कि आक्षेपित मांग नोटिसों के अनुसरण में प्रतिवादी द्वारा आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2022 के आदेश द्वारा झारखंड राज्य द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। इसका उल्लेख लेखाओं के अतिरिक्त नोटों में संख्या 38.4[ए]। के तहत किया गया है।
5	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा की माइग्रेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ प्रमाणन किया गया है।	आज तक कोल-नेट पोर्टल से एसएपी में आंकड़ों की माइग्रेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन नहीं किया गया है।

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623
यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'II'

[हमारे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन" शीर्षक के पैरा 2 में संदर्भित किया गया है :]

लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

इस तरह की जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित माना और हमारे ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के संबंध में

(अ) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मात्रात्मक ब्यौरे और स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियाँ दर्शित करते हुए उचित अभिलेखें अनुरक्षित रख रही है;

(ख) कंपनी अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विशिष्टयों को दर्शित करते हुए उचित अभिलेखें अनुरक्षित रख रही है;

(आ) कंपनी ने उचित अंतराल पर वास्तविक रूप से सत्यापित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हैं; और निम्नलिखित को छोड़कर इस तरह के सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगतियाँ नहीं देखी गई: –

(इ) वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) के शीर्षक विलेख नीचे सारणीबद्ध हैं:-

संपत्ति का अभिवर्णन	सकल वहनीय मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर	या तो संप्रवर्तक, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मी	आयोजित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अनुपलब्ध	लागू नहीं	नहीं	अनुपलब्ध	जैसा कि हमें बताया गया है, भूमि का अधिग्रहण कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में किया गया था, इसलिए इसे संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिगृहीत भूमि के लिए अन्य सभी स्वामित्व विलेख फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कब्जे में हैं, जहाँ यह प्रगति पर है। 720.00 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दस्तावेजों/विलेखों के संकलन एवं पुनःमिलान का कार्य प्रगति पर है।

(ई) कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (आस्तियों के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(उ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii)(क) कंपनी ने उचित अंतराल पर मालसूचियों को वास्तविक रूप से सत्यापित किया है। मालसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की ऐसी कोई विसंगतियां नहीं देखी गई।

(ख) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान चालू आस्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई थी।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया जाता है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया जाता है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (iii) (ए) से 3 (iii) (एफ) लागू नहीं हैं।

(iv) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार अन्य निकाय निगम या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई ऋण नहीं दिया है, या निवेश नहीं किया है, या गारंटी नहीं दी है, या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं है।

(v) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमाराशियाँ स्वीकार नहीं किया है और न ही उसने कोई राशि स्वीकार की है जिसे जमाराशियाँ माना जाता है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (वी) लागू नहीं है।

(vi) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत कंपनी के उत्पादों के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को निर्धारित किया है और हमारी राय में कंपनी निर्दिष्ट के अनुसार ऐसे खातों और अभिलेखों को निर्मिति कर और अनुरक्षित रख रही है।

(vii) (क) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी अन्य सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों को जमा करने में नियमित है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक बकाया सांविधिक बकाया का कोई बकाया छह माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं है। तारीख से महीनों बाद वे राजमहल क्षेत्र में निम्नलिखित को छोड़कर देय हो गए।

कानून के नाम	देय की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	देय तिथि	संदाय की तिथि
झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर अध्यादेश, 2022	कोविड महामारी उपकर	2.83	06-07-2020 से 30-09-2020 तक	30-09-2020	अब तक अप्रदत्त

(ख) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीमा शुल्क का कोई वास्तविक बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है। तथापि, हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य वर्धित कर की बकाया राशियाँ जो विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं की गई हैं, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई हैं।

(viii) कंपनी के सामने ऐसे लेनदेन से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया है जो बही-खातों में दर्ज नहीं था, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकटन किया गया हो।

(ix) (अ) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या अन्य उधार या ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(आ) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया है।

(इ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है और न ही वर्ष के आरंभ में कोई बकाया मीयादी ऋण लिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) (सी) लागू नहीं है।

(ई) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि के आधार पर कोई निधि नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) (डी) लागू नहीं है।

(उ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं लिया है;

(ऊ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों के गिरवी रखने पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं उठाया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) (f) लागू नहीं है।।

(x) (अ) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (a) लागू नहीं है।

(आ) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (अ) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या प्रतिवेदन नहीं की गई है।

(आ) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत प्रतिवेदन के संबंध में लेखा परीक्षा के दौरान हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है / हमारे ध्यान में नहीं आई है, जैसा कि वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में दायर किया जाना है।

(इ) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) (अ) हमारी राय में और हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरण वित्तीय विवरणी में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन किए गए हैं।

(xiv) (अ) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है;

(आ) फरवरी, 2023 तक की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार किया था।

(xv) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं है।

(xvi) (अ) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(आ) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है;

(इ) कंपनी एक मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi)(ग) लागू नहीं है।

(ई) कंपनी ने समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी का समूह नहीं बनाया है;

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है। हालांकि, *पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को 498.75 करोड़ रुपये का नकद घाटा हुआ था।*

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xviii) लागू नहीं है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान का काल-प्रभावन एवं प्रत्याशित तिथियों, वित्तीय विवरणी के साथ अन्य संसूचना और निदेशक मंडल और प्रबंधकीय योजनाओं के हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारी राय है कि लेखापरीक्षा की तिथि के रूप में कोई वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम है जब वे तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

यद्यपि, हम कहते हैं कि प्रतिवेदन की तिथि तक तथ्यों के आधार पर हमारी प्रतिवेदिति और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा या जब भी वे देय होंगे, कंपनी द्वारा निर्वहन नहीं किया जाएगा।

(xx) (अ) कंपनी के पास चल रही परियोजनाओं के अलावा कोई परियोजना नहीं है। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(आ) चालू परियोजना के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में से तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि को हमारे प्रतिवेदन की तिथि तक एक विशेष खाते में स्थानांतरित नहीं किया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन हमारे प्रतिवेदन की तिथि तक नहीं बीते हैं।

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणी निर्मिति करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड 3(xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623

यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष क लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध - III

[हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंश 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के पैरा 3(जी) में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अधीन वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

1. हमने 31 मार्च, 2023 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व

2. कपंनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के मर्मभूत घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक नियंत्रण मानदण्डों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अधिस्थापन एवं अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के पर्याप्त अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण समाविष्ट हैं जो कंपनी की अनुषक्ति, आस्तियों का अभिरक्षण, कपट एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटिकता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय संसूचना का ससमय निर्मिति, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा आवश्यक, सहित, अपने कारबार के व्यवस्थित एवं कुशल कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू दोनों, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के विस्तार तक लागू, आईसीएआई द्वारा निर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित समझे गए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखांकन मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा संचालित की। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदिति पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी तात्त्विक विषयों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

4. हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता की बाबत लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं। वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक तात्त्विक कमजोरी विद्यमान है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना समाविष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तात्त्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन समाविष्ट है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

6. वित्तीय प्रतिवेदिति पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदिति की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए एकल वित्तीय विवरणी निर्मिति करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं जो : (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तियुक्त ब्यौरे में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और व्ययन को सटीक और निष्पक्ष रूप से परावर्तित करते हैं; (2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों अनुसार वित्तीय विवरणी निर्मिति करने की अनुमति देने के लिए यथा आवश्यक अभिलिखित किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार बनाई जा रही है; और (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या व्ययन की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसकी वित्तीय विवरणी पर तात्त्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्निहित परिसीमाएँ

7. वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, जिसमें दुरभिसंधि की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अध्यारोही समाविष्ट हैं, त्रुटि या कपट के कारण तात्त्विक अयथार्थ कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपकें जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री क्षय हो सकती है।

राय

8. हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में विवरणित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति मानदण्ड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी, समस्त तात्त्विक पहलुओं में, के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदिति पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को यथा प्रभावी परिचालित थी।

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623

यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

दिनांक 25.04.2023

सेवा में,
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
और सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड -II,
पहली मंजिल, पूराना निजाम पैलेस,
234/4, ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता-700 020

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अनुपूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

प्रिय महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अनुपूरक प्रतिवेदन की एक प्रति उपाबंध-आईए और आईबी में आपके अवलोकनार्थ देखिए।

धन्यवाद और आपको हर समय हमारी सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सेवाओं का आश्वासन देता हूँ।

भवदीय,

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623

यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

अनुलग्नक – यथोपरि।

1. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड और
   उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
   10, बहादुर शाह जाफर मार्ग,
   नई दिल्ली-110 002

2. निदेशक मंडल,
   ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निदेशों और अतिरिक्त निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया है कि हमने हमें निर्गत सभी निदेशों और अतिरिक्त निदेशों का अनुपालन किया है।

एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081ई

(सीए बी. के. बिश्वास)
साझेदार
सदस्य सं. 055623

यूडीआईएन : 23055623BGQLOX2404

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

सं. 149/डीजीए(सी)/कोलकाता/एलए-I/लेखा_लेखापरीक्षा/ईसीएल2022-23/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता / KOLKATA
दिनांक / Dated: 28 Jun 2023

गोपनीय

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्दधवान
(पश्चिम बंगाल)
पिन – 713333

विषय : 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतदद्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(अतुल प्रकाश)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 जून, 2023

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता – 700020
OLD NIZAM PALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata – 700020
Phones: 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8838 Fax: 2280 0062
e-mail : dgcoalkol@cag.gov.in

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय प्रतिवेदिति संरचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी की निर्मिति कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा दिनांकित 25 अप्रैल 2023 की अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया अभिकथित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों के जांच और कुछ लेखा अभिलेखों का चयनात्मक परीक्षण के लिए प्रधानतः सीमित किया गया है।

मेर पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों को चिह्नांकित करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आ चुका है और जो मेरी दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के श्रेष्ठतर समझ की सामर्थ्यता के लिए आवश्यक है।

क. लाभप्रदता पर टीकाटिप्पणी

क.1. लाभ व हानि की विवरणी

व्यय

प्रावधान (टिप्पणी 33) : ₹4.05 करोड़

इसमें राजमहल क्षेत्र के संबंध में मेसर्स एनटीपीसी द्वारा दायर धन-वापसी दावे के लिए ₹214.52 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। यह दावा कोयले में सतह की नमी की अधिक मात्रा के कारण दायर किया गया था जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए ईंधन आपूर्ति करारों के निर्धारित मानदंडों[1] से परे है। ₹258.72 करोड़[2] की कुल दावा राशि के मुकाबले, बही-खातों में केवल ₹44.20 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

"प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों" पर इंड एएस -37 के पैरा 14 में एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक प्रावधान को मान्यता दी जाएगी जब किसी इकाई के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होगा; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

सतही नमी की मात्रा के संबंध में एनटीपीसी के धन-वापसी दावों के संक्षिप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹214.52 करोड़ रुपये के लाभ के तदनुरूपी अतिकथन के साथ प्रावधान को कम विवरण दिया गया।

ख. वित्तीय स्थिति पर टीकाटिप्पणियाँ

ख.1 तुलन-पत्र

आस्तियाँ

चालू आस्तियाँ

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी सं. 13) : ₹1564.50 करोड़

0-3 कि.मी. तक की अग्रगमन दूरी के लिए कोयला आपूर्ति हेतु सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) संबंधी सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधिक के लिए उपरि शीर्ष में एनटीपीसी से ₹132.30 करोड़ प्राप्य राशि समाविष्ट है।

सितंबर, 2017 के पूर्व, एनटीपीसी के साथ करार, 3 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने की अनुमति देता है। यद्यपि, ईसीएल ने 0-3 किलोमीटर तक के लिए सितंबर 2017 से एकपक्षीय रूप से एसटीसी उद्ग्रहण आरंभ कर दिया।

---

1. *सतह की नमी की मात्रा एफएसए में निर्दिष्ट 7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच निर्धारित मानदंड के मुकाबले 16.60 प्रतिशत और 18.70 प्रतिशत के बीच है।*
2. *एनटीपीसी फरक्का द्वारा नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹44.20 करोड़ और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ₹38.91 करोड़ और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा वर्ष 2017-21 के लिए ₹175.61 करोड़*

0-3 कि.मी. तक की दूरी के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए करार केवल अगस्त 2020 में एनटीपीसी के साथ एक करार किया गया था जिसमें अभिकथित किया कहा गया है कि उपांतरण हस्ताक्षर करने की तिथि अर्थात् अगस्त 2020 से लागू होगा। अगस्त 2020 से पूर्व की अवधि के संबंध में एनटीपीसी ने 0-3 किलोमीटर के दावों को अभिस्वीकृत करने से अगृहीत कर दिया।

0-3 कि.मी. तक के निहितार्थ एसटीसी को प्रभारित करने के लिए किसी करार के अभाव में, सितंबर 2017 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए ₹132.30 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान सृजित किए जाने चाहिए थे।

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा में भी मामले पर टीकाटिप्पणी की गई है, लेकिन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

अन्य चालू आस्तियाँ (टिप्पणी – 11)

निविष्टि कर जमा प्राप्य : ₹408.22 करोड़

इंड एएस 01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को प्रतिवेदिति अवधि के अंत में भविष्य के बारे में धारणाओं और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देयताओं की वहनीय राशि में तात्विक समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017 केंद्रीय कर (दर) के तहत वस्तुओं के विवरण को अधिसूचित किया, जिसके संबंध में अप्रयुक्त निविष्टित कर जमा की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ ऐसे माल की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण क्रेडिट जमा हो गया है। उपर्युक्त सूची में कोयला शामिल नहीं था।

अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर करों की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, सिवाय इसके कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या 09/2022- केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया और कोयला डाला, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जानी थी।

ईसीएल ने ₹408.22 करोड़ रुपये की इनपुट कर जमा के लिए वसूली योग्य राशि दिखाई है, जिसमें से ₹211.74 करोड़ रुपये जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित हैं और शेष ₹196.48 करोड़ रुपये जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित हैं, जिस पर ईसीएल धन-वापसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।

उत्पादन यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है, जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य का संचय होता है। ईसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, ईसीएल पिछले वर्षों के लिए टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के संचय का मामला ईसीएल द्वारा उच्च प्राधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है।

न तो ईसीएल और न ही सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षकों के वित्तीय विवरणियों/प्रतिवेदन में निविष्टित कर जमा और उपर्युक्त तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरण का खुलासा किया है, जो इंड एएस-01 का उल्लंघन है। सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के अभिन्न अंग तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 28 जून 2023

(अतुल प्रकाश)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियों के प्रबंधन प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीकाटिप्पणियाँ	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय प्रतिवेदिति संरचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी की निर्मिति कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा दिनांकित 25 अप्रैल 2023 की अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया अभिकथित किया गया है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों के जांच और कुछ लेखा अभिलेखों का चयनात्मक परीक्षण के लिए प्रधानतः सीमित किया गया है।	यह तथ्य का एक विवरण है।
मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों को चिह्नांकित करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आ चुका है और जो मेरी दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के श्रेष्ठतर समझ की सामर्थ्यता के लिए आवश्यक है : **क. <u>लाभप्रदता पर टीकाटिप्पणी</u>** **क.1. लाभ व हानि की विवरणी** **व्यय** **प्रावधान (टिप्पणी 33) : ₹4.05 करोड़** इसमें राजमहल क्षेत्र के संबंध में मेसर्स एनटीपीसी द्वारा दायर धन-वापसी दावे के लिए ₹214.52 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। यह दावा कोयले में सतह की नमी की अधिक मात्रा के कारण दायर किया गया था जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए ईंधन आपूर्ति करारों के निर्धारित मानदंडों[1] से परे है। ₹ 258.72 करोड़[2] की कुल दावा राशि के मुकाबले, बही-खातों में केवल ₹44.20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों" पर इंड एएस -37 के पैरा 14 में एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक प्रावधान को मान्यता दी जाएगी जब किसी इकाई के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होगा; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। सतही नमी की मात्रा के संबंध में एनटीपीसी के धन-वापसी दावों के संक्षिप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹214.52 करोड़ रुपये के लाभ के तदनुरूपी अतिकथन के साथ प्रावधान को कम विवरण दिया गया।	एफएसए के खंड 11.5 के अनुसार, ईसीएल और एनटीपीसी ने संयुक्त रूप से कोयले की आपूर्ति के लिए लेन-देन के ब्यौरे का मिलान किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक एनटीपीसी विद्युत संयंत्र के लिए विवादित देय राशियों का सारांश दिया गया। यह सराहनीय है कि एनटीपीसी ने अतिरिक्त नमी के लिए दावा किया है लेकिन ईसीएल ने विवादित बकाया राशि के सारांश में दावे के रूप में भी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, राजमहल कोयला खदानों में भूगर्भीय और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण दावे को स्वीकार करना भी समय-पूर्व है। तदनुसार, खातों में दावे की पावती से पहले गैर-प्रावधानीकरण क्रम में है।

1. सतह की नमी की मात्रा एफएसए में निर्दिष्ट 7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच निर्धारित मानदंड के मुकाबले 16.60 प्रतिशत और 18.70 प्रतिशत के बीच है।
2. एनटीपीसी फरक्का द्वारा नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹44.20 करोड़ और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ₹38.91 करोड़ और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा वर्ष 2017-21 के लिए ₹175.61 करोड़

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीकाटिप्पणियाँ	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
ख. <u>वित्तीय स्थिति पर टीकाटिप्पणियाँ</u> **ख.1 तुलन-पत्र** **आस्तियाँ** **चालू आस्तियाँ** **व्यापार प्राप्य (टिप्पणी सं. 13) : ₹1564.50 करोड़** T0-3 कि.मी. तक की अग्रगमन दूरी के लिए कोयला आपूर्ति हेतु सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) संबंधी सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधिक के लिए उपरि शीर्ष में एनटीपीसी से ₹132.30 करोड़ प्राप्य राशि समाविष्ट है। सितंबर, 2017 के पूर्व, एनटीपीसी के साथ करार, 3 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने की अनुमति देता है। यद्यपि, ईसीएल ने 0-3 किलोमीटर तक के लिए सितंबर 2017 से एकपक्षीय रूप से एसटीसी उद्ग्रहण आरंभ कर दिया।. 0-3 कि.मी. तक की दूरी के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए करार केवल अगस्त 2020 में एनटीपीसी के साथ एक करार किया गया था जिसमें अभिकथित किया कहा गया है कि उपांतरण हस्ताक्षर करने की तिथि अर्थात् अगस्त 2020 से लागू होगा। अगस्त 2020 से पूर्व की अवधि के संबंध में एनटीपीसी ने 0-3 किलोमीटर के दावों को अभिस्वीकृत करने से अगृहीत कर दिया। 0-3 कि.मी. तक के निहितार्थ एसटीसी को प्रभारित करने के लिए किसी करार के अभाव में, सितंबर 2017 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए ₹132.30 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान सृजित किए जाने चाहिए थे। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा में भी मामले पर टीकाटिप्पणी की गई है, लेकिन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	आपूर्ति के निमित्त सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) के वास्ते सितंबर, 2017 से 02 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्य राशियों के मामले एएमआरसीडी (लोक उद्यम विभाग के अधीन तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित है जहाँ प्रबंध अनुकूल परिणाम की प्रत्याशा करती है। 0-3 किलोमीटर की दूरी।
ग. <u>प्रकटीकरण पर टिप्पणी</u> **अन्य चालू आस्तियाँ (टिप्पणी – 11)** **निविष्टि कर जमा प्राप्य : ₹408.22 करोड़** इंड एएस 01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को प्रतिवेदिति अवधि के अंत में भविष्य के बारे में धारणाओं और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देयताओं की वहनीय राशि में तात्त्विक समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017 केंद्रीय कर (दर) के तहत वस्तुओं के विवरण को अधिसूचित किया, जिसके संबंध में अप्रयुक्त निविष्टित कर जमा की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ ऐसे माल की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण क्रेडिट जमा हो गया है। उपर्युक्त सूची में कोयला शामिल नहीं था। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर करों की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, सिवाय इसके कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या 09/2022- केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया और कोयला डाला, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जानी थी।	जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में निविष्टित कर जमा (आईटीसी) का लाभ उठाया गया है। जीएसटी आईटीसी की राशि का उपयोग भविष्य में बिना किसी समय सीमा के किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जीएसटी आईटीसी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के विभिन्न कारक हैं जैसे मूल्य संशोधन, कोयले पर जीएसटी दर में परिवर्तन, आदि जिन पर भविष्य में जीएसटी आईटीसी का उपयोग भिन्न हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि जीएसटी आईटीसी के उपयोग की कोई सीमा नहीं है और जीएसटी दरों में मूल्य संशोधन / परिवर्तन की संभावना है, कंपनी संचित आईटीसी को आगे बढ़ा रही है। यद्यपि, अवलोकन के मद्देनजर, बाद के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीकाटिप्पणियाँ	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
ईसीएल ने ₹408.22 करोड़ रुपये की इनपुट कर जमा के लिए वसूली योग्य राशि दिखाई है, जिसमें से ₹211.74 करोड़ रुपये जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित हैं और शेष ₹196.48 करोड़ रुपये जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित हैं, जिस पर ईसीएल धन-वापसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। उत्पादन यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है, जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य का संचय होता है। ईसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, ईसीएल पिछले वर्षों के लिए टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के संचय का मामला ईसीएल द्वारा उच्च प्राधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है। न तो ईसीएल और न ही सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षकों के वित्तीय विवरणियों/प्रतिवेदन में निविष्टित कर जमा और उपर्युक्त तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरण का खुलासा किया है, जो इंड एएस-01 का उल्लंघन है। सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के अभिन्न अंग तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	

वार्षिक लेखा
2022-23

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
आस्तियाँ			
अप्रचलित आस्तियाँ			
अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	4,677.30	4,411.30
आ. पूँजीगत चालू कार्य	4	556.58	400.51
इ. अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ	5	713.71	684.40
ई. अमूर्त आस्तियाँ	6	15.36	2.08
उ. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ	6.1	-	9.16
ऊ. वित्तीय आस्तियाँ			
i. निवेश	7	0.08	0.08
ii. ऋण	8	0.05	0.10
iii. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	9	945.89	765.33
ए. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	36	1,003.26	904.97
ऐ. अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	10	1,113.29	878.34
कुल अप्रचलित आस्तियाँ (क)		**9,025.52**	**8,056.27**
चालू आस्तियाँ			
अ. वस्तुसूची	12	562.87	554.17
आ. वित्तीय आस्तियाँ			
i. निवेश	7	-	-
ii. व्यवसाय प्राप्य	13	1,564.50	2,504.20
iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	14	532.11	882.47
iv. अन्य बैंक अतिशेष	15	3,439.35	997.56
v. ऋण	8	-	-
vi. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	9	137.70	55.02
इ. चालू कर आस्तियाँ (निवल)		-	274.39
ई. अन्य चालू आस्तियाँ	11	1,910.85	1,409.17
कुल चालू आस्तियाँ (ख)		**8,147.38**	**6,676.98**
कुल आस्तियाँ (क+ख)		**17,172.90**	**14,733.25**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
साम्या एवं देयताएँ			
साम्या			
अ. साम्या शेयर पूँजी	16	4,269.42	4,269.42
आ. अन्य साम्या	17	(1,725.55)	(2,455.71)
कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या		2,543.87	1,813.71
कुल साम्या (क)		**2,543.87**	**1,813.71**
देयताएँ			
अप्रचलित देयताएँ			
अ. वित्तीय देयताएँ			
i. उगाही	18	155.94	151.04
iअ. पट्टा देयताएँ		-	
ii. अन्य वित्तीय देयताएँ	20	93.34	90.35
आ. प्रावधान	21	4,306.30	4,369.68
इ. अन्य अप्रचलित देयताएँ	22	315.39	2.63
कुल अप्रचलित देयताएँ (ख)		**4,870.97**	**4,613.70**
चालू देयताएँ			
अ. वित्तीय देयताएँ			
i. उगाही	18	7.79	7.36
iअ. पट्टा देयताएँ		-	
ii. व्यवसाय देय	19		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देनदारियाँ		2.41	0.84
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देनदारियाँ		991.14	1,095.19
iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	20	1,609.51	1,657.31
आ. अन्य चालू देयताएँ	23	4,212.81	4,262.20
इ. प्रावधान	21	2,909.62	1,282.94
ई. चालू कर देयताएं (निवल)		24.78	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		**9,758.06**	**8,305.84**
कुल साम्या एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**17,172.90**	**14,733.25**
निगमित सूचना	1		
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	38		
सहटिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09743117

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06664375

दिनांक : 25-04-2023
स्थान : सांकतोड़िया

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 302081ई

सीए बिमल कुमार बिश्वास
साझेदार,
सदस्यता संख्या. 055623

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
	परिचालन से राजस्व			
क.	विक्रय (सांविधिक करों का निवल)	24	14,769.29	10,301.45
ख.	अन्य परिचालनात्मक राजस्व (सांविधिक करों का निवल)	24	485.19	449.30
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**15,254.48**	**10,750.75**
(II)	अन्य आय	25	556.30	218.10
(III)	**कुल आय (I+II)**		**15,810.78**	**10,968.85**
	व्यय			
	सामग्री खपत की लागत	26	1,086.24	781.36
	तैयार माल, चालू कार्य एवं विक्रेय माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन	27	24.21	291.34
	कर्मी प्रसुविधा व्यय	28	9,927.37	7,983.79
	विद्युत शक्ति व्यय		425.44	434.92
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	29	6.92	13.86
	मरम्मति	30	176.78	192.87
	संविदात्मक व्यय	31	2,042.23	1,686.53
	वित्त लागत	32	64.85	163.66
	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	3,4,5,6	609.27	529.70
	प्रावधान	33	4.05	12.11
	बट्टे खाते	34	-	-
	अन्य व्यय	35	495.83	469.65
	विपट्टन गतिविधि समायोजन		153.64	(153.57)
(IV)	**कुल व्यय**		**15,016.83**	**12,406.22**
(V)	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)**		**793.95**	**(1,437.37)**
(VI)	अपवादात्मक मदे		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)**		**793.95**	**(1,437.37)**
(VIII)	**कर व्यय**	36		
	चालू कर		275.82	14.68
	आस्थगित कर		(98.29)	(391.39)
	कुल कर व्यय (VIII)		**177.53**	**(376.71)**
(IX)	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**616.42**	**(1,060.66)**

(रामबाबू पाठक)	**(श्याम सुंदर)**	**(मो. अंजार आलम)**	**(अंबिका प्रसाद पंडा)**
कंपनी सचिव	विभागीय प्रधान (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन- 09743117	डीआईएन-06664375

लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
	अन्य व्यापक आय	37		
	i. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		152.00	(65.42)
	ii. उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		38.26	-
	iii. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	iv. उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(X)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**113.74**	**(65.42)**
(XI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय**		**730.16**	**(1,126.08)**
	प्रति साम्या शेयर अर्जन (₹ में)			
	(शेयर का अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति)			
	1. मूल		**144.38**	**(415.52)**
	2. तनुकृत		**144.38**	**(415.52)**
निगमित सूचना		1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ		38		
सहटिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।				

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09743117

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06664375

दिनांक : 25-04-2023
स्थान : सांकतोड़िया

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 302081ई

सीए बिमल कुमार बिश्वास
साझेदार,
सदस्यता संख्या. 055623

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों की विवरणी

क. साम्या शेयर पूँजी

31-03-2023 को यथा

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	01-04-2022 को यथा शेष	पूर्व अवधि के त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01-04-2022 को यथा पूर्व नियत शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2023 को यथा शेष
₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से नकद में भुगतान	1,039.00	-	1,039.00	-	1,039.00
₹1000/- के 32304200 इक्विटी शेयर प्रत्येक को नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में आवंटित किया गया	3,230.42	-	3,230.42		3,230.42
कुल	**4,269.42**	**-**	**4,269.42**		**4,269.42**

31-03-2022 को यथा

(₹ करोड़ में))

विशिष्टयाँ	01-04-2021 को यथा शेष	पूर्व अवधि के त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01-04-2021 को पुनर्स्थापित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2022 को यथा शेष
10390000 Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid in cash	1,039.00	-	1,039.00	-	1,039.00
32304200 Equity Shares of ₹ 1000/- each allotted as fully paid up for consideration received other than cash	1,179.45	-	1,179.45	2,050.97	3,230.42
Total	**2,218.45**	-	**2,218.45**	**2,050.97**	**4,269.42**

ख. अन्य साम्या

31-03-2023 को यथा

(₹ करोड़ में)

विशिष्टयाँ	शेयर आवेदन राशि का लंबित आबंटन	शेयर आवेदन राशि का लंबित आबंटन	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
			सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुन:माप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01-04-2022 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,969.55)	(318.87)	(2,455.71)
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
01.04.2022 को यथा पूर्व नियत शेष	-	-	832.71	(2,969.55)	(318.87)	**(2,455.71)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	616.42	113.74	730.16
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजित	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों के मद	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,353.13)	(205.13)	**(1,725.55)**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

31-03-2022 को यथा

(₹ करोड़ में)

विशिष्टयाँ	शेयर आवेदन राशि का लंबित आबंटन	चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत का साम्या घटक	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
			सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनःमाप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01-04-2021 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,764.50)	(253.45)	(1,329.63)
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 को यथा पूर्व नियत शेष	-	**855.61**	**832.71**	**(2,764.50)**	**(253.45)**	**(1,329.63)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	(1,060.66)	(65.42)	(1,126.08)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(855.61)	-	855.61	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों की मदे	-	-	-	-	-	-
31-03-2022 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,969.55)	(318.87)	**(2,455.71)**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09743117

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06664375

दिनांक : 25-04-2023
स्थान : सांकतोड़िया

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 302081ई

सीए बिमल कुमार बिश्वास
साझेदार,
सदस्यता संख्या. 055623

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	
क.	**परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	कर पूर्व लाभ/(हानि)		**793.95**		**(1,437.37)**
	के लिए समायोजन :				
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय	609.27		529.70	
	ब्याज से आय	(200.07)		(68.82)	
	वित्त लागत	64.85		163.66	
	आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि	(19.08)		(0.02)	
	देयता एवं प्रावधान प्रतिलेखन	(194.21)		(43.02)	
	व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट	4.05		0.21	
	अन्य प्रावधान	-		11.90	
	विपट्टन गतिविधि समायोजन	153.64		(153.57)	
	विनियम दर अंतर पर हानि/(लाभ)	0.62	419.07	5.24	445.28
	चालू/अप्रचलित आस्तियों एवं देयताओं के पूर्व परिचालनात्मक लाभ/(हानि)		**1,213.02**		**(992.09)**
	के लिए समायोजन :				
	व्यवसाय प्राप्य (प्रावधान का निवल)	939.70		1,919.33	
	वस्तु-सूची	(8.70)		256.19	
	ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय आस्तियाँ	(753.15)		(159.57)	
	वित्तीय एवं अन्य देयताएँ	1,995.14		222.24	
	व्यवसाय देय	(102.48)	2,070.51	133.39	2,371.58
	परिचालन से उत्पन्न नकदी		**3,283.53**		**1,379.49**
	आयकर (प्रदत्त)/वापसी		23.35		255.33
	परिचालनात्मक गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (I)		**3,306.88**		**1,634.82**
ख.	**निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की क्रय	(1,129.25)		(1,214.81)	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों का विक्रय (निवल)	19.08		0.02	
	अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में परिवर्धन	(29.31)		(28.94)	
	सावधि जमा से आगम/(निवेश)	(2,620.36)		(496.17)	
	निवेशों से ब्याज	110.52	(3,649.32)	50.01	(1,689.89)
	निवेशित गतिविधियों (मे प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (II)		**(3,649.32)**		**(1,689.89)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	उधार-राशियों में (वापसी-चुकौती)/वृद्धि	(7.61)		(7.06)	
	वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्त लागत	(0.13)	(7.74)	(0.62)	(7.68)
	वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (III)		**(7.74)**		**(7.68)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (I+II+III)		**(350.18)**		**(62.75)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (प्रारंभिक शेष) (IV)	882.29		945.04	
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (अंतिम शेष) (V)	532.11	**(350.18)**	882.29	**(62.75)**

(कोष्ठक में सभी आँकड़े बहिर्गमन को व्यपदेशित करते हैं)

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09743117

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 302081ई
सीए बिमल कुमार बिश्वास
साझेदार,
सदस्यता संख्या. 055623

दिनांक : 25-04-2023
स्थान : सांकतोड़िया

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ :

(₹ करोड़ में)

		को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
1.	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	बैंकों पास नकदी या शेष	276.73	243.75
	जोड़ : अल्पावधि निवेश	255.38	638.72
	न्यून : बैंक ओवरड्राफ्ट	-	0.18
	नकदी एवं नकदी समतुल्य	532.11	882.29
	विनियम दर परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	नकदी एवं नकदी समतुल्य यथा अभिकथित	**532.11**	**882.29**

2. वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत देयाताओं में परिवर्तन

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत आस्तियों और देयताओं में उतार-चढ़ाव निम्नवत है :

		को यथा 31-03-2022	नकदी प्रवाह	नकदीतर प्रवाह*	को यथा 31-03-2023
	अ. अप्रचलित उधार [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	151.04	(7.61)	12.51	155.94
	आ. दीर्घावधि कर्ज का चालू परिपक्वता [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	7.18	-	0.61	7.79
	कुल	**158.22**	**(7.61)**	**13.12**	**163.73**

		को यथा 31-03-2021	Cash flows	Non Cash Flows*	को यथा 31-03-2022
	अ. अप्रचलित उधार [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	153.09	(7.18)	5.13	151.04
	आ. दीर्घावधि कर्ज का चालू परिपक्वता [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	6.95	0.12	0.11	7.18
	कुल	**160.04**	**(7.06)**	**5.24**	**158.22**

* विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण राशि समाविष्ट।

4. नकदी एवं नकदी समतुल्य कोई राशि समाविष्ट नहीं करती है जो कंपनी के अपने उपयोग के लिए अनुपलब्ध है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09743117

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06664375

दिनांक : 25-04-2023
स्थान : सांकतोड़िया

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 302081ई

सीए बिमल कुमार बिश्वास
साझेदार,
सदस्यता संख्या. 055623

टिप्पणी 1 : निगमित सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) को ईस्टर्न डिविजन ऑफ कोयला माइन्स प्राधिकरण लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ निहित आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करते हुए 01 नवंबर, 1975 को यथा कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी यथा एक निजी लिमिटेड कंपनी निगमित की गई थी। कंपनी प्रधानतः कोयला के उत्पादन एवं विक्रय के कारबार में संलग्न है।

कंपनी भारत में अधिवसित है और इसका पंजीकृत कार्यालय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया पोस्ट- डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्दमान, पिन - 713333 में है।.

टिप्पणी-2- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणी की निर्मिति का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 ("अधिनियम") एवं भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015) के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल या कंपनी) की वित्तीय विवरणी निर्मिति की गई है।

निम्नलिखित के सिवा, वित्तीय विवरणी मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर विनिर्मिति किए गए है:-

- उचित मूल्य पर मापित कतिपय आस्तियाँ एवं दयेताएँ (उद्धरण 2.14 में वित्तीय लिखतों पर लेखांकन नीति में संदर्भित);
- परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापित योजनागत आस्तियाँ;
- लागत पर वस्तुसूची या निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो (उद्धरण सं. 2.20 में लेखांकन नीति में संदर्भित)।

2.1.1 राशियों को पूर्णांकन

जब तक कि अन्यथा उपदर्शित नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणी में राशियों को दशमलव के दो अंकों तक "रूपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में उपदर्शित किए गए हैं।

2.2 चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में आस्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा आस्ति को यथा चालू मानी जाती है जब -

अ. यह अपने सामान्य परिचालनात्मक चक्र में आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा, अथवा इन्हें विक्रय या उपभोग करने का आशय, रखती हो;

आ. आस्ति को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;

इ. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह महीने के अंदर आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा रखती हो, अथवा

ई. आस्ति नकदी या नकदी समतुल्य है (भारतीय लेखांकन मानक 7 में यथा परिभाषित) जबतक कि प्रतिवेदित अवधि के पश्चात न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता का निपटान हेतु आस्ति का विनिमय या प्रयोग होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी आस्तियाँ यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा किसी देयता को यथा चालू मानी जाती है जब -

अ. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की प्रत्याशा रखती हो;

आ. देयता को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;

इ. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर देयता को निपटारित किए जाने के लिए देय हो, अथवा

ई. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का अशर्त अधिकार न हो। किसी देयता के निबंधन जो, प्रतिपक्ष के विकल्प पर, साम्या लिखतों के निर्गमन द्वारा इसके निपटारण के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

सभी अन्य देयताओं को यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए गए हैं।

2.3.1 राजस्व का निर्धारण

उपभोक्ताओं संग संविदाओं से राजस्व

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को निर्धारित किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर अंतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को प्रतिबिंबित करती है जिसके लिए कंपनी उन माल या सेवाओं के लिए विनिमय में हकदारिता की प्रत्याशा करती है। कंपनी ने साधारणतयः निश्चित किया है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इसे ग्राहक को अंतरित करने से पूर्व यह माल या सेवाओं को प्रारुपिकतया नियंत्रित रखती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच कदमों का प्रयोग करते हुए उपयोजित किया जाता हैः

कदम 1- संविदा को परिलक्षित करना :

किसी ग्राहक के साथ संविदा के लिए कंपनी केवल तब जवाबदेह होती है जब निम्नलिखित समस्त मानदंड पूर्ण होते हैं :

अ. संविदा के लिए पक्षकारों ने संविदा को अनुमोदित किया हों और अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध हों;

आ. कंपनी माल या सेवाएँ विषयक प्रत्येक पक्षकार के अधिकारों को हस्तांतरित किए जाने को परिलक्षित कर सकती हो;

इ. कंपनी माल या सेवाओं के लिए संदाय निबंधनों को अंतरित किए जाने को परिलक्षित कर सकती हो;

ई. संविदा में वाणिज्यिक तत्व (उदाहरणार्थ संविदा के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्यत नकदी प्रवाह के जोखिम, कालन या राशि में परिवर्तन प्रत्याशित की जाती है) हो; और

उ. यह अधिसंभाव्य है कि कंपनी माल और सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा के विनिमय में हकदारिता रखेगी के प्रतिफलों का संग्रहण करेगी। प्रतिफल की राशि जिसके लिए कंपनी यदि प्रतिफल परिवर्तनशील हो संविदा में अभिकथित कीमत से कम हो सकती है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायतें, बट्टे, रिबेट, धन-वापसी, साख या प्रोत्साहन की हकदारिता, कार्य-निष्पादन बोनस, या समरूप मदें प्रस्तावित कर सकती है में हकदारिता रखेगी।

संविदाओं का संयोजन

कंपनी दो या अधिक संविदाओं को उसी ग्राहक (या ग्राहक के संबद्ध पक्षकारों) के साथ उसी समय या उसके निकट संयोजित करती है और संविदाओं यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पूर्ण होते हैं को यथा एकल संविदा लेखा-जोखा देती है:

अ. संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ यथा एक पैकेज परक्रमामित की जाती हो;

आ. कीमत या अन्य संविदा के कार्य-निष्पादन पर एक संविदा में प्रतिफल की राशि संदाय किया जाना है निर्भर करती हो; या

इ. संविदाओं में माल या सेवाएं देने का वचन दिया हुआ हो (अथवा प्रत्येक संविदा में माल या सेवाएँ देने का वचन दिया हुआ हो) का एक एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हो।

संविदा उपांतरण

संविदा उपांतरण यथा पृथक संविदा के लिए कंपनी जिम्मेदार होती है यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ विद्यमान रहती हैं:

अ. वचनबद्धित माल और सेवाएं जो सुस्पष्ट है के परिवर्धन के कारण संविदा की व्याप्ति में वृद्धि होती हो और

आ. प्रतिफल की राशि के खाते से संविदा की कीमत में वृद्धि होती है जो कंपनी की वचनबद्धित अतिरिक्त माल या सेवाओं की और उस कीमत का कोई समुचित समायोजनों को विशिष्ट संविदा की परिस्थितियों को परावर्तित करने के लिए एकल बिक्री कीमत को परावर्तित करती हो।

कदम 2 : कार्य-निष्पादन दायित्वों को परिलक्षित करनाः

संविदा के प्रारंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में वचनबद्धित माल या सेवाओं को निर्धारित करती है और ग्राहक को हस्तांतरण करने के लिए प्रत्येक वचन यथा एक कार्य-निष्पादन दायित्व परिलक्षित करती है या तो :

अ. माल या सेवा (अथवा माल या सेवाओं का एक बंडल) जो विशिष्ट है; या

आ. विशिष्ट माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो सारतः समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का वही तरीका है।

कदम 3 : लेनदेन कीमत का अवधारण

लेनदेन कीमत को अवधारित करने के लिए कंपनी संविदा के निबंधनों और इसकी ग्राहकीय कारबार परिपाटियों का विचार करती है। तीसरे पक्षकारों की ओर से संगृहीत राशि को अपवर्जित करते हुए, लेनदेन कीमत प्रतिफल की राशि होती है जिसके लिए ग्राहक वचनबद्धित माल और सेवाओं के हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में कंपनी हकदारी की प्रत्याशा करती हो। ग्राहक के साथ संविदा में वचनबद्धित प्रतिफल में नियत राशियों, परिवर्तनशील राशियों, या दोनों, को समाविष्ट कर सकती है :

लेनदेन कीमत को निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित समस्त परिणामों पर विचार करती है :

- परिवर्ती प्रतिफल ;
- परिवर्ती प्रतिफल के प्राक्कलनों को आबद्ध करना;
- महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकदी प्रतिफल;
- ग्राहक को समुचित संदेय।

बट्टा, रिबेट, धन-वापसी, साख, कीमत रियायतें, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस, या अन्य समरूप मदों के कारण प्रतिफल की राशि परिवर्तित हो सकती है। वचनबद्धित प्रतिफल परिवर्तित भी हो सकती है यदि प्रतिफल के लिए कंपनी की हकदारी भविष्यत् घटनाओं के संयोग या असंयोग पर समाश्रित है।

कुछ संविदाओं में, शास्तियाँ विनिर्दिष्ट हैं। ऐसी दशाओं में, संविदा के सार के अनुसार शास्तियाँ निर्धारित होती हैं। जहाँ लेनदेन कीमत के अवधारण में शास्तियाँ अन्तर्निहित हैं, यह परिवर्ती प्रतिफल के हिस्से का विनिर्माण करती है।

कंपनी लेनदेन कीमत में केवल उस सीमा तक प्राक्कलित परिवर्ती प्रतिफल की किंचित या सभी राशियों को समाविष्ट करती है जिसकी अत्यंत अधिसंभाव्यता है कि संचयी राजस्व की निर्धारित राशि में एक महत्वपूर्ण उत्क्रमण नहीं होगा जब परिवर्ती प्रतिफल से सहयुक्त अनिश्चितता को तत्पश्चात संकल्पित किया जाता है।

एक विशिष्ट वित्तीय लिखत के प्रभाव के लिए कंपनी वचनबद्धित प्रतिफल की राशियों को समायोजित नहीं करती है यदि यह प्रत्याशित है कि, संविदा आरंभ में, जब एक ग्राहक को वचनबद्धित माल या सेवा हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए संदाय करता है के मध्य की अवधि एक साल या उससे कम होगी।

कंपनी एक प्रतिदाय देयता को निर्धारित करती है यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल का कुछ या संपूर्ण प्रतिदाय की प्रत्याशा करती है। प्राप्त (प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर प्रतिदाय देयता मापित की जाती है जिसके लिए कंपनी की हकदारिता (अर्थात् लेनदेन कीमत में राशि समाविष्ट नहीं है) अप्रत्याशित है। परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदाय देयता (और लेनदेन कीमत में तत्संबंधी परिवर्तन, और फलतः, संविदा देयता) को अद्यतन किया जाता है।

संविदा आंरभ होने के पश्चात्, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन जो प्रतिफल की राशि को परिवर्तित करती है सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन कीमत परिवर्तित हो सकती है जिसके लिए कंपनी वचनबद्धित माल या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की प्रत्याशा करती है।

कदम 4 : लेनदेन कीमत का विनिधान

राशि जो प्रतिफल की राशि को दर्शाता है जिसको कंपनी ग्राहकों को वचनबद्धित माल या सेवाओं के हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में हकधारिता की प्रत्याशा करती है में कंपनी के लिए लेन-देन कीमत के विनिधान करते समय उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या सुभिन्न माल या सेवा) को लेने-देन कीमत विनिधान करना है।

एक सापेक्ष एकल आधारित विक्रय कीमत पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व को लेनदेन विनिधान करने के लिए, कंपनी संविदा के आरंभ में संविदा में प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व में अन्तर्निहित सुभिन्न माल या सेवा का एकल विक्रय कीमत अवधारित करती है और उन एकल विक्रय कीमतों को अनुपाततः लेनदेन कीमत में विनिधान करती है।

कदम 5 : राजस्व निर्धारण :

कंपनी राजस्व निर्धारण करती है जब (या यथा) कंपनी किसी ग्राहक को वचनबद्धित माल या सेवा के हस्तांतरण द्वारा कार्य-निष्पादन दायित्व का निवर्हन करती है। कोई माल या सेवा हस्तांतरित किया जाता है जब (या यथा) ग्राहक उस माल या सेवा का नियंत्रण अभिप्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ किसी माल या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और, फलतः, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक पूर्ण होता है, समय के साथ किसी कार्य-निष्पादन दायित्व का निर्वहन और राजस्व निर्धारण करती है :

अ. कंपनी के कार्य-निष्पादन यथा कंपनी कार्य-निष्पादन करती है द्वारा ग्राहक को उपबंधित प्रसुविधाओं का एक साथ प्राप्ति और उसका उपभोग करती हो;

आ. कंपनी का कार्य-निष्पादन आस्ति को सृजित या में संवृद्धि करती हो जिसे ग्राहक यथा आस्तियों को सृजित या में संवृद्धि किया जाता है को नियंत्रित करता है;

इ. कंपनी का कार्य-निष्पादन कंपनी के लिए किसी वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास नियत तिथि तक पूर्ण कार्य-निष्पादन के संदाय का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

समय के साथ निर्वाहित प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए, कंपनी समय के साथ कार्य-निष्पादन दायित्व के पूर्ण निर्वहन की प्रगति के मापन द्वारा राजस्व निर्धारण करती है।

कंपनी समय के साथ निर्वाहित प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए प्रगति मापन का एकल विधि उपयोजित करती है और कंपनी समरूप कार्य-निष्पादन दायित्वों एवं समरूप परिस्थितियों में उस विधि का निरंतर उपयोजन करती है। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर, समय के साथ पूर्णतः निर्वाहित कार्य-निष्पादन दायित्व की अपनी प्रगति को पुनःमापित करती है।

कंपनी, संविदा के अधीन वचनबद्धित शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित मालों एवं सेवाओं के ग्राहक के लिए प्रत्यक्ष मापन के मूल्य के आधार पर राजस्व निर्धारण करने के लिए उत्पादन विधियों का उपयोजन करती है। विधियों यथा समय पर पूर्ण कार्य-निष्पादन का सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, तयशुदा हासिल, व्यपगत समय तथा उत्पादित इकाइयों या परिदत्त इकाइयों को निर्गत विधियों में समाविष्ट करती हैं।

समय के साथ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के परिणामों में किसी तरह के परिवर्तन को परावर्तित करने के लिए अपने अध्युपायों को अद्यतन करती है। भारतीय लेखांकन मानक सं. 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार कंपनी की प्रगति के अध्युपायों में ऐसे परिवर्तनों को लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन हिसाब में लिया जाता है।

कंपनी समय के साथ तुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व निर्धारित करती है तभी कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के पूर्ण तुष्टिकरण के लिए अपने प्रगति को युक्तियुक्त रूप से मापन कर सकती है। जब (या जैसे) कार्य-निष्पादन दायित्व तुष्ट हो जाती है तब कंपनी लेनदेन कीमत की राशि को यथा राजस्व निर्धारित करती है जिसमें परिवर्ती प्रतिफल के प्राक्कलनें जो कि निरूद्ध किए जाते हैं अपवर्जित होती है जिन्हें उस कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

यदि कोई कार्य-निष्पादन दायित्व समय के साथ तुष्ट नहीं होती है तो कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व को एक समय सीमा में तुष्ट करती है। समय सीमा जिसपर एक ग्राहक वचनबद्धित माल या सेवाओं के नियंत्रण की अभिप्राप्ति करता है को अवधारित करने के लिए, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के सूचकों को, जो निम्नलिखित को समाविष्ट करती है, लेकिन असीमित हैं, निर्धारण करती है :

अ. कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का सम्प्रति अधिकार होता है;

अ. कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का सम्प्रति अधिकार होता है;

इ. कंपनी ने माल या सेवा के वास्तविक दखल को हस्तांतरित किया है;

ई. ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व का विशिष्ट जोखिम और पारिश्रमिक होता है;

उ. ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार किया है।

जब संविदा के किसी भी पक्षकार ने कार्य-निष्पादन किया है तो कंपनी के कार्य-निष्पादन और ग्राहक को संदाय के बीच के संबंधों पर निर्भर होते हुए, कंपनी संविदा को तुलन पत्र में यथा संविदात्मक आस्ति या संविदात्मक देयता प्रस्तुत करती है। कंपनी पृथकतः प्रतिफल के लिए किसी भी अशर्त अधिकारों को यथा प्राप्य राशियाँ प्रस्तुत करती है।

संविदात्मक आस्तियाँ :

संविदात्मक आस्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल औए सेवाओं के लिए विनिमय में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी प्रतिफल के संदाय के पूर्व या बकाया संदाय के पूर्व ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा कार्य-निष्पादित करती है तो अर्जित प्रतिफल जो कि सशर्त होती है के लिए संविदा आस्ति निर्धारित की जाती है।

व्यवासय प्राप्य :

प्राप्य राशियाँ प्रतिफल राशि जो अशर्त होती है के लिए कंपनी के अधिकार को प्रदर्शित करती है (अर्थात्, प्रतिफल का संदाय देय है से पूर्व केवल समय का अबाध रूप अपेक्षित होती है)।

संविदात्मक देयताएँ :

संविदात्मक देयता एक ग्राहक को माल और सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए ग्राहक से कंपनी ने प्रतिफल (या प्रतिफल राशि देय हो) प्राप्त किया है। यदि कंपनी ने ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करता है के पूर्व ग्राहक प्रतिफल को संदाय करता है तो संविदा देयता निर्धारित की जाती है जब

संदाय किया जाता है या देय रहता है (जो भी पहले हो)। संविदात्मक देयताओं को यथा राजस्व निर्धारित की जाती है जब कंपनी संविदा के अधीन कार्य-निष्पादन करती है।

2.3.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ब्याज आय निर्धारित किया जाता है।

2.3.3 लाभांश

निवेशों से लाभांश आय तब निर्धारित किया जाता है जब संदाय की प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

2.3.4 अन्य दावें

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंब वसूली पर ब्याज सहित) को तब हिसाब दिया जाता हैं जब वसूली में निश्चितता हो और स्थिरता से मापन किया जा सकता हो।

2.4 सरकार से अनुग्रह

सरकारी अनुदान निर्धारित नहीं किए जाते हैं जब तक युक्तियुक्त आश्वासन ना हो कि कंपनी उनके साथ संलग्न निबंधनों का अनुपालन करेगी और कि युक्तियुक्त निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

सरकारी अनुदानों को अवधि से अधिक सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है जिसमें कंपनी यथा संबद्ध लागतों के व्यय को निर्धारित करती है जिसके लिए अनुदानों को प्रतिकर देना आशयित किया जाता है।

अनुदान यथा आस्थगित आय की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् आस्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अधीन लाभ-हानि विवरणी के भागरूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो पूर्व में उपगत व्ययों या हानियों के लिए या बिना भविष्यत् संबंधी लागतों के साथ कंपनी को तत्काल वित्तीय आलम्ब प्रदान करने के उद्देश्य के लिए यथा प्रतिकर प्राप्य बनता है, को अवधि के लाभ या हानि में निर्धारित किया जाता है जिसमें यह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदानों अथवा संप्रवर्तक के अभिदाय प्रकृति की अनुदानों को प्रत्यक्षतः "आरक्षित पूँजी" में निर्धारित होने चाहिए जो "शेयरधारकों की निधि" का अंश है।

2.5 पट्टा

संविदा एक पट्टा है या को अंतर्विष्ट करता है यदि संविदा प्रतिफल के विनिमय में एक अवधि के लिए परिलक्षित आस्ति के उपभोग के नियंत्रण के अधिकार को प्रवहित करता है।.

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

संविदा एक पट्टा है या को अंतर्विष्ट करता है यदि संविदा प्रतिफल के विनिमय में एक अवधि के लिए परिलक्षित आस्ति के उपभोग के नियंत्रण के अधिकार को प्रवहित करता है।

तिथि प्रारंभ होने पर, एक पट्टेदार लागत पर आस्ति के उपभोग का अधिकार और पट्टा संदायों जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए अप्रदत्त है के वर्तमान मूल्य पर पट्टाधृति देयता निर्धारित करना चाहिए जबतक कि पट्टा अवधि 12 महीने या इससे कम हो या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है

तत्पश्चात, लागत प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए आस्ति अधिकार के उपयोग का मापन किया जाता है यतः, पट्टा देयता पर ब्याज को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में वृद्धि, पट्टा पर हुए संदाय को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में कमी और किसी पुनःआकलन या पट्टा उपान्तरणों को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि के पुनर्मापण द्वारा पट्टादेयता को मापित किया जाता है।.

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभारों को वित्तीय लागतों में निर्धारित किया जाता है, जब तक कि लागतों को अन्य अनुप्रयुक्त मानकों को उपयोजित करने वाली एक अन्य आस्ति के वहनीय राशि में समाविष्ट नहीं किए जाते हैं।

आस्ति के उपयोग का अधिकार आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय ह्रासित हो जाता है, यदि पट्टा पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार को आस्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या यदि आस्ति के उपयोग के अधिकार के लागत को परावर्तित करता है कि पट्टेदार क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार आस्ति उपयोग अधिकार के उपभोगजन्य काल की समाप्ति या पट्टा निबंधन की समाप्ति के पूर्व आरंभ तिथि से आस्ति उपयोग अधिकार को ह्रासित करेगा।

2.5.2 कंपनी यथा एक पट्टाकर्ता

समस्त पट्टा या तो एक क्रियाशील पट्टा या एक वित्तीय पट्टे जैसा है।

एक पट्टा यथा वित्तीय पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के लिए आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित करता है। पट्टा को यथा परिचालनात्मक पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित नहीं करता है।

परिचालनात्मक पट्टा – परिचालनात्मक पट्टों से पट्टा संदाय को या तो एक सीधी कटौती के आधार पर यथा आय निर्धारित की जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से प्रसुविधा कम हो जाती है।

वित्तीय पट्टा – पट्टा में निवल निवेश को मापने के लिए पट्टा में अव्यक्त ब्याज दर का प्रयोग करते हुए पट्टा में निवल निवेश के समतुल्य राशि पर वित्तीय पट्टा के अधीन धारित आस्तियाँ प्रथमतः इसके तुलन-पत्र में निर्धारित किया जाता है और उसे यथा प्राप्य राशि दर्शाया जाता है।

2.6 विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियाँ

कंपनी यथा विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियों एवं (या व्ययन समुच्चय) को वर्गीकृत करती है यदि उसके वहनीय राशियाँ सतत उपयोग के जरिए इसके बजाय विक्रय के जरिए मूलतः प्रत्युद्धारित किया जाएगा। विक्रय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से प्रतीत होना चाहिए कि यह असंभाव्य है कि विक्रय में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या विक्रय करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित विक्रय के लिए प्रबंधन को प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए, विक्रय लेन-देन अन्य अप्रचलित आस्तियों के लिए अप्रचलित आस्तियों के विनिमयों को समाविष्ट करता है जब विनिमय में वाणिज्यिक सत्व हो। विक्रय वर्गीकरण के लिए धारित के मानदंड को तभी पूर्ण समझा जाता है जब आस्तियाँ या व्ययन समुच्चय अपने वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध हो, ऐसे आस्तियों (या व्ययन समुच्चय) के लिए केवल निबंधनों के अधीन जो विक्रय के लिए प्रायिक और रूढ़िगत है, इसका विक्रय अत्यंत अधिसंभाव्य है; और यह सचमुच में विक्रेय किया जाएगा, अपरित्यक्त रखा जाएगा। कंपनी आस्तियों के विक्रय या व्ययन समुच्चय को अत्यंत अधिसंभाव्य मानती है जब :

- प्रबंधन का उचित स्तर आस्ति (या व्ययन समुच्चय) के विक्रय के योजना के लिए प्रतिबद्ध हों,
- किसी क्रेता की अवस्थिति जानने और योजना के फलीभूत होने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम आरंभ किया गया हो,
- आस्ति (या व्ययन समुच्चय) को एक कीमत पर जो इसके वर्तमान उचित मूल्य पर युक्तियुक्त हो विक्रय के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा हो,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर यथा पूर्ण विक्रय निर्धारण के लिए विक्रय अर्हिति के लिए प्रत्याशित हो, और
- योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से उपदर्शित होता हैं कि यह असंभाव्य है कि योजना में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई)

ऐतिहासिक लागत पर भूमि को वहन किया जाता है। ऐतिहासिक लागत व्यय जो भूमि अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य जैसे, पुनर्वासन व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबद्ध विस्थापित व्यष्टियों के लिए उपगत भूमि के एवज में प्रतिकर आदि को समाविष्ट करता है।

निर्धारण के उपरांत, समस्त अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के वस्तु इनके लागत से किसी भी संचित मूल्यह्रास एवं किसी भी संचित क्षति हानियों को न्यून कर वहन की जाती है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद की लागत समाविष्ट करती हैं :

अ. व्यवसाय बट्टा और रिबेट की कटौती के उपरांत आयात शुल्क और अप्रतिदाय योग्य क्रय कर सहित इसका क्रय कीमत।

आ. प्रबंधन द्वारा आशातीत रूप में परिचालन समर्थ होने के लिए आस्ति को आवश्यक अवस्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य कोई लागत।

इ. वस्तु का विखण्डन एवं से निकालने और में अवस्थान पुनःस्थापन जिसपर अवस्थित है करने के लागतों का प्रारंभिक प्राक्कलन, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो तब जब वस्तु अधिगृहीत किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तुसूचियों को प्रस्तुत करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए एक विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उपगत करती है।

लागत के साथ संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण के वस्तु का प्रत्येक भाग/पुर्जे जो पृथकतः अवक्षयित वस्तु के कुल लागत के संबंध में विशिष्ट है। तदापि, अवक्षयण प्रभार को अवधारित करने में समान उपभोजित व्यवहार और अवक्षयण विधि वाले पीपीई वस्तु के विशिष्ट पुर्जा (पुर्जे) को एकसाथ संयुक्त किया जाता है।

यथा 'मरम्मति और अनुरक्षण' के लिए वर्णित दैनंदिन परिचरण की लागतों को अवधि में जिसमें वही उपगत किया जाता है लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वस्तु की कुल लागत के संबंध में विशिष्ट पुर्जों को निकालने का पाश्विक लागत वहनीय राशि में निर्धारित किए जाते हैं, यदि यह अधिसंभाव्य है कि वस्तु के साथ सहयुक्त भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवहित होंगी; और वस्तु की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। उन पुर्जों जो कि बदले गए हैं के वहनीय राशि निम्न उद्धृत अनिर्धारण नीति के अनुसार अनिर्धारित किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण निष्पादित किए जाते हैं, इसकी लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के वहनीय राशि में यथा प्रतिस्थापन निर्धारित किए जाते हैं यदि यह अधिसंभाव्य है कि मद के साथ सहयुक्त आगामी आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगी; और मद की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। पूर्व निरीक्षण के लागत का कोई शेष वहनीय राशि (भौतिक उपकरणों से यथा भिन्न) अनिर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद को निपटान या आस्तियों के सतत उपभोग से कोई आगत आर्थिक प्रसुविधाएँ प्रत्याशित नहीं होने पर अनिर्धारित किए जाते हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद के ऐसे अनिर्धारण से उद्भूत किसी भी अभिलाभ या हानि को लाभ और हानि में निर्धारित किया जाता है।

आस्ति के प्राक्कलित उपभोगजन्य काल में सीधी कटौती के आधार पर लागत प्रतिरूप के अनुसार, पट्टाधृति भूमि के सिवाय, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास यथा निम्न उपबंधित किया जाता है:

अन्य भूमि (पट्टाधृति भूमि)	: परियोजना के सक्रियता काल या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवन	: 3-60 वर्ष
सड़क	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे पार्श्वस्थल	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपस्कर	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैप्टॉप	: 3 वर्ष
कार्यालयीन उपस्कर	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपरि वर्णित उपभोगजन्य काल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रस्तुतीकरण करता है जिसपर प्रबंधन आस्ति के उपभोग की प्रत्याशा करता है। अतएव आस्तियों का उपभोगजन्य काल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग-ग के अधीन यथा विहित उपभोगजन्य काल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्ति का प्राक्कलित उपभोजन्य काल को पुनर्विलोकित किया जाता है।

आस्ति के कुछ मदों यथा कोयला टब, कुंडलन रज्जु, हाउलेज रज्जु, भराटि पाइप और सुरक्षा बत्ती आदि के सिवाय संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवशिष्ट मूल्य को यथा आस्ति के मूल लागत के 5% प्रतिफलित किया जाता है जिसके लिए तकनीकी प्राक्कलित उपभोगजन्य काल को एक वर्ष तक कुछ नहीं अवशिष्ट मूल्य हो अवधारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान परिवर्धित/निपटारित आस्तियों का मूल्यह्रास को परिवर्धन/निपटान के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर उपबंधित किया जाता है।

“अन्य भूमि” के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि को समाविष्ट करता है जो परियोजना के शेष कार्यकाल के आधार पर परिशोधित किया जाता है; और पट्टाधृति भूमि के मामलों में ऐसे परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष कार्यकाल जो भी कम हो पर आधारित होते है।

पूर्णतः अवक्षयित आस्तियों, सक्रिय उपभोग से निवृत्त संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अधीन इसके अवशिष्ट मूल्य पर यथा सर्वेयड ऑफ आस्तियों को पृथकतः प्रकटन किए जाते है और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

निश्चित आस्तियों के सन्निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा उपगत पूँजी व्यय जो उत्पादन, मालों की आपूर्ति के लिए या कंपनी के किसी विद्यमान आस्तियों तक पहुँच के लिए आवश्यक है को संपत्ति, संयत्र और उपकरण के अधीन यथा समर्थकारी आस्तियाँ निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों में संक्रमण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों की तिथि को यथा वित्तीय विवरणी में यथा निर्धारित अपने समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, पूर्व सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार मापन किए गए, लागत प्रतिरूप के अनुसार वहनीय मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया।

2.8 खान संवरण, स्थल पुनरूद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भूमि उद्धार एवं निर्मिति के अप्रवर्तन के लिए सतही और भूमिगत दोनों खदानों के व्यय पर कंपनी का दायित्व गठित होता है। कंपनी आवश्यक कार्य की विस्तृत संगणना, की राशि का तकनीकी मूल्यांकन एवं के निष्पादन में भविष्यत व्यय होने वाली नकदी का कालमापन के आधार पर खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार और अप्रवर्तन के लिए अपने दायित्व का प्राक्कलन करती है। अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार खान संवरण व्यय उपबंधित किया जाता है। मुद्रास्फीति से व्ययों के प्राक्कलन में वृद्धि होती है, और तब बट्टा दर पर भुनाई की जाती है जो धन का सामयिक मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है, जैसे कि उपबंधित राशि दायित्व को निपटान के लिए आवश्यक प्रत्याशित के व्यय के वर्तमान मूल्य को परावर्तित करती है। कंपनी अंतिम पुनःउद्धार एवं खान संवरण के लिए देयता के साथ सहयुक्त तत्संबंधी आस्ति को अभिलेखित करती है। दायित्व और तत्संबंधी आस्तियों को उस अवधि जिसमें देयता उपगत होती है में निर्धारण किया जाता है। खान संवरण योजना के अनुसार आस्ति जो कुल स्थल पुनरुद्धार लागत (सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा यथा प्राक्कलित) को प्रस्तुत कर रही है को पीपीई में यथा पृथक मद निर्धारित किया जाता है और परियोजना/खान के शेष कार्यकाल के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ प्रावधान का मूल्य यथा अकुंडलन भुनाई के प्रभाव से उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है जो वित्तीय व्यय के रूप में एक निर्धारित व्यय का सृजन कर रही है।

आगे, अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार इस प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट निलंब निधि खाता अनुरक्षित की जाती है।

संपूर्ण खदान संवरण दायित्व का भाग होने के आधार पर वर्ष प्रति वर्ष उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय प्रारम्भ में निलम्ब खाता से यथा प्राप्य निर्धारित किया जाता है और तत्पश्चात उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि को प्रमाणकर्ता अभिकरणों की सहमति के उपरांत आहरित किया गया है।

2.9 गवेषण एवं मूल्यांकन आस्तियाँ

गवेषण और मूल्यांकन आस्तियाँ पूँजीकृत लागतों को समाविष्ट करता है जो कोयला एवं संबंधित संपदाओं की खोज के फलस्वरूप किए गए माने जाते हैं, परिलक्षित संपदा की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारण के लंबित होने तक जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट है :

- गवेषण करने के अधिकारों का अर्जन;
- ऐतिहासिक गवेषण आँकड़ों का अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- स्थलाकृतिक, भू-रसायन एवं भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से गवेषण आँकड़ों का एकत्रीकरण;
- गवेषक प्रवेधन, खंदकन और प्रतिचयन;
- संपदा के परिमाण और श्रेणी का अवधारण और परीक्षण करना;
- परिवहन और अवसंरचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार एवं वित्त अध्ययनों का संचालन करना।

उपर्युक्त कर्मी पारिश्रमिक, सामग्रियों की लागत और खपत हुए ईंधन, संविदाकारों को संदाय आदि को समाविष्ट करता है।

यथा अमूर्त घटक उपगत हुए समग्र प्रत्याशित मूर्त लागतों के उपेक्षणीय/ अविभेद्य अंश को व्यपदिष्ट करता है और भविष्यत् संदोहन से प्रतिपूर्ति किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूँजीकृत गवेषण लागतों के साथ यथा गवेषण एवं मूल्यांकन आस्ति अभिलेखित किए जाते हैं।

गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारित होने तक परियोजन दर परियोजना के आधार पर पूँजीकृत किए जाते हैं और अप्रचलित आस्तियों के अधीन यथा पृथक सीमा मद प्रकटन किए जाते हैं।

एक बार प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अधीन "विकास" में स्थानांतरित किए जाते हैं। तदापि, यदि प्रमाणित निचय अवधारित नहीं किए जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्ति का अनिर्धारण किया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब पूँजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत सन्निर्माण के अधीन यथा आस्तियाँ निर्धारित किया जाता है और "विकास" शीर्ष के अधीन यथा पूँजी चालू कार्य घटक प्रकटन किया जाता है। समस्त पश्चातवर्ती विकास व्यय भी पूंजीकृत किए जाते हैं। विकास प्रावस्था के दौरान निष्कर्षित कोयले के विक्रय से आगमों का निवल पूँजीकृत विकास व्यय है।

वाणिज्यिक परिचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाए जाते हैं; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक तैयारी संधारणीय आधार पर उत्पादन प्राप्ति के लिए या तो परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्टतः विवरणित दशाओं के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं :

अ. वर्ष के ठीक पश्चात् वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना निर्धारित क्षमता का 25% के वास्तविक उत्पादन को प्राप्त करती है, या

आ. कोयले मिलने/कसौटी के 2 वर्ष तक, या

इ. वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजी चालू कार्य के अधीन आस्तियाँ "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के यथा घटक पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। अन्य खनन अवसंरचना उस वर्ष से, जब खान को 20 वर्षों या परियोजना कार्यकाल जो भी कम हो में राजस्व के अधीन लाया जाता है परिशोधित किए जाते हैं।

2.11 अमूर्त आस्तियाँ

पृथकतः अर्जित अमूर्त आस्तियों को लागत के प्रारम्भिक निर्धारण पर मापित किए जाते हैं। एक कारबार संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों के लागत अर्जन की तिथि पर उनका उचित मूल्य है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपभोगजन्य काल के उपर सीधी कटौती पद्धति पर संगणित) और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को न्यून करके उस लागत पर ले जाए जाते हैं।

अंतःजनित अमूर्तें, पूँजीकृत विकास लागतें रहित, पूँजीकृत नहीं किए जाते हैं। इसके स्थान पर, संबंधित व्यय उस अवधि में जिसमें व्यय उपगत होता है को लाभ-हानि विवरणी और अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। अमूर्त आस्ति के उपभोगजन्य काल का मूल्यांकन या तो अपरिमित या अनिश्चित के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियाँ उनके उपभोगजन्य आर्थिक काल के ऊपर परिशोधित किए जाते हैं और जब कभी उपदर्शन होता है कि अमूर्त आस्ति की क्षति हो सकती है तो क्षति के लिए मूल्यांकित किये जाते हैं। एक अपरिमित उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति न्यूनातिन्यून प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकन किए जाते हैं। प्रत्याशित उपभोगजन्य काल या आस्ति में सन्निहित भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाओं के उपभोग का प्रत्याशित स्वरूप में परिवर्तनें, यथोचित, परिशोधन अवधि या पद्धति के उपांतरण को प्रतिफलित किए जाते हैं और लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन व्यवहृत होते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

एक अनिश्चितार्थ उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्ति को परिशोधित नहीं किया जाता हैं लेकिन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर क्षति के लिए जाँच किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों के अनिर्धारण से उद्भूत अभिलाभ या हानि को यथा आस्तियों के निवल निपटान कार्यवाहियों और वहनीय राशि के मध्य अंतर मापित किए जाते हैं तथा लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

यद्यपि, बाह्य अभिकरणों (सीआईएल के लिए निश्चित नहीं किए गए खण्डों के लिए) को विक्रय के लिए या बिक्री किए जाने के लिए परिलक्षित खण्डों के लिए रोप्य गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को यथा अमूर्त आस्तियाँ वगीकृत किए जाते हैं और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

अनुसंधान और विकास यथा व्यय जैसे ही और जब उपगत होता है निर्धारित किया जाता है।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के बिना)

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में यदि कोई उपदर्शन है कि आस्ति को क्षति हो सकती है मूल्यांकित करती है। यदि ऐसे उपदर्शन विद्यमान होते हैं, कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि का प्राक्कलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो तो कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि को अनुमानित करती है। एक आस्ति की प्रत्युद्धरणीय राशि प्रयुक्त में आस्ति या नकदी जनन इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यष्टि आस्ति के लिए अवधारित किया जाता है, जब तक कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है, इस मामले में प्रत्युद्धरणीय राशि नकदी जनन इकाई जिससे आस्ति संबंधित है के लिए निर्धारित की जाती है। कंपनी क्षति के जाँच के प्रयोजनार्थ व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है।

यदि आस्ति का प्राक्कलित प्रत्युद्धरणीय राशि इसके वहनीय राशि से कम है तो इसके प्रत्युद्धरणीय राशि के लिए आस्ति के वहनीय राशि घटाए जाते हैं और लाभ हानि विवरणी में क्षति हानि निर्धारित किया जाता है।

2.13 निवेशित संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) भाटक अर्जित करने के लिए या पूँजी अधिमूल्यन या दोनों के लिए धारण किया जाता है, उत्पादन या माल या सेवा की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजन के लिए; या कारबारों के सामान्य अनुक्रम के विक्रय में प्रयुक्त करने के बजाय, को यथा निवेशित संपत्ति वर्गीकृत किए जाते हैं।

निवेशित संपत्ति प्रारंभतः संबंधित लेनदेन लागतें और जहाँ उधारी लागतें लागू है अपने लागत पर मापन की जाती है।

निवेशित संपत्तियाँ अपने प्राक्कलित प्रयोज्य सक्रियता के ऊपर सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यह्रासित किए जाते हैं।

2.14 वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत कोई भी एक संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय आस्ति और अन्य निकाय की वित्तीय देयता या साम्या लिखत को उत्पन्न करती है।

वित्तीय आस्तियाँ

2.14.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

समस्त वित्तीय आस्तियों को प्रारंभतः उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर अनभिलेखित वित्तीय आस्तियों के मामले में लेनदेन लागतों जो वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण से रोप्य है के जोड़ से निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आतियों के क्रय या विक्रय जिसके लिए बाजार स्थल (नियमित तरीके से व्यवसाय) में विनिमय या अभिसमय द्वारा अधिस्थापित समय-सीमा के भीतर आस्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है को व्यवसाय तिथि अर्थात् जिस तिथि पर कंपनी आस्ति के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2 पाश्चिक मापन

पाश्चिक मापन के प्रयोजन से, वित्तीय आस्तियों को चार प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैं :

- परिशोधित लागत पर कर्ज लिखतें
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें, व्युत्पन्नी और साम्या लिखतें
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर साम्या लिखतों को मापन किए गए।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'कर्ज लिखत' को परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ पूर्ण होती हैं:

अ. आस्ति को एक कारबार प्रतिरूप में धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए आस्तियों को धारण करना है, और

आ. आस्ति के संविदात्मक निबंधनें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती है जिसके मूलधन और ब्याज का संदाय (एसपीपीआई) केवल बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात्, ऐसे वित्तीय आस्तियाँ तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं। अधिग्रहण पर किसी तरह के बट्टे या प्रीमियम और शुल्कें या लागतें जो प्रभावी ब्याज दर का अनिवार्य भाग होता है को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागत को संगणित किया जाता

है। लाभ या हानि में वित्त आय में प्रभावी ब्याज दर परिशोधन समाविष्ट किया जाता है। क्षति से उद्भूत हानियों को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर कर्ज लिखत

एफवीटीओसीआई पर यथा एक 'कर्ज लिखत' वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं :

अ. कारबार प्रतिरूप का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को संगृहीत करने और वित्तीय आस्तियों को विक्रेय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

आ. आस्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को व्यपदिष्ट करता है।

एफवीटीओसीआई प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतें प्रारंभतः के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदित पर उचित मूल्य पर मापन किए जाते है। उचित मूल्य संचलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, कंपनी लाभ व हानि विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानि व उत्क्रमण और विदेशी विनिमय अभिलाभ या हानि को निर्धारित करती है। आस्ति के अनिर्धारण पर, ओसीआई में पूर्व निर्धारित संचयी अभिलाभ या हानि को साम्या से लाभ व हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करने के दौरान अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए यथा ब्याज आय ज्ञापित किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट प्रवर्ग है। किसी कर्ज लिखत, जो यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर यथा प्रवर्गीकरण के लिए मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, को यथा एफवीटीपीएल वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एफवीटीपीएल पर यथा कर्ज लिखत, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड पूर्ण करती है को अभिहित करने का चयन कर सकती है। तथापि ऐसे चयन केवल तभी अनुज्ञात किए जाते हैं जब ऐसा करने से मापन या अवधारण असंगति (लेखांकन असंतुलन के रूप में संदर्भित) कम होता है या दूर होता है। कंपनी ने किसी कर्ज लिखतों को यथा एफवीटीपीएल अभिहित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतों को लाभ-हानि में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

2.14.2.4 अनुषंगियों, सह एवं संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार (भारतीय लेखांकन मानक का प्रथमतः अंगीकरण), पूर्व जीएएपी (सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुसार इन निवेशों के वहनीय राशि यथा पारगमन की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता है। तत्पश्चात अनुषंगियों, सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत पर मापन किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 28 के 10वें पारा में यथा विहित साम्या विधि के अनुसार सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश लेखांकित किए जाते हैं।

2.14.2.5 अन्य साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 की व्याप्ति में समस्त अन्य साम्या निवेश लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

समस्त अन्य साम्या लिखतों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में पश्चात्वर्ती परिवर्तनों के लिए एक अप्रतिसंहरणीय चयन कर सकती है। कंपनी इस तरह के चयन लिखत दर लिखत के आधार पर करती है। प्रारम्भिक निर्धारण पर वर्गीकरण किया जाता है और अप्रतिसंहरनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई को यथा एक साम्या लिखत वर्गीकरण का निर्णय लेती है, तब लिखत में परिवर्तित समस्त उचित मूल्य, लाभांशों के सिवा, अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। निवेश की विक्रय पर भी अन्य व्यापक आय से लाभ-हानि विवरणी तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। तदापि, कंपनी साम्या के अंदर संचयी अभिलाभ या हानि को अंतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग के अंतर्गत समाविष्ट साम्या लिखतें लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

2.14.2.6 अनिर्धारण

एक वित्तीय आस्ति (या, जहाँ प्रयोज्य है, वित्तीय आस्ति का एक भाग या समरूप वित्तीय आस्तियों का एक समूह) को प्रधानतः अनिर्धारित किए जाते हैं (अर्थात तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

- आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका हो, या
- कंपनी ने आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के अधीन किसी तीसरे पक्षकार को तात्त्विक विलम्ब के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूर्णतः संदाय करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः

हस्तांतरण किया हो, या (ख) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः न तो हस्तांतरित किया हो न ही प्रतिधारित किया हो, बल्कि आस्ति के नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो।

जब कंपनी किसी आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस विस्तार तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पारिश्रमिकों को प्रतिधारित किया है। जब इसने आस्ति के जोखिमों और पारिश्रमिकों को सारतः न तो हस्तांतरित किया है और न ही प्रतिधारित किया है, न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है कंपनी कंपनी की सतत सहभागिता के विस्तार तक हस्तांतरित आस्ति को निर्धारण करना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी संबद्ध देयता का भी निर्धारण करती है। हस्तांतरित आस्ति और संबंधित देयता उस आधार पर मापित किए जाते हैं जो अधिकारों और दायित्वों जिसे कंपनी ने प्रतिधारित किया है को परावर्तित करता है। सतत सहभागिता जो हस्तांतरित आस्ति के ऊपर प्रत्याभूति का रूप लेती है आस्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर मापन किया जाता है और प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे कंपनी को संदाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय आस्तियों की क्षति (उचित मूल्य के बिना)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और साख जोखिम एक्सपोजर पर क्षति हानि के मापन और निर्धारण के लिए प्रत्याशित साख हानि (ईसीएल) प्रतिरूप को लागू करती है :

अ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं, और परिशोधित लागत अर्थात ऋणें, कर्ज प्रतिभूतियों, जमाराशियों, व्यवसाय प्राप्तियों और बैंक में अतिशेष पर मापन किए जाते हैं

आ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं और एफवीटीओसीआई पर मापन किए जाते हैं

इ) लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा प्राप्तियाँ

ई) व्यवसाय प्राप्तियाँ या नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेनों के परिणाम है और भारतीय लेखांकन मानक 115 की व्याप्ति के अंतर्गत है

कंपनी क्षति हानि भत्ता के निर्धारण के लिए अधोलिखित पर 'सरलीकृत उपागम' का अनुसरण करती है :

- व्यवसाय प्राप्तियाँ या संविदा राजस्व प्राप्तियाँ; और
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के विस्तार के अंतर्गत लेनदेनों के परिणामतः समस्त पट्टा प्राप्तियाँ।

सरलीकृत उपागम का अभ्यावेदन के लिए कंपनी को साख जोखिम में परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर, इसकी प्रारंभिक निर्धारण से ही, आजीवन प्रत्याशित साख हानियों (ईसीएल) के आधार पर क्षति हानि भत्ता को निर्धारित करती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताएँ बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यवसाय एवं अन्य देय राशियों, ऋणों और उधारों को समाविष्ट करती हैं।

समस्त वित्तीय देयताएँ प्रारंभतः उचित मूल्य पर और ऋणों एवं उधारों तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागतों पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.3.2 पाश्चिक मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण, यथा निम्न व्याख्यायित, पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यवसाय के लिए धारित वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा प्रारम्भिक निर्धारण के ऊपर अभिहित वित्तीय देयताओं को समाविष्ट करती है। वित्तीय देयताओं को यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किए जाते हैं यदि वे निकट अवधि में पुनःक्रय के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं। इस प्रवर्ग में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्नि वित्तीय लिखतें भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा यथा परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव लिखतों के रूप में अभिहित नहीं किया गया है। पृथक-पृथक अंतःस्थापित व्युत्पन्नि को भी यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें यथा प्रभावी बचाव लिखतें अभिहित नहीं किया जाता है।

व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर अभिलाभ या हानियाँ को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

लाभ या हानि के जरिए प्रारंभिक निर्धारण में उचित मूल्य पर अभिहित वित्तीय देयताएँ निर्धारण के प्रारंभिक तिथि पर उसी रूप में अभिहित किए जाते हैं, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड तुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में अभिहित देयताओं के लिए, अन्य व्यापक आय में अपने साख जोखिमों में परिवर्तन के लिए रोप्य उचित मूल्य अभिलाभ/हानि को निर्धारित किए जाते हैं। लाभ-हानि विवरणी में इन अभिलाभ/हानि को तत्पश्चात अंतरित नहीं किए जाते हैं। तदापि, कंपनी साम्या के अंतर्गत संचयी अभिलाभ/हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे देयताओं के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा किसी वित्तीय देयता को अभिहित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयातएँ

प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापन किए जाते हैं। अभिलाभ और हानियाँ लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं जब देयताओं को अनिर्धारण करने के साथ-साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रणाली के जरिए किए जाते हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी भी बट्टा या प्रीमियम और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ-हानि विवरणी में यथा वित्त लागत समाविष्ट किया जाता है। यह प्रवर्ग सामान्यतः उधार पर लागू होती है।

2.14.3.5 अनिर्धारण

एक वित्तीय देयता को अनिर्धारित किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व का उन्मोचन या रद्द किया जाता है या पर्यवसित हो जाता है। जब उसी ऋणदाता से सारतः भिन्न निबंधनों पर एक विद्यमान वित्तीय देयता को अन्य से प्रस्थापित किया जाता है या विद्यमान देयता के निबंधन सारतः उपांतरित किए जाते हैं, ऐसे विनिमय या उपांतरण वास्तविक देयता के अनिर्धारण और नई देयता के निर्धारण की तरह व्यवहृत होते हैं। किसी अन्य पक्षकार को निर्वापित या अंतरित वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) की वहनीय राशि और कोई अंतरित गैर-नकदी आस्तियों या अवधारित देयताओं को समाविष्ट करते हुए संदत्त प्रतिफल के मध्य के अंतर को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाएंगे।

2.14.4 वित्तीय आस्तियों का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारम्भिक निर्धारण पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, वित्तीय आस्तियाँ जो साम्या लिखतें और वित्तीय देयताएँ हैं के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के लिए जो ऋण लिखतें हैं, उन आस्तियों के प्रबंधन के लिए कारबार प्रतिरूप में यदि कोई परिवर्तन है तो पुनःवर्गीकरण किया जाता है। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यदा-कदा होना प्रत्याशित माना जाता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यथा बाह्य और आंतरिक परिवर्तन के परिणाम जो कंपनी के परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षकारों के लिए सुव्यक्त होते हैं। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन पाया जाता है जब कंपनी कोई गतिविधि जो इसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है के कार्य-निष्पादन को या तो प्रारम्भ करती है या प्रविरत हो जाती है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, यह पुनःवर्गीकरण तिथि जो कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन का अनुगामी तत्काल अगले प्रतिवेदित अवधि का प्रथम दिवस है से भविष्यलक्षी रूप से पुनःवर्गीकरण लागू करती है। कंपनी किसी पूर्व निर्धारित अभिलाभों, हानियों (क्षति अतिलाभ या हानियाँ सहित) या ब्याज का पुनःकथन नहीं करती है।

निम्न तालिका नानाविध पुनःवर्गीकरण और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन सुविधा
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर मापन किया जाता हैं। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर लाभ-हानि में निर्धारित किया जाता हैं।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहनीय राशि बन जाती है। नई वहनीय राशि के आधार पर प्रभावी ब्याज दर की संगणना की जाती है।
परिशोधित लागत	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य मापन किया जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में में कोई परिवर्तन नहीं है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर इसकी नई परिशोधित लागत वहनीय राशि बन जाता है। तदापि, अन्य व्यापक आय में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रतिकूल समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, आस्ति को मापित किया जाता है जहाँ तक, यह सदैव परिशोधित लागत पर मापित किया गया हो।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन सुविधा
एफवीटीपीएल	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहनीय राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियों को उचित मूल्य पर मापन किया जाना जारी है। अन्य व्यापक आय में निर्धारित पूर्व संचयी अभिलाभ या हानि को पुनःवर्गीकरण तिथि पर लाभ-हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय लिखत का प्रतितुलन

आस्तियों की प्राप्ति के साथ-साथ देयताओं के निपटान के लिए, वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय देयताओं को समंजन/प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है यदि निर्धारित राशियों को समंजन/प्रतितुलन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार हो और निवल आधार पर निपटान करने का आशय हो।

2.14.6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथ में नकदी तथा मूल परिपक्वता के तीन महीने या कम के साथ अल्पावधि जमाराशि, जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिमों के अध्यधीन है, समाविष्ट है। नकदी प्रवाह के समेकित विवरणी के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पावधि जमाराशियों, यथा उपरि परिभाषित, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है समाविष्ट है।

2.15 उधार लागत

उधार लागत को जैसे ही और जब उपगत होती है व्यय किया जाता है, सिवाय इसके कि जहाँ वे प्रत्यक्षतः अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए रोप्य होते हैं, अर्थात वे आस्तियाँ जो इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेती है, इस मामले में उस तिथि तक जब अर्हक आस्ति इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार हो उन आस्तियों के लागत के भाग के रूप में वे पूँजीकृत किए जाते हैं।

2.16 कराधान

आयकर व्यय तत्काल संदाय योग्य कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर-योग्य लाभ (कर हानि) की बाबत देय (अप्रतिसंहरणीय) आयकरों की राशि है। करयोग्य लाभ लाभ और हानि विवरणी तथा अन्य व्यापक आय में यथा ज्ञापित "आयकर पूर्व लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि यह आय या व्यय के मदों को जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य है को अपवर्जित करता है और यह आगे के मदों जो कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य नहीं है को अपवर्जित करता है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता कर को दरों जो प्रतिवेदित अवधि के अंत में अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किया गया है का उपयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएँ प्रायः समस्त कर-योग्य अस्थायी अंतर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ प्रायः समस्त कटौती-योग्य अस्थायी अंतर उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि कर-यो लाभ उपलब्ध होगा जिसके सहारे वे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसी आस्तियाँ और देयताएँ निर्धारित नहीं किए जाते हैं यदि लेन-देन में सदिच्छा से या अन्य आस्तियों और देयताओं के प्रारम्भिक निर्धारण (कारबार संयोजन से भिन्न में) से अस्थायी असमानताएँ उद्भूत होती हैं जो ना तो कर-योग्य लाभ को ना ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करती है।

आस्थगित कर देयताएँ अनुषंगियों और एसोसिएटों में निवेशों के साथ सहयुक्त कर-योग्य अस्थायी असमानताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जहाँ कंपनी अस्थायी असमानताओं के उलटाव को नियंत्रित करने के लिए समर्थ है और यह संभाव्य है कि अस्थायी असमानता पूर्वाभासी भविष्य में फिर से उलटाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और ब्याजों से सहयुक्त कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उद्भूत हो रहे आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जिसके सहारे अस्थायी अंतरों की प्रसुविधाएँ उपयोग किए जाएँगे।

आस्थगित कर आस्तियों के वहनीय राशि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकित किए जाते हैं और उस विस्तार तक अवनत किए जाते हैं कि यह अधिक संभावी नहीं हो कि समस्त या आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में उस विस्तार तक अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियाँ पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं कि यह संभाव्य हो चुका है कि समस्त या आस्थगित कर आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि जिसमें देयता निपटारित या आस्ति प्राप्त किए जाते हैं में संप्रयोजित करने के लिए प्रत्याशित होते हैं, कर दर (और कर विधियों) पर आधारित जो प्रतिवेदित अवधि के अंत तक अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किये गए हैं।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन कर परिणामों को परावर्तित करते हैं जो उस रीति से अनुसारित होते हैं जिसमें कंपनी प्रतिवेदित अवधि के अंत में, इसके आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के प्रत्युद्धरण या निपटान करने की प्रत्याशा करती है।

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जब वे मदों से संबंधित होते हैं जो केवल अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्षतः साम्या में निर्धारित किए जाते हैं, जिन मामलों में, वर्तमान और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष साम्या में भी निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ एक कारबार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर उद्भूत होता है, कारबार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव समाविष्ट किया जाता है।

2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.1 अल्पावधि प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ कर्मी प्रसुविधाएँ हैं (पर्यवासन से भिन्न) है जो वार्षिक प्रतिवेदित अवधि जिसमें कर्मीगण संबद्ध सेवा प्रदान करते हैं की समाप्ति के पश्चात के 12 माह पूर्व पूर्णतः निपटारित किए जाने की प्रत्याशा हैं।

अवधि जिसमें कर्मियों द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं में समस्त अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ एवं अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है जिसके अधीन कंपनी एक पृथक निकाय द्वारा अनुरक्षित निधि में नियत अंशदान का संदाय करती है और अगली राशि के संदाय के लिए कंपनी की कोई विधिक या आन्वयिक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व अवधि जिसके दौरान कर्मीगण द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं में लाभ और हानि विवरणी में यथा कर्मी प्रसुविधा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2.2 परिभाषित प्रसुविधाएँ योजना

परिभाषित प्रसुविधा योजना परिभाषित अंशदान योजना से भिन्न एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं की बावत कंपनी का निवल दायित्व आगत प्रसुविधा की राशि के प्राक्कलन द्वारा संगणना की जाती है जिसे कर्मी ने वर्तमान और पूर्वीक अवधि में अपनी सेवा के बदले उपार्जित किया है। प्रसुविधा, यदि कोई हो, इसके वर्तमान मूल्य को अवधारित करने के लिए बट्टाकृत किया जाता है और योजना आस्तियों के उचित मूल्य द्वारा अवनत किया जाता है। बट्टा दर प्रतिवेदित तिथि को यथा भारत के सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होते हैं जिसकी कंपनी के दायित्वों के निबंधनों सन्निकटक परिपक्वता तिथि होती है और जिसे उसी मुद्रा में जिसमें प्रसुविधाएँ संदत्त किया जाना प्रत्याशित है मूल्यवर्गित किए जाते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन का आवेदन बट्टा दर, आस्तियों पर प्रतिलाभ का प्रत्याशित दर, आगत वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के विषय में अवधारणाएँ निर्माण को अंतर्ग्रस्त करता है। इन योजनाओं के दीर्घावधि प्रकृति के कारण, ऐसे प्राक्कलन अनिश्चितताओं के अध्यधीन होते हैं। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र में संगणना संपादित किए जाते हैं। जब संगणना से कंपनी के प्रसुविधा को परिणाम आता है, निर्धारित आस्ति योजना से या योजना के लिए आगत अंशदान में कमी से किसी आगत प्रतिदायों के रूप में उपलब्ध आर्थिक प्रसुविधाओं के वर्तमान मूल्य के लिए सीमित की जाती है। कंपनी के लिए आर्थिक प्रसुविधा उपलब्ध होता है यदि यह योजना के कार्यकाल, या योजना देयताओं के निपटारण के दौरान वसूलीयोग्य होता है।

निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता का पुनर्मापण, जो योजना आस्तियों पर प्रत्यागम (ब्याज रहित) और आस्ति सीमा (ब्याज रहित, यदि कोई हो) के प्रभावों को विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानियों को समाविष्ट करता है तत्काल अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी अवधि के दौरान निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) में किसी भी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यथा अंशदान और प्रसुविधा संदायों के परिणामस्वरूप, उस निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को मापन करने के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के संप्रयोजन द्वारा उस अवधि के लिए निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

जब योजना की सुविधाएँ संवर्धित की जाती हैं, कर्मियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित वृद्धि हुई प्रसुविधाओं के भाग लाभ और हानि विवरणी में तत्काल यथा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.3 अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाओं, पश्च-नियोजन प्रसुविधाओं एवं पर्यवसान प्रसुविधाओं से भिन्न समस्त कर्मी प्रसुविधाएँ अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ उन मदों को समाविष्ट करती है जिसकी वार्षिक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसमें कर्मीगण संबंधित सेवाएँ देते हैं के बारह माह पूर्व निपटारित न होने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाओं के लिए, लाभ या हानि विवरणी में निम्नलिखित राशियों का निवल कुल निर्धारित किया गया है :

अ. सेवा लागत

आ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) पर निवल ब्याज

इ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

आर्थिक परिवेश की प्रधान मुद्रा होने की वजह से कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा और इसके बहुसंख्य संक्रिया के लिए प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (INR) में है जिसमें यह प्रचलित होती है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर परादेय विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरणियों में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के निपटान से या उस दर से भिन्न दरों जिसपर आरंभिक निर्धारण पर परावर्तित की गई थी पर मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के परावर्तित होने से उद्भूत विनिमय अंतरों को अवधि जिसमें वे उद्भूत हुए है में लाभ और हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों को मूल्यांकित किए जाते हैं।

2.19 विपट्टन गतिविधि व्यय या समायोजन

खुली खदान खनन के मामले में, कोयले तक पहुँच तथा इसके निष्कर्षण के लिए खदान अपशिष्ट सामग्रियाँ ("उपरिभार") जो कोयला सीम के शीर्ष पर मृदा और शैल के रूप में होती है को अपसारित करने की आवश्यकता होती है। इस अपशिष्ट हटाव गतिविधि को यथा 'विपट्टन' माना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खान के सक्रिय प्रयोज्यता / जीवन्तता पर ऐसे व्यय उपगत करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

अतः, यथा नीति, एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाले खदानों में, खनन के पश्चात विपट्टन गतिविधि आस्ति और अनुपात-अंतर लेखा में राजस्व को लाया जाता है के लिए सम्यक समायोजन के साथ प्रत्येक खदानों में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत विपट्टन अनुपात (उपरिभार:कोयला) पर विपट्टन की लागत को भारित किया जाता है

तुलन-पत्र तिथि पर विपट्टन गतिविधि आस्ति एवं अनुपात अंतर के निवल शेष को यथास्थिति अप्रचलित प्रावधानों / अन्य अप्रचलित आस्तियों के मद्द के अधीन यथा विपट्टन गतिविधि समायोजन दर्शित किया जाता है।

आलेखानुसार उपरिभार की प्रतिवेदित परिमाण को उपरिभार हटाव लेखांकन के लिए अनुपात संगणना में विचार किया जाता है, जहाँ प्रतिवेदित परिमाण और मापित परिमाण के बीच का अंतर अनुज्ञेय सीमा, यथा इसके अधीन वर्णित, के अंदर हो :-

खदान की उपरिभार का वार्षिक परिमाण	अंतर की अनुज्ञेय सीमा (%)
1 मि. घनमीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मि. घनमीटर के मध्य	+/- 3%
5 मि. घनमीटर से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहाँ अंतर अनुज्ञेय सीमाओं यथा उपर्युक्त से अधिक है, मापित परिमाण पर प्रतिफलित किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की निर्धारित क्षमता वाली खानों के मामले में, उक्त नीति उपयोजित नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान उपगत विपट्टन गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरणी में निर्धारित की जाती है।

2.20 वस्तुसूचियाँ

2.20.1 कोयला स्टॉक

कोयला/कोककारी की वस्तुसूचियाँ कम लागत और निवल वसूलयोग्य मूल्य पर अभिकथित की जाती है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके वस्तुसूचियों के लागतों की संगणना की जाती है। निवल वसूलयोग्य मूल्य वस्तुसूचियों के अनुमानित विक्रय कीमत से सभी अनुमानित पूरण लागतों और विक्रय करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर व्यपदेशन करता है।

बहीगत कोयला स्टॉक को खाता में विचार किया जाता है जहाँ बहीगत स्टॉक एवं मापित स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक है और जहाँ अंतर +/- 5% से अधिक है के मामले में मापित स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे स्टॉक निवल वसूलयोग्य मूल्य या लागत जो कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।

कोयला और कोककारी-सूक्ष्मक लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य के कमतर पर मूल्यांकित और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में प्रतिफलित किए जाते हैं।

कर्दम (कोककर/अकोककर), वाशारियों का मिडलिंग और उपोत्पादों का निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में विचार किया जाता है।

2.20.2 भण्डार एवं उपकरणें

Tकेंद्रीय और क्षेत्रीय भंडारों में भण्डारों एवं उपकरणों (जिसमें खुदरा औजारें भी सम्मिलित है) के स्टॉक को समूल्य भण्डार बही में दर्शित शेष के अनुसार विचार किया जाता है और भारित औसत विधि के आधार पर संगणित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/ उप-भण्डारों/ प्रवेधन कैम्पों/ उपभोगित केन्द्रों में पड़े भण्डारों एवं उपकरणों की वस्तुसूची को प्रत्यक्षतः सत्यापित भण्डारों के अनुसार वर्ष की समाप्ति पर विचार किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोरों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से अहस्तांतरित स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु-सूची

चालू कार्य सहित कर्मशालाएँ जाब को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस जाब के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं स्टेशनरी तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

यद्यपि, अमहत्त्वपूर्ण मूल्य वाले स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में पड़े के सिवाय), ईटें, रेत, दवा (केंद्रीय अस्पतालों के सिवाय), विमान के कल-पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तुसूची में नहीं रखा जाता है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ

प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है जब कंपनी के पास विगत घटना के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, और यह अधिसंभाव्य है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का सामयिक मूल्य भौतिक है तब दायित्व के निपटान के लिए प्रत्याशित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को अभिकथित किया जाता है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन किए जाते हैं और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं।

जहाँ यह अधिसंभाव्य नहीं होता है कि आर्थिक प्रसुविधाओं को निर्गमन की आवश्यकता होगी, या राशि को अनुमान स्थिरता से नहीं लगाया जा सकता है तब दायित्व को यथा आकस्मिक देयता प्रकटन किया जाता है, जबतक कि आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो। अधिसंभाव्य दायित्वों, जिसका अस्तित्व एक या अधिक भविष्यत् अनिश्चित घटनाओं जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न हो के घटित या अघटित होने के द्वारा केवल सुनिश्चित किया जाएगा, उसे यथा आकस्मिक देयताएँ भी प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक प्रसुविधाओं का निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, जब आय की वसूली अर्थतः निश्चित होती है तब संबद्ध आस्ति एक आकस्मिक आस्ति नहीं होती है और इसका निर्धारण समुचित होती है।

2.22 अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयर के भारित औसत संख्या को करोपरांत निवल लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को मूल अर्जन प्रति शेयर को व्युत्पन्नित करने और भी साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या जो समस्त तनुकृत रूपक संभाव्य साम्या शेयरों के रूपांतरण के लिए निर्गत किए गए हैं से प्रतिफलित साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या को करोपरांत लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है।

2.23 निर्णय, प्राक्कलन एवं ग्रहण

भारतीय लेखांकन मानक के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरणी की निर्मिति में प्रबंधन को प्राक्कलनों, निर्णयों और ग्रहणों जो आस्तियों एवं देयताओं के लेखांकन नीतियों एवं प्रतिवेदित राशियों के अनुप्रयोग, वित्तीय विवरणी की तिथि पर आकस्मिक आस्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती है के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। जटिल और विषयपरक निर्णयों वाले लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में ग्रहणों के उपयोग का प्रकटन किया गया है। लेखांकन प्राक्कलनें समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों का पुनर्विलोकन सतत आधार पर किया जाता है। अवधि जिसमें प्राक्कलन परिशोधित किए जाते है में लेखांकन प्राक्कलनों के लिए परिशोधनों को निर्धारित किए जाते हैं और, यदि तात्विक हो, इनके प्रभावों को वित्तीय विवरणियों के टिप्पणियों में प्रकटन किए जाते हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी के लेखांकन नीतियों के संप्रयोजन की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है जिनका वित्तीय विवरणी में निर्धारित राशियों पर अति विशिष्ट प्रभाव है।

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियाँ इस तरीके से विनिर्मित की जाती है कि, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों, अन्य घटनाओं और दशाओं के बारे में सुसंगत और विश्वसनीय संसूचना से युक्त वित्तीय विवरणी में परिणाम होता है जिन पर वे संप्रयोजित होते हैं। उन नीतियों को संप्रयोजित करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें संप्रयोजन करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में जो विनिर्दिष्टतः किसी लेनदेनों, अन्य घटनाओं या दशाओं के लिए संप्रयोजित होती है, प्रबंधन ने लेखांकन नीति के विकास और संप्रयोजन में अपना निर्णय प्रयोग किया है जो संसूचनाओं में यथा परिणाम देता है :

प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय-निर्माण जरूरतों के लिए सुसंगत और उस वित्तीय विवरणी में विश्वसनीय होता है :

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को निष्ठापूर्वक व्यपदिष्ट करता है; (ii) लेनदेनों, अन्य दशाओं और घटनाओं के आर्थिक उपादान को परावर्तीत करती है और केवल विधिक रूप को नहीं; (iii) तटस्थ रहता है, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त; (iv) प्रबुद्ध होता है और (v) अविरूद्ध आधार पर समस्त तात्विक विषयों में पूर्ण होते हैं।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों की संप्रयोज्यताओं को निदिर्ष्ट और विचार करती है :

अ. एक समान और संबंधित विवाद्यकों की कार्यवाही में भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताएँ।

आ. रूपरेखा में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय के लिए परिभाषाएँ, निर्धारण मानदंड और मापन संकल्पना।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की हाल की घोषणा को प्रतिफलित करती है और इसके अनुपस्थिति में उन अन्य मानक-समायोजक निकायों के जो उस विस्तार तक लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्यम प्रथाओं को विकसित करने के लिए समरूप संकल्पित रूपरेखा का प्रयोग करते हैं जो उपर्युक्त पैरा में स्रोतों के साथ संघर्ष नहीं करते हो।

कंपनी खनन सेक्टर में संचालन करती है (जहाँ गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरणें दशकों से चालू अवधि वाले पट्टा में विस्तृत विविधि स्थलाकृति और भूखननीय भूभाग पर आधारित हैं), विगत कई दशकों से इसके अविरुद्ध अनुप्रयोगों के ऋणी होते हुए अनुसंधान समितियों द्वारा आलंबित एवं विभिन्न विनियामकों द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों जिसका विशिष्ट उद्दयम प्रथाओं पर आधारित होता है को विकसित किया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन, और मानकों की अनुपस्थिति में जो उत्क्रमण की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के क्रम में लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से हिसाब लगाया जाएगा।

वित्तीय विवरणियों को लेखांकन के उपचय आधार का प्रयोग करते हुए चालू समुत्थान आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 तात्विक्ता

भारतीय लेखांकन मानक मदों के लिए जो तात्विक है को संप्रयोजित करता है। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह विनिश्चित करने में करता है कि क्या व्यष्टि मद या मदों के समूह वित्तीय विवरणों में तात्विक हैं। मद की प्रकृति या महता या दोनों के संदर्भ द्वारा तात्विक्ता को परखा जाता है। विनिश्चयन कारक यह है कि क्या किसी संसूचना को लोप या मिथ्या कथन या अस्पष्ट करना वैयक्तिक रूप से या अन्य संसूचना के संयोजन में उन निर्णयों जो प्राथमिक उपभोक्ताएँ वित्तीय विवरणी के आधार पर पर निर्मित करते हैं को संयुक्त रूप से प्रभावित कर सकता है। भारतीय लेखांकन मानक के आवश्यकता अनुरूप अवधारित करने के लिए प्रबंधन तात्विक्ता के निर्णय का भी प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विधि द्वारा आवश्यक होने पर पृथक्तः अतात्विक मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधियों से संबंधित वर्तमान वर्ष में खोजी गई भूलें/चूकें यथा अतात्विक माने जाते हैं और वर्तमान वर्ष में समायोजित किए जाते हैं, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल मिलाकर समस्त ऐसी भूलें और चूकें परिचालन से कुल राजस्व के 1% से अधिक नहीं होती हो।

2.23.2 प्राक्कलन एवं ग्रहण

प्रतिवेदित तिथि पर प्राक्कलन अनिश्चितता के आगत और अन्य प्रमुख स्रोतों के मद्धे प्रमुख ग्रहणों, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के वास्तविक समायोजन के कारण एक विशिष्ट जोखिम है, नीचे वर्णित है। जब समेकित वित्तीय विवरणी की विनिर्मिति किए जाते थे तब कंपनी ने उपलब्ध मापदण्डों पर अपने ग्रहणों और प्राक्कलनों को आधारित किया। आगत विकास को लेकर विदद्यमान परिस्थितियों और ग्रहणों, यद्यपि बाजार परिवर्तनों या उद्भूत परिस्थितियों, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, के कारण परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब वे घटित होते हैं ग्रहणों में परावर्तित होते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

हानि का एक उपदर्शन है यदि, किसी आस्ति या नकदी जनन इकाई का वहनीय मूल्य उसकी प्रत्युद्धरणीय राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है। संगणना में प्रयुक्त मूल्य एक डीसीएफ प्रतिरूप पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। प्रत्युद्धरणीय राशि डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के साथ-साथ बहिर्वेशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त प्रत्याशित भावी नकदी-अंतर्वाह और वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचना के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न सीजीयू के लिए प्रत्युद्धरणीय राशि अवधारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ग्रहणों का प्रकटन किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में व्याख्या किया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस विस्तार तक निर्धारित की जाती है कि यह अधिसंभाव्य है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों की उपयोगिता सिद्धि की जा सकती है। संभावित समय और भविष्य के कर-योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ

परिभाषित प्रसुविधा योजना और अन्य पश्च-नियोजन चिकित्सा प्रसुविधाओं की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न ग्रहणों को सृजित करना सम्मिलित है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें बट्टा दर, भविष्यत् वेतन वृद्धि और मृत्यु दर के निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में सम्मिलित जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित प्रसुविधा दायित्व इन ग्रहणों में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर सभी ग्रहणों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अध्यधीन मापदंड बट्टा दर है। भारत में परिचालित परियोजनाओं के लिए उचित बट्टा दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन पश्च-नियोजन प्रसुविधा दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉडों की ब्याज दरों को प्रतिफलित करती है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में अंतराल पर ही उन मृत्यु दर तालिकाओं में परिवर्तन होता है।

2.23.2.4 वित्तीय लिखत का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में अभिलेखित वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर उचित मूल्य मापित नहीं किए जा सकते हैं, डीसीएफ प्रतिरूप को समाविष्ट करते हुए सामान्यतः स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनके उचित मूल्य मापन किया जाता है। जहाँ संभव हो संप्रेक्षण योग्य बाज़ारों से इन प्रतिरूपों की निविष्टियाँ ली जाती हैं, लेकिन जहाँ यह साध्य नहीं है, उचित मूल्यों के स्थापन में निर्णय की प्रास्थिति की आवश्यकता होती है। निर्णयों में निविष्टियों के प्रतिफलों जैसे कि चलनिधि जोखिम, साख जोखिम, अस्थिरता और अन्य सुसंगत निविष्टि/प्रतिफलों को समाविष्ट करती है। इन कारकों के बारे में ग्रहणों और प्राक्कलनों में परिवर्तनें वित्तीय लिखतों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित करती है।

2.23.2.5 विकास के अधीन अमूर्त आस्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

2.23.2.6 खान संवरण, स्थल पुनरूद्धार एवं अप्रवर्तन दात्यिव के लिए प्रावधान

खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व के लिए उपबंध के उचित मूल्य के निर्धारित करने में, ब्याज दरों, स्थल पुनरुद्धार एवं निराकरण के प्रत्याशित लागत और उन लागतों के प्रत्याशित समय के संबंध में ग्रहणों और प्राक्कलनों को सृजित किए जाते हैं। कंपनी निम्न पर आधारित परियोजना/ खदान के कार्यकाल को विचार करते हुए डीसीएफ़ पद्धति का प्रयोग कर उपबंधों को प्राक्कलित करती है।

- कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर प्राक्कलित लागत,
- भारत सरकार
- बट्टा दर (पूर्व कर दर) जो मुद्रा का सामयिक मूल्य और देयता के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है।.

2.24 प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

अ.	सीजीयू	नकदी जनन इकाई
आ.	डीसीएफ	बट्टागत नकदी प्रवाह
इ.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
ई.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य
उ.	जीएएपी	सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
ऊ.	भा. ले. मा.	भारतीय लेखांकन मानक
ऋ.	ओसीआई	भारतीय लेखांकन मानक
ए.	पी&एल	लाभ और हानि
ऐ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर
ओ	एसपीपीआई	मूल और ब्याज
औ.	इआईआर	प्रभावी ब्याज दर

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग्स	भूमि पुनर्ग्रहण/ स्थल पुनर्स्थापन लागत	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहनों	हवाई जहाज	अन्य खनन अवसंरचना	अन्य	संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	कुल
सकल वहन राशि:															
01-04-2021 तक	345.55	1,188.33	650.92	1,859.94	24.05	182.56	372.01	221.15	36.42	2.79	-	922.29	2.55	5.57	**5,814.13**
परिवर्धन	95.33	271.73	54.13	805.06	2.40	4.61	48.83	2.29	8.37	0.31	-	79.82	0.16	-	**1,373.04**
हटाना/समायोजन	(5.66)	6.97	8.82	90.37	(1.67)	1.55	(2.27)	(112.11)	1.62	(0.01)	-	8.09	-	-	**(4.30)**
31-03-2022 तक	**435.22**	**1,467.03**	**713.87**	**2,755.37**	**24.78**	**188.72**	**418.57**	**111.33**	**46.41**	**3.09**	**-**	**1,010.20**	**2.71**	**5.57**	**7,182.87**
As at 01-04-2022	435.22	1,467.03	713.87	2,755.37	24.78	188.72	418.57	111.33	46.41	3.09	-	1,010.20	2.71	5.57	**7,182.87**
परिवर्धन	72.43	236.14	79.91	249.11	2.49	15.33	43.45	1.34	5.16	3.47	-	205.38	0.06	10.20	**924.47**
हटाना/समायोजन	(6.09)	5.75	(1.66)	12.94	0.22	(13.26)	(23.89)	(7.90)	(27.57)	0.15	-	3.80	(1.53)	(2.08)	**(61.12)**
31-03-2023 तक	**501.56**	**1,708.92**	**792.12**	**3,017.42**	**27.49**	**190.79**	**438.13**	**104.77**	**24.00**	**6.71**	**-**	**1,219.38**	**1.24**	**13.69**	**8,046.22**
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01-04-2021 तक	-	351.60	179.86	946.74	15.35	12.18	205.70	87.49	15.98	1.45	-	417.14	2.53	5.57	**2,241.59**
वर्ष के लिए शुल्क	-	93.61	38.26	240.19	2.55	11.76	34.22	3.39	4.56	0.18	-	56.83	-		- **485.55**
हानि (नेट)	-	-	-	1.06	-	-	-	-	-	-	-	39.38	-	-	**40.44**
हटाना/समायोजन	-	-	(0.63)	15.08	(2.11)	-	(2.57)	(10.28)	3.02	(0.13)	-	1.61	-	-	**3.99**
31-03-2022 तक	**-**	**445.21**	**217.49**	**1,203.07**	**15.79**	**23.94**	**237.35**	**80.60**	**23.56**	**1.50**	**-**	**514.96**	**2.53**	**5.57**	**2,771.57**
01-04-2022 तक	-	445.21	217.49	1,203.07	15.79	23.94	237.35	80.60	23.56	1.50	-	514.96	2.53	5.57	**2,771.57**
वर्ष के लिए शुल्क	-	126.01	37.77	281.29	2.54	11.60	29.32	2.60	5.95	0.39	-	57.73	-	0.04	**555.24**
हानि (नेट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.89	-	3.51	**48.40**
हटाना/समायोजन	-	(1.05)	(0.01)	(10.17)	0.24	-	-	9.63	(16.05)	0.26	-	15.03	(2.53)	(1.64)	**(6.29)**
31-03-2023 तक	**-**	**570.17**	**255.25**	**1,474.19**	**18.57**	**35.54**	**266.67**	**92.83**	**13.46**	**2.15**	**-**	**632.61**	**-**	**7.48**	**3,368.92**
शुद्ध वहन राशि															
31-03-2023 तक	**501.56**	**1,138.75**	**536.87**	**1,543.23**	**8.92**	**155.25**	**171.46**	**11.94**	**10.54**	**4.56**	**-**	**586.77**	**1.24**	**6.21**	**4,677.30**
31-03-2022 तक	**435.22**	**1,021.82**	**496.38**	**1,552.30**	**8.99**	**164.78**	**181.22**	**30.73**	**22.85**	**1.59**	**-**	**495.24**	**0.18**	**-**	**4,411.30**

टिप्पणी:

1. अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

फाइनेंसयिल स्टेटमेंट्स के नोट

(₹ करोड़ में)

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार है*/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड और अन्य भूमि	सुलह के तहत	ना	नहीं	ना	कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में अर्जित भूमि के लिए संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं होती है। अधिग्रहीत भूमि के अन्य सभी स्वामित्व विलेख कब्जे में हैं और फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में परिवर्तित हो गए हैं, जहां कानूनी औपचारिकताओं के लंबित रहने तक यह प्रगति पर है। 720.00 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दस्तावेजों/विलेखों का संकलन एवं मिलान कार्य प्रगति पर है।

2. भूमि- अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अर्जित भूमि भी शामिल है।

3. भूमि पुनर्ग्रहण/साइट पुनर्स्थापन लागत में खदान बंद होने के चरण में होने वाली अनुमानित लागत शामिल होती है जिसे मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत बढ़ाया जाता है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य की वर्तमान बाजार दर और जोखिम को दर्शाती है।

4. कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन और कोयला खदान बचाव संगठन से ली गई संपत्ति और देनदारियां, जिनके लिए कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, उनके मूल्य के निर्धारण तक खातों में शामिल नहीं किया गया है। कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन, कल्ला और केंद्रीय अस्पताल के साथ-साथ 4 अन्य अस्पतालों/डिस्पेंसरियों, माइंस रेस्क्यू स्टेशन, बराकर इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स के संबंध में कंपनी द्वारा हस्तांतरित और ली गई संपत्तियों और देनदारियों के लिए औपचारिक हस्तांतरण विलेख/समझौता अभी बाकी है। कंपनी के पक्ष में अंतिम रूप दिया जाएगा और निष्पादित किया जाएगा।

5. तकनीकी अनुमान के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

6. कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है और अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ मॉडल पर इसकी गणना की जाती है। छूट दर @8% मानी गई है। ₹ 48.40 करोड़ (₹ 40.44 करोड़) की हानि का आरोप लगाया गया है और शून्य (शून्य) को वर्ष के दौरान उलट दिया गया है और लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास/परिशोधन प्रमुख के तहत दिखाया गया है।

7. भवन में आवासीय/कार्यालय/खनन क्षेत्रों में स्थित सड़कें और पुलिया शामिल हैं।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 4 : पूँजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि :						
01.04.2021 को यथा	64.14	355.27	52.23	117.96	16.50	**606.10**
परिवर्धन	48.64	212.60	67.84	101.35	3.45	**433.88**
पूँजीकरण / अपमार्जन	(40.64)	(507.53)	(4.39)	(57.69)	(4.79)	**(615.04)**
31.03.2022 को यथा	**72.14**	**60.34**	**115.68**	**161.62**	**15.16**	**424.94**
01.04.2022 को यथा	72.14	60.34	115.68	161.62	15.16	**424.94**
परिवर्धन	70.58	262.35	72.39	106.33	1.22	**512.87**
पूँजीकरण / अपमार्जन	(60.26)	(99.06)	(18.47)	(169.58)	(15.26)	**(362.63)**
31-03-2023 को यथा	**82.46**	**223.63**	**169.60**	**98.37**	**1.12**	**575.18**
प्रावधान एवं क्षति						
01.04.2021 को यथा	0.10	1.79	-	16.87	0.06	**18.82**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.39	-	0.25	-	**0.64**
क्षति (निवल)	-	(1.06)	-	3.02	-	**1.96**
अपमार्जन / समायोजन	0.42	1.42	-	1.15	0.02	**3.01**
31.03.2022 को यथा	**0.52**	**2.54**	**-**	**21.29**	**0.08**	**24.43**
01.04.2022 को यथा	0.52	2.54	-	21.29	0.08	**24.43**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	**-**
क्षति (निवल)	-	0.32	-	1.47	-	**1.79**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	-	(7.62)	-	**(7.62)**
31-03-2023 को यथा	**0.52**	**2.86**	**-**	**15.14**	**0.08**	**18.60**
निवल वहनीय राशि						
31-03-2023 को यथा	**81.94**	**220.77**	**169.60**	**83.23**	**1.04**	**556.58**
31.03.2022 को यथा	**71.62**	**57.80**	**115.68**	**140.33**	**15.08**	**400.51**

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान तथा लाभ और हानि विवरणी में मूल्यह्रास/परिशोधन शीर्ष के अधीन दर्शित ₹1.79 करोड़ (₹1.96 करोड़) के क्षति राशि को प्रभारित किया गया है एवं कुछ नहीं (कुछ नहीं) प्रतिवर्ती किया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

(अ) 31.03.2023 को यथा पूँजीगत चालू कार्य के लिए काल प्रभावन अधसूची :"

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	45.45	15.10	5.20	16.50	82.25
संयंत्र एवं उपस्कर	137.43	73.42	5.72	7.06	**223.63**
रेलवे पार्श्वस्थल	65.94	61.04	4.88	37.74	**169.60**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	33.51	31.99	8.47	22.27	**96.24**
अन्य	0.44	0.36	-	0.32	**1.12**
कुल (क)	**282.77**	**181.91**	**24.27**	**83.89**	**572.84**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
मंदारबोनी कोलियरी के फुटबॉल मैदन के चारों ओर चाहरदीवारी	-	0.11	-	-	**0.11**
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन डालुरबाध में पहुँच आरसीसी सड़क का निर्माण	-	-	-	0.10	**0.10**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन पाण्डवेश्वर भूमिगत खान में वापसी सड़क मार्ग के साथ रूफ बोल्टिंग	-	-	-	0.02	**0.02**
खोट्टाडीह भूमिगत खान में सेक्शनल टॉपिंग का निर्माण				0.01	**0.01**
सोनपुर बजारी क्षेत्र में 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के समीप 5 नम्बर 6.6 किलो वोल्ट फीडर स्थान से परित्यक्त 4 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के जरिए खान घेरा के साथ बांधबोहल ग्राम के समीप एवं शंकरपुर डम्प तक एवं 01 नम्बर 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र से पथांतरित राष्ट्रीय मार्ग-60 के साथ सेक्टर 3 तक का स्थानांतरण				2.10	**2.10**
कुल (ख)	**-**	**0.11**	**-**	**2.23**	**2.34**
कुल जोड़ (क + ख)	**282.77**	**182.02**	**24.27**	**86.12**	**575.18**

(आ) 31-03-2023 को यथा पूँजीगत चालू कार्य बकाया

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला) :					
झांझरा परियोजना में लॉड्गवाल कर्मशाला निर्माण	5.35	-	-		**5.35**
संयंत्र एवं उपस्कर :					
झांझरा परियोजना में सीएचपी का निर्माण	65.32				**65.32**
रेलवे पार्श्वस्थल :					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा रेलवे पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	76.79				**76.79**
अन्य खनन अवसंरचना :					
झांझरा परियोजना में अपवहन सुरंग मार्ग	4.08				**4.08**
कुल	**151.54**	**-**	**-**	**-**	**151.54**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

(इ) 31-03-2022 को यथा महत्वपूर्ण पूँजीगत चालू कार्य के लिए काल प्रभावन अधिसूची : **(₹ करोड़ में)**

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	27.75	15.98	17.99	10.30	**72.02**
संयंत्र एवं उपस्कर	49.44	4.23	0.36	6.31	**60.34**
रेलवे पार्श्वस्थल	63.82	7.14	12.06	14.86	**97.88**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	55.70	17.97	16.26	71.43	**161.36**
अन्य	1.57	2.95	0.59	10.05	**15.16**
कुल (क)	**198.28**	**48.27**	**47.26**	**112.95**	**406.76**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत माधाईपुर में उच्च विभवी एवं निम्न विभवी उप-स्टेशन कक्ष का निर्माण	-	-	-	0.02	**0.02**
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत डालुरबांध में आरसीसी सड़क तक पहुँच मार्ग का निर्माण	-	-	-	0.10	**0.10**
रेलवे पार्श्वस्थल					
श्रीपुर क्षेत्र के अधीन भनोड़ा पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	-	-	-	17.80	**17.80**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत खोट्टाडीह भूमिगत खान में अनुभागीय टॉपिंग का निर्माण	-	-	-	0.24	**0.24**
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत पाण्डवेश्वर भूमिगत खान में वापसी मार्ग के साथ-साथ छत बोल्टिंग	-	-	-	0.02	**0.02**
कुल (ख)	**-**	**-**	**-**	**18.18**	**18.18**
कुल जोड़ (क + ख)	**198.28**	**48.27**	**47.26**	**131.13**	**424.94**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

(ई) 31-03-2022 को यथा महत्वपूर्ण पूँजीगत चालू कार्य के लिए बकाया :

(₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्षों से अधिक**	**कुल**
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अधीन बेलबाद कोलियरी में सिउड़ी सड़क बेलबाद मोड़ जंक्शन से बेलबाद रेलवे पार्श्वस्थल एवं सड़क तोलन वेदी तक सिमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण	-	1.31	-	-	**1.31**
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अधीन सोनाचोरा खुली खदान परियोजना से परासिया रेलवे क्रॉसिंग तक एक आरसीसी बॉक्स नाला के निर्माण के साथ बिटुमिनस कोयला परिवहन सड़क का निर्माण	-	3.89	-	-	**3.89**
सोनपुर बजारी परियोजना के अधीन सोनपुर बजारी परियोजना (कुल लंबाई 4800 मीटर) के तहत परिधीय ढुलाई सड़क से नई सीएचपी (2500 मीटर) तथा आईसीएल क्रशर केंद्र से नई सीएचपी (2300 मीटर) तक डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण	8.86	-	-		**8.86**
रेलवे पार्श्वस्थल					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा रेलवे पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	-	1.07	-	-	**1.07**
अन्य					
श्रीपुर क्षेत्र के अंतर्गत कालीपहाड़ी में शिरोपरि विद्युत तार का स्थानांतरण	9.98	-	-	-	**9.98**
सोनपुर बजारी क्षेत्र में 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के समीप 5 नम्बर 6.6 किलो वोल्ट फीडर स्थान से परित्यक्त 4 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के जरिए खान घेरा के साथ बांधबोहल ग्राम के समीप एवं शंकरपुर डम्प तक एवं 01 नम्बर 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र से पथांतरित राष्ट्रीय मार्ग-60 के साथ सेक्टर 3 तक का स्थानांतरण	2.10	-	-	-	**2.10**
कुल	**20.94**	**6.27**	**-**	**-**	**27.21**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 5 : अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :		
01.04.2021 को यथा		655.46
परिवर्धन		28.94
अपमार्जन / समायोजन		-
31.03.2022 को यथा		**684.40**
01.04.2022 को यथा		684.40
परिवर्धन		29.31
अपमार्जन / समायोजन		-
31-03-2023 को यथा		**713.71**
प्रावधान एवं क्षति		
01.04.2021 को यथा		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
क्षति (निवल)		-
अपमार्जन / समायोजन		-
31.03.2022 को यथा		-
01.04.2022 को यथा		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
क्षति (निवल)		-
अपमार्जन / समायोजन		-
31-03-2023 को यथा		-
निवल वहनीय राशि		
31-03-2023 को यथा		**713.71**
31.03.2022 को यथा		**684.40**

टप्पिणी :

1. झारखण्ड राज्य में तीन कोयला ब्लॉकों नामतः अमराकोण्डा-मुर्गादंगल, ब्राह्मिणी और चिचरी-पिस्तिमल के आबंटन के कारण अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ में ₹443.84 करोड़ (₹443.84 करोड़) की राशि समाविष्ट किया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

2. अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ

(अ) 31-03-2023 को यथा महत्वपूर्ण अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ के लिए काल प्रभावन अधिसूची :

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ	29.31	28.94	16.61	638.85	**713.71**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**29.31**	**28.94**	**16.61**	**638.85**	**713.71**

(ख) 31-03-2023 को यथा महत्वपूर्ण अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ बकाया :

(₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(इ) 31-03-2022 को यथा महत्वपूर्ण अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ के लिए काल प्रभावन अधिसूची :

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ	28.94	42.33	42.44	570.69	**684.40**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**28.94**	**42.33**	**42.44**	**570.69**	**684.40**

(ई) 31-03-2022 को यथा महत्वपूर्ण अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ बकाया :

(₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 6 : अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि :			
01.04.2021को यथा	3.20	-	**3.20**
परिवर्धन	0.41	-	**0.41**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31.03.2022 को यथा	**3.61**	**-**	**3.61**
01.04.2022 को यथा	3.61	-	**3.61**
परिवर्धन	17.12	-	**17.12**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2023 को यथा	**20.73**	**-**	**20.73**
परिशोधन एवं क्षति			
01.04.2021 को यथा	0.42	-	**0.42**
वर्ष के लिए प्रभार	1.11	-	**1.11**
क्षति	-	-	**-**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31.03.2022 को यथा	**1.53**	**-**	**1.53**
01.04.2022 को यथा	1.53	-	**1.53**
वर्ष के लिए प्रभार	3.84	-	**3.84**
क्षति	-	-	**-**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2023 को यथा	**5.37**	**-**	**5.37**
निवल वहनीय राशि			
31-03-2023 को यथा	15.36	-	15.36
31.03.2022 को यथा	2.08	-	2.08

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 6.1 : विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विकास के अधीन ईआरपी
सकल वहनीय राशि :	
01.04.2021 को यथा	**-**
परिवर्धन	**9.16**
अपमार्जन / समायोजन	**-**
31.03.2022 को यथा	**9.16**
01.04.2022 को यथा	**9.16**
परिवर्धन	7.62
अपमार्जन / समायोजन	**(16.78)**
31-03-2023 को यथा	**-**
परिशोधन एवं क्षति	
01.04.2021 को यथा	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	**-**
क्षति	**-**
अपमार्जन / समायोजन	**-**
31.03.2022 को यथा	**-**
01.04.2022 को यथा	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	**-**
क्षति	**-**
अपमार्जन / समायोजन	**-**
31-03-2023 को यथा	**-**
निवल वहनीय राशि	
31-03-2023 को यथा	-
31.03.2022 को यथा	9.16

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

2. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

(अ) 31-03-2023 को यथा विकास के अधीन महत्वपूर्ण अमूर्त आस्तियाँ के लिए काल : (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी :	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(आ) 31-03-2023 को यथा विकास के अधीन महत्वपूर्ण अमूर्त आस्तियाँ बकाया :

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(इ) 31-03-2022 को यथा विकास के अधीन महत्वपूर्ण अमूर्त आस्तियाँ के लिए काल :

	की अवधि के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी :	9.16	-	-	-	**9.16**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**9.16**	-	-	-	**9.16**

(ई) 31-03-2022 को यथा विकास के अधीन महत्वपूर्ण अमूर्त आस्तियाँ बकाया :

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष/(पूर्व वर्ष) शेयरों की संख्या	₹ में अंकित मूल्य प्रति शेयर	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
अप्रचलित				
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)				
i) कोल माइन्स ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी"	500	1000	0.05	0.05
वर्गीय शेयर	(500)	(1000)		
ii) डिसेरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 1000	1000	100	0.01	0.01
"डी" वर्गीय शेयर	(1000)	(100)		
iii) मुगमा कोलफील्ड्स कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर	4000	25	0.01	0.01
लि. में 4000 शेयर	(4000)	(25)		
iv) सोदपुर कोलियरी इंप्लॉइईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि.	500	100	0.005	0.005
में "बी" वर्गीय शेयर	(500)	(100)		
v) धेनोमेन कोलियरी इंप्लॉइईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि.	500	100	0.005	0.005
में "बी" वर्गीय शेयर	(500)	(100)		
कुल			**0.08**	**0.08**
अउद्धृत निवेशों का सकल राशि			**0.08**	**0.08**
उद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			-	-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल राशि			-	-
चालू				
पारस्परिक निधि निवेश				
यूटीआई पारस्परिक निधि			-	-
एलआईसी पारस्परिक निधि			-	-
एसबीआई पारस्परिक निधि			-	-
केनरा रोबेको पारस्परिक निधि			-	-
यूनियन केबीसी पारस्परिक निधि			-	-
बीओआई एक्सा पारस्परिक निधि			-	-
8.5% कर मुक्त विशिष्ट बॉण्ड (पूर्णतः समादत्त) :				
अप			-	-
कुल			**-**	**-**
अउद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			-	-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल राशि			-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
अप्रचलित				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	0.05		0.10	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	0.05		0.10	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	0.05	-	0.10
कुल		**0.05**		**0.10**

टिप्पणियाँ :

1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(घ)(v) में संदर्भित

2. संबद्ध पक्षकारों को अप्रचलित ऋणों का ब्यौरे

उधारकर्ता का प्रकार	31-03-2023		31-03-2022	
	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %
संप्रवर्तक	-	-	-	-
निदेशकगण	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
चालू				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	-
कुल		**-**		**-**

टिप्पणियाँ :

1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(घ)(v) में संदर्भित

2. संबद्ध पक्षकारों को चालू ऋण का ब्यौरे

उधारकर्ता का प्रकार	31-03-2023		31-03-2022	
	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %	सकल बकाया राशि	सकल बकाया राशि
संप्रवर्तक	-	-	-	-
निदेशकगण	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 9 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
अप्रचलित				
प्रतिभूति जमाराशियाँ	23.77		21.78	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट	21.20	2.57	21.20	0.58
12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ		72.73		0.22
के अधीन बैंक के पास जमाराशियाँ				
खान पूर्णता योजना		870.59		764.53
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना		-		-
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	-		-	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट	-	-	-	-
कुल		**945.89**		**765.33**

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान खान पूर्णता निलंब खाता के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में/से ₹68.71 करोड़ (₹64.04 करोड़) जमा किया गया है और ₹0.00 करोड़ (₹20.38 करोड़) निर्मुक्त किया गया है।
2. वर्ष के दौरान खान पूर्णता निलंब खाता के प्रति यथा ब्याज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ₹37.35 करोड़ (₹21.45 करोड़) जमा किया गया है।
3. प्रतिभूति जमाराशियाँ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्य था विद्युत शुल्क की वापसी के अंतर्गत हैं ₹ 20.86 करोड़ (₹ 20.86 करोड़) शामिल हैं।
4. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(घ)(v)
5. निलंब खाता शेष का समाधान:

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
आरंभिक तिथि पर निलंब खाता में शेष	764.53		699.42	
जोड़ : चालू वर्ष के दौरान जमाशेष	68.71		64.04	
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा ब्याज	37.35		21.45	
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी राशि	-		20.38	
लेखाबंदी तिथि पर निलंब खाता में शेष	**870.59**		**764.53**	
चालू				
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता शेष	-		-	
न्यून : अनुषंगियों के साथ संदिग्ध शेषों के लिए छूट	-	-	-	-
उपचित ब्याज		123.01		33.46
प्रतिभूति जमाराशि	-		-	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट	-	-	-	-
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	20.66		27.53	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट	5.97	14.69	5.97	21.56
कुल		**137.70**		**55.02**

टिप्पणियाँ : 1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(घ)(v) में संदर्भित

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 10 : अन्य अप्रचलित आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
i. पूँजीगत अग्रिम	274.63		253.77	
न्यून : संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	1.48	273.15	1.48	252.29
ii. पूँजीगत अग्रिमों से भिन्न अग्रिम				
अ. अन्य जमाराशियाँ एवं अग्रिम	43.51		43.51	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों के लिए छूट	1.52	41.99	1.52	41.99
iii. उपगत प्रगामी खान पूर्णता व्यय		798.15		584.06
कुल		**1,113.29**		**878.34**

टिप्पणी:

1. उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमाराशि के.औ.सु.ब. स्कंध की शक्ति में संवर्धन के निहितार्थ प्रतिभूति जमाराशि के प्रति आंतरिक मामलात मंत्रालय को जमा किए गए ₹2.21 करोड़ (₹2.21 करोड़) अंतर्गत है।
2. उपगत प्रगामी खान पूर्णता व्यय इस प्रयोजनार्थ निलंब खाता से प्राप्त देय हैं। निलंब खाता से खान पूर्णता व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹95.09 करोड़ (₹77.53) करोड़ का सीएमपीडीआईएल के जरिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा लेखापरीक्षण किया गया है, जिसमें से 31 मार्च 2023 तक कंपनी को ₹52.90 करोड़ रुपये (₹52.90 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं।

टिप्पणी – 11 : अन्य चालू आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
सांविधिक देय का अग्रिम संदाय	122.38		75.53	
न्यून : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए छूट	-	122.38	-	75.53
संबद्ध पक्षकारों को अग्रिम		-		-
अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम	1,339.99		960.10	
न्यून : संदिग्ध अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम के लिए छूट	1.93	1,338.06	1.93	958.17
उपगत प्रगामी खान पूर्णता व्यय		42.19		-
आगत कर साख प्राप्य		408.22		375.47
कुल		**1,910.85**		**1,409.17**

टिप्पणी:

1. अन्य चालू आस्तियाँ प्रतिभूत रहित हैं और माल सिवाय कुछ संदिग्ध अग्रिम समाझा गया है जिसके लिए सभी प्रावधान को यथा उक्त सर्जन किया गया है।
2. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(घ)(v) में संदर्भित

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 12 : वस्तुसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
कोयला का स्टॉक	313.76		339.63	
जोड़ : विकास के अधीन कोयला	-		-	
कोयला का स्टॉक (कुल) (क)		313.76		339.63
भण्डार एवं उपकरणों का स्टॉक (निवल)	241.18		208.41	
जोड़ : मार्गस्थ भण्डार	-		-	
निवल भण्डार एवं उपकरणों का स्टॉक (ख)		241.18		208.41
केन्द्रीय अस्पताल में औषधि का स्टॉक (ग)		0.73		0.59
कर्मशाला कार्य, प्रेस कार्य एवं अन्य (घ)		7.20		5.54
कुल (क + ख + ग + घ)		**562.87**		**554.17**

टिप्पणियाँ:

1. मूल्यांकन विधि : टिप्पणी 2 के बिंदु सं. 2.20 में संदर्भित – महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

31-03-2023 को यथा बही स्टॉक के साथ लेखा में अंगीकृत कोयले का लेखाबंदी स्टॉक का समाधान

टिप्पणी – 12 को उपाबंध

बही स्टॉक एवं मापित स्टॉक का समाधान

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

	समग्र स्टॉक		अविक्रेय		अविक्रेय	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. 01.04.2022 को यथा आरंभिक स्टॉक	26.35	341.00	-	-	26.35	341.00
जोड़/(न्यून) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	-	-	-	-	-
01.04.2022 को यथा समायोजित आरंभिक स्टॉक	**26.35**	**341.00**	**-**	**-**	**26.35**	**341.00**
2. वर्ष के लिए उत्पादन	350.19		-		350.19	
3. अंशसमष्टि (1 + 2)	**376.54**	**341.00**	**-**	**-**	**376.54**	**341.00**
4. वर्ष के लिए कुल कारबार						
क. बाह्य प्रेषण	353.40	14,769.29	-	-	353.40	14,769.29
ख. वासरी को कोयला संभरण	-	-	-	-	-	-
ग. स्व खपत	1.67	-	-	-	1.67	-
कुल	**355.07**	**14,769.29**	**-**	**-**	**355.07**	**14,769.29**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	21.47	314.81	-	-	21.47	314.81
6. मापित स्टॉक	21.07	309.27	-	-	21.07	309.27
7. भिन्नता	0.40	5.54	-	-	0.40	5.54
8. भिन्नता का विश्लेषित आँकड़े						
अ. 5% के अंदर अतिरिक्त	0.04	0.68	-	-	0.04	0.68
आ. 5% के अंदर कमी	0.44	6.22	-	-	0.44	6.22
इ. 5% से अधिक अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
ई. 5% से अधिक कमी	-	-	-	-	-	-
9. लेखा में अंगीकृत लेखाबंदी स्टॉक [6 – 8अ + 8आ]	**21.47**	**314.81**	**-**	**-**	**21.47**	**314.81**

टिप्पणी : उत्पादन में 0.01 लाख टन के जब्त कोयला समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

कोयले का लेखाबंदी स्टॉक की सार

	कच्चा कोयला				प्रक्षाल कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोककर		अकोककर		कोककर		अकोककर					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	-	-	26.35	341.00	-	-	-	-	-	-	26.35	341.00
न्यून : अविक्रेय कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित आरंभिक स्टॉक (विक्रेय)	-	-	26.35	341.00	-	-	-	-	-	-	26.35	341.00
उत्पादन	**-**	**-**	**350.19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.19**	**-**
कुल कारबार												
अ. बाह्य प्रेषण	-	-	353.40	14,769.29	-	-	-	-	-	-	353.40	14,769.29
आ. वासरी को कोयला संभारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. स्व खपत	-	-	1.67	-	-	-	-	-	-	-	1.67	-
लेखाबंदी स्टॉक	-	-	21.47	314.81	-	-	-	-	-	-	21.47	314.81
न्यून : कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को यथा लेखाबंदी स्टॉक"	**-**	**-**	**21.47**	**314.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.47**	**314.81**
न्यून : के विरूद्ध प्रावधान कोयले का लेखाबंदी स्टॉक	-	-	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	1.05
31-03-2023 को यथा लेखाबंदी स्टॉक"	**-**	**-**	**21.47**	**313.76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.47**	**313.76**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 13 : व्यवसाय प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
चालू				
व्यवसाय प्राप्य				
प्रतिभूत, समझे गए माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझे गए माल	1,564.50		2,504.20	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	365.84		363.39	
	1,930.34		2,867.59	
न्यून : अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए छूट	365.84	1,564.50	363.39	2,504.20
कुल		**1,564.50**		**2,504.20**

टिप्पणियाँ :

	को यथा 31-03-2023		को यथा 31-03-2022	
1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(घ)(v) में संदर्भित				
2. छूट के ब्यौरे यथा निम्नवत है				
आरंभिक शेष	363.39		369.81	
न्यून : आरंभिक देनदारों के विरूद्ध निपटारण/बट्टा डाला/समायोजित करना	-		-	
जोड़ : वर्ष के दौरान नया प्रावधान	4.05		0.21	
न्यून : आरंभिक प्रावधान से प्रतिलेखन	1.60		6.63	
लेखाबंदी शेष	**365.84**		**363.39**	

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

3. 31-03-2023 के अनुसार व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची: **(₹ करोड़ में)**

	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	690.34	83.39	212.76	446.94	(45.52)	**1,387.91**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	**-**
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	-	50.50	126.09	**176.59**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	**-**
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	0.13	0.43	0.60	363.16	**364.32**
कुल	**690.34**	**83.52**	**213.19**	**498.04**	**445.25**	**1,930.34**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-	**-**
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए छूट	-	0.13	0.43	0.60	377.52	378.68
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %		0.16%	0.20%	0.12%	84.79%	19.62%

4. 31-03-2022 को यथा व्यवसाय प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची : **(₹ करोड़ में)**

	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	849.70	431.31	390.77	536.29	115.85	**2,323.92**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	**-**
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	50.50	53.07	76.71	**180.28**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	**-**
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	0.71	0.32	360.84	**361.87**
कुल	**849.70**	**431.31**	**441.98**	**589.68**	**554.92**	**2,867.59**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-	**-**
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए छूट	-	-	0.71	0.32	362.36	363.39
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %	-		0.16%	0.05%	65.30%	12.67%

5. कोयला गुणवत्ता अंतर का समाधान

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
कोयला गुणवत्ता अंतर का आरंभिक शेष	(35.98)	79.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	59.71	59.14
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण	140.97	175.09
कोयला गुणवत्ता अंतर का लेखाबंदी शेष	**(117.24)**	**(35.98)**

कोष्ठक में के आँकड़े व्यवसाय में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर का ध्योतक है।

6. प्रत्याशित साख हानि मॉडल पर व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट किया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 14 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
बैंकों के पास शेषराशियाँ		
i. जमा खाता में	7.99	-
ii. चालू खाता में		
अ. सब्याज (सीएलटीडी खातें इत्यादि)	247.39	638.72
आ. ब्याज रहित	259.66	235.39
iii. नकदी ऋण खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक अतिशेष	-	-
हाथ में चेक, ड्रॉफ्ट एवं स्टॉम्प	-	-
नकदी रुपया	-	-
भारत के बाहर नकदी रुपया	-	-
अन्य ई-अधिप्राप्ति खाता/ GeM खाता / अग्रदाय खाता	17.07	8.36
कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**532.11**	**882.47**

टिप्पणी – 15 : अन्य बैंक अतिशेष

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
बैंकों के पास शेष		
जमा खाता	3,400.59	932.93
खान पूर्णता योजना	-	-
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना	-	-
शेयरों की चुकौती के लिए निलंब खाता	-	-
अप्रदत्त लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता	-	-
जमा खाता (विशिष्ट प्रयोजनार्थ)	38.76	64.63
कुल	**3,439.35**	**997.56**

टिप्पणी :

1. बैंक जमाराशियाँ की 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता है।
2. जमा खातों (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए) में ₹18.19 करोड़ (₹26.53 करोड़) के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सावधि जमा, ₹0.12 करोड़ (₹19.13 करोड़) की बैंक गारंटी पर सावधि जमा और ₹20.45 करोड़ (₹18.97 करोड़) की अवितरित मजदूरी के खिलाफ सावधि जमा शामिल हैं।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 16 : साम्या शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
प्राधिकृत		
460000000 साम्या शेयर (460000000 साम्या शेयर) प्रत्येक ₹ 1000/-	4,600.00	4,600.00
	4,600.00	**4,600.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹1000/- के 10390000 साम्या शेयर (10390000 साम्या शेयर) प्रत्येक का पूरी तरह से नकद भुगतान	1,039.00	1,039.00
₹1000/- के 32304200 साम्या शेयर (32304200 साम्या शेयर) प्रत्येक को नकद के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल के लिए पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित किया गया है	3,230.42	3,230.42
	4,269.42	**4,269.42**

टिप्पणियाँ :

1. 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या (₹1000 प्रति के उचित मूल्य)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड – नियंत्रक कंपनी (साम्या शेयर)	4,26,94,200 (4,26,94,200)	100% (100%)	0.00%

2. संप्रवर्तकों की शेयरधारिता :

संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1. कोल इंडिया लिमिटेड	4,26,94,200 (4,26,94,200)	100% (100%)	0.00%

3. 31-03-2023 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयर की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2022 को यथा आरंभिक शेष	4,26,94,200	4,269.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
31-03-2023 को यथा लेखाबंदी शेष	4,26,94,200	4,269.42

4. 31-03-2022 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयर की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2021 को यथा आरंभिक शेष	2,21,84,500	2,218.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,05,09,700	2,050.97
31-03-2022 को यथा लेखाबंदी शेष	4,26,94,200	4,269.42

5. कंपनी के पास केवल एक वर्ग का शेयर अर्थात् साम्या शेयर है।
6. कंपनी द्वारा 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपने 9वीं ईजीएम विधिवत अनुमोदित अधिमान शेयर पूँजी से साम्या शेयर पूँजी में रूपातंरण के कारण कंपनी के प्राधिकृत साम्या शेयर पूँजी को ₹4600.00 करोड़ के विद्यामान प्राधिकृत शेयर पूँजी से पुनर्वर्गीकृत करके वृद्धि किया गया है।
7. कंपनी द्वारा 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपने 9वीं ईजीएम में विधिवत अनुमोदित अधिमान शेयर पूँजी से साम्या शेयर पूँजी में रूपांतरण के कारण कंपनी के प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी में वृद्धि किया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 17 : अन्य साम्या

(₹ करोड़ में)

	शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आबंटन	चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के साम्या घटक	आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष			कुल
			सामान्य आरक्षित निधियाँ	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधाएँ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का निवल) – (ओसीआई)	
01-04-2021 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,764.50)	(253.45)	**(1,329.63)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि के भूल-चूक	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 को यथा पूर्व नियत शेष	-	855.61	832.71	(2,764.50)	(253.45)	**(1,329.63)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	(1,060.66)	(65.42)	**(1,126.08)**
अंतरिम आय	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(855.61)	-	855.61	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य प्रभार	-	-	-	-	-	-
31-03-2022 को यथा शेष	-	-	**832.71**	**(2,969.55)**	**(318.87)**	**(2,455.71)**
01-04-2022 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,969.55)	(318.87)	**(2,455.71)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि के भूल-चूक	-	-	-	-	-	-
01.04.2022 को यथा पूर्व नियत शेष	-	-	832.71	(2,969.55)	(318.87)	**(2,455.71)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	616.42	113.74	**730.16**
अंतरिम आय	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य प्रभार	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को यथा शेष	-	-	**832.71**	**(2,353.13)**	**(205.13)**	**(1,725.55)**

टिप्पणीयाँ :

1. On conversion of Preference Shares into Equity Shares in its 09th EGM held on 23rd December 2021, Equity Portion of Preference Share Capital of ₹ 855.61 Crore has been transferred to Retained Earnings within Other Equity.
2. The General Reserve is a free reserve which is used for transfer of profits from retained earnings for appropriation purposes as and when permits and required.
3. Retained earnings represent the undistributed profit(loss)/amount of accumulated earning of the company.
4. Other Comprehensive Income (OCI) represent the balance in equity relating to remeasurement gain/(loss) of defined benefit obligation.

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
अप्रचलित		
सावधि ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य से		
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपरेशन, कनाडा	155.94	151.04
अन्य ऋण	-	-
कुल	**155.94**	**151.04**
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित	155.94	151.04
वर्गीकरण 2		
निदेशकगणों एवं अन्य द्वारा गारंटी ऋम	-	-
ऋण की विशिष्टियाँ	**राशि (₹ करोड़ में)**	**गारंटी की प्रकृति**
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपरेशन, कनाडा	155.94	GOI

टिप्पणी :

1. एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा से अरक्षित ऋण के संबंध में ₹13.12 करोड़ (₹5.24 करोड़) की विनिमय दर पर हानि को अरक्षित ऋण के मूल्य में समायोजित किया गया है और तदनुरूपी प्रभाव वित्त लागत (टिप्पणी-32) में ₹12.50 करोड़ (शून्य) और अन्य व्यय में - विनिमय दर अंतर पर हानि (टिप्पणी-35) ₹0.62 करोड़ (₹5.24 करोड़) दर्शाई गई है।
2. चुकौती अनुसूची – ईडीसी कनाडा से ऋण के किस्त की चुकौती अर्ध-वार्षिक अर्थात 31 जनवरी को एवं 31 जुलाई को किया गया है।

चालू		
माँग पर चुकौती-योग्य ऋण		
बैंकों से		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	0.18
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि उधार का चालू परिपक्वता	7.79	7.18
कुल	**7.79**	**7.36**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	0.18
प्रतिभूत-रहित	7.79	7.18

टिप्पणी :

1. सावधि जमाराशि के प्रतिकूल बैंक ओवरड्राफ्ट प्रसुविधा को ₹300.00 करोड़ (₹753.55 करोड़) की स्वीकृति सीमा के प्रतिकूल भिन्न बैंकों से प्राप्त किया गया है।
2. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके अनुषंगियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक, कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग) शाखा, कोलकाता ऐसे संघ के लिए अग्रणी बैंक है के साथ संघीय व्यवस्था के अधीन कंपनी एवं इसके अनुषंगियों के क्रियाशील पूँजी ऋणदाताओं से क्रियाशील पूँजी साख प्रसुविधाओं की प्राप्यता की तथा कथित क्रियाशील पूँजी ऋणदाताओं द्वारा अनुदानित ₹430.00 करोड़ (₹430.00 करोड़) के सकल में तथाकथित क्रियाशील पूँजी साख प्रसुविधाओं को प्रतिभूत करने के क्रम में प्रथम प्रभार के माध्यम से संपूर्ण चालू आस्तियों का आडमान के रूप में प्रतिभूति निर्माण के लिए सर्जन / व्यवस्था की है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टप्पिणी – 19 : व्यवसाय संदेय

(परिशोधित लागत पर वहन किया गया)

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
चालू		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	2.41	0.84
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न	991.14	1,095.19
कुल	**993.55**	**1,096.03**

टिप्पणियाँ :

1. व्यवसाय देय – सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय

		को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
अ.	अप्रदत्त शेष मूल और ब्याज राशि लेकिन वर्ष की समाप्ति पर यथा असंदेय हो	**2.41**	**0.84**
आ.	वर्ष के दौरान नियत तिथि के उपरांत आपूर्तिकर्ता को संदाय किए गए राशि के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के धारा 16 के निबंधनों के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज।	-	-
इ.	संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय है और देय ब्याज (जिसे वर्ष के दौरान संदाय किया गया है लेकिन नियत तिथि के उपरांत) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ई.	वर्ष की समाप्ति पर यथा उपगत ब्याज एवं अप्रदत्त शेष	-	-
उ.	उत्तरवर्ती वर्ष में भी शोध्य एवं संदेय शेष आगामी ब्याज उस तिथि तक जब तक कि ब्याज देय यथा उक्त वस्तुतः लघु उद्यम को संदाय नहीं किया जाता है।	-	-

2. 31-03-2023 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची :

(₹ करोड़ में)

	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2.41	-	-	-	**2.41**
ii. अन्य	959.51	19.01	2.33	10.29	**991.14**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	**-**
कुल	**961.92**	**19.01**	**2.33**	**10.29**	**993.55**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	47.20	3.14	0.51	0.34	51.19

3. 31-03-2022 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची :

(₹ करोड़ में)

	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	0.84	-	-	-	**0.84**
ii. अन्य	983.51	92.62	7.38	11.68	**1,095.19**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	**-**
कुल	**984.35**	**92.62**	**7.38**	**11.68**	**1,096.03**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	47.83	4.41	0.37	0.67	53.28

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(परिशोधित लागत पर वहन किया गया)

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
अप्रचलित		
अग्रिम धन	93.34	90.35
अन्य	-	-
कुल	**93.34**	**90.35**
चालू		
अनुषंगियों से अधिशेष निधि	-	-
चालू खाता के साथ :		
कोल इंडिया लिमिटेड	139.33	191.54
आईआईसीएम	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमाराशियाँ	241.48	278.98
अग्रिम धन	82.68	66.93
पूँजीगत व्यय के लिए संदेय	240.74	313.67
कर्मी प्रसुविधाओं के लिए देयताएँ	843.25	715.94
अन्य	62.03	90.25
कुल	**1,609.51**	**1,657.31**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
अप्रचलित		
कर्मी प्रसुविधाएँ (टिप्पणी 38.3 में संदर्भित)		
उपदान	-	213.33
अवकाश नकदीकरण	224.80	140.93
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	425.00	585.40
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	57.67	56.96
अन्य प्रावधान		
स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	856.20	784.07
विपट्टन गतिविधि समायोजन	2,742.63	2,588.99
कुल	**4,306.30**	**4,369.68**

टिप्पणियाँ :

1. कर्मी के लिए उपदान, अवकाश नकदीकरण, पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधा की वर्षांत देयता और प्रसुविधाएँ जैसे अवकाश यात्रा रियायत एवं व्यवस्थापन भत्ताओं को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
2. दीर्घावधि उपदान का प्रावधान ₹4374.64 करोड़ (₹4053.28 करोड़) के एलआईसी के साथ शेष उपदान न्यास निधि के समायोजन के उपरांत है।
3. दीर्घावधि अवकाश नकदीकरण का प्रावधान ₹715.62 करोड़ (₹704.18 करोड़) के एलआईसी के साथ शेष अवकाश नकदीकरण निधि के समायोजन के उपरांत है।
4. अन्य के प्रावधान (पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधा) ₹144.36 करोड़ (₹166.44 करोड़) के सीपीआरएमएस-ई न्यास निधि शेष और ₹175.00 करोड़ (₹25.00 करोड़) के सीपीआरएमएस-एनई न्यास निधि के समायोजन के उपरांत है।
5. भूमि पुनःउद्धार / स्थल प्रत्यावर्तन / खान पूर्णता के समाधान :

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
01.04.2022/01.04.2021 को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	784.07	705.03
जोड़ : वर्ष के लिए परिवर्धन	43.45	48.76
जोड़ : बट्टा खाता का अकुंडलन	52.22	50.66
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी	23.54	20.38
पूर्ण स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	**856.20**	**784.07**
चालू		
कर्मी प्रसुविधाएँ (टिप्पणी 38.3 में संदर्भित)		
उपदान	139.56	410.90
अवकाश नकदीकरण	80.86	72.07
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	28.32	25.71
अनुग्रह	389.28	375.63
कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन	209.12	168.81
अन्य कर्मी प्रसुविधा	2,062.48	229.82
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	**2,909.62**	**1,282.94**

टिप्पणियाँ

1. गैर-कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए XI) को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित होने के कारण, वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव को देखते हुए 01.07.2021 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) प्रति माह 2036.83 करोड़ रुपये @ 19100/- रुपये के अनुमानित प्रावधान को मान्यता दी गई है और अन्य कर्मचारी लाभ के तहत दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 22 : अन्य अप्रचलित देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधिs	-	-
आस्थगित आय	0.86	2.63
अन्य	314.53	-
कुल	**315.39**	**2.63**

टिप्पणी :

i) आस्थगित आय सड़क और रेल अवसंरचना और वैज्ञानिक विकास कार्य के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से कोयला मंत्रालय से सहायता है।

ii) अन्य उपकर समानीकरण खाते यथा 'टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ' के पादटिप्पणी में उद्धृत के रूप में अन्य अप्रचलित भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टिप्पणी – 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
सांविधिक देय	797.65	844.49
आयातित कोयले के लिए अग्रिम	-	-
उपभोक्ताओं/ अन्य से अग्रिम	1,278.04	1,526.37
उपकर समानीकरण खाता	1,750.61	1,853.29
अन्य देयताएँ	386.51	38.05
कुल	**4,212.81**	**4,262.20**

टिप्पणी: 1- प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रचलित दर पर मूल्यांकन के आधार पर पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला धारक भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में और गत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली के आधार पर, शेष राशि (₹2065.14 करोड़) (₹1853.29 करोड़) है, जिसमें से (₹1750.61 करोड़) (₹1853.29 करोड़) 'अन्य चालू देयताएँ- उपकर समानीकरण खाते' के तहत और 'टिप्पणी-22 : अन्य अप्रचलित देयताएँ' में (₹314.53 करोड़) (शून्य) दर्शाए गए हैं।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी – 24 : परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	
I. बिक्री		19,351.00		14,453.65
न्यून : सांविधिक कर		4,581.71		4,152.20
बिक्री (निवल) (क)		**14,769.29**		**10,301.45**
II. अन्य परिचालनात्मक राजस्व				
रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्य		1.53		-
लदान एवं अतिरिक्त परिवरहन प्रभार	285.28		277.31	
न्यून : सांविधिक कर	13.59	271.69	13.20	264.11
निष्क्रमण सुकरजन्य प्रभार	222.57		194.44	
न्यून : सांविधिक कर	10.60	211.97	9.25	185.19
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल) (ख)		**485.19**		**449.30**
उपभोक्ता के साथ संविदा से राजस्व (क+ख)		**15,254.48**		**10,750.75**

टिप्पियाँ ::

1. विक्रय उन्नयन (+) / ग्रेड अपगमन (-) के निहितार्थ पक्षकारों को निर्गत/निर्गत किए जा रहे नामे/साख-पत्र के कारण ₹147.34 करोड़ (₹-114.53 करोड़) का वास्तविक उन्नयन(+)/ग्रेड अपगमन (-) के लिए समायोजन का निवल है।
2. उक्त कोयला का विक्रय ₹81.26 करोड़ (₹115.95 करोड़) की अनुमानित कोयला गुणवत्ता अंतर (व्युत्क्रमण का निवल) द्वारा वृद्धि की गई(+)/कमी (-) है।
3. बिक्री में 63.34 लाख टन (53.94 लाख टन) की ई-नीलामी परिमाण और ₹4757.33 करोड़ (₹13.05.59 करोड़) का ई-नीलामी लाभ सम्मिलित है।
4. बिक्री में 8.45 लाख टन (8.30 लाख टन) की लिंकेज नीलामी परिमाण और ₹66.64 करोड़ (₹43.21 करोड़) की लिंकेज नीलामी लाभ सम्मिलित है।
5. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत प्रदर्शन प्रोत्साहन के रूप में ₹ 112.60 करोड़ (₹ 97.06 करोड़) शामिल हैं।
6. खदान के संबंध में पूर्व के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में रिपोर्टों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता अंतर के प्रावधान को निम्लिखित विधि से प्राक्कलित और निर्धारित किया गया है :
   i. जहाँ परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्रतिचयन परिणामें प्रतीक्षा है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के माह से पूर्व छह माहों के लिए परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है।
   ii. जहाँ प्रतिचयन परिणाम परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसे निर्णायक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट किया गया है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के माह से पूर्व छः माहों के लिए निर्णायक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है।
   iii. अप्रतिचयनित परिमाणों पर सीक्यूवी के समायोजन को ईंधन आपूर्ति करार के प्रावधान पर आधारित निर्धारण किया गया है।

   उक्त प्रवृत्ति के प्रत्याशित परिणामों को कोयला गुणवत्ता अंतर के प्रावधानों तक पहुँचने के लिए प्रतीक्षित परिणाम परिमाण पर प्रवृत्त है।
7. टिप्पणी 38 में भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व सूचना दिए गए है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए] 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
ब्याज आय	211.55	120.75
अनुषंगियों में निवेश से लाभांश आय	-	-
पारस्परिक निधि से लाभांश आय	-	-
अनुषंगियों द्वारा शेयरों के वापसी-खरीद से आय	-	-
अन्य गैर-परिचालनात्मक आय		
शीर्ष प्रभार	-	-
आस्तियों के विक्रय पर लाभ	19.11	0.02
विदेश विनिमय लेनदेनों से अभिलाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन	194.21	43.02
उचित मूल्य प्रभार (निवल)	-	-
प्रकीर्ण आय	131.43	54.31
कुल	**556.30**	**218.10**

टिप्पणी :

1. ब्याज आय में ₹11.48 करोड़ (₹51.93 करोड़) की राशि का आयकर वापसी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 26 : उपभुक्त सामग्रियों की लागत

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
विस्फोटक	415.22	250.99
इमारती लकड़ी	4.73	3.86
तेल एवं स्नेहक	398.78	320.09
एचईएमएम उपकरणें	55.54	50.00
अन्य उपभोग्य भण्डारों एवं उपकरणें	211.97	156.42
कुल	**1,086.24**	**781.36**

टिप्पणी 27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
कोयले का आरंभिक स्टॉक	339.63	622.73
कोयले का अंतिम स्टॉक	313.76	339.63
कोयले की वस्तुसूची में परिवर्तन (क)	25.87	283.10
कर्मशाला द्वारा तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य के आरंभिक स्टॉक	5.54	13.78
कर्मशाला द्वारा तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक	7.20	5.54
कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (ख)	(1.66)	8.24
व्यापार स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन {अनभिवृद्धि/(अभिवृद्धि)} (क + ख)	**24.21**	**291.34**

टिप्पणी 28 : कर्मी प्रसुविधा व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस आदि सहित)	8,077.44	6,234.51
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,476.87	1,459.39
कर्मचारी वर्गीय कल्याण व्यय	373.06	289.89
कुल	**9,927.37**	**7,983.79**

टिप्पणी :

1. वेतन और मजदूरी (भत्ते और बोनस आदि सहित) में गैर-अधिशासी कर्मियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए XI) को अंतिम रूप देने के लंबित होने के कारण वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ₹1834.15 करोड़ का अनुमानित प्रावधान शामिल है।
2. भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान में सीआईएल निदेशक मण्डल की 414वीं बैठक में निर्णितानुसार सीएमपीएस 1998 के आधारभूत निधि के कारण वर्ष के दौरान प्रेषण का ₹10.00 प्रति टन पर समुत्थान के प्रतिकूल ₹35.34 करोड़ (₹35.92 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
सीएसआर व्यय	6.92	13.86
कुल	**6.92**	**13.86**

टिप्पणी :

1. कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर व्यय तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% होना चाहिए।

	31-03-2023	31-03-2022
3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ	(282.37)	628.51
औसत निवल लाभ का 2%	-	12.57

2. सीएसआर व्यय के गतिविधिवार विश्लेषित आँकड़े (अतिरिक्त व्ययित सहित)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
भूख, निर्धनता एवं कुपोषण उन्मूलन	2.96	9.29
विशिष्ट शिक्षा सहित शिक्षा तथा व्यवसाय दक्षता वर्धित कर नियोजन को प्रोत्साहित करना	2.27	2.39
लैंगिक समानता तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से अक्षम समूहों द्वारा सामना किए गए असमानता को कम करने के लिए अध्युपाय	0.05	-
पर्यावरणीय संधारणीयता	0.26	0.05
राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति को संरक्षण	0.62	-
सशस्त्र बल सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के पत्नियों एवं उनके आश्रितों को प्रसुविधा	-	-
ग्रामीण खेलकूल, राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त खेलकूलों, परा-ओलिंपिक खेलकूदों एवं ओलिंपिक खेलकूदों को प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान	-	-
इन्क्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अंशदान	-	-
विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों को अंशदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	0.76	1.86
गंदी-बस्तीक्षेत्र विकास	-	-
राहत, पुनर्वासन एवं पुनर्संरचनात्मक गतिविधियाँ सहित आपदा प्रबंधन	-	0.02
प्रशासनिक ओवर्हेड	-	0.25
कुल	**6.92**	**13.86**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

ख. आवश्यक व्ययित सीएसआर एवं सीएसआर व्यय विश्लेषित आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
अ. वर्ष के दौरान आवश्यक व्ययित राशि	-	12.57
आ. वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित व्ययित राशि	10.09	19.34
इ. पर वर्ष के दौरान व्ययित राशि :		
i. किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	3.11	4.29
ii. उक्त (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	3.81	9.57
कुल	**6.92**	**13.86**

ग. चालू परियोजना से भिन्न अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	आरंभिक शेष	6 माह के अंदर अनुसूची VII के विनिर्दिष्ट निधि में जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान आवश्यक व्ययित राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	लेखाबंदी शेष
चालू परियोजना से भिन्न अव्ययित राशि	-	-	-	-	-

सीएसआर में कमी के लिए कारण :

घ. अतिरिक्त व्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वर्षवार ब्यौरे		आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान आवश्यक व्ययित राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	लेखाबंदी शेष
2022-23		-	-	-	-
2021-22		-	-	-	-
कुल		**-**	**-**	**-**	**-**

ङ. चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)

(₹ करोड़ में)

वर्षवार ब्यौरे	आरंभिक शेष		आवश्यक व्ययित राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि		लेखाबंदी शेष	
	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययित खाता		कंपनी के बैंक खाता से	पृथक सीएसआर अव्ययित खाता	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययित खाता
2022-23	-	-	-	-	-	-	-
2021-22	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 30 : मरम्मति

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
भवन	86.11	89.32
संयंत्र एवं मशीनरी	88.95	101.32
अन्य	1.72	2.23
	176.78	**192.87**

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
परिवहन प्रभार	172.78	172.56
वेगन लदान	16.61	21.32
संयंत्र और उपस्करों के भाड़े	1,742.08	1,393.03
अन्य संविदात्मक कार्य	110.76	99.62
	2,042.23	**1,686.53**

टिप्पणी 32 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
ब्याज व्यय		
उधार	12.63	0.62
बट्टों का अकुंडलन	52.22	50.66
समूह के अंदर नियोजित निधियाँ	-	-
अन्य	-	-
उचित मूल्य प्रभार	-	112.38
कुल	**64.85**	**163.66**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 33 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
संदिग्ध कर्ज	4.05	0.21
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भण्डार एवं उपकरण	-	11.90
अन्य	-	-
कुल	**4.05**	**12.11**

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (पश्च प्रावधानों का निवल)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
संदिग्ध कर्ज	-	-
न्यून : पूर्व उपबंधित	-	-
अंशसमष्टि (क)	-	-
संदिग्ध अग्रिम	21.44	-
न्यून : पूर्व उपबंधित	21.44	-
अंशसमष्टि (ख)	-	-
कुल (क + ख)	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
यातायात व्यय	15.87	8.49
प्रशिक्षण व्यय	4.50	1.54
टेलिफोन एवं इंटरनेट	20.46	12.55
विज्ञापन एवं प्रचार	0.87	0.74
मालभाड़ा प्रभार	-	-
विलंब-शुल्क	2.13	1.68
प्रतिभूति व्यय	118.89	112.86
सीआईएल के सेवा प्रभार	35.02	32.43
सीएमपीडीआईएल को परामर्शी प्रभार	26.05	43.23
विधिक व्यय	2.20	0.82
परामर्शी प्रभार	2.38	8.81
लदान प्रभारों के अधीन	41.33	37.84
आस्तियों के विक्रय/त्यक्त/सर्वेयेड ऑफ पर हानि	0.03	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अ. लेखापरीक्षण शुल्क	0.26	0.26
आ. कराधान मामलों के लिए	0.02	0.02
इ. अन्य सेवाओं के लिए	0.19	0.20
ई. व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.17	0.18
आंतरिक लेखापरीक्षण शुल्क	3.41	3.16
पुनर्वासन प्रभार	21.29	21.61
पट्टा किराया एवं भाड़ा प्रभार	64.88	60.36
दर एवं कर	5.05	7.75
बीमा	0.49	0.32
विनिमय दर अंतर पर हानि	0.62	5.24
अन्य खान बचाव/सुरक्षा व्यय	2.84	1.42
पार्श्वस्थल अनुरक्षण प्रभार	11.62	6.53
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरणीय एवं वृक्षारोपण व्यय	8.96	6.88
प्रकीर्ण व्यय	106.30	94.73
कुल	**495.83**	**469.65**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
चालू वर्ष	279.27	-
आस्थगित कर	(98.29)	(391.39)
पूर्व वर्ष	(3.45)	14.68
कुल	**177.53**	**(376.71)**

टिप्पणी :

1. निम्नलिखित संबंधी आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
क. आस्थगित कर आस्थियाँ :		
कर्मी प्रसुविधा	878.05	499.43
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर तथा विकास, पूर्वेक्षण एवं वेधन	20.83	25.28
संदिग्ध वित्तीय आस्तियों के प्रतिकूल प्रावधान	92.07	91.46
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के प्रतिकूल प्रावधान	8.07	8.07
अन्य	4.24	280.73
कुल (क)	**1,003.26**	**904.97**
ख. आस्थगित कर देयता :		
कर्मी प्रसुविधा	-	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा विकास, पूर्वेक्षण एवं वेधन	-	-
संदिग्ध वित्तीय आस्थियों के प्रतिकूल प्रावधान	-	-
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के प्रतिकूल प्रावधान	-	-
प्रावधान	-	-
कुल (ख)	**-**	**-**
ग. निवल (क – ख)	**1,003.26**	**904.97**
घ. परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनःमापन	-	-
निवल आस्थगित कर आस्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग+घ)	**1,003.26**	**904.97**

2. भारतीय के धरेलु कर दर से गुणति कर व्यय एवं लेखांकन लाभ का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**793.95**	**(1,437.37)**
25.168% के आयकर दर पर	199.82	-
न्यून : छूट प्राप्त आयकर पर कर	-	-
जोड़ : कर के प्रयोजनार्थ गैर-कटौतीयोग्य व्यय	418.71	(391.39)
न्यून : कर के प्रयोजनार्थ कटौतीयोग्य व्यय	437.55	-
पूर्व वर्ष के लिए समायोजन	(3.45)	14.68
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) प्रावधानों के अधीन कर के लिए समायोजन	-	-
आस्थगित कर के लिए समायोजन		-
लाभ और हानि विवरणी में प्रतिवेदित आयकर व्यय	177.53	(376.71)
प्रभावी आयकर दर	**22.36%**	**-**

3. कंपनी प्रत्याशा करता है कि आस्थगित कर आस्तियों की उपयोगिता के लिए भावी करयोग्य लाभ होगा।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
i. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन	152.00	(65.42)
अंशसमष्टि (क)	**152.00**	**(65.42)**
ii. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा संबंधी आयकर		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन	38.26	-
अंशसमष्टि (ख)	**38.26**	**-**
कुल (ग = क – ख)	**113.74**	**(65.42)**
i. मदें जिन्हें लाभ-हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा।		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई के शेयर	-	-
अंशसमष्टि (घ)	**-**	**-**
ii. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा संबंधी आयकर		
संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के शेयर	-	-
अंशसमष्टि (ङ)	**-**	**-**
कुल (च = घ – ङ)	**-**	**-**
कुल (च = घ – ङ)	**113.74**	**(65.42)**

टिप्पियाँ :

1. परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं के पुनर्मापन के निहितार्थ अन्य व्यापक आय में उपदान के लिए ₹92.57 करोड़ (₹ -4.51 करोड़), पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं के लिए ₹ 59.43 करोड़ (₹-60.91 करोड़) सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां (जारी है ....)

टिप्पीण 38 : वित्तीय विवरणी की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य माप

1. [क] श्रेणी अनुसार वित्तीय लिखित

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023		31-03-2022	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.05	-	0.10
व्यवसाय प्राप्य*	-	1,564.50	-	2,504.20
नकदी व नकदी समतुल्य	-	532.11	-	882.47
अन्य बैंक अतिशेष	-	3,439.35	-	997.56
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	1,083.59	-	820.35
कुल	-	**6,619.68**	-	**5,204.76**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	163.73	-	158.22
चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	-	-	-
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	0.18
व्यवसाय देय	-	993.55	-	1,096.03
प्रतिभूति जमा	-	334.82	-	369.33
अग्रिम धन	-	82.68	-	66.93
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1,285.35	-	1,311.40
कुल	-	**2,860.13**	-	**3,002.09**

1. [ख] उचित मूल्य उत्क्रम

नीचे दी गई सारणी वित्तीय लिखत के उचित मूल्यों के निर्धारण में निर्मिति निर्णयों एवं प्राक्कलनों को दर्शाती है जो (अ) उचित मूल्य पर निर्धारित एवं मापित और (आ) परिशोधित लागत पर मापित किया जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकटन किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण करने में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानकों के अधीन उपबंधित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
पारस्परिक निधि/आईसीडी				

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.05	-	0.10
व्यवसाय प्राप्य	-	1,564.50	-	2,504.20
नकदी व नकदी समतुल्य	-	532.11	-	882.47
अन्य बैंक अतिशेष	-	3,439.35	-	997.56
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	1,083.59	-	820.35
कुल	**-**	**6,619.68**	**-**	**5,204.76**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	163.73	-	158.22
चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	-	-	-
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	0.18
व्यवसाय देय	-	993.55	-	1,096.03
प्रतिभूति जमा	-	334.82	-	369.33
अग्रिम धन	-	82.68	-	66.93
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1,285.35	-	1,311.40
कुल	**-**	**2,860.13**	**-**	**3,002.09**

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

स्तर I : वित्तीय लिखतों सहित सोपन क्रम को उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापन करता है।

स्तर II : वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारबार नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पालनीय बाजार आँकड़ा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और संस्था-विशेष प्राक्कलनों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय है तो लिखत को स्तर II में समाविष्ट किया जाता है।

स्तर III : यदि एक या अधिक महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय बाजार आँकड़ा पर आधारित नहीं है तो लिखत को स्तर III में समाविष्ट किया गया है। यह असूचीबद्ध साम्या प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधारों, प्रतिभूति जमाराशियों एवं स्तर III में समाविष्ट अन्य देयताओं के मामलात में है।

1. [ग] अवधारित उचित मूल्य में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय लिखतों का मूल्य आंकने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में लिखतों के उद्धृत बाजार कीमतों का उपयोग समाविष्ट है।

1. [घ] महत्त्वपूर्ण अलक्ष्य निविष्टियों का व्यवहार करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अपालनीय निविष्टियों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं है।

1. [ङ] परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य

- व्यवसाय प्राप्य, अल्पावधि जमाराशियों, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यवसाय देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी विचार करती है कि प्रतिभूति जमाराशियाँ महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण घटक को समाहित नहीं करती हैं। प्रतिभूति जमाराशियाँ कंपनी के कार्य-निष्पादन के अनुरूप होती है और संविदा के लिए वित्त प्रावधानों के इतर कारणों के निमित्त राशियों को प्रतिधारित रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील पत्थर भुगतान के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का विधारण कंपनी के हितों की संरक्षा करने के लिए किया जाता है क्योंकि संविदाकर्ता संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है।

महत्वपूर्ण प्राक्कलन : वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में व्यवसाय नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी पद्धतियों के चयन में अपने निर्णयों का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त ग्रहणों को बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ एवं नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यवसाय और अन्य देय समाहित हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यवसाय और अन्य प्राप्य, और नकदी व नकदी समतुल्य समाहित हैं जो प्रत्यक्षतः इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं चलनिधि जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा आलंबित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम सुशासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्थान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और रक्षित लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उद्भूत उच्छन्न	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	परिशोधित लागत पर मापित नकदी एवं नकदी समतुल्य, व्यवसाय प्राप्य वित्तीय आस्ति	काल-प्रभावन विश्लेषण / साख निर्धारण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), बैंक जमाराशियाँ साख सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विशाखन
चलनिधि जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	सुपुर्द ऋण व्यवस्था एवं उधार प्रसुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय रूपये में न मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक अंतरण, निर्धारित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक जमाराशियाँ एवं पारस्परिक निधियाँ	नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक जमाराशियाँ एवं पारस्परिक निधियाँ	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), वरिष्ठ प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त चलनिधि के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2. [क] ऋण जोखिम :

2. [क] (अ) ऋण जोखिम प्रबंधन :

प्राप्य मुख्यतः कोयले के विक्रय से उद्भूत होता है। कोयले का विक्रय को विस्तीर्णता से ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) एवं ई-नीलामी के जरिए यथा विक्रय रूपक वर्गीकृत किया जाता है।

समष्टि-आर्थिक सूचना (जैसा कि नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के अंश के रूप में निगमित किया गया है।

2. [क] (आ) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों यथा अनुध्यात में और उसके अनुसार ही, कंपनी उपभोक्ताओं के साथ या राज्य नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूपक प्रवर्तनीय एफएसए में प्रवेश करती है जो परिणामस्वरूप अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को विस्तीर्णता से इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत शक्ति उपयोगिता क्षेत्र, राज्य विद्युत शक्ति उपयोगिता सहित), निजी विद्युत उपयोगिता ("पीपीयू") एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") के उपभोक्ताओं के साथ एफएसए;
- गैर-विद्युत शक्ति उद्योगों (आबद्ध विद्युत शक्ति संयंत्र ("सीपीपी") सहित) में उपभोक्ताओं के साथ एफएसए; और
- राज्य नामित अभिकरणों के साथ एफएसए।

2. [क] (इ) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन उपभोक्ताओं के लिए कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रवर्तन की गई है जो नानाविध कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरणस्वरूप, एनसीडीपी के अधीन उनके नियामक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी-तत्व और कोयले की सीमित आवश्यकता के कारण जिसे दीर्घावधि सहबद्धता की वारंटी नहीं देती है। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत प्रस्थापित कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है।

2. [क] (ई) प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान :

कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत उपागम) द्वारा संदिग्ध/ऋण ह्रासित आस्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है [टिप्पणी-13, व्यवसाय प्राप्य देखें]।

वित्तीय आस्तियों के ह्रास के लिए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलन एवं निर्णय

उपरि प्रकट वित्तीय आस्तियों के लिए ह्रास प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के विषय में ग्रहणों पर आधारित हैं। कंपनी इन ग्रहणों को बनाने और कंपनी के पूर्व इतिहास, विद्यमान बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रगतिशील प्राक्कलनों के आधार पर, ह्रास परिकलन के लिए निविष्टियों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] चलनिधि जोखिम

प्रज्ञायुक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नकदी एवं विपणनयोग्य प्रतिभूतियों को अनुरक्षित करने तथा दायित्वों जब देय को पूरा करने में प्रतिबद्ध ऋण प्रसुविधाओं की यथेष्ट राशियों के जरिए निधियन की उपलब्धता अंतर्हित होता है। अंतर्निहित कारबारों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था के अधीन उपलब्धता अनुरक्षित करते हुए निधियन में सुनम्यता बनाए रखता है।

प्रबंधन कंपनी के चलनिधि स्थिति (अनाहरित ऋण प्रसुविधाओं को समाविष्ट करके) के पूर्वानुमानों और प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी व नकदी समतुल्य का अनुश्रवण करता है। यह सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्मित परिपाटी एवं सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालनात्मक कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2023			31-03-2022		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्षों से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्षों से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दायित्व सहित उधार	7.79	31.16	124.78	7.36	28.72	122.32
व्यवसाय देय	993.55	-	-	1,096.03	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,609.51	93.34	-	1,657.31	90.35	-

2. [ग] बाजार जोखिम

अ. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम मुद्रा में मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक लेन-देनों एवं निर्धारित आस्तियों या देयताओं से उद्भूत होता है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रूपया) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उद्भूत विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को अमहत्त्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब अमल में लाया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

आ. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उद्भूत होता है जो ब्याज दर में परिवर्तन के साथ कंपनी नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को उच्छन्न करती है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को नियत दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (डीपीई), बैंक जमाराशियाँ ऋण सीमाओं के विशाखीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों को प्रयुक्त कर प्रबंधित करता है।

पूँजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते अपनी पूँजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशोंनुसार करती है।

कंपनी का पूँजी विन्यास निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2023	31-03-2022
i. साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42
ii. अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग		
iii. दीर्घावधि ऋण :	155.94	151.04
ईडीसी ऋण - चालू	7.79	7.18

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीआईएल द्वारा 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपने 434 वीं निदेशक मंडलीय बैठक में यथा अनुमोदित (ईसीएल के 100% शेयरधारक) और 23 दिसंबर 2021 को आयोजित कंपनी के 9वीं ईजीएम में आगे अनुमोदित किया गया था, ₹2050.97 करोड़ के 6% अपरिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयरों (भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार उधार शीर्ष के अधीन इसके पूर्व दर्शाया गया है) को बराबर राशि के साम्या शेयरों (₹1000.00 प्रत्येक के) की समान संख्या में परिवर्तित कर दिया गया है।

3. कर्मी प्रसुविधाएँ : निर्धारण एवं मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ :

अ. उपदान

कंपनी पात्र कर्मियों को समाविष्ट करते हुए उपदान के लिए एक पश्च-नियोजन परिभाषित प्रसुविधा योजना ("उपदान स्कीम") प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुरक्षित न्यास के जरिए उपदान स्कीम को निधिक प्रदान किया जाता है जिसमें नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन एवं मँहगाई-भत्ता का 2.01% रहता है। प्रत्येक कर्मी जिन्होंने 5 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवाएँ दी है उपदान संदाय अधिनियम 1972 यथा संशोधित प्रावधानों को विचारण करके कंपनी से पृथककरण समय में अधिकतम ₹0.20 करोड़ के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर यथा संगणित (माह का 15 दिवस / 26 दिवस x अंतिम आहरित वेतन एवं मँहगाई-भत्ता x सेवा पूर्ण वर्ष) उपदान राशि प्राप्त करने का हकदार है। उपदान स्कीम की बाबत तुलन-पत्र में निर्धारित देयता या आस्ति योजनागत आस्तियों के अंकित मूल्य से कम रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित प्रसुविधा दायित्व बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिकलित किया जाता है। बीमांकिक ग्रहण में अनुभवजन्य समयोजन एवं परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मापित लाभ एवं हानियों को उस अवधि में जिसमें वे होते हैं प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित की जाती हैं।

आ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में अधिशासियों एवं उनके पति या पत्नी को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा प्रसुविधा योजना नामशः सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा देख-भाल योजना (सीपीआरएमएसई) है। सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों की सेवाओं से पद त्याग करने वाले अधिशासियों को सदस्यता का विस्तारण नहीं दिया जाता है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त अधिशासियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹25 लाख है। केवल इस प्रयोजनार्थ सामूहिक स्तर पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिए योजना को निधि प्रदान किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त या 57 वर्ष की उम्र या अधिक में कंपनी से पद त्याग करता है या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चा(चों) की मृत्यु पर के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में गैर-अधिशासियों एवं उनके पति या पत्नी एवं दिव्यांग बच्चा/चों को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, कंपनी गैर-अधिशासियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय देख-भाल योजना प्रदान कर रही है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त गैर-अधिशासियों और पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चा(चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 8 लाख है। केवल इस प्रयोजनार्थ सामूहिक स्तर पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिए योजना को निधि प्रदान किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

अ. भविष्य निधि एवं पेंशन

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से अर्हक कर्मियों के वेतन का नियत प्रतिशत अर्थात् भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ता का क्रमशः 12% एवं 7% पर आधारित भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में सावधि अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक पृथक सांविधिक निकाय नामतः कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा शासित किया जाता है। सावधि निधि अंशदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

आ. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिशासियों को एक पश्च-नियोजन अंशदायी पेंशन योजना नामशः "सीआईएल अधिशासी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना - 2007" (यथा न्यू पेंशन स्कीम "एनपीएस" संदर्भित है) प्रदान करती है। एनपीएस को केवल इस प्रयोजनार्थ गठित समूह स्तर पर पृथक न्यास के जरिए प्रबंधित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व न्यास को भविष्य-निधि, उपदान, पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं – अधिशासी अर्थात् सीपीआरएमएसई या अन्य कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं में नियोक्ता अंशदान से कम मूल वेतन और मँहगाई-भत्ता का 30% से अनधिक राशि के उस परिमाण तक अंशदान करना है। मूल वेतन एवं मँहगाई-भत्ता का 6.99% का सामयिक नियोक्ता अंशदान लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधाएँ

अ. अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिशासियों को कुल 30 दिवसों का अर्जित अवकाश (ईएल) और 20 दिवसों का अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) की प्रसुविधा प्रदान करती है जो प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिवस को अर्धवार्षिक रूप से उपचित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, अधिकतम 60 दिवस के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एकबारगी 75% जमा शेष अर्जित अवकाश नकदीकरण योग्य है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। अधिवर्षिता पर, संयुक्तः अर्जित अवकाश (ईएल) एवं अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) को बिना एचपीएल न्यूनीकरण के 300 दिवसों की समग्र सीमा के अध्यधीन नकदीकरण करने के लिए प्रतिफल किया जाता है। गैर-अधिशासियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित किया जाता है और वर्तमान में कर्मकार 15 दिवस प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण सेवा से विरति पर शेष अवकाश या 150 दिवस जो भी कम हो, को नकदीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है। फलतः अर्जित अवकाश के लिए देयताओं को कर्मी की सेवा के दौरान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के उपरांत निपटारित किया जाना प्रत्याशित है। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कर्मियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में यथा प्रत्याशित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापित किया जाता है। प्रसुविधाएँ रिपोर्टिंग अवधि जिसमें सबंद्ध दायित्व निबंधनों के सन्निकट निबंधन हैं की समाप्ति पर बाजार प्रतिफल का उपयोग करके भुनाया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

आ. जीवन रक्षा योजना (एलसीएस)

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित जमाराशि सहलग्न बीमा योजना, 1976 के अधीन जीवन बीमा योजना नामशः "कोल इंडिया लिमिटेड का जीवन बीमा योजना" (एलसीएस) है। दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी योजना के अधीन ₹1,25,000.00 की राशि प्रदत्त की गई है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

इ. व्यवस्थापन भत्ता

यथा वेतन करार के रूप में, 31.10.2010 से या उपरांत एनसीडब्ल्यूए के अधीन शासित समस्त गैर-अधिशासी संवर्गीय कर्मचारियों को उनके अधिवर्षिता पर ₹12,000.00 की एकमुश्त राशि यथा व्यवस्थापन भत्ता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

ई. समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने व्यक्तिगत दुर्घटना के विरूद्ध कंपनी के अधिशासियों को समाविष्ट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से समूह बीमा योजना नामशः "कोल इंडिया अधिशासी सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना" (जीपीएआईएस) परिगृहीत किया है। जीपीएआईएस 24 घंटे के आधार पर विश्वव्यापी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को समाविष्ट करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा धारित किया जाता है।

उ. अवकाश यात्रा रियायत

यथा वेतन करार के रूप में, गैर-अधिशासी कर्मी 4 वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने गृहनगर आने और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः ₹ 8000/- और ₹ 12000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ऊ. खान दुर्घटना प्रसुविधाओं पर आश्रित को मुआवजा

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, कंपनी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएँ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को ₹15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधा योजनाओं का निधियन विवरण यथा निम्नवत हैं :

(i) निधिक

- » उपदान
- » अवकाश निधियन
- » सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- » सेवानिवृत्तिउपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-कर्मचारी)

(ii) अनिधिक

- » जीवन रक्षा योजना
- » व्यवस्थापन भत्ताe
- » समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा
- » अवकाश यात्रा रियायत
- » खान दुर्घटना प्रसुविधाओं पर आश्रित को मुआवजा

31-03-2023 को कुल देयता बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ₹6391.48 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

मदे	01.04.2022 को यथा प्रारंभिक बीमांकिक देयताएँ	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2023 को यथा अंतिम बीमांकिक देयताएँ
उपदान योजना	4,677.51	(163.31)	4,514.20
अवकाश योजना	917.18	104.10	1,021.28
एलटीसी – अधिकारी	-	-	-
एलटीसी – कर्मचारी	51.69	1.17	52.86
व्यवस्थापन भत्ता अधिकारी	9.57	(0.58)	8.99
व्यवस्थापन भत्ता कर्मचारी	22.59	(1.11)	21.48
अधिकारियों के लिए पीआरएमबी	168.65	7.12	175.77
कर्मचारियों के लिए पीआरएमबी	633.90	(37.00)	596.90
कुल	**6,481.09**	**(89.61)**	**6,391.48**

बीमांकक प्रमाणन के अनुसार प्रकटन

उपदान (निधिक) एवं अवकाश नकदीकरण (निधिक) के निमित्त कर्मी प्रसुविधा के लिए बीमांकक का प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटन निम्नवत है :-

31.03.2023 को यथा भारतीय लेखांकन मानदण्ड 19 के तहत उपदान योजना का बीमांकिक परिकलन

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत

क. लाभ एवं हानि (पी&एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
चालू सेवा लागत	99.20	207.59
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधित	-	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	99.20	207.59
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	29.87	33.83
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**129.07**	**241.42**

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	96.47	7.88
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(140.10)	14.90
वर्ष के दौरान उद्भूत बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(43.63)	22.78
बट्टा दर से (अधिक)/कम योजना आस्तियाँ पर प्रतिलाभ	(48.94)	(18.27)
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	**(92.57)**	**4.52**

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
सेवा लागत	99.20	207.59
निवल परिभाषित देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	29.87	33.83
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	(92.57)	4.52
	31-03-2022	**31-03-2021**
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**36.50**	**245.93**

घ. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
बट्टा दर	6.80%	6.85%
वेतन वृद्धि का दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(4,514.20)	(4,677.51)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	4,223.48	4,053.28
निधिक स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(290.73)	(624.23)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(290.73)**	**(624.23)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि में समाप्त पर निवल परिभाषित प्रसुविधा / (देयता)	(624.23)	(609.32)
सेवा लागत	(99.20)	(207.59)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	(29.87)	(33.83)
ओ.सी.आई. में निर्धारित राशि	92.57	(4.52)
नियोक्ता अंशदान	370.00	231.02
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(290.73)**	**(624.23)**

ग. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
बट्टा दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि का दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	4,677.51	4,667.32
चालू सेवा लागत	99.20	207.59
डीबीओ पर ब्याज लागत	300.42	301.83
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	96.47	7.88
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	(140.10)	14.90
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	(519.29)	(522.02)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**4,514.20**	**4,677.51**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	4,053.28	4,058.00
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	270.55	268.01
नियोक्ता अंशदान	370.00	231.02
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	48.94	18.27
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(519.29)	(522.02)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**4,223.48**	**4,053.28**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

(₹ करोड़ में)

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतान	
मार्च 31, 2024	421.44
मार्च 31, 2025	469.03
मार्च 31, 2026	518.47
मार्च 31, 2027	521.95
मार्च 31, 2028	582.44
मार्च 31, 2029 से मार्च 31, 2033	2,480.77
10 वर्ष से अधिक	3,023.44
ख. 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	86.11
ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि	6 Years
घ. 31 मार्च, 2023 को यथा उपचित प्रसुविधा दायित्व	3,662.82

ङ. 31 मार्च, 2023 को यथा योजना आस्ति सूचना

	प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%

	प्रतिशत
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)	0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद	100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**

च. 31 मार्च, 2023 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता

(₹ करोड़ में)

	कुल
चालू देयता	406.85
अप्रचलित आस्ति/(देयता)	4,107.36
31 मार्च, 2023 को यथा देयता	**4,514.21**

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

उपदान स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं सेवा अवधि के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. **ब्याज दर जोखिम :** परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।
2. **वेतन मुद्रास्फीति जोखिम :** वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।
3. **जनसंख्यिकीय जोखिम :** यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2023 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	(₹ करोड़ में)	4,514.20
क. बट्टा दर		
31 मार्च, 2023 को यथा बट्टा दर		7.30%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(132.15)
प्रतिशत प्रभाव		-3.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	140.10
प्रतिशत प्रभाव		3.00%
ख. वेतन वृद्धि दर		
31 मार्च 2023 को यथा वेतन वृद्धि दर		अधिशाषी 9%
		गैर-अधिशाषी 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	49.16
प्रतिशत प्रभाव		1.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(51.42)
प्रतिशत प्रभाव		-1.00%

समूह उपदान बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना को अपनाया है और इसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पहले ही किया जा चुका है। उपर्युक्त योजना का प्रबंधन करने के लिए न्यासियों के साथ न्यास विलेख में प्रवेश करके एक कर्मचारी समूह उपदान न्यास का गठन किया गया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि निम्नानुसार है:

विशिष्टियाँ	31-03-2023	31-03-2022
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	4,053.28	4,058.00
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	370.00	231.02
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	319.49	286.28
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत निधि	368.13	522.02
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	4,374.64	4,053.28

31.03.2023 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन अवकाश प्रसुविधा योजना का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ व हानि (पी&एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
चालू सेवा लागत	198.68	160.10
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत/ (ऋण)	-	-
सेवा लागत	198.68	160.10
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	13.02	18.32
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	51.73	(167.86)
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**263.43**	**10.57**

ख. अन्य व्यापक आयक (ओसीआई)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	108.49	(162.52)
डीबीओ ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(43.10)	3.84
वर्ष के दौरान उद्भूत बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	65.40	(158.69)
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियों पर वापसी	(13.66)	(9.17)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	**-**	**-**

ग. परिभाषित लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
सेवा लागत	198.68	160.10
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	13.02	18.32
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	-	-
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य पूर्वदीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	51.73	(167.86)
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**263.43**	**10.57**

घ. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
बट्टा दर	6.80%	6.80%
वेतन वृद्धि का दर	अधिशाषी : 9% गैर-अधिशाषी : 6.25%	अधिशाषी : 9% गैर-अधिशाषी : 6.25%

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(1,021.28)	(917.18)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	587.85	704.18
निधिक स्थिति [अधिशेष/घाटा)]	(433.43)	(213.00)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(433.43)**	**(213.00)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(213.00)	(332.43)
सेवा लागत	(198.68)	(160.10)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(13.02)	(18.32)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	(51.73)	167.86
नियोक्ता अंशदान	43.00	130.00
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(433.43)**	**(213.00)**

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2023	31-03-2022
बट्टा दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि का दर	अधिशाषी : 9% गैर-अधिशाषी : 6.25%	अधिशाषी : 9% गैर-अधिशाषी : 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	917.18	897.45
चालू सेवा लागत	198.68	160.10
डीबीओ पर ब्याज लागत	55.06	60.05
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	108.49	(162.52)
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	(43.10)	3.84
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	(215.03)	(41.74)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**1,021.28**	**917.18**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	704.18	565.02
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	42.04	41.73
नियोक्ता अंशदान	43.00	130.00
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	13.66	9.17
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(215.03)	(41.74)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**587.86**	**704.18**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतानें

(₹ करोड़ में)

मार्च 31, 2024	83.76
मार्च 31, 2025	94.68
मार्च 31, 2026	98.28
मार्च 31, 2027	102.77
मार्च 31, 2028	111.15
मार्च 31, 2029 से मार्च 31, 2033	496.59
10 वर्ष से अधिक	1,332.58

ख. 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	**(₹ करोड़ में)**	211.47
ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि		9 वर्ष
घ. 31 मार्च, 2022 को उपचित प्रसुविधा दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	644.85

ङ. 31 मार्च, 2022 को यथा योजना आस्ति सूचना

		प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)		0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)		0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर		0.00%
संपत्ति		0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)		0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद		100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद		0.00%
अन्य		0.00%
कुल		**100.00%**

च. 31 मार्च, 2023 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता

		Total
चालू देयता		80.86
अप्रचलित आस्ति/(देयता)		940.42
31 मार्च, 2022 को यथा देयता		**1,021.28**

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

अवकाश स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं संचित अवकाश शेषों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. **ब्याज दर जोखिम :** परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।
2. **वेतन मुद्रास्फीति जोखिम :** वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।
3. **जनसंख्यिकीय जोखिम :** यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।
4. **अवकाश शेषों में परिवर्तन :** यह अवकाश शेषों के प्रत्याशित संचय से महत्वपूर्ण अंतर के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। अवकाश शेषों में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2023 को यथा आधार ग्रहणों पर डीबीओ	(₹ करोड़ में)	1,021.28
क. बट्टा दर		
31 मार्च, 2023 को यथा बट्टा दर		7.30%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(39.85)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	43.10
प्रतिशत प्रभाव		4.00%
ख. वेतन वृद्धि दर		
31 मार्च 2023 को यथा वेतन वृद्धि दर		अधिशाषी 9% गैर-अधिशाषी 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	43.05
प्रतिशत प्रभाव		4.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(40.17)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%

अवकाश नकदीकरण निधियन

कोल इंडिया निदेशक मण्डल ने 13 नवम्बर 2015 को आयोजित अपने 322वीं बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकाश नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा सभी अनुषंगी कंपनियों को नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अवकाश नकदीकरण देयता का निधियन आरंभ करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव नामतः 'नई समूह नकदीकरण नकदी संचयन योजना (UIN512N282V01)' को अपनाते हुए नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना में वित्तपोषण आरंभ कर दिया है। उक्त योजना के अधीन एलआईसी के साथ शेष यथा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2023	31-03-2022
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	704.18	565.02
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	43.00	130.00
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	55.70	50.90
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत अवकाश नकदीकरण निधियन	87.26	41.74
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	715.62	704.18

31-03-2023 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारणी 1 : परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ एवं हानि (पी & एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
चालू सेवा लागत	22.49	21.06
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधित	-	368.46
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	22.49	389.52
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	36.22	29.01
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**58.71**	**418.53**

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(18.22)	44.96
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(49.79)	41.52
	31-03-2023	**31-03-2022**
वर्ष के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(68.01)	86.48
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियाँ पर वापसी	8.58	(25.57)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	**(59.43)**	**60.91**

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
सेवा लागत	22.49	389.52
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	36.22	29.01
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(59.43)	60.91
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**(0.72)**	**479.44**

घ. को यथा ग्रहण

	31-03-2022	31-03-2021
बट्टा दर	6.80%	6.85%
चिकित्सीय मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(772.67)	(802.55)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	319.36	191.44
निधिक स्थिति [अधिशेष/(ह्रास)]	(453.31)	(611.11)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/(देयता)	**(453.31)**	**(611.11)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(611.11)	(162.54)
सेवा लागत	(22.49)	(389.52)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(36.22)	(29.01)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	59.43	(60.91)
नियोक्ता अंशदान	157.07	30.86
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(453.31)**	**(611.11)**

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2023	31-03-2022
बट्टा दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि का दर	0.00%	0.00%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	802.55	296.93
चालू सेवा लागत	22.49	21.06
डीबीओ पर ब्याज लागत	53.29	38.95
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	368.46
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	(18.22)	44.96
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	36.32
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	(49.79)	5.20
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	(37.65)	(9.33)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**772.66**	**802.55**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	191.44	134.39
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	17.08	9.94
नियोक्ता अंशदान	157.07	30.86
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	(8.58)	25.57
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(37.65)	(9.33)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**319.37**	**191.44**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतान

(₹ करोड़ में)

मार्च 31, 2024	29.33
मार्च 31, 2024 31, 2025	34.13
मार्च 31, 2024 31, 2026	39.71
मार्च 31, 2024 31, 2027	44.53
मार्च 31, 2024 31, 2028	49.49
मार्च 31, 2029 से मार्च 31, 2033	308.98
10 वर्ष से अधिक	1,838.39
ख. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि	13 Years
ग. 31 मार्च, 2022 को यथा उपचित प्रसुविधा दायित्व	772.67

(₹ करोड़ में)

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

उपदान स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं सेवा अवधि के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. **ब्याज दर जोखिम :** परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।
2. **वेतन मुद्रास्फीति जोखिम :** वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।
3. **जनसंख्यिकीय जोखिम :** यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं। न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2023 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	772.67
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2023 को यथा बट्टा दर		7.30%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(45.12)
प्रतिशत प्रभाव		-6.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	49.79
प्रतिशत प्रभाव		6.00%

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा निधियन

इस प्रयोजन के लिए केवल सामूहिक स्थल पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिये सेवानिवृत्ति उपरांत प्रसुविधा योजना को निधिक किया जाता है। न्यास निधि के साथ शेष निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2023	31-03-2022
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	191.44	134.39
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	157.07	30.87
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	8.50	35.51
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत निधि	37.65	9.33
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	319.36	191.44

4. अनधारित मदें

4. [क]. आकस्मकि देयताएँ :

4. [A].I. कंपनी के वरिुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं कयिा गया।

सारणी- I

(₹ करोड़ में)

क्रम	निशिष्टियाँ	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य अवस्थानें	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	**01.04.2022 को यथा प्रारंभिक लेखा**	**2,353.22**	**3,592.78**	**-**	**620.10**	**6,566.10**
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	104.44	42.78	-	420.49	**567.71**
3.	वर्ष के दौरान निपटारित					
	अ. प्रारंभिक शेष से	(207.21)	(2,765.61)	-	(27.25)	**(3,000.07)**
	आ. वर्ष के दौरान परिवर्धन के	-	-	-	(0.42)	**(0.42)**
	इ. वर्ष के दौरान कुल निपटारित (अ+आ)	(207.21)	(2,765.61)	-	(27.67)	**(3,000.49)**
4.	**31-03-2023 को यथा लेखाबंदी**	**2,250.45**	**869.95**	**-**	**1,012.92**	**4,133.32**

प्रबंधन का मानना है कि उक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई तात्विक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी- II

(₹ करोड़ में)

क्रम.	निशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
1.	**केन्द्रीय सरकार**		
	आयकर	1,152.52	1,230.00
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	880.61	880.61
	केन्द्रीय विक्रय-कर	115.53	140.82
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	101.79	101.79
	अंशसमष्टि (i)	**2,250.45**	**2,353.22**
2.	**राज्य सरकार**		
	रॉयल्टी	66.99	66.99
	पर्यावरण सहमति	-	2,178.14
	विक्रय-कर/ मूल्यवर्धित कर	36.10	39.56
	विद्युत शुल्क	2.59	2.59
	अन्य :		
	आरई उपकर एवं पीई उपकर	736.10	1,302.08
	अन्य	28.17	3.42
	अंशसमष्टि (ii)	**869.95**	**3,592.78**
3.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम**		
	मध्यस्थम् कार्यवाहियाँ	-	-
	मुकदमा के अधीन कंपनी के विरूद्ध वाद	-	-
	अन्य	-	-
	अन्य (iii)	**-**	**-**
4.	**अन्य**		
	प्रकीर्ण – भूमि	17.52	19.77
	अन्य (कर्मी संबंधित एवं इत्यादि)	995.40	600.33
	अंशसमष्टि (iv)	**1,012.92**	**620.10**
	समग्र कुल (i + ii + iii + iv)	**4,133.32**	**6,566.10**

***माननीय उच्चतम न्यायालय के आधर पर एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अधीन अवैध या विधिविरूद्ध खनित खनिज के लिए यथा शास्ति झारखण्ड राज्य एवं जिला खनन अधिकारी का माँग :** झारखण्ड सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अवैध या विधिविरूद्ध खनित खनिज के लिए यथा शास्ति ₹2,178.14 करोड़ की माँग राशि समुत्थापित किया है जो राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना माइन्स एवं मुगमा क्षेत्र को क्रमशः सहायक खनन अधिकारी/जिला खनन अधिकारियों द्वारा निर्गत 11 माँग सूचनाओं को समाविष्ट करता है। इस संबंध में, ईसीएल के संबद्ध क्षेत्रों ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अभिकथित अतिक्रमण संबंधी झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत माँग सूचनाओं पर आक्षेप करते हुए 11 पुनरीक्षण प्रत्यावेदन दायर की हैं।

कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश के तहत, आगे के आदेश तक, माँग सूचनाओं पर रोक लगा दिया है। आगे, कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी निर्देशित किया है कि आक्षेपित माँग सूचनाओं के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई प्रपीड़न कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 29.06.2022 के आदेश के तहत झारखंड राज्य द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है।

पुनरीक्षण प्राधिकारी ने देखा है कि मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कोई उचित तथ्यात्मक जाँच या जाँच शुरू नहीं की गई है। आवेदकों को अपनी आपत्तियाँ और प्रासंगिक सामग्री रखने का उचित और उचित अवसर दिए बिना निर्णय लिए गए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने कहा कि उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा संबंधित विभागों के विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तावों की जांच की जानी चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त मामले में उपरि वर्णित घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने मूल्यांकन किया कि निपटान में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार, इसे रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया है।

4. [क].II. साख-पत्र एवं गारंटी

31-03-2023 तक बकाया साख पत्र (एलओसी) ₹ शून्य (₹ 16.22 करोड़) है और जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 70.96 करोड़ (₹ 19.13 करोड़) है।

4. [ख] सुपुर्दगियाँ

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

- पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि ₹657.76 करोड़ (₹656.74 करोड़) है।
- राजस्व खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि ₹8620.76 करोड़ (₹9863.49 करोड़) है।

5. अन्य प्रावधान

क. प्रावधान

भारतीय लेखांकन मानक-37 के अनुसार नानाविध प्रावधानों की स्थिति एवं उतार-चढ़ाव, 31-03-2023 को यथा निम्नवत है :

प्रावधान	01.04.2022 को यथा प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन / समायोजन / प्रदत्त	बट्टा का मोचन	31.03.2023 को यथा अंतिम शेष
टिप्पणी 3 :- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर :					
मूल्यह्रास एवं आस्तियों की क्षति	2,771.57	603.64	6.29	-	3,368.92
टिप्पणी 4:- पूँजी चालू कार्य :					
सीडब्ल्यूआईपी	24.43	1.79	7.62	-	18.60
टिप्पणी 5:- अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ					
प्रावधान एवं ह्रास :	-	-	-	-	-
टिप्पणी 6 :- अन्य अमूर्त आस्तियाँ :					
मूल्यह्रास एवं आस्तियों की क्षति	1.53	3.84	-	-	5.37
टिप्पणी 8:- ऋण :					
अन्य ऋण	-	-	-	-	-
टिप्पणी 9:- अन्य वित्तीय आस्तियाँ :					
प्रतिभूति जमाराशि	21.20	-	-	-	21.20
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	5.97	-	-	-	5.97
टिप्पणी 10:- अन्य अप्रचलित आस्तियाँ :					

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2022 को यथा प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन / समायोजन / प्रदत्त	बट्टा का मोचन	31.03.2023 को यथा अंतिम शेष
पूँजीगत अग्रिम	1.48	-	-	-	1.48
पूँजीगत अग्रिम से भिन्न अग्रिम	1.52	-	-	-	1.52
टिप्पणी 11:- अन्य चालू आस्तियाँ :					
सांविधिक देय का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
अन्य जमाराशियाँ एवं अग्रिम	1.93	-	-	-	1.93
टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची					
भण्डार एवं उपकरणों का स्टॉक	54.37	-	10.16	-	44.21
टिप्पणी 13:- व्यवसाय प्राप्य :					
अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	363.39	4.05	1.60	-	365.84
टिप्पणी 21 :- अप्रचलित एवं चालू प्रावधान :					
उपदान	624.23	-	484.67	-	139.56
अवकाश नकदीकरण	213.00	92.66	-	-	305.66
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	611.11	-	157.79	-	453.32
अनुग्रहपूर्वक	375.63	385.17	371.52	-	389.28
कार्य-निष्पादन संबंधित भुगतान	168.81	112.84	72.53	-	209.12
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	84.10	-	0.78	-	83.32
NCWA-XI	202.68	1,834.15	-	-	2,036.83
स्थल पुनरूद्धार/ खान समाप्ति	784.07	43.45	23.54	52.22	856.20
विपट्टन गतिविधि समयोजन	2,588.99	153.64	-	-	2,742.63
अन्य	-	-	-	-	-

ख. प्रति शेयर अर्जन

S.L.	विशिष्टियाँ	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
i.	कर के उपरांत लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	616.42	(1,060.66)
ii.	न्यून : अधिमान शेयरधारक को रोप्य लाभ (₹ करोड़ में)		92.30
iii.	**साम्य शेयरधारकों को रोप्य कर पश्चात् निवल लाभ (₹ करोड़ में)**	**616.42**	**(1,152.96)**
iv.	साम्या शेयर बकाया का भारित औसत संख्या	4,26,94,200	2,77,47,405
v.	रूपये में मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (प्रति शेयर ₹1000/- अंकित मूल्य) (₹) [iii ÷ iv]	144.38	(415.52)

ग. संबद्ध पक्षकार प्रकटन

(i) नियंत्रणी एवं इसकी अनुषंगियाँ

अ. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्री कंपनी

आ. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)

इ. केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

ई. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)

उ. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)

ऊ. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)

ऋ. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)

ऌ. केंद्रीय माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(ii) नियोजन उपरांत प्रसुविधा निधि:

अ. एलआईसीआई के साथ सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना

आ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (01.04.2014 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)

इ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (29.06.2020 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)

ई. एलआईसीआई के साथ नया समूहगत अवकाश नकदीकरण योजना

उ. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

ऊ. कोल इंडिया अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि न्यास

ऋ. कर्मचारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सेवा योजना

ऌ. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन न्यास

घ. (i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण :

1.	श्री अंबिका प्रसाद पंडा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2022 से)
2.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	निदेशक (तनीकी) यो. व परि. (18.06.2018 से 30.11.2022 तक)
3.	मो. अंज़ार आलम	निदेशक (वित्त) (15.09.2022 से)
4.	श्रीमती आहुती स्वाईं	निदेशक (कार्मिक) (18.11.2022 से)
5.	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार) (01.12.2022 से 31.01.2023 तक)
6.	श्री उदय अनंतराव काउले	निदेशक (तकनीकी) यो. व परि. (अतिरिक्त प्रभार) (01.12.2022 से 08.12.2022 तक)
7.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी) यो. व परि. (09.12.2022 से)
8.	श्री नीलाद्री रॉय	निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.02.2023 से)

अंशकालकि पदीय नदिशकगण :

1.	श्री एस. एन तिवारी	निदेशक (विपणन), सीआईएल (30.04.2022 तक)
2.	श्री बी. वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (12.05.2022 से)
3.	श्री अनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (17.03.2020 से 04.07.2022 तक)
4.	श्री हारा कुमार हाजोंग	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.07.2022 से)

स्वतंत्र निदेशकगण :

1.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
2.	श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
3.	श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)
4.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाल (10.07.2019 से 09.07.2022 तक)

कंपनी सचिव :

1.	श्री रामबाबू पाठक (02.07.2018 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) :

1.	श्री शरद कुमार सोमानी (04.02.2022 से 14.09.2022 तक)
2.	मो. अंज़ार आलम (15.09.2022 से)

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रम	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकगणों एवं कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
i.	**अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ :**		
	सकल वेतन	1.73	1.53
	चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	-	-
	परिलब्धियाँ एवं अन्य प्रसुविधाएँ	0.35	0.67
ii.	**नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ :**		

क्रम	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकगणों एवं कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
	भविष्य निधि एवं अन्य निधि को अंशदान	0.30	0.25
iii.	**पर्यवसान प्रसुविधाएँ (पृथक्करण के समय में प्रदत्त)**		
	अवकाश नकदीकरण	-	0.05
	उपदान	0.20	0.20
	कुल	**2.58**	**2.70**

टप्पिणी : उक्त के अतरिक्ति, पूरणकालकि नदिशकणों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹2000/- प्रतमिाह के संदाय पर 1000 कि.मी. की सीमा तक नजिी यात्रा के लएि कारों का उपयोग करने की अनुमतदिी गई है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
i.	बैठक शुल्क	0.15	0.17

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022
i.	राशि देय	0.02	0.01
ii.	राशि प्राप्य	-	-

(v) कंपनी के निदेशकगणों या अन्य अधिकारियों का किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथकतः या संयुक्तः कोई व्यवसाय या अन्य देय राशियाँ नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

(vi) समूह के अंदर संबद्ध पक्षकार अंतरण

सीआईएल के साथ लेनदेन की प्रकृति चालू खाते के जरिए शीर्ष प्रभार, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वासन व्यय, सहायकी, ईडीसी ऋण चुकौती, और कर्मचारियों से संबंधित व्यय हैं। भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेनों की प्रकृति एवं राशि विषयक प्रकटनें निम्नलिखित है।

31.03.2023 को यथा बकाया शेष और तब समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	अन्य सेवाएँ			चालू लेखा शेष (देय)/प्राप्य	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज		
सीआईएल	-	-	35.02	21.29	-	(139.33)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(1.00)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(94.81)

31.03.2022 को यथा बकाया शेष तथा तब समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	Other Services			सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज		
सीआईएल	-	-	32.43	21.61	-	(191.54)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(0.88)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(106.91)

ङ. खंड रिपोर्टिंग :

कंपनी प्रधानतः कोयले के उत्पादन एवं विक्रय के एकल खण्ड कारबार में लगी हुई है। ब्याज और अय आय से वाली आय कुल राजस्व का 10% से कम है; अतः इसके लिए कोई पृथक खण्ड निर्धारित नहीं है।

च. उपभोक्ताओं के साथ संविदा से राजस्व भा.ले.मा. 115 के अनुसार प्रकटन

भिन्न-भिन्न राजस्व सूचना :

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा का प्रकार	31-03-2023	31-03-2022
• कोयला	14,769.29	10,301.45
• अन्य	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	**14,769.29**	**10,301.45**

(₹ करोड़ में)

उपभोक्ताओं का प्रकार	31-03-2023	31-03-2022
• विद्युत शक्ति क्षेत्र	7,717.26	7,210.98
• गैर-विद्युत शक्ति क्षेत्र	7,052.03	3,090.47
• अन्य या सेवाएँ (सीएमपीडीआईएल)	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	**14,769.29**	**10,301.45**

(₹ करोड़ में)

संविदा का प्रकार	31-03-2023	31-03-2022
• एफएसए	8,007.52	7,389.21
• एफएसए	6,761.77	2,912.24
• अन्य	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	**14,769.29**	**10,301.45**

(₹ करोड़ में)

माल एवं सेवा का कालन	31-03-2023	31-03-2022
• एक ही समय में हस्तांतरित माल	-	-
• समय के साथ हस्तांतरित माल	14,769.29	10,301.45
• एक ही समय में अंतरित सेवाएँ	-	-
• समय के साथ अंतरित सेवाएँ	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	**14,769.29**	**10,301.45**

(₹ करोड़ में)

संविदा शेष :	31-03-2023	31-03-2022
व्यवसाय प्राप्य (संदर्भ टिप्पणी 13)	1,564.50	2,504.20
संविदात्मक आस्तियाँ	-	-
संविदात्मक देयताएँ (संदर्भ टिप्पणी 23)	991.35	1,446.91
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में संविदात्मक देयताओं के बिना निर्धारित राजस्व	-	-
पूर्व वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य-निष्पादन दायित्व के बिना निर्धारित राजस्व	-	-

छ. अनुपात

	31-03-2023	31-03-2022	अंतर	अंतर का कारण
अ. चालू अनुपात : चालू अनुपात कंपनी की समस्त चलनिधि की स्थिति को उपदर्शित करता है। उनके ग्राहकों को कार्यशील पूँजीगत ऋण देने संबंधी निर्णय निर्धारण में बैंकों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात को यथा चालू आस्तियों को चालू देयताओं से भाग कर परिकलन किया गया है।	0.83	0.80	3.75%	
आ. कर्ज-साम्या अनुपात: कर्ज-साम्या अनुपात कंपनी के कुल कर्ज को शेयरधारकों के साम्या से तुलना करता है। कंपनी के तुलन-पत्र में ये दोनों संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। कर्ज-साम्या अनुपात को यथा कुल कर्ज को शेयरधारकों की साम्या से भाग कर परिकलन किया गया है।	0.06	0.08	-25.00%	
इ. कर्ज सेवा व्यापन अनुपात: कर्ज सेवा व्यापन अनुपात को चालू ब्याज एवं किस्तों को चुकता करने की फर्म की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ज सेवा व्यापन अनुपात को यथा कर्ज सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन को कर्ज सेवा से भाग कर परिकलित किया जाता है। कर्ज सेवा के लिए अर्जन = करोपरांत निवल लाभ + गैर-नकदी परिचालनात्मक व्यय जैसे मूल्यह्रास एवं अन्य ऋण चुकौती + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल आस्तियों के विक्रय पर हानि इत्यादि। कर्ज सेवा = ब्याज पट्टाघृति संदाय + मूलधन चुकौती। "करोपरांत निवल लाभ" से आशय "अवधि के लिए लाभ/(हानि)" की सूचित राशि है और यह अन्य व्यापक आय के मदों को समाविष्ट नहीं करता है।	71.59	(96.88)	-173.90%	गत वर्ष की तुलना में करोपरांत लाभ में वृद्धि होने के कारण कर्ज चुकौती व्यापन अनुपात में अंतर
ई. साम्या अनुपात पर वापसी : यह कंपनी में निवेशित साम्या निधियों की लाभप्रदता को मापित करता है। यह अनुपात कंपनी द्वारा कैसे साम्या-धारकों के निधियों की लाभप्रदता का उपयोग किया गया है को प्रकट करता है। यह अनुपात यथा : (करोपरांत निवल लाभ से अधिमान लाभांश (यदि कोई हो) को घटाकर) को औसत शेयरधारक साम्या से भाग कर संगणित किया जाता है।	0.28	(0.85)	-132.94%	गत वर्ष की तुलना में करोपरांत लाभ में वृद्धि होने के कारण प्रतिफल से साम्या अनुपात में अंतर
उ. वस्तुसूची आवर्त अनुपात: यह अनुपात नामशः स्टॉक आवर्त अनुपात भी है और अवधि के दौरान बेची गई या बिक्री हुई मालों की लागत और अवधि के दौरान औसत वस्तूसूची के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह दक्षता को मापित करता है जिस के साथ कंपनी अपने वस्तूसूची का उपयोग एवं प्रबंधन करता है। वस्तुसूची आवर्त अनुपात यथा बिक गए या बिक्री मालों की लागत को औसत वस्तुसूची से भाग देकर परिकलित किया जाता है। औसत वस्तुसूची (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 है। जब वस्तुसूची की आरंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात सीओजीएस या बिक्री को वस्तुसूची के अंतिम शेष भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	45.26	25.71	76.04%	गत वर्ष की तुलना में बिक्री मालों की लागत में वृद्धि और औसत वस्तसूची में कमी के कारण वस्तुसूची आवर्त अनुपात में अंतर

	31-03-2023	31-03-2022	अंतर	अंतर का कारण
ऊ. व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात: यह दक्षता को मापित करता है जिसपर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रहा है। व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल साख विक्रय / औसत लेखा प्राप्य औसत व्यवसाय प्राप्य = (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 जब ऋण बिक्री, व्यवसाय देनदार का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल विक्रय को व्यवसाय प्राप्य के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	7.26	2.97	144.44%	गत वर्ष की तुलना में निवल बिक्री में वृद्धि और औसत व्यवसाय प्राप्य में कमी के कारण व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात में अंतर
ऋ. व्यवसाय देय आवर्त अनुपात: यह विविध लेनदारों की संख्या उपदर्शित करती है जिन्हें अवधि के दौरान संदाय किया गया है। विविध लेनदारों को संदाय करने के लिए नकदी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए परिकलित किया जाता है। यह निवल साख क्रयों को औसत लेनदारों से भाग देते हुए परिकलित किया जाता है। व्यवसाय देय आवर्त अनुपात = निवल साख क्रय / औसत व्यवसाय देय निवल साख क्रय समग्र साख क्रय से क्रय वापसी को घटाकर बनता है। जब साख क्रय , व्यवसाय लेनदारों का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल क्रय को व्यवसाय लेनदारों के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	4.05	3.46	17.05%	
ए. निवल पूँजी आवर्त अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूँजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। निवल पूँजी आवर्त अनुपात यथा निम्नवत परिकलित किया जाता है : उसी अवधि के दौरान निवल बिक्री को क्रियाशील पूँजी की औसत राशि से भाग। निवल पूँजी आवर्त अनुपात = निवल बिक्री / क्रियाशील पूँजी निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसियों को घटाकर परिकलित किया जाएगा। क्रियाशील पूँजी यथा चालू आस्तियों से चालू देयताओं को घटाकर परिकलित किया जाएगा।	(9.17)	(6.32)	45.09%	गत वर्ष की तुलना में निवल बिक्री में वृद्धि के कारण निवल पूँजीगत आवर्त अनुपात में अंतर।
ऐ. निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के निवल लाभ और बिक्री के बीच के संबंध को मापित करता है। निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ / निवल बिक्री निवल लाभ करोपरांत होगा। निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसी को घटकर परिकलित किया जाएगा।	0.04	(0.10)	140.00%	गत वर्ष की तुलना में करोपरांत लाभ में वृद्धि के कारण निवल लाभ अनुपात में अंतर

	31-03-2023	31-03-2022	अंतर	अंतर का कारण
ओ. प्रयुक्त पूँजी पर वापसी : नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और साम्या धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा वापीस उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूँजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर पूर्व अर्जन / अभिनियोजित पूँजी अभिनियोजित पूँजी = मूर्त निवल मालियत + कुल कर्ज + आस्थगित कर देयताएँ	0.32	(0.65)	149.23%	गत वर्ष की तुलना में कर पूर्व लाभ में वृद्धि के कारण प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिफल में अंतर
औ. निवेश पर वापसी: निवेश पर वापसी प्रसुविधा जो एक निवेशक अपने निवेशित लागत के संबंध में प्राप्त करेगा को परिकलित करने के लिए प्रयुक्त एक वित्तीय अनुपात है। जितना अधिक अनुपात होगा, उतना अधिक लाभ अर्जित होगा। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि में से एक समय भारित प्रतिलाभ दर (TWRR) है और ब्याज दर (ROI) के परिकलन के लिए उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह निवेश नकदी प्रवाह के समय के लिए प्रतिफल को समायोजित करता है। प्रत्येक आस्ति वर्ग (जैसे, साम्या, नियत आय, मुद्रा बाजार, आदि) के लिए अलग से ब्याज दर (आरओआई) प्रदान किया जाता है। ब्याज दर = अंतिम बाजार मूल्य - (प्रारंभिक बाजार मूल्य + नकदी प्रवाह का जोड़)/(अंतिम बाजार मूल्य + भारित नकदी प्रवाह का जोड़)				
i. असूचीबद्ध अनुषंगियों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : (अनुषंगियों की साम्या से लाभांश)/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ii. संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : ब्याज दर = ((संयुक्त उद्यमों के साम्या से प्राप्त लाभांश))/((संयुक्त उद्यमों के साम्या में औसत निवेश))	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii. नियत आय निवेश (बॉण्ड/डबिंचर इत्यादि) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iv. पारस्परिक निधि पर ब्याज दर = (लाभांश+पूँजीगत लाभ+उचति मूल्य लाभ (हानि))/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
v. जमाराशियों पर ब्याज दर (बैंकों, ...) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	0.06	0.04	68.23%	जमापूँजी पर ब्याज दर में कमी के कारण जमाराशियों पर ब्याज दर में अंतर

छ. मास्टर योजना के अधीन निधि

कंपनी पट्टाधृति के कोयला धारक प्रभावित क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के पुनर्वासन के साथ व्यवहार करने के लिए मास्टर योजना के अधीन निधि प्राप्त करता है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) गैर-ईसीएल घरों में निवासित व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए क्रियान्वयन अभिकरण है, जिसके लिए कंपनी यथा नोडल अभिकरण है। यथा नोडल अभिकरण प्राप्त निधि एडीडीए को अग्रिम राशि प्रदान किया जाता है और ऐसे अग्रिम (टिप्पणी – 11 में अन्य जमाराशियों एवं अग्रिमों के अधीन दर्शाया गया है) के साथ-साथ सुसंगत निधि, दोनों एडीडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरणी के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2023 को यथा ₹311.44 करोड़ (31 मार्च, 2021 को यथा ₹11.44 करोड़) की अदोहित निधि के समायोजन के लिए एडीडीए से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है।

मास्टर योजना के अधीन अदोहित निधि की स्थिति एतद् निम्न दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2022
अदोहित निधि का प्रारंभिक शेष	11.44	11.44
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	300.00	-
न्यून : वर्ष के दौरान अदोहन/समायोजन	-	-
अदोहित निधि का अंतिम शेष	311.44	11.44

ज. बीमा एवं वृद्धि दावें

स्वीकृति/अंतिम निपटान के आधार पर निवेश एवं वृद्धि दावों का लेखा-जोखा दिया गया है।

ट. लेखा में निर्मित प्रावधान

कलापेक्षी/अचल/अप्रचलित स्टोरों, प्राप्य दावे, अग्रिमों, संदिग्ध ऋण आदि के विरूद्ध खातों में कृत प्रावधानें संभावित हानियों की रक्षा करने में पर्याप्त माने जाते हैं।

ठ. लेखांकन नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी के प्रयोक्ता को अच्छी समझ के लिए, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को भाग 2.11 अमूर्त आस्तियाँ, 2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ और 2.23.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं में संशोधित / अलग ढंग से व्यक्त किया गया है।

ड. चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

अनुमानित देयता जहाँ वास्तविक देयता को मापित नहीं किया जा सकता है को उपबंधित किया गया है।

ण. शेष प्रमाण

नकदी और बैंक शेषराशियों, कतिपय ऋणों एवं अग्रिमों, दीर्घावधि देयताओं और चालू देयताओं के लिए जमाराशि पुष्टिकरण/समाधान किया जाता है। संदिग्ध अपुष्ट शेषराशियों के विरूद्ध प्रावधान किया जाता है।

त. (i) ए.एस.टी. सं. 2011 का 617, दिनांकित 26.08.2011 में माननीय उच्च न्यायलय, कोलकाता के निदेशानुसार डिसेरगढ़ पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से विद्युत आपूर्ति की पुनःबहाली के लिए यथा अग्रिम ₹8.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। उस राशि को टिप्पणी 11 – अन्य चालू आस्तियाँ में दर्शाया गया है।

(ii) ₹3.96 करोड़ की तदर्थ अग्रिम राशि आईपीसीएल को उनके द्वारा प्रस्तुत वियोजन सूचना जो माननीय लोकपाल, डब्ल्यूबीईआरसी के समक्ष अपीलीय कार्यवाहियों में लंबित है के कारण प्रदान की गई थी।

(iii) ए.एस.टी. सं. 1904/2011, दिनांकित 21.12.2011 में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निदेशानुसार आईपीसीएल को विद्युत बिल के लिए ₹39.19 करोड़ की राशि यथा प्रतिभूति जमाराशि प्रदान की गई है। उस राशि को टिप्पणी 10 – अन्य अप्रचलित आस्तियाँ के अधीन दर्शाया गया है।

उक्त मामलातों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष विवाद के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया था। मध्यस्थ अपने दिनांक 15 फरवरी, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्णय दिया है कि यथा समुत्थापित विवाद्यक कोलकाता उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका का विषय-वस्तु है।

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली (अपीली अधिकारिता) के समक्ष मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन उक्त मामले से संबंधित अपील दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा 29 अक्तूबर 2021 के आदेश के माध्यम तथाकथित अपील को खारिज कर दिया था।

मामलात सं. (i) एवं (ii) के संबंध में, ईसीएल ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस करने से लिए अधिवक्ता/ वरिष्ठ काउंसेल नियुक्त किया है और मामलात सं. (iii) ईसीएल ने माननीय खण्ड न्यायपीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन अभ्यावेदन दायर की है।

तथापि, माननीय पुनरीक्षण पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी की अपील को खारिज कर दिया गया है। कंपनी ने विभिन्न मंचों पर अधिनिर्णय के लिए लंबित प्राप्य राशि के समायोजन के लिए एलडी वाणिज्यिक न्यायालय, आसनसोल के समक्ष सीपीसी के आदेश 21 नियम 18 और आदेश 21 नियम 29 के तहत एक आवेदन दायर किया है। वाणिज्यिक न्यायालय ने विभिन्न मंचों पर निर्णय के लिए लंबित प्राप्य राशि के समायोजन के लिए ईसीएल की याचिका को खारिज कर दिया और उस पर ब्याज के साथ 6.06 करोड़ रुपये की अंतर राशि का भुगतान करने के लिए मध्यस्थ के फैसले को बरकरार रखा। बैंक गारंटी के बदले सावधि जमा से ₹ 8.64 करोड़ की कटौती की गई है और आईपीसीएल को भुगतान किया गया है। भुगतान की तारीख तक खातों में ₹ 0.91 करोड़ का विभेदक ब्याज प्रदान किया गया है।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी को अमरकोंडा - मुर्गदंगल, ब्राह्मणी और चिचरो पाटसिमल नामक कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। ग्रामीणों/ स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध के कारण अन्वेषण कार्य नहीं किया जा सका। ईसीएल बोर्ड ने 9 मई 2022 को आयोजित अपनी 350वीं बैठक में ब्राह्मणी और चिचरो पाटसिमल और अमरकोंडा - मुर्गदंगल कोयला ब्लॉकों को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को सौंपने की मंजूरी दे दी है। कोयला ब्लॉकों को सरेंडर करने के लिए कंपनी द्वारा 12.07.2022 को एमओसी के पास एक आवेदन भरा गया है। हालाँकि, सीआईएल बोर्ड ने 04.01.2023 को आयोजित अपनी 448वीं बैठक में ब्लॉकों को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। ईसीएल ने सीआईएल बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में आत्मसमर्पण प्रस्ताव वापस ले लिया है।

2016-17 से 2020-21 तक कोयले की कमी के लिए मुआवजे के दावे की प्रयोज्यता के संबंध में ईसीएल और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के बीच एक विवाद को एएमआरसीडी को भेजा गया है। एएमआरसीडी का निर्णय प्राप्त होने पर राशि की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। वर्तमान में ईसीएल ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मुआवजे के दावे के लिए 141.18 करोड़ रुपये की गणना की है।

कोल इंडिया लिमिटेड में 24 दिसंबर 2020 को आयोजित 415वीं सीआईएल बोर्ड बैठक में, यह अवगत कराया गया कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के मामले में, कोयले पर उल्टे शुल्क संरचना यानी जीएसटी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का संचय होता है। % जबकि इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सेवाओं पर जीएसटी दर 12%, 18% और 28% के कर दायरे में आती है। इसके परिणामस्वरूप, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां आईटीसी का पूरा उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार, सीआईएल बोर्ड ने वित्त वर्ष से सभी पूंजीगत व्यय पर जीएसटी का पूंजीकरण करने को मंजूरी दे दी। 2020-21 से आगे और कंपनी अधिनियम 2013 और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार मूल्यह्रास का दावा करें।

कंपनी का परिचालन पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है। कंपनी झारखंड क्षेत्र में पूंजीगत व्यय पर जीएसटी का लाभ उठा रही है। हालाँकि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में उपरोक्त स्थिति का अपवाद है जहां संपूर्ण जीएसटी आईटीसी का उपयोग आउटपुट जीएसटी देनदारी के भुगतान के लिए किया जा रहा है और जीएसटी आईटीसी का कोई संचय नहीं है। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय पर योग्य जीएसटी आईटीसी का लाभ उठाया जा रहा है और इसका उपयोग आउटपुट जीएसटी देनदारी के भुगतान के लिए किया जा रहा है क्योंकि यह कंपनी के लिए फायदेमंद है।

Q. 27 जुलाई, 2022 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की 353 वीं बैठक में, बोर्ड ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में 21.44 करोड़ रुपये की राशि के 18 सीएचपी को बट्टे खाते में डालने को मंजूरी दे दी, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान पहले ही प्रदान किया जा चुका है। इसे नोट-34- वित्तीय विवरणों में बट्टे खाते में डालने के रूप में दर्शाया गया है।

द. प्रकीर्ण सूचनाएँ

अ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखांकन नीतियाँ विशदीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) को प्रारूपित किया गया है।

(आ) हाल का लेखांकन नवघोषणाएँ

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (""एमसीए"") समय-समय पर यथा निर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अधीन विद्यमान मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। संशोधन निम्नानुसार हैं:

भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) 1 - वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बजाय अपनी भौतिक लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणियों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) 8 - लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन - इस संशोधन ने 'लेखांकन अनुमानों' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और भा.ले.मा. 8 में संशोधन सम्मिलित किए हैं ताकि संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद मिल सके। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) 12 - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणियों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

ध. अन्य

अ. कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह (12) महीने में प्राक्कलित करता है।

आ. भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार जब कभी आवश्यक प्रतीत हुआ है तब पूर्व वर्षों के आँकडों को पुनःसमूहित एवं पुनःव्यवस्थापित किया गया है।

इ. टिप्पणी सं. 3 से 38 तक में कोष्ठक में पूर्व वर्ष के आँकड़े हैं।

ई. टिप्पणी – 1 एवं 2 क्रमशः निगमित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का द्योतक है, टिप्पणी 3 से 23 तक 31 मार्च, 2023 को यथा तुलन-पत्र के भागरूप हैं और टिप्पणी 24 से 37 तक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी के भागरूप हैं। टिप्पणी-38 में वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ उपबंधित है।

(रामबाबू पाठक)	**(श्याम सुंदर)**	**(विभागीय प्रधान (वित्त)**	**(अंबिका प्रसाद पंडा)**
कंपनी सचिव	विभागीय प्रधान (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन- 09743117	डीआईएन- 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन. सी. बनर्जी एवं कंपनी की ओर से.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 302081ई
सीए बिमल कुमार बिश्वास
साझेदार
सदस्यता संख्या. 055623

दिनांक : 25.04.2023
स्थान : सांकतोड़िया

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)